एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

31वां वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2022 - 2023

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

31st

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2022-2023

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्रांकन
A PHOTO FEATURE REAPING THE BENEFITS OF NBCFDC SCHEMES

सामान्य ऋण योजना
General Loan Scheme

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में फलों की दुकान। एनबीसीएफडीसी ने सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।
Fruit shop at Raipur District, Chhattisgarh. NBCFDC has provided loan under General Loan Scheme to the beneficiary through Chhattisgarh State Antyavasai Sahkari Vitta Evam Vikas Nigam.

सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना
Mahila Samriddhi Yojana under Micro Finance Scheme

तमिलनाडु के इरोड़ जिले में किराने की दुकान। एनबीसीएफडीसी ने महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।
Grocery Store at Erode District, Tamil Nadu. NBCFDC has provided loan under Mahila Samriddhi Yojana to the beneficiary through Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation.

सूक्ष्म वित्त योजना
Micro Finance Scheme

जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले में प्रसाद बैग बनाने की इकाई। एनबीसीएफडीसी ने सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर वीमेन्स विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।
Prasad Bags Making Unit at Udhampur district, Jammu & Kashmir. NBCFDC has provided loan under Micro Finance Scheme to the beneficiary through J&K Women's Development Corporation.

सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत लघु ऋण
Small Loan under Micro Finance Scheme

गुजरात के गांधीनगर जिले में किराना की दुकान। एनबीसीएफडीसी ने लघु ऋण योजना के अन्तर्गत गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।
Kirana Shop at Gandhinagar district, Gujarat. NBCFDC has provided loan under Small Loan Scheme to the beneficiary through Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam Ltd.

नई स्वर्णिमा योजना
New Swarnima Scheme

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में टेंट हाउस की दुकान। एनबीसीएफडीसी ने 'नई स्वर्णिमा योजना' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।
Tent House shop at Bahraich district, Uttar Pradesh. NBCFDC has provided loan under 'New Swarnima Scheme' to the beneficiary through Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.

शैक्षिक ऋण योजना
Education Loan Scheme

केरल के पथनमथिट्टा में एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स। एनबीसीएफडीसी ने शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।
Nurse in a Pvt. Hospital at Pathanamthitta, Kerala. NBCFDC has provided loan under Education Loan Scheme to the beneficiary through Kerala State Backward Classes Development Corporation

विपणन संयोजन
MARKETING LINKAGES

डा0 वीरेन्द्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री रामदास अठावले,राज्य मंत्री,भारत सरकार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शिल्प समागम-2022 का उद्घाटन किया गया एवं शिल्प समागम-2022, दिल्ली हाट में लाभार्थियों के स्टालों का भी दौरा किया गया और सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।

Hon'ble Minister Dr. Virendra Kumar, MoSJE, State Minister Shri Ramdas Athawale has inaugurated the Shilp Samagam-2022 along with the other dignitaries of the Ministry and also visited the stalls of beneficiaries at Shilp Samagam-2022, Dilli Haat and appreciated the efforts of all participants

डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) -2022, प्रगति मैदान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के स्टालों दौरा किया और सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।

Dr. Virendra Kumar ji, Hon'ble MoSJE and other senior officials visited the stalls of beneficiaries at India International Trade Fair (IITF) -2022, Pragati Maidan and appreciated the efforts of all participants.

विपणन संयोजन
MARKETING LINKAGES

डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार 36 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला -2023 में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के स्टालों दौरा किया और सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।

Dr. Virendra Kumar ji, Hon'ble MoSJE and other senior officials visited the stalls of beneficiaries at 36th Surajkund International Craft Mela-2023 and appreciated the efforts of all participants.

गुवाहाटी, असम में एनबीसीएफडीसी लाभार्थी 12वीं पूर्वी हिमालय व्यापार मेले (ईएचटीएफ) में अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित/ बिक्री करते हुए।

NBCFDC beneficiaries displaying/selling their handicraft products at 12th Edition of East Himalayan Trade Fair (EHTF) at Guwahati, Assam

इंदौर, मध्य प्रदेश में एनबीसीएफडीसी लाभार्थी मालवा उत्सव 2022 में अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित/ बिक्री करते हुए।

NBCFDC beneficiaries displaying/selling their handicraft products at Malwa Utsav 2022 at Indore, Madhya Pradesh

लक्षित वर्ग हेतु पी. एम. दक्ष योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
SKILL DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR TARGET GROUP UNDER PM DAKSH SCHEME

एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी, राजस्थान द्वारा फायर फाइटर जॉब रोल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
Training Programme in Fire Fighter job role conducted by MSME Technology Centre, Bhiwadi, Rajasthan.

केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान,गुवाहाटी, असम द्वारा प्लास्टिक एक्सट्रूजन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
Training programme in Plastic Extrusion conducted by Central Institute for Petrochemical Engineering and Technology at Guwahati, Assam.

दिल्ली में अपोलो मेडस्किल्स द्वारा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जॉब रोल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
Training Programme in General Duty Assistant job role conducted by Apollo Medskills at Delhi.

परिधान प्रशिक्षण एण्ड डिजाइन केंद्र, हुबली, पश्चिम बंगाल द्वारा सेल्फ – इम्पलॉइड टेलर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
Training programme in Self Employed Tailor conducted by Apparel Training and Design Centre at Hubli, West Bengal.

प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
TECHNOLOGY UPGRADATION SCHEME

चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन का समूह। एनबीसीएफडीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) लिमिटेड के माध्यम से इस समूह के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम और आधुनिक उपकरण/ टूलकिट प्रदान किए हैं।
Bee Keeping Cluster at Changlang, Arunachal Pradesh. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme & Modern Equipment's/ Tools to beneficiaries of this cluster through North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) Limited.

जिला- कासरगोड, केरल में मिट्टी के बर्तनों का समूह। एनबीसीएफडीसी ने केरल राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों के इस समूह के कारीगरों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आधुनिक मशीनरी / उपकरण और सीएफ़सी का विकास प्रदान किया है।
Pottery Cluster at District- kasargod, Kerala. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme, Modern Machinery / Tools and Dev. of CFC to artisans of this pottery cluster through Kerala State Backward Classes Finance Development Corporation.

त्रिपुरा के सिपाहीजाला में रबड़ उत्पादक समूह। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से इस क्लस्टर के कारीगरों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपकरण/टूल्स प्रदान किए हैं।
Rubber Grower Cluster at Sepahijala in Tripura. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Training Programe and Equipment/Tools to artisans of this cluster through Tripura OBC Cooperative Development Corporation Ltd.

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा में कालीन बुनाई समूह। एनबीसीएफडीसी ने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कालीन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, फ्रेम-लूम/उपकरण और सीएफ़सी का विकास प्रदान किया है।
Carpet Weaving Cluster at Kupwara in UT J&K. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Training Programe, Frame-Looms/Tools and Dev. of CFC to artisans of this cluster through Indian Institute of Carpet Technology, Srinagar.

जागरूकता कार्यक्रम
AWARENESS PROGRAMME

जम्मू एण्ड कश्मीर वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जिला - शोपियां, जम्मू एण्ड कश्मीर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
Awareness Programme organized by Jammu & Kashmir Women Development Corporation at Shopian District, Jammu & Kashmir.

केरल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला - कोट्टायम, केरल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
Awareness Programme organized by Kerala Backward Classes Finance & Development Corporation at Kottayam District of Kerala.

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
Awareness Programme organized by Madhya Pradesh Gramin Bank at Ujjain District of Madhya Pradesh.

पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम (बैकफिनको) द्वारा पंजाब के फिरोजपुर जिले में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
Awareness Programme organized by Punjab Backward Classes Land Development And Finance Corporation (Backfinco) at Firozpur District of Punjab

सीएसआर अन्तर्गत पहल
INITIATIVES UNDER CSR

उत्तर एवं मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन।
A free Eye & Health Checkup camp organised at North and Middle Andaman & Nicobar Island

हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा में निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर (जीएमसी) का आयोजन।
A Free Health & Eye Check-up Camp (GMC) organized at Aspirational District Chamba, Himachal Pradesh

तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टॉयलेट (शौचालय) का निर्माण
Construction of Restrooms (Toilets) in a Government Higher Secondary Schools of Cuddalore District, Tamil Nadu

आकांक्षी जिला, फिरोजपुर, पंजाब में निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन।
A Free Eye & Health Checkup camp organised at Aspirational Ferozepur, Punjab

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली की धनराशि
Yearwise Cumulative Utilization Amount and Cumulative Recovery Amount

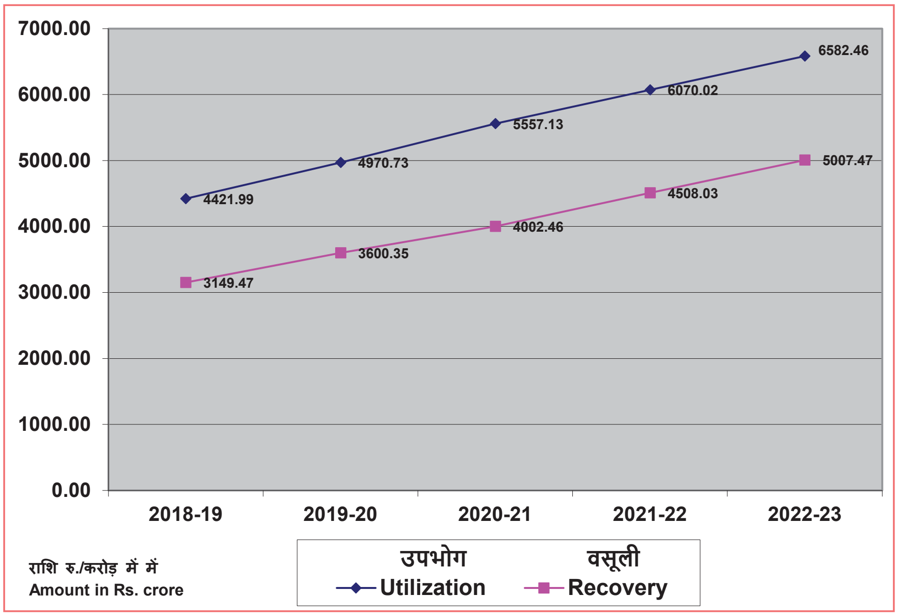

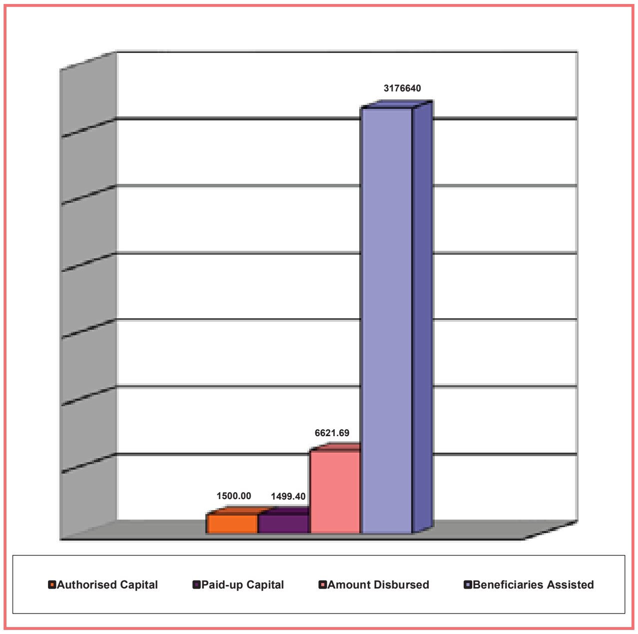

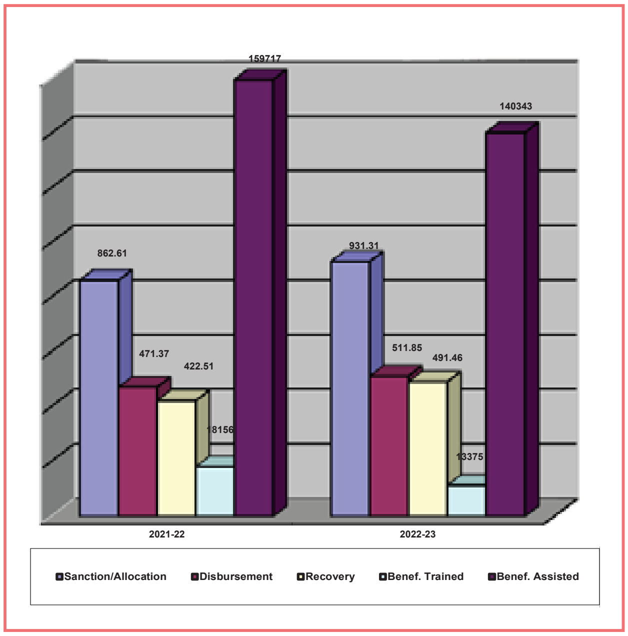

राशि रु./करोड़ में पैमाने पर नहीं
Amount in Rs./Cr.) Not to Scale

31.03.2023 तक अधिकृत अंशपूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।
Authorized Share Capital, Paid-up Share Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2023

राशि रु./करोड़ में पैमाने पर नहीं
Amount in Rs./Cr.) Not to Scale

वर्ष 2021-2022 एवं 2022-23 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।
Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2021-2022 & 2022-23

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
RAJBHASHA HINDI ACTIVITIES

निगम के कार्मिकों को राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण करते हुए निगम के प्रबंध निदेशक, श्री राजन सहगल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

हिन्दी कार्यशाला में भाग लेते हुए निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी।

नराकास, दिल्ली (उपक्रम-2) के तत्वाधान में वर्ष 2022 में आयोजित प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती नीलम मुदगल, वरि.प्रबन्धक (वित्त)।

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हुए निगम के कार्मिक।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

श्री राजन सहगल
प्रबन्ध निदेशक
Shri Rajan Sehgal
Managing Director

श्री रजनीश कुमार जैनव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एनएसएफडीसी
Shri Rajnish Kumar Jenaw
CMD, NSFDC

श्री संजय पाण्डे
सं. सचिव एवं वि. सलाहकार
सा. न्याय और अधि. मंत्रालय, भारत सरकार
Shri Sanjay Pandey
JS & FA, SJ&E, GOI

डा. सुभ्रांशु शेखर आचार्य
मु.म.प्र, सिडबी
Dr. Subhransu Sekhar Acharya
CGM, SIDBI

श्री आर.वी. रामाकृष्ण,
म.प्र., नाबार्ड
Shri R. V. Ramakrishna
GM, NABARD

श्री संजय कुमार सिंह
गैर-सरकारी निदेशक
Shri Sanjay Kumar Singh
Non-official Director

श्रीमती पिंकी कुमारी
गैर-सरकारी निदेशक
Smt. Pinki Kumari
Non-official Director

31वीं
वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2022-23

निदेशक मण्डल (दिसम्बर 2023)
Board of Directors (December, 2023)

	श्री राजन सहगल प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी., नई दिल्ली	**Sh. Rajan Sahgal** Managing Director, NBCFDC, New Delhi
	श्री रजनीश कुमार जैनव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.,नई दिल्ली	**Sh. Rajnish Kumar Jenaw** CMD, NSFDC, New Delhi
	श्री संजय पाण्डे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	**Shri Sanjay Pandey** Joint Secretary & FA, Ministry of SJ&E, Govt. of India,
	डा. सुभ्रांशु शेखर आचार्य मु. महाप्रबन्धक, सिडबी, नई दिल्ली	**Dr. Subhransu Sekhar Acharya** CGM, SIDBI, New Delhi
	श्री आर.वी. रामाकृष्ण महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली	**Shri R. V. Ramakrishna** GM, NABARD, Delhi
	श्रीमती पिंकी कुमारी गैर-सरकारी निदेशक, पटना, बिहार	**Smt. PinkiKumari** Non-official Director, Patna, Bihar
	श्री संजय कुमार सिंह गैर-सरकारी निदेशक, पटना, बिहार	**Shri Sanjay Kumar Singh** Non-official Director, Patna, Bihar
प्रबन्ध निदेशक/Managing Director:	**श्री राजन सहगल**	**Sh. Rajan Sahgal**
वरि.महाप्रबन्धक(वित्त) एवं कम्पनी सचिव/SGM(Fin.) & Company Secretary:	**श्री अजित कुमार सामल**	**Sh. Ajit Kumar Samal**
लेखापरीक्षक/Auditors :	**मैसर्स डी.सी.गर्ग** चार्टर्ड एकाउंटेंट, दिल्ली-110032	**M/s D.C. Garg & Co.** Chartered Accountants, Delhi-110032
मुख्य बैंकर्स/ Principal Bankers:	• केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली • आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक, नई दिल्ली • एच.डी.एफ.सी. बैंक,नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Bank of Baroda, New Delhi • IDFC FIRST Bank, New Delhi • HDFC Bank, New Delhi

LETTER TO THE SHAREHOLDERS

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I extend a very warm welcome to all of you to the 31st Annual Report of the Corporation.

1. **Performance and Achievements**

During the financial year 2022-23, with the collective efforts made by the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has disbursed Rs.511.85 crores new loans, bringing around one lakh new beneficiaries under its ambit.

The Corporation registered a total income of Rs.55.52 Crores as against Rs.55.18 Crores during previous year. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation stood at Rs. 2099.28 crores as compared Rs. 2068.65 crores as on 31.03.2022.

As part of its developmental activities, your Corporation facilitated skill development training to 13,375 beneficiaries under PM-DAKASH scheme of Ministry of SJE. All training programmes are being imparted as per the guidelines of the Common Norms issued by MSDE. The Corporation has also started implementing the "Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) – National Fellowship for OBC Students" scheme of the Ministry from this year.

The overall performance of the Corporation for the financial year 2021-22 was rated as 'Very Good' by Department of Public Enterprises (DPE), GOI in respect of MoU targets. Going by the self-evaluation, the Corporation expects to maintain 'Very Good' rating for the financial year 2022-23.

2. **Corporate Governance**

The Corporation has adopted the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, Government of India. Transparency, integrity and accountability in affairs of the Corporation are vital for effective functioning and we are committed to these principles.

3. **Future Outlook**

I am aware of huge mandate and expectations of the stakeholders from the Corporation. Considering the number of beneficiaries yet to be covered under NBCFDC schemes, the Corporation attempts to

अंशधारकों को पत्र

प्रिय सदस्यों,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

1. कार्यनिष्पादन एवं उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम के समस्त कर्मचारियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग एवं मागदर्शन से आपके निगम ने कुल रू. 511.85 करोड़ के नये ऋणों का संवितरण किया है, जिससे लगभग एक लाख नए लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया गया है।

निगम ने गत् वर्ष की रू. 55.18 करोड़ की आय की तुलना में कुल रू. 55.52 करोड़ की आय दर्ज की है। सृजित आधिक्य आय का उपभोग लक्षित समूह हेतु संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार रू. 2068.65 करोड की तुलना में आपके निगम की निवल सम्पत्ति रू. 2099.28 करोड़ हो गई है।

इसके विकासात्मक कार्यकलापों के अंग के रूप में, आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पी.एम.-दक्ष योजना के तहत 13375 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मानकों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। निगम ने इस वर्ष से मंत्रालय की "यंग अचीवर्स (श्रेयस) उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना - ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप" योजना को भी लागू करना शुरू किया है।

एमओयू के लक्ष्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगम के समग्र प्रदर्शन को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा 'बहुत अच्छा' श्रेणी में मूल्याकंन किया गया है। स्व-मूल्यांकन के आधार पर, निगम को आशा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 'बहुत अच्छा' रेटिंग बनाए रखने की उम्मीद है।

2. कॉरपोरेट प्रशासन

निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाया है। निगम के कार्यकलापों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यपद्धति के लिए महत्वपूर्ण हैं और हम इन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

3. भविष्य का परिदृष्य

मैं निगम से हितधारकों के विशाल अधिदेश और अपेक्षाओं से अवगत हूं। एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत अभी भी कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निगम ऋण पहुँच के विस्तार के लिए चैनल सहभागियों

actively engage with the channel partners for expanding credit outreach. The Corporation regularly reviews its schemes/guidelines for easy of doing business and to cater the needs of BC beneficiaries. I am optimistic that with the support and guidance of the Board, the Government and the employees; it would be possible to effectively address the needs of the target group.

4. CSR

Not restricting on its laurels of being a social sector enterprise, your Corporation has been funding much needed intervention at grass-root level for the poor & marginalized as a part of its Corporate Social Responsibility (CSR). It is noteworthy that NBCFDC surpassed the minimum statutory targets of CSR spending by cumulatively spending Rs. 5.49 crore as at end of the year.

5. Acknowledgments

I take this opportunity to express my appreciation for the valuable support and guidance given by the members of the Board from time to time. I would also like to place on record my sincere gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Department of Social Justice Empowerment (BC), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, State Governments/ UT Administrations, State Channelising Agencies (SCAs). Regional Rural Banks (RRBs), Public Sector Banks (PSBS), Skill Training Partners, other concerned Government Agencies, officials of the C&AG of India and Department of Public Enterprises.

I am confident that the Corporation would continue to serve its stakeholders and extend the coverage in future with the guidance of the Board, valuable inputs of our esteemed stakeholders, commitment and support of employees of the Corporation.

With best wishes,

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
DIN: 03633935

Date: 18th September, 2023
Place: New Delhi

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का प्रयास किए है। व्यवसाय को आसान बनाने और पिछड़े वर्गो के लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम नियमित रूप से अपनी योजनाओं/दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है। मुझे आशा है कि निदेशक मण्डल, सरकार और कर्मचारियों के सहयोग और मार्गदर्शन से; लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करना संभव होगा।

4. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एसआर.)

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते अपने कार्यों तक सीमित न होते हुए, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व (सी. एसआर.) के कार्य के रूप में गरीब एवं हासिए पर रहने वाले वंचित व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर अति आवश्यक हस्तक्षेप कर वित्तीयन कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने वर्ष की समाप्ति पर रू. 5.49 करोड़ का सकल व्यय कर निगमित सामाजिक दायित्व के सांविधिक न्यूनतम व्यय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है।

5. आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सराहना प्रकट करता हूँ। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग (बीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.), कौशल प्रशिक्षण सहभागियों, अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों एवं सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के लिए भी हार्दिक आभार अभिलेखित करना चाहता हूं।

मुझे विश्वास है कि निगम अपने हितधारकों की सेवा करना जारी रखेगा और निदेशक मण्डल के मार्गदर्शन, हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान इनपुट, निगम के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ निगम भविष्य में कवरेज का विस्तार करना जारी रखेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18 सितम्बर, 2023

टिप्पणी- इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

विषय सूची
Contents

क्र.स. S.No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	2-60
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of C & AG of India	61-62
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Sheet	63-76
5	तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	77
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	78
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	79
8	अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	80
9	टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियाँ Notes and Accounting Policies	81-128

निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक
Annexures to the Director's Report

क्र. स. Annexure	विवरण Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1	चैनल सहभागियों की सूची List of Channel Partners	21-24
2	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt- of India	25-26
2.1	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में उपलब्धियां बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2023	27-28
3	वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक-वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement Showing SCA/RRB/PSB wise disbursement & No. of Beneficiaries Assisted during 2020-21 to 2022-23	29-31
3.1	वर्ष 2023 के दौरान वितरण Disbursement during the year March, 2023	32-33
3.2	वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति, Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2022-23	34-35
3.3	वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं योजनावार संवितरण के आंकड़े State/UT and Scheme wise Disbursement Data Financial Year 2022-23	36-37
3.4	वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में महिला योजना के आंकड़े Scheme for Women Data Financial Year 2022-23	38
3.5	01.04.2022 से 31.03.2023 तक वितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थी का विवरण एवं उसका 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उपभोग Daetail of Amount Disbursed, Beneficiaries Assisted from 01.04.2022 to 31.03.2023 & utilized theron as on date 31.03.2023	39-41
3.6	वर्ष 2022-23 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापें पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2022-23	42-44
3.7	वित्तीय वर्ष (2022-23) में चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against Ongoing Projects for the financial year (2022-23)	43

क्र. स. Annexure	विवरण Title	पृष्ठ संख्या Page No.
3.8	वित्तीय वर्ष 2022-23 में चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR spent against other than ongoing projects for the financial year 2022-23	46
3.9	पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण Details of CSR amount spent in the Financial Year for Ongoing Projects of the preceding financial year(s)	47
3.10	वर्ष 2022-2023 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं CSR Activities/Projects during the year 2022-2023	48
4	31 मार्च, 2023 तक एस.सी.ए./राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2023	49-52
5	वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 31.03.2023 तक पीएम-दक्ष योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह को राज्यवार कौशल विकास प्रशिक्षण State-wise Skill Development Training Provided to target group under PM-DAKSH Yojna during the year 2022-23 (as on 31.03.2023)	53
6	विपदां संयोजन (2022-2023) Marketing (2022-23)	54
7.	वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अवधि में पूर्ण मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख परिणाम Major Outcomes of Evaluation Studies finalised during FY 2022-2023	54
8.	निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट (2022-23) ADDENDUM TO THE DIRECTOR'S REPORT (2022-23)	55
9.	कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉरपोरेट प्रशासन पर प्रमाण- पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance.	56-60

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

भारत सरकार का उपक्रम , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-31/2023/1109-15 **Dated: 5th September, 2023**

NOTICE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Monday, the 18th Day of September, 2023 at 12:30 PM at New Conference Room No. 627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1 : To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2023, together with reports of the Directors, Auditors' and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)

SGM (F) & Company Secretary

Place : New Delhi

Dated : 05.09.2023

Notes:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

To :

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)
2. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).

Copy to:

M/s D C GARG & CO (DE1175), }
Chartered Accountants, }
1/4969, Balbir Nagar Ext.,Shahdara, Delhi-110051 }

With the request to make it convenient to attend the meeting on scheduled date and time & place as mentioned above.

Special Invitees

With the request to kindly make it convenient to attend 31st Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on Monday, the 18th Day of September, 2023 at 12:30 PM at New Conference Room No.627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001:

1. Shri Rajan Sehgal	Managing Director	5. Shri R V Ramakrishna, GM, NABARD	Director
2. Shri Rajnish Kumar Jenaw	Director	6. Smt. Pinki Kumari (NOD)	Director
3. Shri Sanjay Pandey, JS&FA, MOSJE	Director	7. Sanjay Kumar Singh (NOD)	Director
4. Dr. Subranshu Sekhar Acharya, CGM, SIDBI	Director		

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

भारत सरकार का उपक्रम , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

स.एन.बी.सी.एफ.डी.सी./ए.जी.एम.-31/2023/1109-15 **दिनांकः 5 सितम्बर, 2023**

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंश धारकों की 31वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 12.30 बजे, न्यू कॉन्फ्रेंस कक्ष सं. 627, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्न व्यवसाय निष्पादित करने हेतु की जाएगी

सामान्य व्यवसाय

मद सं.1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निगम के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकार करना।

निदेशक मण्डल के निदेशकों के आदेश से

ह0-

स्थानः नई दिल्ली **(अजित कुमार सामल)**

दिनांकः 05.09.2023 वरि.महाप्रबंधक(वित्त) एवं कंपनी सचिव

टिप्पणीः

1. बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के पात्र सदस्य को बैठक में स्वयं उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा मेः

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)
2. संयुक्त सचिव (पिछड़ा वर्ग), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)

प्रतिलिपिः

मेसर्स डी.सी. गर्ग एण्ड क. (डी.ई.1175)	}	इस अनुरोध के साथ कि कृपया ऊपर दर्शाए गई तिथि,
चार्टर्ड एकाउंटेंट,	}	समय एवं स्थान पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।
1/4969, बलबीर एक्सटेंसन, शाहदरा, दिल्ली-110051	}	

विशेष आमंत्री

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) दिनाँक 18 सितंबर, 2023 को (दिन सोमवार) अपराह्न 12.30 बजे, न्यू कॉन्फ्रेंस कक्ष सं. 627, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 में आयोजित किया जाना है, कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करेः

1. श्री राजन सहगल	प्रबन्ध निदेशक	5. श्री आर.वी. रामाकृष्ण,महाप्रबंधक, नाबार्ड	निदेशक
2. श्री रजनीश कुमार जैनव,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,एन.एस.एफ.डी.सी	निदेशक	6. श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक
3. श्री संजय पाण्डेय, स.सचि. एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या.और अधि. मंत्रालय	निदेशक	7. श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक
4. डॉ. सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मु.महाप्रबन्धक,सीडबी	निदेशक		

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 31st Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2023.

1. CORPORATE PROFILE

- National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) was incorporated on 13 January, 1992 under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act 2013) as a Company not for profit.
- The Corporation promotes economic and developmental activities for the target population through concessional loans and skilling activities.
- The concessional lending is the major activity of the Corporation, which is undertaken through State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks (Channel Partners).
- At present, 45 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 33 Banks including 05 Public Sector Banks(PSBs) and 28 Regional Rural Banks(RRBs) can channelize loans under NBCFDC. List of CPs is available at **Annexure-1** (Page No. 21-24).
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan (AAP) to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries.

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and other such categories as may be defined from time to time.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist in the up-gradation of technical, artisanal, entrepreneurial and managerial skills for products/ services of socially & educationally Backward Classes including all forms of skill development & up-gradation and other categories as may be defined from time to time.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is upto Rs. 3.00 Lakh)
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/technical/ vocational education or training at graduate and higher level.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 31वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगमित रूपरेखा

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कंपनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया।
- निगम रियायती ऋण एवं कौशल विकास कार्यकलापों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या हेतु 'आर्थिक और विकासात्मक' कार्यकलापों को प्रोन्नत करता है।
- रियायती ऋण प्रदान करना निगम का प्रमुख कार्य हैं जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) एवं बैंकों (चैनल सहभागियों) के माध्यम से किया जाता है।.
- वर्तमान में राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों ने 45 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; एवं 33 बैंकों, जिनमें 05 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बीसीएफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज करते हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** (पृ.स. 21-24) पर उपलब्ध है।
- चैनल सहभागियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने व एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल सहभागियों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्यः

- पिछड़े वर्गों एवं समय-समय पर परिभाषित इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाईयों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु पिछड़े वर्गों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल को उन्नत करने में सहायता करना।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित अन्य श्रेणियों को जैसा कि समय-समय पर परिभाषित किया जाए सभी प्रकार के कौशल विकास व उत्पादों / सेवाओं के लिए तकनीकी, दस्तकारी, उद्यमीय व प्रबंधकीय कौशल उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित आय और/ अथवा आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने की दशा में पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- समय-समय पर विनिर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय (वर्तमान में रू. 3.00 लाख तक) के अनुसार चयनित मामलों में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को रियायती वित्त प्रदान करना।

  सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी/वोकेशनल शिक्षा या स्नातक व उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए ऋण प्रदान करना।

UT Channelizing Agencies and other channel partners.

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is Rs. 1500.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2023 was Rs. 1499.40 Crore. The entire equity of the Corporation is held by Government of India. Proposal for augmentation of Share Capital has been submitted to administrative Ministry.

7. ELIGIBILITY

The applicant should belong to a caste covering under the Other Backward Classes list as notified by State/Central Government from time to time. Relevant Caste Certificate to be issued by relevant authority of District Administration.

At present persons whose annual family income is upto Rs.3,00,000/- irrespective of rural or urban sector are eligible to avail loans under NBCFDC schemes. SCAs have been advised to provide at least 50% of total funding to persons with annual family income upto Rs.1.50 Lakh. The annual family income ceiling has been fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 8th March, 2018.

Following certifications to establish the income criteria can be used by the applicant:-

i) Certificate of income issued by Competent Authority of State Government/Distt. Administration or Antodaya Ann Yojana (AAY) Card or Below Poverty Line (BPL) Card.

ii) Annual family income certificate may be considered by the SCAs/Banks/SSCs on self-certification of the beneficiaries with endorsement of the same by any Gazetted Officer notified by State/Central Government.

iii) In case of loan being applied at Bank (Channel Partner), Self-Certification assessed and endorsed by Branch Manager can be used for providing the loan.

iv) For Landless agriculture labour, marginalized farmers (those with land holding up to One-hectare) and small farmers (those with land holding up to Two-hectare), as assessed by the Banks through their standard processes and belonging to the Backward Classes will be automatically treated as part of the target group as per following considerations: -

   a. Landless agriculture labour and marginalized farmers with land holding less than One hectare will be deemed as having annual family income upto Rs.1.50 Lakh.

   b. Small farmers i.e. those with land holding between One and Two hectares will be deemed as having annual family income upto Rs.3.00 Lakh.

8. WORKING RESULTS

During the year, the disbursement of loan of the Corporation stood at Rs. 511.85 Crores as compared to Rs.471.37 cores in the previous year. The Corporation has not received any Amount towards equity support since 2021-22. The Corporation has submitted the proposal for augmentation of share capital to the Ministry of Social Justice & Empowerment. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to Rs. 6621.69 Crores for 31,76,640 beneficiaries.

On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 13375 beneficiaries during 2022-23.

The Corporation's operating income stood at of Rs.52.13 Crore as compare to the Rs. 53.22 Crore registered in 2021-22. The surplus of income over expenditure before exceptional items and tax was Rs. 29.93 crores in the current year in comparison to Rs. 29.15 Crores during the previous year.

9. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1500 करोड़ है। दिनाँक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1499.40 करोड़ थी। निगम की समस्त इक्विटी भारत सरकार के पास है। अंश पूंजी बढ़ाए जाने सम्बंधी प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है।

7. पात्रता

आवेदक को समय-समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए। जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

वर्तमान में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना, वार्षिक पारिवारिक आय प्रतिवर्ष रू. 3.00 लाख तक के व्यक्ति एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत ऋण लेने हेतु पात्र है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि कुल धनराशि का कम से कम 50% वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक आय वाले परिवारों को उपलब्ध कराएं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं.14015/01/2010-एससीडी-IV दिनाँक 8 मार्च, 2018 के अनुसार विनिर्धारित की गई है।

आय मानदंड के लिए आवेदक द्वारा प्रमाणीकरण हेतु निम्न का उपयोग किया जा सकता है –

i) राज्य सरकार/जिला प्रशासन अथवा अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।

ii) लाभार्थी द्वारा स्व-सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी से पृष्ठांकित होने पर एस.सी.ए. /बैंक/ सेक्टर स्किल काउंसिल विचार कर सकते हैं।

iii) बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण हेतु आवेदन करने के मामले में ऋण उपलब्ध कराने हेतु शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थी के स्व-प्रमाणीकरण को मूल्यांकन एवं पृष्ठांकन कर प्रयोग किया जा सकता है।

iv) भूमिहीन कृषि श्रमिक व सीमातं किसान (जिनके पास एक हेक्टर तक भूमि है) एवं छोटे किसानों (जिनके पास दो हेक्टर तक भूमि है), जैसा कि बैंक द्वारा उनकी मानक क्रिया के तहत मूल्याकंन किया जाता है एवं पिछड़े वर्ग से सबंधित है निम्नानुसार स्वतः लक्षित वर्ग माने जाएगें।

क) भूमिहीन कृषि श्रमिक एवं सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक मानी जाएगी।

ख) छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख तक मानी जाएगी।

8. कार्य परिणाम

निगम ने वर्ष के दौरान, गत् वर्ष रू. 471.37 करोड़ की तुलना में रू. 511.85 करोड का कुल ऋण वितरण किया। निगम को वर्ष 2021-22 से कोई इक्विटी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अंश पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समग्ररूप से आपके निगम ने 31,76,640 लाभार्थियों के लिए रू. 6621.69 करोड़ की सकल ऋणराशि का वितरण किया है।

कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2022-23 की अवधि में 13375 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2021-22 में दर्ज़ की गई रु. 53.22 करोड़ की तुलना में निगम की प्रचालन आय रु. 53.13 करोड़ है। पिछले वर्ष की अवधि में रु. 29.15 करोड़ की तुलना में, चालू वर्ष में अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य रु. 29.93 करोड़ है।

9. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनतम समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछडे वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे

the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State Governments living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

(i) **Agriculture & Allied Activities:** Organic Farming, Dairy Farming, Sericulture, Horticulture, Poultry/ Duck/Pig/Goat Rearing, Pisciculture, Tractor Trolley, Food & Agro Processing Unit etc.

(ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Ice cream parlor, Cold Storage, Kiryana Shop, Packaging Unit, Flour Mill, Vegetable Vending, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Hardware, Tent house, Shuttering unit, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Ready-made Garments Shops, Tailoring & Weaving, Candles,Tapers, Wax products, Stationary Shop, Fish & Marine Products etc.

(iii) **Service/Transport Sector:** Interior Decorator, Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber, Auto Rickshaw, E-rickshaw, Multi Utility Vehicle, Pick-up Van, Taxi & Tempo, Audio & visual equipment rental services etc.

(iv) **Technical and Professional Trades/Courses:** Technical, vocational& Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc.

Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The Channel Partners (SCAs/Banks) are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

10. LENDING POLICY :

➢ **Method of Lending**

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the nominated State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks, who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation. The disbursement of funds depends on availability of funds with NBCFDC, availability of BGG and past performance of CPs.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, New Swarnima, Education Loan Scheme Under Micro Finance scheme, Mahila Samriddhi Yojana and Small Loan Scheme.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs made as per approved Annual Action Plan for the financial year under Term Loan and Micro Finance Scheme. Term Loan includes General Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance includes Mahila Samriddhi Yojana,Micro Finance Scheme and small loan schemes.

The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective CPs under the following schemes:

I) TERM LOAN SCHEME

(i) General Loan Scheme: Under this scheme, loan assistance is available for various income generating activities in various sectors such as (a) Agriculture and Allied Sector, (b) Small Business/Artisan &(c) Traditional Sector and Transport & Service Sector. Loans are given

जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मोटे तौर पर, निम्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः

i) **कृषि एवं संबंधित कार्यकलापः** जैविक कृषि, दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मुर्गी/बत्तख, सुअर/बकरी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर ट्राली, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाई इत्यादि।

ii) **लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारंपरिक व्यवसायः** आइसक्रीम पार्लर, शीतागार, किराने की दुकान, पैकिंग इकाई, आटा मिल, सब्जी विक्रय, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, हार्डवेयर, टेंट हाउस, शटरिंग यूनिट, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी यूनिट, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले-सिलाए कपड़ों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई, मोमबत्तियाँ, टेपर्स, मोम उत्पाद, स्टेशनरी की दुकान, मछली एवं समुद्री उत्पाद इत्यादि।

iii) **सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्रः** आंतरिक साज-सज्जा, आटो मरम्मत दुकान, परामर्शी सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक सामानों की मरम्मत की दुकान, घरेलू उपकरण, मोबाइल मरम्मत की दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक-अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो, ऑडियो एवं विजुअल उपकरण रेंटल सेवाएं इत्यादि।

iv) **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठयक्रमः** स्नातक एवं उच्चतर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिंग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त परियोजना सूची केवल उदाहरणात्मक है।

चैनल सहयोगियों (एस.सी.ए/बैंकों) से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवाहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

10. ऋण नीति

- **ऋण पद्धति**

आवंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आबंटन करता है। आबंटन का तात्पर्य सभी चैनल सहभागियों से है, जिनसे निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन आबंटन की सीमा में करें। निधियों का वितरण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के पास उपलब्ध निधि, शासकीय गारंटी की उपलब्धता एवं चैनल सहभागियों के पूर्व के कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना, नई स्वर्णिमा, शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेन्स, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तों के अनुसार चैनल सहयोगियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को वर्ष के आरंभ में 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर) है एवं चैनल सहयोगियों का गत् कार्य निष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आबंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त अंश पूंजी का कम से कम 10% उत्तर-पूर्वी राज्यों को वितरित कराना सुनिश्चित किया जाता है।

चैनल सहयोगियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सावधि ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सावधि ऋण योजना में सामान्य ऋण, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। सूक्ष्म वित्त योजना में महिला समृद्धि, माइक्रो फाइनेंस व लघु ऋण योजना सम्मिलित है।

चैनल सहयोगियों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहयोगियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय सृजक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैः

I) सामान्य ऋण

(i). **सामान्य ऋण योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत (क)कृषि और संबद्ध क्षेत्र (ख) लघु व्यवसाय/दस्तकारी (ग) पारंपरिक क्षेत्र और परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 85% तक अधिकतम रु. 15 लाख ऋण दिया जाता है। रु. 5.00 लाख तक के ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर, रु. 5.00 लाख से ऊपर व रु. 10.00

upto 85% of the project cost subject to a maximum of Rs.15.00 Lakh per beneficiary. Loans upto Rs. 5.00 Lakh are provided at an interest rate of 6% p.a. Loans above Rs. 5.00 Lakh and upto Rs. 10.00 Lakh are provided at an interest rate of 7% p.a. Loans above Rs.10.00 Lakh and upto Rs. 15.00 Lakh are provided at an interest rate of 8% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(ii) New Swarnima Scheme: Under this scheme, loan assistance is available for women of Backward Classes to inculcate the spirit of self-reliance among them. Loans are given upto 95% of the project cost. The maximum loan limit per beneficiary is Rs. 2.00 Lakh at an interest rate of 5% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(iii) Education Loan Scheme: Under this scheme, loan assistance is available to the students of Backward Classes. The applicant should have obtained admission for any professional/technical/vocational courses approved by appropriate agency such as AICTE, Medical Council of India, and UGC etc. in a duly accredited/recognized institute and have minimum 50% marks in qualifying exam. Loans are given upto 90% of the course fees for studies in India and upto 85% of the course fees for studies outside India. Maximum loan limit per student is Rs.15.00 Lakh for studying in India at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Maximum loan limit per student is Rs.20.00 Lakh for studying abroad at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Loan is to be repaid in 15 years with moratorium period of 5 years.

II) MICRO FINANCE SCHEME

(i) Micro Finance Scheme : Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group especially for mixed group beneficiaries. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 5% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(ii) Mahila Samriddhi Yojana : Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group of women beneficiaries. Loans are given upto 95% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 4% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iii) Small Loan : Under this scheme, loan assistance is available to individuals to provide credit facilities for the target group. Loans are given upto 85% of the project cost. Maximum loan limit per beneficiary is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 6% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iv) NBFC-MFI Loan : Under this scheme, loan assistance can be channelized to SHGs through Micro Finance Institutions (MFIs) providing Bank Guarantee or similar financial instruments as security. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 12% p.a. Under this scheme repayment period is 4 Years.

In case of Banks especially with a view to simplify the refinancing process, NBCFDC loans will be available upto 100% of dues not recovered; however, disbursement will be made as per specific demand of Bank.

For Persons of the target group with Disabilities (40% or more), a special concession of 0.25% on rate of interest is provided.

लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर तथा रु. 10.00 लाख से ऊपर व रु. 15.00 लाख तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(ii). **नई स्वर्णिमा योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ी जाति की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 2.00 लाख है व वार्षिक ब्याज दर 5% है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(iii). **शिक्षा ऋण योजनाः** इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध है। आवेदक को उपयुक्त एजेंसी जैसे ए.आई.सी.टी.ई., मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यू.जी.सी. आदि द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी व्यावसायिक/तकनीकी/ वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 90% तक ऋण दिया जाता है और भारत से बाहर की पढ़ाई के लिए पाठयक्रम की फीस का 85% तक ऋण दिया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 15.00 लाख है तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के लिए 3.5% प्रति वर्ष) है। विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 20.00 लाख तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के 3.5% वार्षिक) है। मोरेटोरियम अवधि सहित ऋणों का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में किया जाना है।

II) सूक्ष्म ऋण योजनाः

(i) सूक्ष्म ऋण योजनाः इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) विशेष रूप से मिश्रित समूहों के लिए लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख के ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 5% है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(ii) महिला समृद्धि योजनाः इस योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह की महिला लाभार्थियों के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण सहायता उपलब्ध है। इस योजना में परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15 लाख है और एस.एच.जी में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर पर है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iii) लघु ऋणः इस योजना के अर्न्तगत लक्षित समूह को एकल ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 1.25 लाख 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iv) एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋणः इस योजना के अंतर्गत, बैंक गारंटी अथवा इसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एम.एफ.आई.) के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत के 90% तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रति समूह ऋण की अधिकतम सीमा रू. 15.00 लाख एवं स्व-सहायता समूह में प्रति लाभार्थी रू. 1.25 लाख है जिस पर ब्याज दर 12% वार्षिक है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।

विशेष रूप से पुनर्वित्तीयन प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से बैंकों के मामले में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक उपलब्ध होंगे; हालाँकि बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार वितरण किया जाएगा।

लक्षित वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (40% अथवा अधिक) के लिए ब्याज दर में 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

11. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S.No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit Per Beneficiary	Pattern of Finance		Rate of Interest Per Annum.	
1.	**Term Loan**		**NBCFDC**	**SCA/Benef.**	**SCAs/Bank**	**Benef.**
(a)	General Loan Scheme	Rs.15.00 Lakh	85%	15%	Upto Rs.5 Lakh	
					3%	6%
					Above Rs.5 Lakh upto Rs.10.00 Lakh	
					4%	7%
					Above Rs.10 Lakh upto Rs.15.00 Lakh	
					5%	8%
(b)	Education Loan i) In India	Rs.15.00 Lakh	90%	10%	1%	4%*
	ii) Abroad	Rs.20.00 Lakh	85%	15%	1%	4%*
(c)	New Swarnima Scheme	Rs.2.00 Lakh	95%	05%	2%	5%
2.	**Micro Finance**					
(a)	Micro Finance Scheme	Rs. 1.25 Lakh#	90%	10%	2%	5%
(b)	Mahila Samriddhi Yojana (for women)	Rs. 1.25 Lakh#	95%	05%	1%	4%
(c)	Small Loan (for individual)	Rs. 1.25Lakh	85%	15%	3%	6%
(d)	NBFC-MFI Loan	Rs. 1.25 Lakh#	90%	10%	4%	12%

* 0.5% rebate in interest for girls students.
# Subject to maximum of Rs. 15.00 Lakh per Self Help Group

12. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2022-23 on 17th November, 2022. Copy of MOU is available at **Annexure-2** (Page No. 25-26)**.** As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for financial year 2022-23 comes to 80.63 which conform to 'Very Good' category and placed at **Annexure-2.1** (Page No. 27-28)**.**

13. MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT

PERFORMANCE ACHIEVEMENT

13.1 Achievements against MOU Targets (2022-23)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Loan Disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % of total Disbursement	**%age**	65.15	**67.14**	+1.99
2	EBTDA as a percentage of Revenue	**%age**	62.43	**55.93**	(-) 6.50*
3	Loan Disbursed/Total Funds Available	**%age**	100	**99.53**	(-) 0.47*
4	Overdue loans/Total loans	**%age**	2.14	**2.58**	(-) 0.44*

*** Absolute**

11. ब्याज दर

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित है:

क्र.स.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति		वार्षिक ब्याज दर	
1.	**सावधि ऋण**		**एन.बी.सी. एफ.डी.सी**	**एस.सी.ए./ लाभार्थी**	**एस.सी.ए./बैंक**	**एस.सी.ए./बैंक**
(क)	सामान्य ऋण योजना	रू. 15.00 लाख	85%	15%	रू. 5.00 लाख तक	
					3%	6%
					रू. 5.00 लाख से अधिक व रू. 10.00 लाख तक	
					4%	7%
					रू. 10.00 लाख से अधिक व रू. 15.00 लाख तक	
					5%	8%
(ख)	शैक्षिक ऋण i) भारत में	रू. 15.00 लाख	90%	10%	1%	4%*
	ii) विदेश में	रू. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*
(ग)	नई स्वर्णिमा योजना	रू. 2.00 लाख	95%	05%	2%	5%
2.	**सूक्ष्म वित्त**					
(क)	सूक्ष्म वित्त योजना	रू. 1.25 लाख#	90%	10%	2%	5%
(ख)	महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए)	रू. 1.25 लाख#	95%	05%	1%	4%
(ग)	लघु ऋण योजना (एकल व्यक्ति के लिए)	रू. 1.25 लाख	85%	15%	3%	6%
(घ)	एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण	रू. 1.25 लाख#	90%	10%	4%	12%

*छात्राओं की ब्याज दर में 0.5% की छूट है।

#प्रति स्वं-सहायता समूह रू. 15.00 लाख अधिकतम की दशा में।

12. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनः

निगम ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक-2** (पृष्ठ सं. 25-26) पर उपलब्ध है। उपलब्धियों एवं लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल स्कोर 80.63 आया है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी में है व **अनुलग्नक-2.1** (पृष्ठ सं. 27-28) पर उपलब्ध है।

13. प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

कार्यनिष्पादन उपलब्धि

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2022-23) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्रं.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	अंतर(%)
1	सूक्ष्म वित लाभार्थियों को कुल वितरण के % के रूप में	**%age**	65.15	**67.14**	+1.99
2	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	**%age**	62.43	**55.93**	(-) 6.50*
3	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	**%age**	100	**99.53**	(-) 0.47*
4	बकाया ऋण/कुल ऋण	**%age**	2.14	**2.58**	(-) 0.44*

***निरपेक्ष**

13.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2022-23	2021-22	% Increase
1	Sanction of Loan	Rs.(Cr.)	**931.31**	862.61	**7.96**
2	Disbursement of Loan	Rs.(Cr.)	**511.85**	471.37	**(+) 8.59**
3	Beneficiaries Covered	Nos.	**140343**	159717	**(-) 12.16**
4	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	**98.49**	98.50	**(-) 0.01***
5	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs)	**86121**	43230	**(+)99.22**
6	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(Rs)	**28445**	22545	**(+)26.17**

*** Absolute**

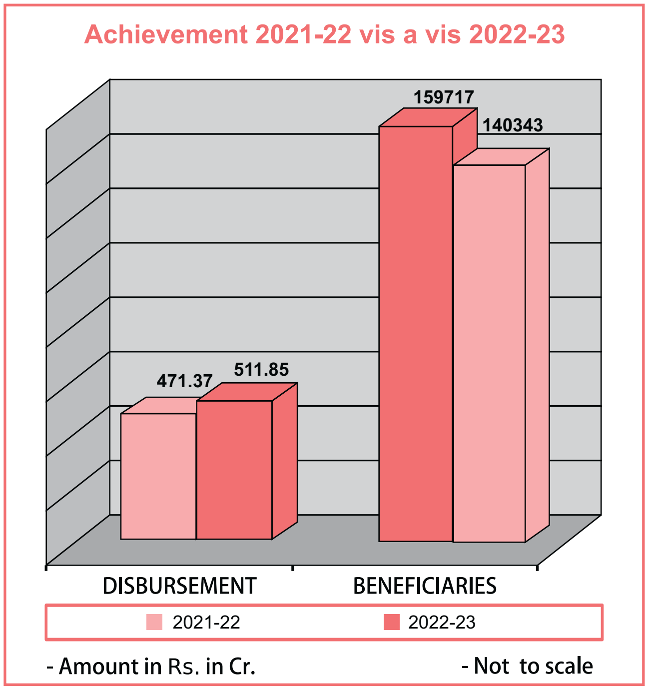

13.3 Sanction & Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to CPs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from CPs, were approved to the tune of Rs. 931.31 Crore Crore during the year 2022-23.

Against this Notional Sanction, the Corporation has disbursed Rs.511.85 Crore for assisting 1,40,343 beneficiaries and covered 32 States/ UTs out of 36 States/ UTs during the financial year 2022-23. State/UTs wise detail is available at **Annexure-3** (Page No. 29-31).

The disbursement so far made since inception now stands at Rs.6621.69 Crore for assisting 3176640 beneficiaries as on 31.03.2023. SCA & State-wise loan disbursement during the last three years, cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2023 is available at **Annexure-3.1** (Page No. 32-33) Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-3.2** (Page No. 34-35).

SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2022-23 are available at **Annexure-3.3** (Page No. 36-37).

Sector wise percentage of disbursement of funds of Rs. 149.45 Crore under Term Loan Scheme (excluding New Swarnima) during 2022-23 is as under:

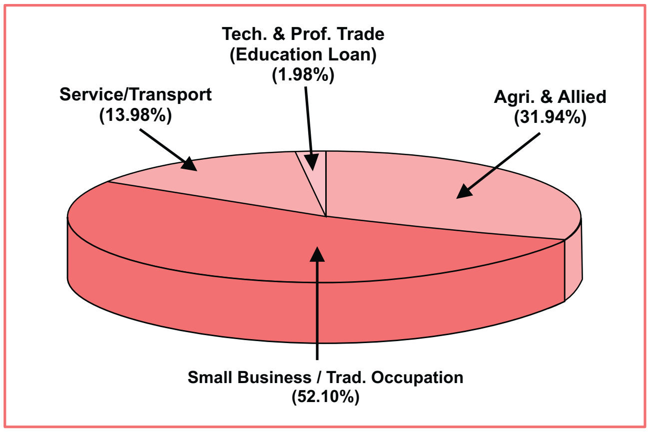

During 2022-23, 31.94% of Term Loan (excluding New Swarnima) was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 33.86% in previous year and 52.10% under Small Business/Traditional Occupation as compared to 50.29% in previous year. Loan was disbursed for activities, which include the manufacture/ purchase of Agricultural Implements, Setting up of Dairy Units, Installing Irrigation Bore Well, Poultry Farming, Fishery, Tractor Trolley, Tube Well, Auto Repair Workshop, Bicycle Hiring and Repair, Kirana Shop and Vegetable Shops, Seeds, Pesticides & Fertilizers etc.

Backward Classes population is engaged in Service Sector such as Barber Shop, Drycleaner, Electrical and

13.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

क्रं.सं	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2022-23	2021-22	% वृद्धि
1	ऋण की स्वीकृति	रू.(करोड़)	**931.31**	**862.61**	**7.96**
2	ऋण वितरण	रू. (करोड़)	**511.85**	**471.37**	**(+) 8.59**
3	आच्छादित लाभार्थी	संख्या	**140343**	**159717**	**(-) 12.16**
4	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	**98.49**	**98.50**	**(-) 0.01***
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रू.)	**86121**	**43230**	**(+)99.22**
6	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सूक्ष्म ऋण)	(रू.)	**28445**	**22545**	**(+)26.17**

*निरपेक्ष -

2021-22 की तुलना में 2022-23 में उपलब्धियाँ

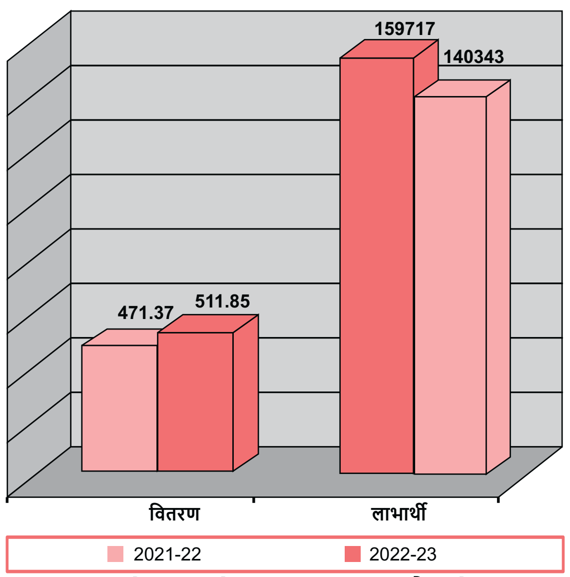

राशि करोड़ रू. में **- पैमाने पर नहीं**

13.3 स्वीकृति एवं वितरण

वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एस.सी.ए. को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। एस.सी.ए. से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को निगम द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 931.31 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान अनुमोदित आरंभिक स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 140343 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रु. 511.85 करोड़ वितरित किए हैं एवं 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-3** (पृष्ठ सं. 29-31) पर उपलब्ध है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 3176640 लाभार्थियों की सहायता के लिए रु. 6621.69 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत् तीन वर्षों का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-3.1** (पृष्ठ सं. 32-33) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से ऋण आहरित नहीं किया है, जिनका विवरण **अनुलग्नक-3.2** (पृष्ठ सं. 34-35) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2022-23 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-3.3** (पृष्ठ सं.36-37)पर उपलब्ध है।

वर्ष 2022-23 की अवधि में सावधि ऋण योजना (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) के अन्तर्गत रु. 149.45 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है

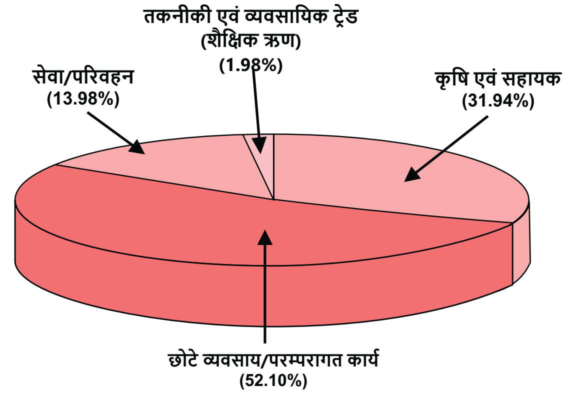

सावधि ऋण के अंतर्गत (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 33.86% की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 31.94% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत् वर्ष के 52.29% की तुलना में 52.10% ऋण दिए गए। जिन कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं –विनिर्माण, कृषि उपकरण की खरीद डेरी इकाईयों की स्थापना, सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर- ट्राली, ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक इत्यादि की दुकान।

पिछड़े वर्ग के लोग नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रानिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर- साइकिल

Electronic Shop, Woodwork, Auto rickshaw, Motorcycle Taxi, Pick-up Van, Tourist Taxi. Hence 13.98% of Term loan (excluding New Swarnima) has been drawn by CPs in 2022-23 to meet the demand of the service providers as compared to 13.22% in previous year.

Education Loan has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report, 1.98% of the Term loan (excluding New Swarnima) has been given under Education Loan Scheme.

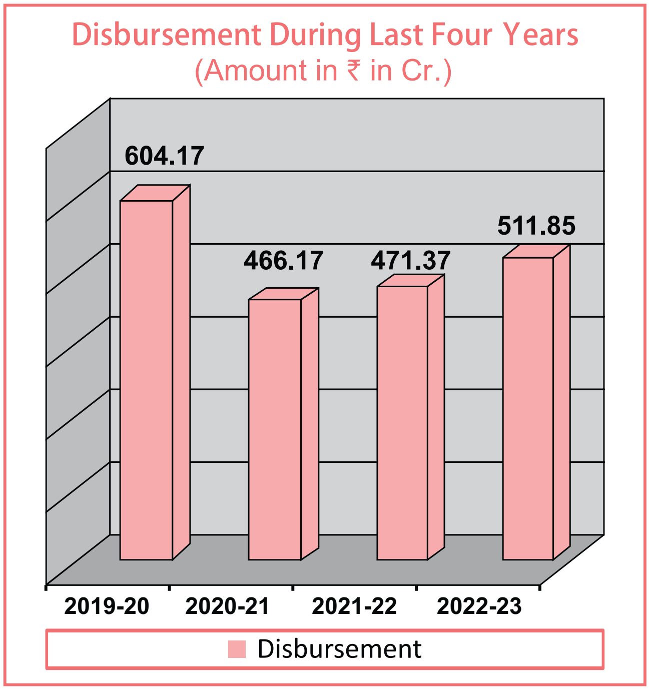

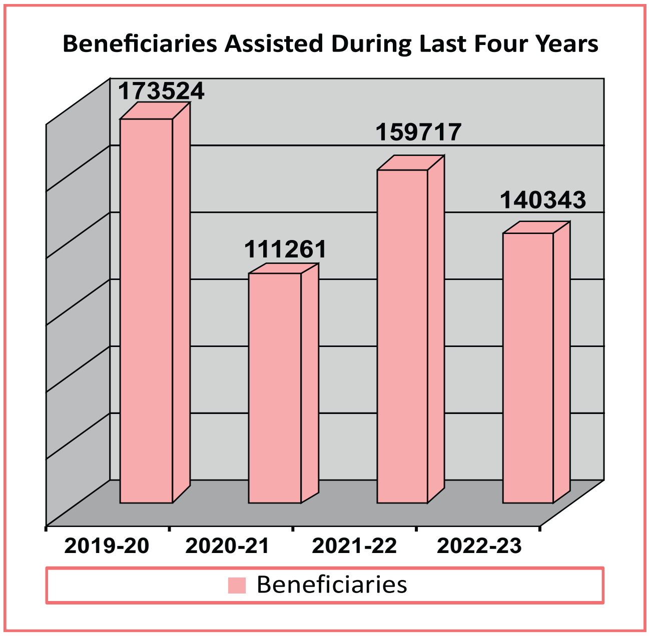

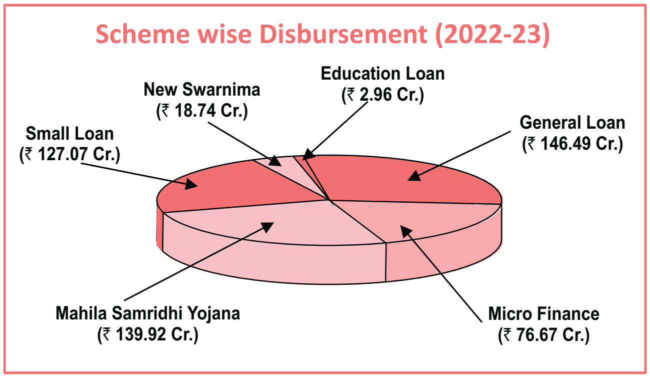

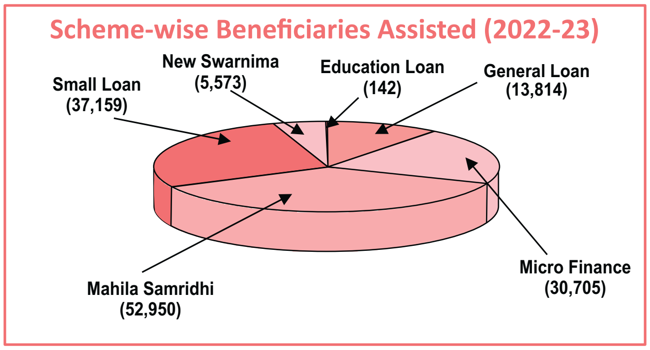

13.4 Education Loan Disbursement:

During the year 2022-23, your Corporation provided loans of Rs.2.96 Crore to 142 beneficiaries under the Education Loan Scheme against the previous year which was Rs.4.53 Crore for 400 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.

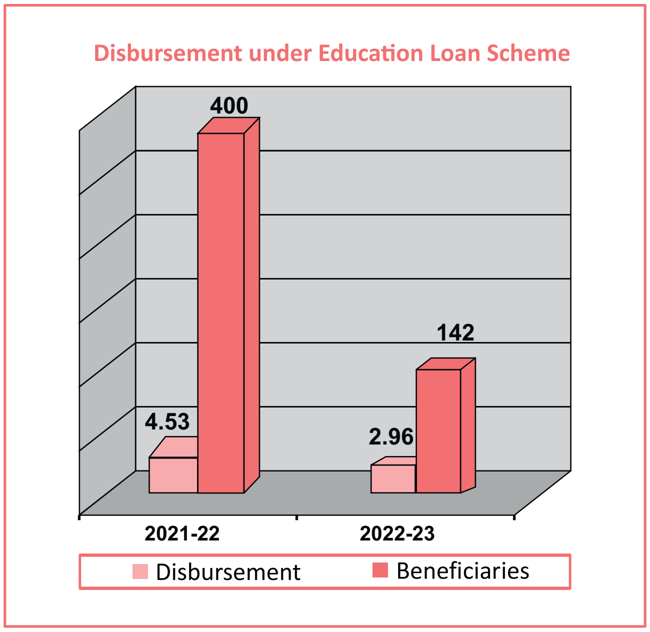

टैक्सी, पिक-अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े है। अतः चैनल सहभागियों द्वारा गत वर्ष 13.22% की तुलना में वर्ष 2022-23 में 13.98% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर), सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आहरण किया गया।

पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठयक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। संदर्भित वर्ष के दौरान 1.98% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।

गत् 4 वर्षों के दौरान वितरण (राशि करोड़ रू. में)

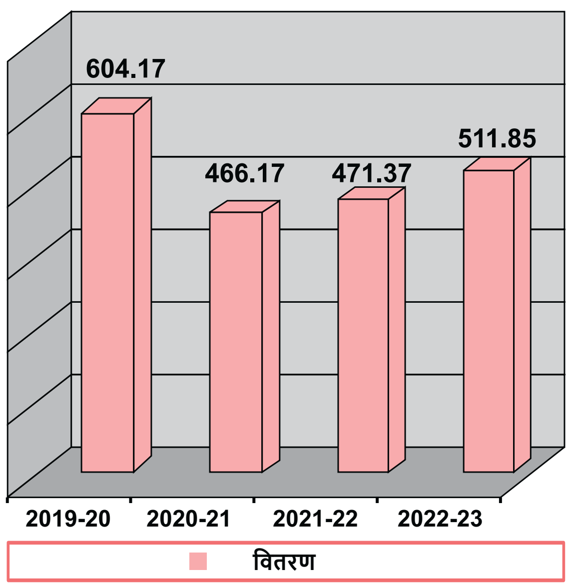

गत् 4 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी

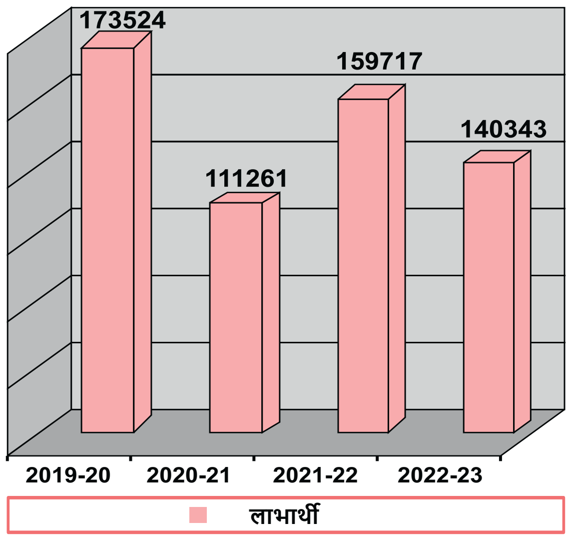

योजनावार वितरण (2022-23)

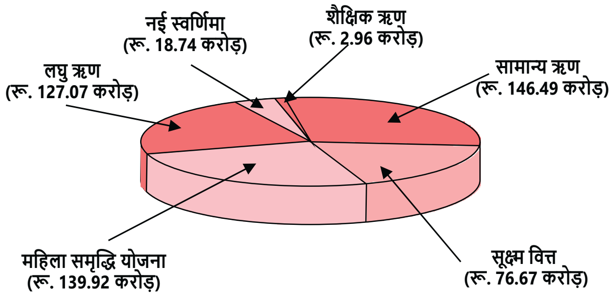

योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2022-23)

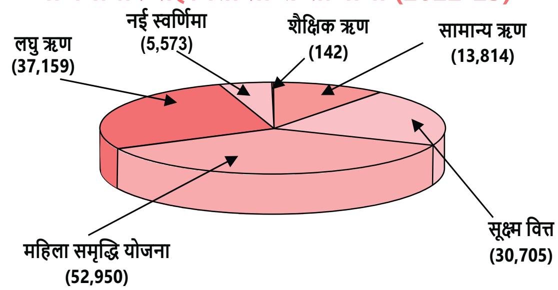

13.4 शैक्षिक ऋण वितरणः

आपके निगम ने शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष रु. 4.53 करोड़, 400 लाभार्थियों के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में रु. 2.96 करोड़ के ऋण 142 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं। योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सी.आई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए., इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि शामिल है।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वितरण

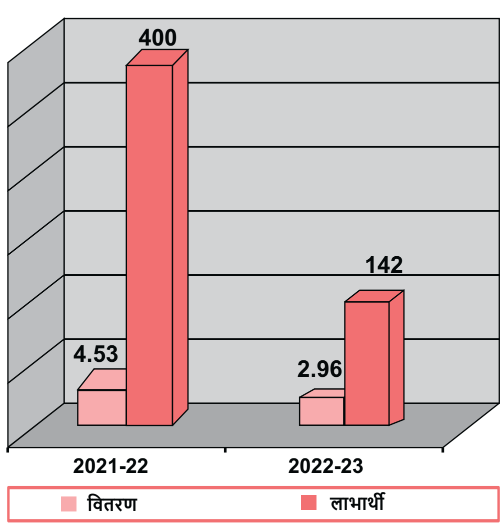

13.5 Participation of Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'Mahila Samriddhi Yojana' under Micro Finance. An amount of Rs.158.66 Crore has been disbursed to assist 58523 women beneficiaries under these women oriented schemes for Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2022-23. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2022-23 is at **Annexure-3.4** (Page No. 38).

Apart from these exclusive women centric schemes, the Corporation has disbursed Rs.218.69 Crore for assisting 51,419 women beneficiaries under other loan schemes in 2022-23 against Rs. 201.71 Crore for assisting 59,923 women beneficiaries in 2021-22. Therefore, in all Rs.377.35 crores of loan was disbursed to assist 1,09,942 women beneficiaries.

Loan Disbursed under 'New Swarnima' and 'Mahila Samriddhi Yojana' within total Loan Disbursed during 2022-23

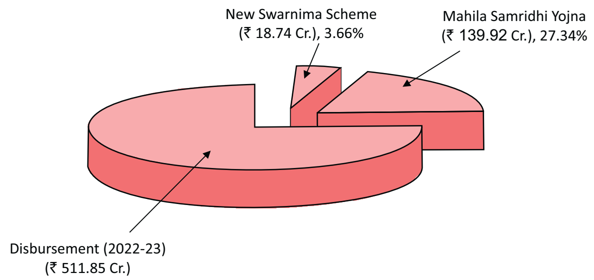

Total Beneficiaries Assisted under 'New Swarnima' and 'Mahila Samriddhi Yojana' within total No. of Beneficiaries covered during 2022-23

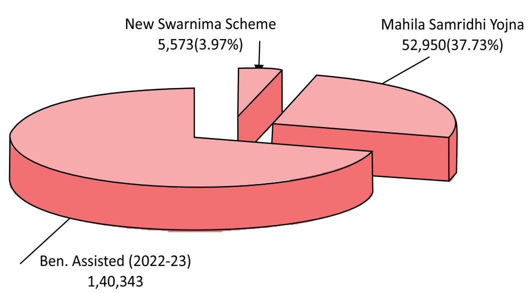

13.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 95%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case-to-case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

During the FY 2022-23 against the fund disbursement of Rs. 511.85 Crore the Channel partners able to utilize the funds to the tune of Rs. 491.46 crore only. Hence, utilization of loans by Channel partners stands at 96.02%. Status of utilization is available at **Annexure - 3.5** (Page No. 39-41).

14. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance of Provisions of Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the average net profit made during the three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2022-23 for CSR activities. The Corporation has cumulatively achieved more than the minimum statutory spending requirements as on 31st March'2023. During the year, 04 projects valued Rs.26.65 lakh were sanctioned and an expenditure of Rs.24.86 lakh was made on CSR activities for covering more than 11000 marginalized people including the school students.

13.5 महिलाओं की विशेष योजना में भागीदारी

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2022-23 के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, सजावटी मत्स्य उत्पादन, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के लिए रु. 158.66 करोड़ की राशि 58523 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-3.4** (पृष्ठ सं. 38) पर उपलब्ध है।

इन महिला केन्द्रित योजनाओं के अतिरिक्त निगम ने वर्ष 2021-22 में रु. 201.71 करोड़ का वितरण 59,923 महिला लाभार्थियों की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु. 218.69 करोड़ का वितरण 51,419 महिला लाभार्थियों के लिए किया है। अतः कुल मिलाकर रु. 377.35 करोड़ ऋणों का वितरण 1,09,942 महिला लाभार्थियों की सहायता हेतु किया गया।

वर्ष 2022-23 की अवधि में कुल वितरण में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत ऋण वितरण

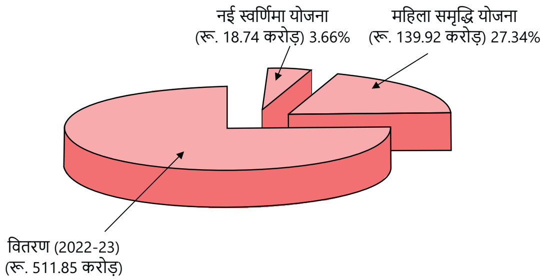

वर्ष 2022-23 की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी

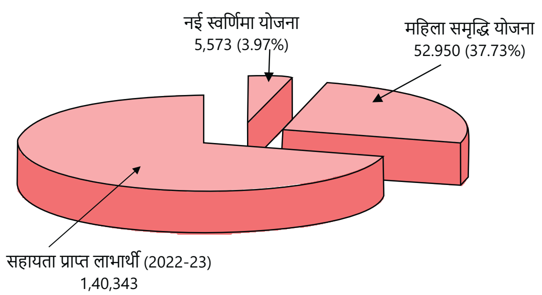

13.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासभंव अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब-वार ब्याज दर लागू की गई है।

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1-120 दिन	3%
121-180	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। एस.सी.ए./चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद के माध्यम से, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 95% है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा लक्षित वर्ग लाभार्थ निधियों के उपभोग को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों को शुरुआत में मामला-दर-मामला आधार पर बढ़ी समयावधि 180 दिनों तक की अनुमति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रू. 511.85 करोड़ की संवितरण के तुलना में चैनल सहभागियों ने रू. 491.46 करोड़ की राशि का उपभोग किया है। अतः चैनल सहभागियों ने 96.02% ऋण का उपभोग किया है। उपभोग की स्थिति **अनुलग्नक-3.5** (पृष्ठ सं. 39-41) पर उपलब्ध है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। निगम ने 31.03.2023 तक संचयी रूप से न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति की है। वर्ष के दौरान, रू. 26.65 लाख मूल्य की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और सी.एसआर. कार्यकलापों पर रू. 24.86 लाख का व्यय किया गया, जिसमें सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और स्कूली छात्रों सहित 11,000 से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया।

The CSR activities include Delivering Desired Quantity of Water Supply with High Reliability using Hydraulic Isolation Structure (Shaft) in two districts (one Aspirational District) of Maharashtra and Construction of Restrooms (Toilets) in a Government Higher Secondary Schools of Cuddalore District, Tamil Nadu. Besides, 19 Free Health and Eye Checkup Camps (01 SMC & 18 GMC) have been organized in twelve states/ UTs i.e. Assam, Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan Uttar Pradesh and Andaman & Nicobar Islands, wherein 3806 people attended the camp and 1823 spectacles distributed to poor people most of these camps have been organized in rural areas of the Aspirational Districts.

A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available **at Annexure- 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 & 3.10** (Page No. 42-48) of this report. Your Corporation is pleased to inform that we have more than fulfilled the role of corporate citizen by spending Rs.5.49 crores on CSR interventions beginning 2014-15 against the mandated 2 % CSR expenditure of Rs.4.78 Crore upto 31.03.2023.

15. PROGRESS DURING FIVE-YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-17	2017-18 & 2021-22	2022-23	Cumulative as on 31.03.23
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	-	1499.40
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2534.35	**511.85**	6621.69
3	Disbursement/ Budgetary support %age)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	6.75	-	4.42
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	836093	735934	**140343**	3176640
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	64691	112817	**13375**	306595
6	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	47.31	202.76	323.65	600.57	927.07	1786.80	**444.97**	4333.13

16. FINANCIAL /OPERATIONAL PERFORMANCE

16.1 Income & Expenditure Account

i) During the year 2022-23, the operating income of Corporation has decreased from Rs. 53.22 crore to 53.13 crore

ii) The total expenses including employees cost has decreased from Rs. 26.03 crore to Rs. 25.59 crore.

iii) Excess of Income over Expenditure during the year 2022-23 is Rs. 30.38 crore as against Rs.30.65 crore during 2021-22.

16.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from Rs. 2068.65 crore to Rs. 2099.28 crore in 2022-23.

16.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement

During the year, the Corporation did't received any equity support from Government of India and has disbursed Rs. 511.85 cr., which means Rs. 511.85 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.

सीएसआर कार्यकलापों में महाराष्ट्र के दो जिलों (एक आकांक्षी जिला) में हाइड्रोलिक आइसोलेशन संरचना (शाफ्ट) का उपयोग करके उच्च विश्वसनीयता के साथ वांछित मात्रा में पानी की आपूर्ति प्रदान करना और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉयलेट (शौचालय) का निर्माण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा- असम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, में 19 निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर (01 एस.एम.सी. एवं 18 जी.एम.सी.) आयोजित किए गए जिसमें 3806 व्यक्तियों ने शिविर में भाग लिया एवं 1823 गरीब व्यक्तियों को चश्मे वितरित किए गए जो अधिकांशतः आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एवं 3.10** (पृष्ठ सं. 42-48) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 2014-15 से शुरू होने वाले सीएसआर हस्तक्षेपों पर अनिवार्य 2% सीएसआर व्यय रु. 4.78 करोड़ के मुकाबले 31.03.2023 तक रु. 5.49 करोड़ खर्च करके कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका को पूरा किया है।

15. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा- सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षण व्यय इत्यादि निगम की प्रगति निम्नानुसार है-

क्र.स.	विवरण	8वीं योजना 1992-97	9वीं योजना 1997-02	10वीं योजना 2002-07	11वीं योजना 2007-12	12वीं योजना 2012-17	2017-18 एवं 2021-22	2022-23	31.03.2023 को सकल
1	बजटीय सहायता (रू. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	-	1499.40
2	वितरण (रू. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2534.35	**511.84**	6621.69
3.	वितरण/बजटीय सहायता(%)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	6.75	-	4.42
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	735934	**140343**	3176640
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	64691	112817	**13375**	306595
6	ऋण की वसूली(रू. करोड़ में)	47.31	202.76	323.65	600.57	927.07	1786.80	**444.97**	4333.13

16. वित्तीय/परिचालन कार्यनिष्पादन

16.1 आय एवं व्यय खाता

i. वर्ष 2022-23 के दौरान,निगम की परिचालन आय रु. 53.22 करोड़ से घटकर 53.13 करोड़ हो गई है।

ii. कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु. 26.03 करोड़ से घटकर रु. 25.59 करोड़ हो गई है।

iii. वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य रु. 30.65 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में रु. 30.38 करोड़ है।

16.2 शुद्ध मूल्य

वर्ष 2022-23 में निगम का शुद्ध मूल्य रु. 2068.65 करोड़ से बढ़कर रू. 2099.28 करोड हो गया है।

16.3 सरकार से प्राप्त अंशपूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार से कोई अंश पूंजी प्राप्त नहीं हुई है तथा रु. 511.85 करोड़ का वितरण किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण अथवा निगम के आंतरिक संसाधनों से बजटीय सहायता से रू 511.85 करोड़ आधिक्य का वितरण किया गया है।

The cumulative equity support up to 31.03.2023 is Rs. 1499.40 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 6621.69 cr. covering 3176,640 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 4.42 times the equity received from Government of India.

The amount of Rs. 5122.29 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement (upto 31.03.2023)

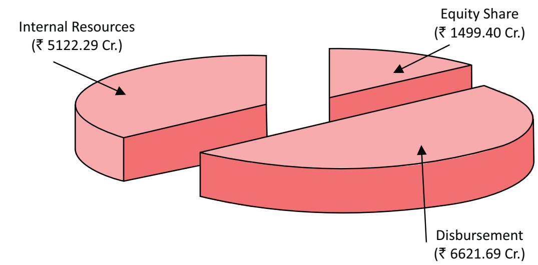

Cumulative Disbursement vs last five years Disbursement (upto 31.03.2023)

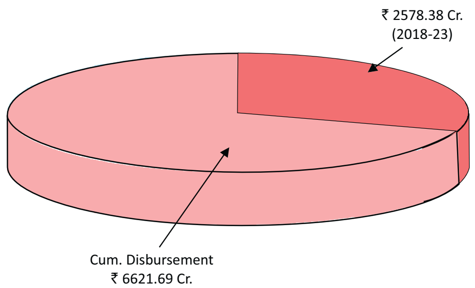

The disbursement over last five years has been 38.94% of the cumulative disbursement over 30 years of existence.

Cumulative Beneficiaries vs last five Years Beneficiaries (upto 31.03.2023)

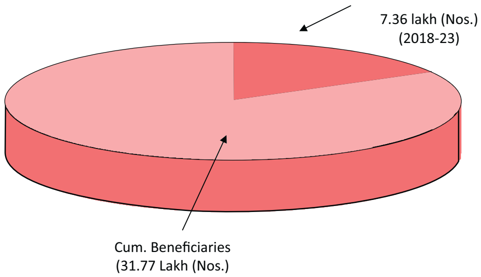

16.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 5007.47 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 5084.46 Cr. as on 31.03.2023. This includes Rs. 73.81 crores of long outstanding. The cumulative amount of recoveries of Rs. 5007.47 Cr. comprises of Rs. 4333.13 Cr. as principal and Rs. 674.34 interest. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 98.49% as on 31st March, 2023 as against 98.50% on 31.03.2022 with recovery of old overdues being nearly Rs.22.91 Crore.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2023 is available at **Annexure-4** (Page No. 49-52). Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

16.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is Rs. 53.13 crore.

16.6 EBDTA as a percentage of Revenue

During the year, EBDTA as a percentage of Revenue of your Corporation stood at 55.93%.

16.7 Return on Net Worth

During the year, return on Net Worth of your Corporation stood at 1.46%.

16.8 Assets turnover Ratio

During the year, Assets turnover Ratio of your Corporation stood at 2.63%.

16.09 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/Total Funds Available of your Corporation is 99.53%, which is the best amongst all sister corporations.

31.03.2023 तक संचयी इक्विटी सहायता रु. 1499.40 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रु. 6621.69 करोड़ का संचयी वितरण कर 31,76,640 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 4.42 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रु. 5122.29 करोड़ आधिक्य की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से वसूली एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आतंरिक संसाधन से कुल वितरण
(31.03.2023 तक)

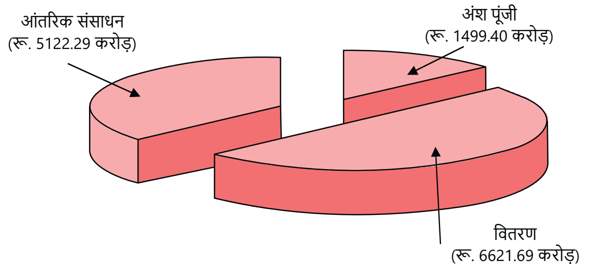

संचयी संवितरण बनाम गत् पाँच वर्षों का वितरण
(31.03.2023 तक)

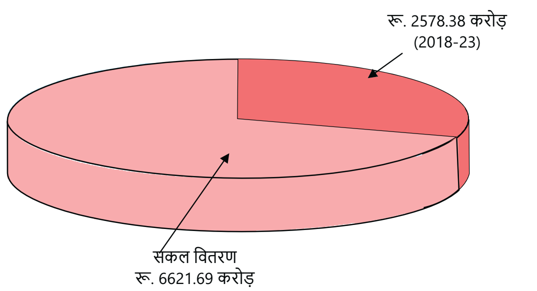

पिछले 5 वर्षों में वितरण अस्तित्व के 30 वर्षे के सचंयी वितरण का 38.94% रहा है।

सकल लाभार्थी बनाम गत् पाँच वर्षों के लाभार्थी
(31.03.2023 तक)

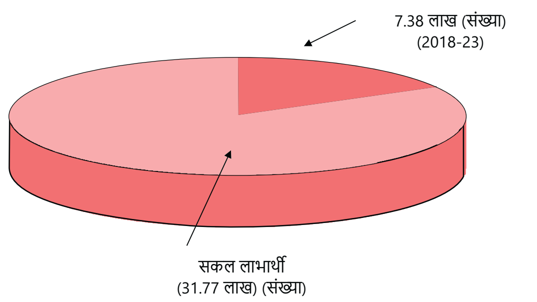

16.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वूसली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार रु. 5084.46 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रू 5007.47 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। इसमें लंबी अवधि का बकाया रु. 73.81 करोड़ सम्मिलित है। रु. 5007.47 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रू 4333.13 करोड़ तथा ब्याज के रूप में रु. 674.34 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 31.3.2022 की 98.50% वसूली के सापेक्ष 31.3.2023 को एस.सी.ए. से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली जिसमें पुराने लगभग रू. 22.91 करोड़ की वसूली सम्मिलित है, 98.49% है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक-4** (पृष्ठ सं. 49-52) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

16.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रु. 53.13 करोड़ है।

16.6 ईबीडीटीए के प्रतिशत के रूप में आय

वर्ष के दौरान, आपके निगम की ईबीआईटीडीए का प्रतिशत के रूप में आय 55.93% रही है।

16.7 शुद्ध मूल्य पर वापसी

वर्ष के दौरान, आपके निगम का शुद्ध मूल्य पर लाभ 1.46% रहा है।

16.8 परिसंपत्तियों से टर्नओवर अनुपात

वर्ष के दौरान, आपके निगम का परिसंपत्तियों का टर्नओवर अनुपात. 2.63% रहा है।

16.9 वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम का वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि का 99.53% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

16.10 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/ Total loans (Net) of your Corporation is 2.58%, which is the best amongst all sister corporations.

16.11 NPA to Total Loans

NPA to Total Loans during FY 2022-23 stood at level of 0.52% ‘

16.12 Geographical coverage (No. of States/Uts functional covered)

During the year, the Corporation is able to cover 32 nos of States/UTs for disbursement of loan to ultimate beneficiaries

16.13 Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary

During the year, the Corporation is able to achieve %age of Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary at the level of 96.02%

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 30.38 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Dept. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus, if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

17. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

NBCFDC facilitates skill development training programmes in broad conformance to the Common Norms for upgradation of Technical and Entrepreneurial Skills, so that eligible members of target group may engage in developmental activities by way of self-employment or wage employment. Ministry of Social Justice and Empowerment launched Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojna during the year 2020-21. The target group of NBCFDC for skill training programme under PM-DAKSH is as under:

- Other Backward Classes (OBCs) having annual family income below Rs. 3.00 lakh.
- Economically Backward Classes (EBCs) having annual family income below Rs. 1.00 lakh.
- De-notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) without any income criteria

As per the guidelines of PM-DAKSH, following four categories of training programmes were facilitated by NBCFDC during 2022-23:

- Long Term Training Programmes, normally 6 Months to 1 Year
- Short Term Training Programmes, normally 2 to 5 Months or as stipulated in National Occupation Standard (NOS)
- Up skilling programmes, upto 1 Month
- Entrepreneurship Development Programmes, normally 10-15 days

The training programmes are conducted primarily through Govt. Training Institutes and other credible Training Institutes identified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The training programmes are conducted with 100% Grant-in-aid from Govt. of India.

During the year 2022-23, the Standing Finance Committee (SFC) had approved the target of 21,300 trainees against which the Corporation commenced skill training programmes for 13,375 trainees. In addition to above, the Corporation has also facilitated placement for 11,420 trainees. In order to achieve the targets, partnership was established by NBCFDC with following :

Training Institutes having training centers/partners at various locations in the country:

S. No	Name of Training Institute
1	Apollo Medskills-Hyderabad
2	Apparel Training and Design Centre (ATDC)-Gurugram
3	Bright School Samiti-Indore
4	Central Institute of Hand Tools (CIHT), (MSME) Jalandhar
5	CII - Institute of Logistics-Chennai

16.10 अति देय ऋण/कुल ऋण(शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण/कुल ऋण(शुद्ध) का 2.58% है,जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

16.11 कुल ऋण का एन.पी.ए.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ऋण का एनपीए 0.52% रहा है।

16.12 भौगोलिक कवरेज(कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, निगम अंतिम लाभार्थियों को ऋण के वितरण के लिए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने में समर्थ हुआ है।

16.13 निकटतम स्थान से अंततः लाभार्थी को वितरण

वर्ष के दौरान, निगम का निकटतम स्थान से अंततः लाभार्थियों को वितरण के स्तर का प्रतिशत 96.02% रहा है।

आपके निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार रू. 30.38 करोड़ की व्यय से आय का आधिक्य की पूरी राशि सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित कर दी गई है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 8 (1) (ग) के प्रावधानों व कंपनी मामले विभाग, विधि और न्याय व कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निगम को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत निगम को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और निगम अपने आधिक्य, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में प्रयोग कर सकता है। निगम के प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनो अर्थात् नियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

17. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. तकनीकी और उद्यमिता कौशल के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप व्यापक रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है, ताकि लक्षित समूह के पात्र सदस्य स्वरोजगार अथवा वेतन रोजगार के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों से जुड़ सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की है। पीएम-दक्ष के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लक्षित वर्ग हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है

- अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख से कम है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 1.00 लाख से कम है।
- गैर-अधिसूचित, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जन-जातियाँ(डी.एन.टी.) बिना आय मापदण्ड के।

पीएम-दक्ष के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2022-23 की अवधि में निम्न चार श्रेणियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए:

- दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्यतः 6 महीने से 1 वर्ष
- अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्यतः 2 से 5 महीने या जैसाकि राष्ट्रीय व्यवसाय मानक(एन.ओ.एस.) द्वारां निर्धारित किया जाए;
- अप.स्किलिंग प्रोग्राम, 1 माह तक
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम, सामान्यतः 10-15 दिन

प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से चिन्हित किए गए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों व विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार से 100% अनुदान सहायता के साथ आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) ने 21,300 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष 13,375 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा 11,420 प्रशिक्षुओं को नियोजित करवाया गया। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एन.बीसी.एफ.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिलों जिनके देश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र/साझेदार हैं, के साथ भागीदारी की है।

क्र.स.	प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
1	अपोलो मेडस्किल्स –हैदराबाद
2	अपैरल ट्रैनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (ए.टी.डी.सी.), गुड़गांव
3	ब्राइट स्कूल समिति-इंदौर
4	सेंट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल (सीआईएचटी), (एमएसएमई) – जालंधर
5	सी.आई.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स-चेन्नई

6	Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET)-Chennai
7	Electronics Service and Training Centre (ESTC), Ramnagar
8	Himachal Consultancy Organization (HIMCON) Ltd.-Shimla
9	Indo German Tool Room (IGTR), (MSME) Ahmadabad
10	MSME TOOL ROOM, Indo German Tool Room (IGTR) (MSME) Indore
11	MSME Technology Centre, Indo German Tool Room (IGTR) , (MSME) Aurangabad
12	Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Srinagar
13	Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati
14	J&K ITC Organization Limited-Jammu
15	MPCON Ltd.-Bhopal
16	MSME Technology Centre, Bhopal
17	MSME Technology Centre, Rohtak
18	MSME- Technology Centre, Bengaluru
19	MSME- Technology Centre, Bhiwadi
20	Central Tool Room and Training Centre (CTTC), MSME Toolroom, Bhubaneshwar
21	MSME- Technology Centre, Durg
22	MSME- Technology Centre, Tool Room & Training Centre, Guwahati
23	MSME- Technology Centre, Central Tool Room, Ludhiana
24	The National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD)-Noida
25	O P Jindal Community College-Raigarh (Chhatisgarh)
26	Pithampur Auto Cluster, Indore
27	MSME- Technology Development centre, Process and Product Development Centre, Agra
28	MSME- Technology Development centre, Process and Product Development Centre, Meerut
29	Tool Room & Training Center, (MSME) Patna
30	MSME Technology Centre, Sitarganj
31	Kendriya Bhandar, Kolkata

Training Expenditure released, as part payment on training sanctioned during 2022-23 was Rs. 4.23 crores. State wise details of training during the year under report are available at **Annexure-5** (Page No. 53).

18. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2022-23, loan amounting to Rs. 7.13 Cr. for 3514 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Tripura (Rs.5.05 Core) , Assam (Rs. 1.14 crore), Manipur (Rs. 0.10 Crore), Meghalaya (Rs. 0.05 crore), Nagaland (Rs. 0.06 Crore) and Sikkim (Rs. 0.73 Crore). Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2022-23 (Rs. in Cr.)	Cumulative Loan Disbursed (Rs. in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2022-23	Cumulative No. of Beneficiaries Assisted
Assam	1.14	77.77	88	50006
Manipur	0.10	26.82	6	19381
Meghalaya	0.05	0.052	2	3
Mizoram	-	0.002	-	2
Nagaland	0.06	0.08	4	6
Sikkim	0.73	30.57	119	5591
Tripura	5.05	190.44	3295	52817
TOTAL	**7.13**	**325.734**	**3514**	**127806**

19. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs & Exhibitions like India International Trade Fair at Pragati Maidan, New Delhi, Dilli Haat at INA, New Delhi, Surajkund International Crafts Mela at Faridabad, Haryana, Lokotsav etc. as well as in the exhibitions/fairs organized in their respective States. These events not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity

6 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी)-चेन्नई
7 इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रैनिंग सेन्टर (ईएसटीसी), रामनगर
8 हिमाचल कंसल्टेंसी लिमिटेड (हिमकॉन)-शिमला
9 इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), (एमएसएमई) अहमदाबाद
10 एमएसएमई टूल रूम, इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर) (एमएसएमई) इंदौर
11 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), (एमएसएमई) औरंगाबाद
12 भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), श्रीनगर
13 भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी
14 जम्मू एवं कश्मीर आईटीसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड-जम्मू
15 एमपीसीओएन लिमिटेड-भोपाल
16 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल
17 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक
18 एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु
19 एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी
20 केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), एमएसएमई टूलरूम, भुवनेश्वर
21 एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग
22 एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र, टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी
23 एमएसएमई- प्रौद्योगिकी केंद्र, सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना
24 राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी)-नोएडा
25 ओ पी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
26 पीथमपुर ऑटो क्लस्टर, इंदौर
27 एमएसएमई- प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र, आगरा
28 एमएसएमई- प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र, मेरठ
29 टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, (एमएसएमई) पटना
30 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, सितारगंज
31 केन्द्रीय भंडार, कोलकटा

वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत प्रशिक्षण हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में रु. 4.23 करोड़ जारी किया गया है। सन्दर्भित अवधि में वर्ष के दौरान राज्यवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक-5** (पृष्ठ सं. 53) पर दिया गया है।

18. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों से 3514 लाभार्थियों हेतु रू. 7.13 करोड़ के ऋण उत्तर-पूर्वी राज्य त्रिपुरा को (रु. 5.05 करोड़), असम (रु. 1.14 करोड़), मणीपुर (रु. 0.10 करोड़), मेघालय (रू. 0.05 करोड़), नागालैण्ड (रु. 0.06 करोड़) एवं सिक्किम (रु. 0.73 करोड़) को वितरित किए गए हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों को किया गया संचयी विवरण इस प्रकार है-

राज्य	ऋण वितरण 2022-23 (रू.करोड़ में)	संचयी ऋण वितरण (रू.करोड़ में)	2022-23 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	1.14	77.77	88	50006
मणीपुर	0.10	26.82	6	19381
मेघालय	0.05	0.052	2	3
मिजोरम	-	0.002	-	2
नागालैण्ड	0.06	0.08	4	6
सिक्किम	0.73	30.57	119	5591
त्रिपुरा	5.05	190.44	3295	52817
योग	**7.13**	**325.734**	**3514**	**127806**

19. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों एवं प्रदर्शनियों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला,प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली हॉट, आई.एन.ए.,नई दिल्ली, सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला,फरीदाबाद, हरियाणा एवं लोकोत्सव इत्यादि के साथ- साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन /प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान

to market their products at good price and understand the prevailing market conditions as regard to the Quality & Finishing of goods & products produced, Packaging etc. which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro travel expenses, DA, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2022-23 is available at **Annexure - 6** (Page No. 54).

20. NEW INITIATIVES

20.1 Information Technology (IT)

Your Corporation has embarked upon improvement of its web-based software LEAP that provides easy access to the Channel Partners for ease of doing business with NBCFDC. NBCFDC is also facilitating training of its channel partners for using SBMS (Social Benefit Management System) developed by **NeGD, MeiTY** on behalf of MoSJE. The software is aimed at helping the target groups to apply on line & avail loan facilities of the corporation.

20.2 Technology Upgradation of Cluster under NBCFDC Scheme

In order to facilitate technological upgradation & capacity augmentation to clusters of target groups, Corporation has introduced Technology Upgradation Scheme. During 2022-23, Corporation has released an amount of Rs.80.42 Lakh to Indian Institute of Entrepreneurship, J&K Women's Development Corporation, Indian Institute of Carpet Technology, Tripura OBC Cooperative Development Corporation Ltd., Kerala State Backward Classes Development Corporation and North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Ltd. Cumulatively, the Corporation has sanctioned Rs.4,12,03,357/- and released Rs.3,24,22,475/- up to 31.03.2023 under this scheme.

20.3 Performance Linked Grant-In-Aid (PLGIA) Scheme

i) In order to strengthen the infrastructure of Channel Partners of National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC). Corporation has been providing grant to the SCA under Performance Linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme.

ii) Quantum of Assistance is normally restricted to 1% of the released funds in a year subject to max. of Rs.10.00 Lakhs p.a.

During the year, the Corporation has disbursed Rs.150.36 Lakhs to 21 Channel Partners under this scheme.

21. MONITORING & EVALUATION:

The schemes of the Corporation are independently were evaluated through third party agencies. During the year, the Corporation has got completed and accepted of two reports on its lending schemes for a total sample size of 1400 beneficiaries covering in the State of Assam and Haryana for 700 beneficiaries each.

The Corporation has assigned the work of evaluation studies of its lending schemes for a total sample size of 500 beneficiaries for the UT of Jammu & Kashmir (250 beneficiaries each of Jammu & Kashmir Women Development Corporation and Jammu & Kashmir SC/ST/OBC Development Corporation).

The major outcomes of the evaluation studies finalized during 2022-2023 are enclosed at **Annexure-7** (Page No. 54).

22. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES:

The Corporation has taken effective steps for generating awareness amongst target group in various parts of the country. The Corporation along with its

करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बेचने का अवसर मिलता है एवं बाजार की मौजूदा स्थितियों को गुणवत्ता एवं तैयार सामान एवं उत्पादित उत्पादों, पैकिंग इत्यादि को समझते हैं, जो सामान्यतः उन्हें अपने स्थानों पर मिलना कठिन होता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाज़ारों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने-जाने का किराया व्यय, डी.ए. इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित/प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-6** (पृष्ठ सं. 54) पर उपलब्ध है।

20. नई पहल

20.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

आपके निगम ने अपने वेब आधारित सॉफ्टवेयर लीप में सुधार किया है जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ व्यवसाय में आसानी के लिए चैनल सहभागियों को आसान पहुँच प्रदान करता है। एनबीसी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से **NeGD, MeiTY** द्वारा विकसित एस.बी.एम.एस. (सोशल बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य लक्ष्य समूहों को निगम की ऋण सुविधाओं के ऑन-लाइन आवेदन करने व ऋण सहायता का लाभ उठाने में मदद करना है।

20.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अंतर्गत समूहों का तकनीकी उन्नयन

लक्ष्य समूहों के लिए तकनीकी उन्नयन व क्षमता वृद्धि निगम ने प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है। वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने भारतीय उद्यमिता संस्थान, जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिपुरा ओ.बी.सी. सहकारी विकास निगम लिमिटेड, केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉरपोरेशन लि0 को रू. 80.42 लाख की राशि जारी की है। कुल मिलाकर, निगम ने रू. 4,12,03,357/- स्वीकृत किए हैं तथा इस योजना के तहत 31.03.2023 तक रू. 3,24,22,475/- जारी किए हैं।

20.3 कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान योजना(पी.एल.जी.आई.ए.)

i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफडी.सी.) चैनल सहभागियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान-सहायता(पी.एल.जी.आई.) योजना के तहत एस.सी.ए.को अनुदान प्रदान कर रहा है।

ii) सहायता की मात्रा सामान्य रूप से एक वर्ष में जारी धनराशि के 1% तक सीमित है, अधिकतम रू. 10 लाख प्रति वर्ष की सीमा में।

वर्ष के दारान निगम ने इस याजेना के अनतर्गत 21 चनैल सहभागियों को रू.150.36 लाख की धनराशि वितरित की है।

21. निगरानी एवं मूल्यांकनः

निगम की योजनाओं का तृतीय पक्ष एजेंसियों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष के दौरान, निगम ने अपनी ऋण योजनाओं पर असम और हरियाणा राज्य में प्रत्येक में 700 लाभार्थियों को कवर करते हुए कुल 1400 लाभार्थियों के लिए दो रिपोर्टें पूरी करवा ली हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

निगम ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए 500 लाभार्थियों (जम्मू एवं कश्मीर वीमेन विकास निगम व जम्मू एवं कश्मीर एससी/एसटी/ओबीसी विकास निगम प्रत्येक के 250 लाभार्थी) के कुल नमूना आकार के लिए अपनी ऋण योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2022-2023 के दौरान अंतिम रूप दिए गए मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख परिणाम **अनुलग्नक-7** (पृष्ठ सं. 54) पर उपलब्ध हैं।

22. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार एवं जागरूकताः

निगम ने देश के विभिन्न भागों में लक्षित वर्ग के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम ने अपने चैनल सहभागियों के साथ निगम की योजनाओं के बारे में

Channel Partners has sponsored/organized Awareness Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group to avail financial support in short time by registering their names at the Camps. During the year, NBCFDC and its Channel Partners have been able to organize 43 Awareness Camps & Publicity in the States/UTs of Kerala, Tripura, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Punjab, Gujarat and UT of Jammu & Kashmir.

23. MAIN EVENTS DURING 2022-23

23.1 Regional Review Meetings

Due to COVID-19 pandemic restrictions, the Corporation organized 03 Regional Review Meetings for Managing Directors and Senior Officers of State Channelising Agencies (SCAs) of Northern Region on 08.09.2022, Southern Region on 15.09.2022 and for Eastern & Western Region on 12.09.2022 through Video Conferencing (VC) to review the performance of SCAs.

In addition, meetings were routinely organized with the State Channelizing Agencies, Banks, Government Training Institutions and Sector Skill Council to update them on our financing & skilling Schemes & also take their feedback.

23.2 Exhibitions/Fairs/Melas

i) **Malwa Utsav 2022:** The Corporation participated in the "Malwa utsav 2022 at Indore, Madhya Pradesh" from 25th May – 31st May, 2022, wherein with taking 5 stalls with the beneficiaries of Punjab and Uttar Pradesh for exhibiting and selling their products besides disseminating information about the schemes of the Corporation.

ii) **Shilp Samagam 2022:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India sponsored marketing exhibition titled **"Shilp Samagam"** 2022 at Dilli Haat, INA, New Delhi from 1st November, 2022 to 15th November, 2022. NBCFDC was the Nodal Corporation for Ministry sponsored exhibition "Shilp Samagam 2022". All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their schemes. Wherein, 42 beneficiaries nominated by 19 Channel Partners from 16 states were participated with their good quality products at Dilli Haat exhibiting and selling their products which included Metal Crafts, Wooden Crafts, Cane & Bamboo, Ceramic Products, Handloom & Textiles, Wooden Pottery, Jewellery, leather articles, Jute Products, Carpet/Daries, Wood Crafts, Channapatna Wooden Toys, Phulkari Products, Water Hyacinth Products, Pickle and organic Honey, Ari Embroidery work & Sozny Embroidery work, Screwpine products, Kases & Loai, Jackets, Rajasthani Jutti and Bead work etc.

iii) **India International Trade Fair (IITF) – 2022:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at **41th India International Trade Fair, 2022 (IITF 2022)** from 14th November, 2022 to 27th November, 2022. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their schemes. Wherein, 24 beneficiaries nominated by 15 Channel Partners from 13 states with good quality products at IITF, exhibiting and selling their products which included Handloom and Handicraft Garments, Bead work Garments, Stole, Bag (Eri + Gissa Products) & Water Hyacinth Products, Cane & Bamboo, Broom Products, Ceramic products, Pickle, Honey, Kangra Tea, Screwpine and Water hyacinth, Kashmiri Handicrafts, Shawls, Wooden and Marble products, Banarasi Suit, Sarees and Chanderi and Maheshwari products etc.

iv) **36th Surajkund International Craft Mela – 2023:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at **36th Surajkund International Craft Mela 2023** from 1st February to 19th February 2023.

जागरूकता फैलाने व अपना नाम दर्ज करवाकर संक्षिप्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को प्रायोजित/आयोजित किया। वर्ष के दौरान, एन.बी.सी.एफ.डीसी. और उसके चैनल सहभागी केरल, त्रिपुरा,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में 43 प्रचार एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने में सफल रहे हैं।

23. वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य आयोजन

23.1 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें

कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों के कारण, निगम ने एस.सी.ए. के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के प्रबंध निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 03 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें दिनाँक 08.09.2022 को उत्तरी क्षेत्र की, दिनाँक 15.09.2022 को दक्षिणी क्षेत्र और 12.09.2022 को पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र की समीक्षा बैठकें वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं ताकि उन्हें हमारी वित्त पोषण और कौशल योजनाओं के बारे में अद्यतन किया जा सके और उनकी प्रतिक्रिया भी ली जा सके।

23.2 प्रदर्शनियां/उत्सव/मेले

i) **मालवा उत्सव 2022:** निगम ने 25 मई से 31 मई, 2022 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में "मालवा उत्सव 2022" में भाग लिया, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ उत्पादों को प्रदर्शित करने और बिक्री के अतिरिक्त निगम की योजनाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए 5 स्टॉल लगाए गए।

ii) **शिल्प समागम 2022:** 1 नवंबर, 2022 से 15 नवंबर, 2022 तक दिल्ली हाट, आई.एन.ए., नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विपणन प्रदर्शनी "शिल्प समागम" 2022 में निगम द्वारा भाग लिया गया। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनी "शिल्प समागम 2022" के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. नोडल निगम था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों अर्थात् एन.बी.सी. एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ. डी.सी. ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित किया। जिसमें 16 राज्यों के 19 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 42 लाभार्थियों ने दिल्ली हाट में अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ भाग लिया और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की, जिनमें धातु शिल्प, लकड़ी के शिल्प उत्पाद, बेंत और बांस के उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद, हथकरघा और कपड़ा के उत्पाद, लकड़ी के बर्तन, आभूषण, चमड़े के सामान, जूट उत्पाद, कालीन / डेरी, लकड़ी के शिल्प, चन्नापटना लकड़ी के खिलौने, फुलकारी उत्पाद, जलकुंभी उत्पाद, अचार और जैविक शहद, आरी कढ़ाई और सोज़नी कढ़ाई के काम के उत्पाद, स्क्रूपाइन उत्पाद, केस और लोई, जैकेट, राजस्थानी जूती और मनके का काम आदि सम्मिलित थे।

iii) **भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.) - 2022:** निगम ने 14 नवंबर, 2022 से 27 नवंबर, 2022 तक **41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2022 (आई. आई.टी.एफ.-2022)** में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रदर्शनी में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों- एन. बी. सी. एफ. डी. सी., एन. एस. के. एफ. डी. सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें, आई.आई.टी.एफ. में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ 13 राज्यों के 15 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 24 लाभार्थी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की; जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प के वस्त्र, बीड वर्क परिधान, स्टोल, बैग (एरी + गिसा उत्पाद) और जल जलकुंभी उत्पाद, बेंत और बांस से निर्मित उत्पाद, झाड़ू उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद, अचार, शहद, कांगड़ा चाय, स्क्रूपाइन और जलकुंभी उत्पाद, कश्मीरी हस्तशिल्प, शॉल, लकड़ी और संगमरमर के उत्पाद, बनारसी सूट, साड़ी, चंदेरी व महेश्वरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे।

iv) **36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला - 2023:** निगम ने 1 फरवरी से 19 फरवरी, 2023 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 2023** की प्रदर्शनी में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों अर्थात् एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और

All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their schemes. Wherein, 51 beneficiaries nominated by the 17 Channel Partners with quality products from 16 states participated in the Suraj Kund Craft Mela exhibition and selling their products which include Cane & Bamboo, Imitation Jewellery, Clay utensils, Quilts, Rugs, Bed Cover & Beed work, Handicraft Garments, Banarasi Saree Suits, Ceramic and Terracotta, Zari and Zari Goods, Terracotta pottery, Rose Wooden Inlay and Agarbatti, Boutique work, Dresses and Dress Material, Black rice bakery items, Rajasthani Fancy Jutti, Kashmiri Shawl, Gamacha, Traditional Dress, Chadar, Mekhela, Cusion Cover, Sozny Aritari Embroidery Shawls suits, Metal Ware, Artificial Jewelry Work, Organic Honey, Pickles, Corn Floor, Fibre Products etc.

iv) **12th East Himalayan Trade Fair (EHTF):** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India sponsored exhibition **"12th East Himalayan Trade Fair (EHTF)" from 6th to 12th February, 2023 at Guwahati, Assam,** wherein 05 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes nominated by the Channel Partners making quality products from 03 States participated in the exhibition and selling their products which includes Hand Embroidery Products, Bamboo Decorative Products and Stole, Bag (Eri + Gissa Products) & Water Hyacinth Products.

24. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES:

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owed by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, your Corporation has achieved the required target during the year 2022-23.

25. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/ data received from SCAs/CPs/Tis.

26. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & CSR

The functional divisions of the Corporation viz. Human Resource & CSR(Planning), Project, Finance & Company Affairs, Skill Development, Administration / IT Department are operating with bare minimum staff of 54 (fifty four) employees as on 31.03.2023. Out of the 54 employees 09 belongs to SC category, 01 ST Category and 13 belongs to OBC category, one Ex-Serviceman and one PWD person there is no backlog vacancy exists. Corporation is following the reservation policy and guidelines issue by Department of Public Enterprise, Ministry of Finance, Government of India.

The activities of the Corporation are increasing continuously and able to manage the increased volume of work with Manpower of 54 employees. Corporation strongly believes in development of human resources, during the year 2022-23, ten officers and staff were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas.

26.1 Prevention of Sexual Harassment

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the

एन.एस.एफ.डी.सी. ने अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें 16 राज्यों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ 17 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 51 लाभार्थियों ने सूरजकुंड शिल्प मेला प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की जिसमें बेंत और बांस के उत्पाद, कृत्रिम आभूषण, मिट्टी के बर्तन, रजाई, गलीचे, बिस्तर कवर और बीड वर्क, हस्तशिल्प के परिधान, बनारसी साड़ी, सूट, सिरेमिक और टेराकोटा के उत्पाद, ज़री और ज़री के सामान, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, गुलाब की लकड़ी पर जड़ाई कार्य व अगरबत्ती, बुटीक के उत्पाद, कपड़े और पोशाक सामग्री, काले चावल के बेकरी उत्पाद, राजस्थानी फैंसी जूती, कश्मीरी शॉल, गमछा, पारंपरिक पोशाक, चादर, मेखला, तकिए के कवर, सोज़नी अरितारी, कढ़ाई शॉल, सूट, धातु के सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वर्क, जैविक शहद, अचार, मकाई के आटा के उत्पाद, फाइबर उत्पाद आदि सम्मिलित थे।

v) **12वां पूर्वी हिमालय व्यापार मेला (ई.एच.टी.एफ.):** निगम ने 6 से 12 फरवरी, 2023 तक गुवाहाटी, असम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनी **"12वां पूर्वी हिमालय व्यापार मेला (ई.एच.टी.एफ.)"** में भाग लिया, जिसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 03 राज्यों के चैनल सहभागियों द्वारा नामित 05 लाभार्थियों के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने वाले लाभार्थियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की जिसमें हाथ की कढ़ाई के उत्पाद, बांस से निर्मित सजावटी उत्पाद व स्टोल, बैग (एरी + गिसा उत्पाद) और जल जलकुंभी उत्पाद सम्मिलित हैं।

24. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के आदेश, 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) से किया जाना अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी के आधिपत्य की एम.एस.ई. से 20% में से माल और सेवाओं की 4% खरीद निर्धारित की है। सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के 2012 के आदेश के अनुपालन में आपके निगम ने वर्ष 2022-23 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

25. आधार अधिनियम, 2016 और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा-7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहभागियों (सीपी.) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया है कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा/जानकारी प्रदान कर डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./टी.ई. से प्राप्त जानकारी/डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी/डेटा प्रदान कर रहा है।

26. मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगमित सामाजिक दायित्व

निगम के क्रियाशील विभाग जैसे- मानव संसाधन एवं सी.एस.आर. (योजना), परियोजना, वित्त व कम्पनी कार्य, कौशल विकास और प्रशासन/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम स्टाफ 54 (चौव्वन) के साथ कार्य कर रहे हैं। निगम के कुल 54 कर्मचारियों में 09 अनुसूचित जाति वर्ग, 01 अनुसूचित जनजाति व 13 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से, 01 (एक) भूपपूर्व सैनिक एवं 01 (एक) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित है, कोई भी पद रिक्त नहीं है। निगम आरक्षण नीति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुसरण कर रहा है।

निगम के कार्यकलापों में लगातार वृद्धि हो रही है और 54 कार्मिकों के मानव श्रम से कार्य की बढ़ी मात्रा का प्रबंध करने में सक्षम है। निगम मानव संसाधन के विकास में दृढतापूर्वक विश्वास करता है, वर्ष 2022-23 के दौरान 10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घटनाक्रम से बराबर अवगत कराने के लिए उन्हें संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में उद्यतन करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

26.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतः असहिष्णु है एवं निगम ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,

provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority constituted the committee consisting of :-

(i)	Smt. Anupama Sood, SGM (Proj.)	- Presiding Officer
(ii)	Shri V. R. Chary, SGM (HR & CSR)	- Member
(iii)	Shri Ajit Kumar Samal, SGM (Fin.) & C.S	- Member
(iv)	Smt. (Dr.) Navdip Kaur, NGO Representative	- Member
(v)	Smt. Neelam Mudgal, Sr. Manager (Fin./Proj.)	- Member
(vi)	Smt. Saramma Thomas, Officer	- Member Secretary

The aggrieved women employees may submit her complaints to the committee. During the financial year 2022-23, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

27. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard on 15 June 2018. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

28. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time.

The provisions of Section 3(3) of Official Language are being complied by the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were conducted during the year. Quarterly/half yearly/Annual Reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of SJ&E through online portal or in prescribed format. Four Hindi workshops were conducted for the officials of the Corporation alongwith day to day help to the officials in working in Hindi has been provided during the reporting period. Corporation has published its Rajbhasha Grah Patrika 'Rajbhasha Subhasini' during the year.

During the reporting period, Corporation participated in 'Hindi Diwas' on 14th September, 2022 at Surat, Gujarat which was organized by Department of Official Language, MHA, Govt. of India. Corporation organized 'Hindi Pakhwada' from 16 September to 30 September. Incentives were given to employees to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Hindi software 'Saransh', 'Google Input Tool' has also been installed in Computers to promote the use of Hindi typing in the Computers and continuously support has been provided to the official for performance in Hindi in efficient manner.

During the reporting year, the Corporation participated in the meetings of NARAKAS, Delhi (Upkram-2). Apart from this, Corporation participated in various programs viz. competitions, seminars, workshops etc. organized under the aegis of NARAKAS. Half yearly reports have been sent to NARAKAS by the Corporation.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the 'Annual Programme' for the year 2022-23 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for transacting the official work of the Corporation in Hindi. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hipdi Rajbhasha in their official work.

निषिद्ध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं शिकायतों के निवारण सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

(i)	श्रीमती अनुपमा सूद, वरि.महाप्रबन्धक (परि.)	- पीठासीन अधिकारी
(ii)	श्री वी.आर.चारी, वरि. महाप्रबन्धक(मा.स.-सी.एस.आर.)	- सदस्य
(iii)	श्री अजित कुमार सामल, वरि.महाप्रबन्धक(वित्त.)/कम्पनी सचिव	- सदस्य
(iv)	श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि	- सदस्य
(v)	श्रीमती नीलम मुदगल, वरि.प्रबन्धक (परि./वित्त)	- सदस्य
(vi)	श्रीमती सारम्मा थॉमस, अधिकारी	- सदस्य सचिव

पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

27. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस./आई.एस.ओ. 9001-2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित कंपनी है जिसे दिनांक 15 जून, 2018 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001- 2015 का प्रमाण-पत्र प्राप्त है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को उपयुक्त बनाने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

तथापि, आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है और स्वंय में अंतिम नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढ़ांचे के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

28. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

निगम दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय-समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है।

निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को तिमाही/अर्द्ध वार्षिक /वार्षिक रिपोर्ट ऑन-लाइन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से भेजी गई। संदर्भित अवधि में हिन्दी में कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए निगम के कार्मिकों हेतु चार हिन्दी कार्यशालाओं के साथ-साथ दैनिक आधार पर सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान निगम की राजभाषा गृह पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिनी' का प्रकाशन किया गया।

संदर्भित अवधि के दौरान, निगम ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2022 को सूरत, गुजरात में आयोजित 'हिंदी दिवस' में भाग लिया गया। निगम द्वारा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया। कंप्यूटरों में हिंदी टाइपिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर 'सारांश', 'गूगल इनपुट टूल' भी स्थापित किया गया है और कार्मिकों को हिंदी में कुशलता पूर्वक प्रदर्शन के लिए लगातार सहायता प्रदान की गई है।

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने नराकास, दिल्ली (उपक्रम-2) की बैठकों में भाग लिया। इसके अलावा, निगम ने नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया। निगम द्वारा अर्धवार्षिक रिपोर्टें नराकास को भेजी गयी।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में कार्यालयी कार्य हिंदी में करने हेतु किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के लगातार प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को अपने कार्यालयी कार्य में हिंदी राजभाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

29. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/ Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of RTI Act, 2005 is ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC). During the financial year 2022-23 all complaints/ applications have been disposed off within the specified time limits.

30. VIGILANCE CELL

Your Corporation observed Vigilance Awareness Week from 31st October, 2022 to 6th November, 2022 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and notice displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

31. ACHIEVEMENT AGAINST MOU 2021-22

Your Corporation continues to contribute their best and the achievement of the Corporation based on self-evaluation as also review at Board and Ministry level was 'Very Good'. The performance of the Corporation has been rated as "Very Good" with a score of 81.43 for the financial year 2021-22 by DPE on its dashboard.

32. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

33. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s D.C. Garg & Company (DE1175), Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23.

The Statutory Auditors have audited the financial statements of the Corporation for the financial year 2022-23. Management's replies on the observations/ qualifications on the report of statutory auditors available as Addendum to Directors' Report at **Annexure - 8** (Page No. 55).

34. C&AG COMMENTS

The accounts of the Corporation for the year 2022-23 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for providing their comments as per Companies Act, 2013.

35. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best-governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure - 9** (Page No. 56-60).

36. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the annual return of the Company is available on the Corporation's Website at the link http://www.nbcfdc.gov.in.

37. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2023, there are Seven Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took have place in the composition of the Board of Directors:

- Shri Rajan Sehgal appointed as Managing Director of NBCFDC w.e.f. 02.01.2023.

29. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों/आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

30. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवम्बर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

31. समझौता ज्ञापन 2021-22 के सापेक्ष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा है और स्व-मूल्यांकन के आधार पर निदेशक मण्डल और मंत्रालय स्तर पर समीक्षा में निगम की उपलब्धि 'बहुत अच्छा' श्रेणी में थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा इसके डैशबोर्ड पर निगम का कार्यनिष्पादन 81.43 स्कोर के साथ "बहुत अच्छा" मूल्याँकन किया गया है।

32. ऊर्जा संरक्षण,प्रोद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गए कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

33. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स डी.सी. गर्ग एण्ड क0 (डीई1175), चाटर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2022-23 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई। सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के प्रेक्षण/परिर्वतन पर प्रबंधन के उत्तर अनुशेष के रूप में **अनुलग्नक-8** (पृष्ठ सं. 55) पर दिए गए हैं।

34. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2022-23 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

35. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता,पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वंय का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद द्वारा कारपोरेट प्रशासन पर जारी किया गया प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-9** (पृष्ठ सं. 56-60) पर उपलब्ध है।

36. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) जो कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का लिंक निगम की वेबसाइट http://www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है।

37. निदेशक मण्डल

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार प्रबंध निदेशक सहित एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में सात निदेशक हैं। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए है

- दिनांक 02.01.2023 से श्री राजन सहगल, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए।

The Board welcomes Shri Rajan Sehgal, MD, NBCFDC on the Board of NBCFDC. Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:-

S.No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Shri Rajan Sehgal, MD, NBCFDC	Managing Director	02.01.2023	Till date
2	Shri Rajnish Kumar Jenaw,CMD,NSFDC*	Director	24.03.2021	-do-
3	Shri Sanjay Pandey, JS&FA,SJ&E	Director	15.05.2019	-do-
4	Dr. Subhransu Sekhar Acharya, GM SIDBI	Director	21.11.2018	-do-
5	Shri. R.V. Ramakrishna, GM, NABARD	Director	17.08.2021	-do-
6	Smt. Pinki Kumari, NOD	Director	13.12.2021	-do-
7	Shri Sanjay Kumar Singh, NOD	Director	17.11.2021	-do-

* Holding additional charges of MD, NBCFDC from 01.04.2021 - 02.01.2023

38. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;

vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

39. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

40. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

Attention of the members is also drawn to Note no.30 financial statements, which sets out related party disclosures as per Ind AS-24.

41. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

b) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company’s policy on directors’ appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

निदेशक मण्डल श्री राजन सहगल, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफडी.सी. का निदेशक मण्डल में स्वागत करता है। निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	02.01.2023	अब तक
2	श्री रजनीश कुमार जैनव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.*	निदेशक	24.03.2021	यथोक्त
3	श्री संजय पांडेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	15.05.2019	यथोक्त
4	डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य, मु. महाप्रबन्धक, सिडबी	निदेशक	21.11.2018	यथोक्त
5	श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	17.08.2021	यथोक्त
6	श्रीमती पिंकी कुमारी,एन.ओ.डी.	निदेशक	13.12.2021	यथोक्त
7	श्री संजय कुमार सिंह,एन.ओ.डी.	निदेशक	17.11.2021	यथोक्त

* 01.04.2021 से 02.01.2023 तक प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.सी.डी.सी. के रूप में अतिरिक्त कार्यभार था।

38. निदेशकों का दायित्व विवरणः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं किः

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;

(ii) यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;

(iii) निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा प्रर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(iv) निगम के वार्षिक लेखे निदेशकों द्वारा प्रचलित मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं;

(v) निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;

(vi) लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त हैं व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

39. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) जो कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक), नियमावली 2014 के नियम 5 (2), 5 (3) के साथ पठित है, के अन्तर्गत निगम का कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

40. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थापन

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अभिप्राय में संबंधित पार्टी से कोई भी लेनदेन नहीं किया।

टिप्पणी सं. 30 वित्तीय विवरणों की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो भारतीय लेखाकरण मानक-24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटन को निर्धारित करता है।

41. सामान्यः

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है

(क) धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;

(ख) धारा 178 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आच्छादित कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप-धारा (3) में दिया गया है;

c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

d) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

e) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

42. ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/ UT Administrations, State Channelising Agencies, Regional Rural Banks (RRBs), Government Training Institutes, Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation.

Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For & on behalf of Board of Directors,

Place: New Delhi	**Sd/-** **(Rajan Sehgal)** Managing Director (DIN- 03633935)	**Sd/-** **(Dr. S.S.Acharya)** Director (DIN No.06727939)
Date: 01.09.2023		

(ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;

(घ) लाभांश के रूप में अनुशंसित राशि का भुगतान, यदि कोई हो,

(ङ) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मूर्त आदेश पारित नहीं किए गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

42. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढने और उत्कृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनको अभिलेखित करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

	ह0/-	ह0/-
स्थानः नई दिल्ली	**(राजन सहगल)**	**(डा0 एस.एस. आचार्य)**
दिनांकः 01.09.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक
	(डिन सं. 03633935)	(डिन सं. 06727939)

ANNEXURE - 1

National Backward Classes Finance & Development Corporation

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,

   4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar, NTR Road, Tadigadapa,Vijayawada-521134

2. Stree Nidhi Credit Co-Operative Federation

   2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijaywada-520013, Andhra Pradesh

ASSAM

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.,

   1st Floor RHHMC. (Rehabari Complex of ARTFED) A.K. Azad Road, Rehabari, Guwahati, Assam-781008.

4. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd.,

   Dr. B. K. Kakoty Road, Gopinath Nagar, Guwahati, Assam-781016.

5. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.,

   NEDFI House, G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781006

BIHAR

6. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,

   4th Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna, Bihar - 800001

CHANDIGARH

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,

   Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh - 160017

CHHATTISGARH

8. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,

   T.R.I Bhawan, 2nd floor, Near Muktangan, Sec-24, New Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh-492015

DELHI

9. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation,

   Ambedkar Bhawan, Institutional Area, Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd.,

    4th Floor, Patto Centre,Near KTC Bus Stand, Panaji, Goa-403001.

GUJARAT

11. Gujarat Backward Classes Development Corpn.,

    Block NO.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10,Gandhi Nagar, Gujarat-382010.

12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.,

    Block No.7, Third Floor,Dr. Jivaraj Mehta Bhavan, Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar, Gujarat-382010.

13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam,

    Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, Gujarat-382010.

14. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,

    Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010,Gujarat.

HARYANA

15. Haryana Backward Classes & EconomicallyWeaker Sections Kalyan Nigam,

    SCO No.813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana-160022.

HIMACHAL PRADESH

16. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation,

    Old SDM Office Building, Kangra, Himachal Pradesh-176001

JAMMU & KASHMIR

17. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCsDevelopment Corporation Ltd.

    715-A, Last Morh, Gandhi Nagar, Jammu-180004

18. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation

    SDA Colony, Bemina,Srinagar-190018.

JHARKHAND

19. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,

    1st Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

KARNATAKA

20. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn.,

    No.16-D, 4th Floor,Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bund Area, Vasanthnagar, Bangalore, Karnataka-560052.

21. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,

    16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore-560052

अनुलग्नक - 1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को-आपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.

   चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, पद्मजा नगर, एन.टी.आर. रोड, टड़ीगड्डुपा, विजयवाड़ा-521 134

2. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन

   द्वितीय तल, एन.टी.आर. प्रशासनिक ब्लॉक, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा-520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आटीर्जन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि,

   प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टफेड रेहवरी कॉम्पलेक्स),ए.के. आजाद रोड़, रेहबरी, गुवाहाटी, असम-781008

4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,

   डॉ0 बी.के. काकोटी रोड़, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी -781016, असम

5. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि0,

   नेडफी हाउस, जी.एस. रोड़ , दिसपुर , गुवाहाटी-781006

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

   चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001, बिहार

चंडीगढ़

7. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

   एडिशलन टाउन हॉल बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर -17 सी, चंडीगढ़-160017

छत्तीसगढ

8. छत्तीसगढ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,

   टी.आर.आई. भवन, द्वितीय तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर-24, न्यू रायपुर , अटल नगर, छत्तीसगढ-492101

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपारेशन

   अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,

    चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी-403001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन

    ब्लॉक न. -11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सैक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात

12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,

    ब्लॉक न.-7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, सेक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात

13. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,

    ब्लॉक न. -16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात

14. गुजरात नौमेडिक एण्ड डी-नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

    ब्लॉक न. -19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम

    एस.सी.ओ. सं. 813-14, सेक्टर-22-ए, चंडीगढ़ -160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

    ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय बिल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176001

जम्मू एण्ड कश्मीर

17. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

    715-ए, लास्ट मोड, गाँधी नगर, जम्मू-180004

18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

    एस.डी.ए. कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर, जम्मू-190018

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,

    प्रथम तल, कल्याण कॉम्पलैक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड-834008

कर्नाटक

20. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

    स. 16-डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बंद एरिया, बसंतनगर, बैंग्लोर-560052, कर्नाटक

21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,

    सं. 16-डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर-560052, कनार्टक

KERALA

22. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd.,

    'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695035.

23. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd.,

    Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695001.

24. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,

    "SENTINEL", 2nd Floor, T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695035.

25. Kerala State Co-operative Federation forFisheries Development Ltd. (MATSYAFED),

    Kamaleswaram, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695009.

26. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.),

    Near Railway Station, Nagampadom, Kottayam, Kerala-686002.

27. Kerala State Palmyrah Products Development andWorkers' Welfare Corporation Ltd.,

    "Kelpalm", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695122.

28. The Kerala State Women's Development Corporation Ltd.,

    1st floor, Transport Bhavan Building, East Fort, Attakulangara P.O, Thiruvananthapuram- 695023

MADHYA PRADESH

29. Sant Ravidas Madhya Pradesh Hastshilp Evam HathaKargha Vikas Nigam,

    Hastshilp Bhawan, Hamidia Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462001.

30. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam,

    Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, Ist Floor, 35 shyamla Hills, Bhopal, Madhya Pradesh-462002.

MAHARASHTRA

31. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd.,

    Administrative Building, 4th Floor, Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai, Maharashtra - 400 071.

32. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,

    25N, Juhu Supreme Shopping Centre, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Vile-Parle (W), Mumbai, Maharashtra-400049.

ODISHA

33. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,

    Qrs. No. A/6, Unit-5, Near Rajib Bhawan, Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

34. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,

    No.1, VIII Cross St., Anna Nagar, Nellithope, Puducherry-605005.

PUNJAB

35. Punjab Backward Classes Land Developmentand Finance Corporation,

    SCO No. 60-61, Sector-17 A, Chandigarh, Punjab-160017.

RAJASTHAN

36. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,

    2nd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Nr. 22, Godaam, Jaipur, Rajasthan- 302005.

SIKKIM

37. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd. (SABCCO),

    Sonam Tshering Marg (Kazi Road), Gangtok-737101, Sikkim

TAMIL NADU

38. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation,

    1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

TELANGANA

39. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd.

    Flat Nos, 401, 402, 5-9-22/B, My Home Sarovar Plaza, Secretariat Road, saifa bad, Hyderaba-500063 Telangana

TRIPURA

40. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.,

    Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W), Agartala, Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

41. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,

    4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

42. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,

    10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

UTTARAKHAND

43. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam,

    Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

WEST BENGAL

44. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation,

    H.O. Block CF, 217/A/1, Sector-1,Salt Lake,Kolkata, West Bengal-700064.

45. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,

    'AMBER', DD-27/E, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700064.

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,

 'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड़, वंचीयूर पो.आ., तिरूअनंतपुरम-695035, केरल

23. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल,

 पो. बाक्स. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरूअनंतपुरम-695001, केरल.

24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,

 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्र, Vanchiyoor वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम-695035, केरल

25. केरल स्टेट को-आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमेंट लि0 (मत्स्यफैड),

 कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरूअनंतपुरम -695009, केरल

26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिक्मेंडेड कम्युनिटिज लि0,

 केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्टस डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0

27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्टस डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0

 "केलपाम",'कुम्भुमविला, अरायूर पो.ओ., कोट्टायम-695122, केरल

28. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,

 प्रथम तल, ट्रास्पोर्ट भवन, ईस्ट फोर्ट, अट्टाकुलंगरा पो.ओ., तिरुअनंतपुरम- 695003

मध्य प्रदेश

29. संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम

 हस्तशिल्प भवन, हमिदिया रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001

30. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

 राजीव गाँधी भवन, परिसर-2, प्रथम तल, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश-462 002

महाराष्ट्र

31. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि.,

 एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर मार्ग,चैम्बूर(ई), मुम्बई-400071, महाराष्ट्र

32. वसन्तराव नाइक विमुक्त जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,

 25-एन, जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रास रोड़ न.-9, जे.वी. पी.डी. स्कीम, विले-पारले स्कीम(वेस्ट), मुम्बई-400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

33. द ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-आपरेटिव कॉरपोरेशन लि.,

 क्वाटर सं. ए/6, यूनिट-5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर -751001, ओड़ीसा

पुड्चेरी

34. पुड्चेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,

 क्वाटर सं. 1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे, पुड्चेरी-605005

पंजाब

35. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,

 एस.सी.ओ. सं. 60-61, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़-160017, पंजाब

राजस्थान

36. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0,

 द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान-302005

सिक्किम

37. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,

 सोनम शिरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक -737101, सिक्किम

तमिलनाडु

38. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,

 1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एग्मौर, (नियर गंगूरेड्डी सबवे), चेन्नई-600008, तमिलनाडु

तेलंगना

39. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

 फ्लैट सं, 401, 402, 5-9-22 / बी, मेरा घर सरोवर प्लाजा, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500063 तेलंगना

त्रिपुरा

40. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,

 सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च बिल्डिंग, त्रिपुरा (वेस्ट), अगरतला, त्रिपुरा-799001

उत्तर प्रदेश

41. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0.,

 चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश

42. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0.,

 10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226001

उत्तराखण्ड

43. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,

 निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001

पश्चिम बंगाल

44. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,

 मुख्यालयः ब्लॉक सी.एफ., 217/ए/1, सैक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल

45. पश्चिम बंगाल माइनोरिटिज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,

 'अम्बर', डी.डी 27/ई, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल

National Backward Classes Finance & Development Corporation

LIST OF RRBs/PSBs

1. **Bank of Baroda**

   Baroda Bhawan, 7th Floor, R.C. Dutt Road, Vadodara-390 007, Gujarat.

2. **Bank of Maharashtra**

   Credit Priority-Agriculture, FI & SLBC, Head Office," Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411005.

3. **Canara Bank**

   Agriculture Priority Section, Priority Credit Wing, H.O. 112 J.C. Road, Banglore-560002, Karnataka.

4. **Punjab National Bank**

   Micro, Small & Medium Enterprises Division Plot No 4, Sector -10 Dwarka New Delhi -110075

5. **Union Bank of India**

   Agriculture Business Department,7th floor, Ernest House, NCPA Marg, Nariman Point, Mumbai-400021

6. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**

   30-7-24, Income Tax Office Rd, Daba Gardens, Allipuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530020

7. **Andhra Pragathi Grameena Bank,**

   Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram, Kadapa - AP-516003

8. **Arunachal Pradesh Rural Bank**

   HO. E Sector, Shiv Mandir Road, Naharlagun Dist: Papua Pare Arunachal Pradesh PIN-791110

9. **Assam Gramin Vikash Bank**

   Head Office :: Guwahati G.S. Road, Bhangagarh Guwahati, Assam-781005

10. **Dakshin Bihar Gramin Bank**

    Shri Vishnu Commercial Complex, NH-30, New Bypass, Near BP Highway Services Petrol Pump, Asochak, Patna-800016

11. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank**

    Corporate Office Sector-24, Plot No. 47Atal Nagar, Nava Raipur, Chhattisgarh Pin Code -492002

12. **Saurashtra Gramin Bank**

    Head Office, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot-360001, Gujarat.

13. **Baroda Gujarat Gramin Bank**

    101 ABN Chamber, 1st floor opposite welcome hotel, RC dutta road Alkapuri Baroda-390005

14. **Sarva Haryana Gramin Bank**

    H.O. SHGB House, Plot No.1, Sector-3, Rohtak-124001, Haryana

15. **Himachal Pradesh Gramin Bank**

    Head Office, HPGB Jail Road, Mandi, Himachal Pradesh -175001

16. **J&K Grameen Bank**

    Near Fruit Complex, Narwal, Jammu (J&K).-180006

17. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**

    H.O. Rajendra Place, 5 Main Road,Near Over Bridge Ranchi-834001,Jharkhand

18. **Madhya Pradesh Gramin Bank**

    C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh.

19. **Madhyanchal Gramin Bank**

    H.O. Poddar Colony,Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh

20. **Maharashtra Gramin Bank**

    Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33,Golwadi Village, Tal-Dist- Aurangabad Near Disha Sankriti Society. 431010

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की सूची

1. **बैंकों ऑफ बड़ौदा**

   बड़ौदा भवन, 7 वीं मंजिल, आरसी दत्त रोड, वडोदरा-390007, गुजरात

2. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

   क्रेडिट प्रायोरिटी- क्रेडिट, एफआई एवं एस.एल.बी.सी., मुख्य कार्यालय, लोकमंगल 1501ए शिवाजीनगर, पुणे-411005

3. **केनरा बैंक**

   एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्सन, प्रायोरिटी क्रेडिट विंग, मुख्य कार्यालय 112 जे.सी. रोड़, बैंगलोर-560002, कर्नाटक

4. **पंजाब नेशनल बैंक**

   माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिवीजन,प्लॉट नंबर 4, सेक्टर -10, द्वारका नई दिल्ली -110075

5. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

   एग्रीकल्चर बिजनेस डिपार्टमेंट, 7वां तल, अर्नेस्ट हॉउस, एन.पी.सी.ए. मार्ग, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021

6. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**

   30-7-24, आयकर कार्यालय रोड, डाबा गार्डन, अलीपुरम,विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 530020

7. **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक,**

   मरियापुरम चर्च के पास,मरियापुरम, कडपा – आन्ध्र प्रदेश -516003

8. **अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**

   मुख्य कार्यालयः ई सेक्टर, शिव मंदिर रोड, नाहरलगुन जिलाः पापुआ पारे, अरुणाचल प्रदेश पिन-791110

9. **असम ग्रामीण विकास बैंक**

   प्रधान कार्यालय : गुवाहाटी जीएस रोड, भांगागढ़ गुवाहाटी, असम -781005

10. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**

    श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एनएच -30, न्यू बाईपास, बीपी हाईवे सर्विसेज पेट्रोल पंप के पास, असोचक,पटना -800016

11. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**

    कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर -24, प्लॉट नंबर 47अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड -492002

12. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**

    प्रधान कार्यालय, विंग -2, पहली मंजिल, एलआईसी जीवन प्रकाश भवन, टैगोर रोड, राजकोट -360001, गुजरात।

13. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक,**

    101 ए.बी.एन. चैंबर,वेलकम होटल के सामने, पहली मंजिल, आरसी दत्ता रोड अलकापुरी बड़ौदा-390005

14. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**

    एच.ओ.एस.एच.जी.बी. हाउस,प्लॉट नंबर 1, सेक्टर-3, रोहतक-124001, हरियाणा

15. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**

    मुख्य कार्यालयः एच.पी.जी.बी. जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश -175001

16. **जम्मू एण्ड कश्मीर ग्रामीण बैंक**

    फ्रूट कॉम्प्लेक्स के नजदीक,नरवाल, जम्मू (जम्मू-कश्मीर 180006),

17. **झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक**

    मुख्य कार्यालयः राजेन्द्र प्लेस,5, मेन रोड़, ओवर ब्रिज के पास, रांची-834001, झारखंड

18. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**

    सी-21, बिजनेस पार्क, सी21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एम.आर.-10, इंदौर-452010, मध्य प्रदेश।

19. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक**

    मुख्य कार्यालयः पोद्दार कॉलोनी, तिली रोड, सागर-470001, मध्य प्रदेश

20. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**

    मुख्य कार्यालयः, प्लॉट नंबरः 42, गुट नंबरः 33, गोलवाड़ी गांव, ताल-जिला- औरंगाबाद दिशा प्रकृति सोसाइटी के पास-431010

21. **Manipur Rural Bank**

    Keisampat Wahengbam Leikai Rd, Sagolband, Imphal, Manipur 795004

22. **Meghalaya Rural Bank**

    Head Office KJP Conference Centre, Barik Point, Lachumiere Shillong 793001, Meghalaya

23. **Mizoram Rural Bank**

    Head Office: MINECO, Khatla Aizawl-796001, Mizoram

24. **Puduvai Bharathiar Grama Bank**

    No.415, Kamaraj Salai, Saram, Puducherry – 605 013.

25. **Punjab Gramin Bank**

    H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601, Punjab

26. **Rajasthan Marudhara Gramin Bank**

    Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan

27. **Tamil Nadu Grama Bank**

    Head Office, No. 6, Yercaud Road Hasthampatty, Salem 636 007

28. **Telangana Grameena Bank**

    2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia, St.No.9, Nallakunta Shankermutt Road, Hyderabad-500044

29. **Tripura Gramin Bank**

    Head Office: V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura-799005

30. **Prathama UP Gramin Bank**

    Head Office, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box NO. 446, Moradabad-244001, Uttar Pradesh

31. **Baroda UP Bank**

    Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur – 273018, Uttar Pradesh

32. **Aryavart Bank**

    H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh

33. **Uttarakhand Gramin Bank**

    H.O.18, New Road, Dehradun-248001, Uttarakhand

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajan Sehgal)	**(Dr. S.S.Acharya)**
Managing Director	**Director**
(DIN- 03633935)	**(DIN No.06727939)**

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

21. मणिपुर ग्रामीण बैंक

कैसमपत वाहेंबम लेइकाई रोड, सगोलबंद, इम्फाल, मणिपुर 795004

22. मेघालय ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालयः केजेपी सम्मेलन केंद्र, बारिक पॉइंट, लाखुमियर शिलांग 793001, मेघालय

23. मिजोरम ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालयः एम.आई.एन.ई.सी.ओ., खटला आइजोल -796001, मिजोरम

24. पुडुवाई भारथियार ग्राम बैंक

सं. 415, कामराज सलाई, सरम, पुडुचेरी – 605 013

25. पंजाब ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालयः जालंधर रोड, कपूरथला-144601, पंजाब।

26. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक

तुलसी टॉवर, 9वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर - 342003, राजस्थान

27. तमिलनाडु ग्राम बैंक

मुख्य कार्यालयः सं. 6, यरकौड रोड, हस्तमपट्टी, सेलम-636007

28. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

2-1-520, दूसरी मंजिल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, नल्लाकुंटा शंकरमठ रोड, हैदराबाद -500044

29. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालयः वी.आई.पी रोड अभोयनगर अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा -799005

30. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक,

मुख्य कार्यालय, राम गंगा विहार फेस -2, पोस्ट बॉक्स नंबर 446, मुरादाबाद -244001, उत्तर प्रदेश

31. बड़ौदा यूपी बैंक

बुद्ध विहार कॉमर्सियल स्किम, तारामंडल, गोरखपुर – 273018, उत्तर प्रदेश

32. आर्यावृत बैंक

मुख्य कार्यालयः ए -2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 उत्तर प्रदेश

33. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालयः 18, न्यू रोड, देहरादून-248001, उत्तराखंड

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/- **(राजन सहगल)** **प्रबन्ध निदेशक** **(डिन 03633935)**	**ह0/-** **(डा. एस. एस. आचार्य)** **निदेशक** **(डिन 06727939)**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2023

ANNEXURE - 2

National Backward Classes Finance & Development Corporation
(Standalone) - MoU 2022-23

S.No.	Name of Parameter	Unit	Weightage	Target 2022-23
1	Revenue from Operations	Rs. in Cr.	8	64.69
2	BTDA as a percentage of Revenue	%	10	62.43
3	Return on Net Worth	%	15	1.91
4	Asset Turnover Ratio	%	5	3.23
5	Loans Disbursed to Total Funds Available	%	10	100
6	Loans Disbursed to Micro Finance beneficiaries	%	10	65.15
7	Overdue loans to Total Loans	%	10	2.14
8	NPA to Total Loans	%	10	0.10
9	Geographical Coverage	%	5	100
10	Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries	%	10	100
11	Acceptance/ Rejection of Goods & Services through TReDS Portal	%	5	100
12	Procurement from GeM as % of total procurement	%	2	25
		Total	**100**	

Notes:

- The targets are based on estimates for the FY 2021-22.
- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking.
- Proportionate marks for achievement of 50% to 100% Targets.
- No marks for achievement below 50.00% of Targets.

अनुलग्नक - 2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
समझौता-ज्ञापन 2022-23 (एकल)

क्र.स.	मापदण्ड का नाम	इकाई	भार	लक्ष्य
1	संचालन से राजस्व	रू. करोड़ में	8	64.69
2	ई.बी.टी.डी.ए.-राजस्व के प्रतिशत के रूप में	%	10	62.43
3	निबल संपत्ति से वापसी	%	15	1.91
4	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23
5	कुल उपलब्ध निधि का ऋण वितरण	%	10	100
6	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण वितरण	%	10	65.15
7	कुल ऋण का बकाया ऋण	%	10	2.14
8	कुल ऋणों का एन.पी.ए.	%	10	0.10
9	भौगोलिक आच्छादन	%	5	100
10	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%	10	100
11	टी.आर.ई.डी.एस. (TReDS) पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं को स्वीकरण/ अस्वीकरण	%	5	100
12	कुल खरीद के % के रूप में जेम(GeM) के माध्यम से खरीद	%	2	25
		योग	**100**	

टिप्पणी:

- लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमानों पर आधारित हैं।
- प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विजन को भी मापदण्ड हेतु विचार किया जाता है।
- 50% से 100% लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्यों के 50% से नीचे प्राप्ति हेतु कोई अंक नहीं।

National Backward Classes Finance & Development Corporation

Compliance parameters for 2022-23

S.No.	Parameter	Marks	Source/ Verification
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-1	Administrative Ministry
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as: (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	Administrative Ministry on the basis of CAGI Statutory/ Secretarial Auditor Report(s)
3	Target as given by NITI Aayog on Assets Monetization Milestones	-1	Administrative Ministry on the basis confirmation from NITI Aayog
4	(i) Procurement of goods or services through MSEs as % of Total procurement of goods and sevices-25 %	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
5	(ii) Procurement of goods or services through SC/ ST MSEs as % of Total procurement of goods and services -4%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6	(ii) Procurement of goods or services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services-3%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
7	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	Administrative Ministry

Sd/-

CMD/MD, National Backward Classes Finance & Devp. Corp.

Date- 17.11.2022

Sd/-

Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment

Date-17.11.2022

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
2022-23 के लिए अनुपालन पैरामीटर

क्र.स.	मापदंड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2	कॉरपोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (LODAR) विनियमों) में प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियों (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मण्डल की बैठकों को आहूत करना (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	सी.ए.जी./सांविधिक/ सचिवालयी अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	नीति आयोग द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण माइलस्टोन पर दिए गए लक्ष्य।	-1	नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	(i) माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद -25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	(ii) एससी/एसटी एमएसएमई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में- 25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	(iii) माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसएमई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
7	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

ह0/-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक,
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
दिनांकः- 17.11.2022

ह0/-

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिनांकः-17.11.2022

ANNEXURE - 2.1

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)

Ministry of Social Justice and Empowerment

PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Target for the year (Excellent 100%)	Achievement as on 31/03/2023	Raw Score
1	Revenue from Operations (Net of Taxes)	Rs. Crore	8	64.69	53.13	6.57
2	EBITA as a percentage of Revenue	%	10	62.43	55.93	8.96
3	Return on Average Net Worth	%	15	1.91	1.46	11.45
4	Asset Turnover ratio	%	5	3.23	2.63	4.07
5	Loans disbursed / Total funds Available	%	10	100	99.53	9.95
6	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement	%	10	65.15	67.14	10.00
7	Overdue loans/Total loans (Principal Net)	%	10	2.14	2.58	8.29
8	NPA to Total Loans	%	10	0.10	0.52	0.00
9	Geographical coverage (No. of States /Uts) functionally covered	%	5	100	88.89	4.44
10	Last mile Disbursement to ultimate beneficiary	%	10	100	96.02	9.60
11	Acceptance/Rejection of Goods & services through TReDS Portal		5	100	100.00	5.00
12	Procurement from GeM as % of Total Procurement	%	2	25	81.65	2.00
	Total		**100**			**80.34**

अनुलग्नक - 2.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सा.न्या.और अधि. मंत्रालय)
कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण

क्र.स.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदंड	इकाई	अंक	वर्ष के लिए लक्ष्य (उत्कृष्ट 100%)	31/03/2023 को उपलब्धि	अपुष्ट स्कोर
1	संचालन से आय (शुद्ध कर)	Rs. Crore	8	64.69	53.13	6.57
2	ईबीआईटीए आय के प्रतिशत के रूप में	%	10	62.43	55.93	8.96
3	औसत शुद्ध मूल्य पर वापसी	%	15	1.91	1.46	11.45
4	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23	2.63	4.07
5	वितरित ऋण / कुल उपलब्ध धनराशि	%	10	100	99.53	9.95
6	कुल वितरण % के रूप में सूक्ष्म वित्त के तहत लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10	65.15	67.14	10.00
7	बकाया ऋण/कुल ऋण (मूलधन शुद्ध)	%	10	2.14	2.58	8.29
8	कुल ऋण का एनपीए	%	10	0.10	0.52	0.00
9	कार्यात्मक रूप से भौगोलिक आच्छादन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)	%	5	100	88.89	4.44
10	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%	10	100	96.02	9.60
11	टी.आर.ई.डी.एस. (TReDS) पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं को स्वीकरण/ अस्वीकरण		5	100	100.00	5.00
12	कुल खरीद के % के रूप में जेम(GeM) के माध्यम से खरीद	%	2	25	81.65	2.00
	योग		**100**			**80.34**

COMPLIANCE PARAMETERS FOR 2022-23

Sl. No.	Parameters	Sources/Verifiction	Marks	Raw Score
1	DOE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSE	Administrative Ministry	-1	0
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 for SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committ etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency.	Administrative Ministry on the basis of CAG /Statutory / Secretarial Auditor Report (s)	-3	0
3	Target as given by NITI Aayog - Assets Monetization	Administrative Ministry on the basis of confirmation from NITI Aayog.	-1	0
4	Procurement of Goods or services through MSEs as % of Total procurement Goods and services - 25%	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal	-1	0
5	Procurement of Goods or services through SC/ST MSEs as % of Total procurement Goods and services - 4%	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal	-1	0
6	Procurement of Goods or services through Women MSEs as % of Total procurement Goods and services -3%	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal	-1	0
7	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (target to be prescribed by the Administrative Ministry.	Confirmation by the Administrative Ministry	-1	0
Sub Total				**0.00**
Net Total of Raw Score				**80.34**

2022-23 के लिए अनुपालन मापदंड

Sl. No.	मापदंड	स्रोत/सत्यापन	अंक	अपुष्ट स्कोर
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।	प्रशासनिक मंत्रालय	-1	0
2	कॉरपोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (LODAR) विनियमों) में प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (II) बोर्ड समितियों (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मण्डल की बैठकें (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	सी .ए.जी./सांविधिक/ सचिवालयी अंकेक्षण रिपोर्ट/ रिपोर्टों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	-3	0
3	नीति आयोग द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण माइलस्टोन पर दिए गए लक्ष्य।	नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	-1	0
4	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद -25%	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	-1	0
5	एससी/एसटी एमएसएमई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में- 4%	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	-1	0
6	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसएमई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3%	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	-1	0
7	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)।	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि	-1	0
उप योग				**0.00**
अपुष्ट स्कोर का कुल योग				**80.34**

ANNEXURE - 3

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

STATEMENT SHOWING SCA/RRB/PSB WISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED DURING 2020-21 TO 2022-23

Financial : ` in Lakh
Physical: No. of Beneficiaries

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/ States/UT's	2020-21	2021-22	2022-23	Cumulative as on 31.03.2023	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		**STATES**					
1		Andhra Pradesh					
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	0	0	0	20116.74	360543
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	0	0	0	1263.73	5546
	1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	50	84	0	134	891
	1.4	Andhra Pradesh (Others)	0	0	0	20	210
		Sub Total (1.1 to 1.4)	**50**	**84**	**0**	**21534.47**	**367190**
2		**Assam**					
	2.1	Assam (Artfed)	150	0	0	2410	7667
	2.2	Assam (BC)	0	0	0	556.78	876
	2.3	Assam (Electronics)	0	0	0	457.64	668
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**150**	**0**	**0**	**3424.42**	**9211**
3		**Bihar**					
	3.1	Bihar (BC)	0	0	0	3910.54	8928
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0	0	0	1078.81	1723
		Sub Total (3.1 to 3.2)	0	0	0	4989.35	10651
4		**Chhattishgarh**					
	4.1	Chhattishgarh (Bahudeshiya)	0	50	0	1917.3	3276
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	410.82	967.58	1199.93	3820.66	2109
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**410.82**	**1017.58**	**1199.93**	**5737.96**	**5385**
5		Goa (SC/ST/BC)	50	40	135	2700.52	2811
6		**Gujarat**					
	6.1	Gujarat (BC)	0	0	399.2	8818.97	17951
	6.2	Guajrat (Gopalak)	200	0	0	4222.42	10451
	6.3	Guajrat (Thakor)	800	700	500	7085.01	20174
	6.4	Guajrat (Nomadic)	0	0	21.33	246.89	833
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	0	0	0	500	325
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	1887.49	1000.1	1173.47	8561.05	21483
	6.7	Gujarat (Others)	0	0	0	45	1200
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**2887.49**	**1700.1**	**2094**	**29479.34**	**72417**
7		**Haryana**					
	7.1	Haryana (BC)	400	750	500	12602.42	47878
	7.2	Sarva Haryana Gramin bank	0	0	0	1100	2862
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**400**	**750**	**500**	**13702.42**	**50740**
8		**Himachal Pradesh**					
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	302	448	500	8727.86	14543
	8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	0	0	0	1351	3046
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**302**	**448**	**500**	**10078.86**	**17589**
9		**Jammu & Kashmir**					
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	300	320	250	1691.88	3618
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	300	350	350	3220.6	10369
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**600**	**670**	**600**	**4912.48**	**13987**
10		**Jharkhand**					
	10.1	Jharkhand (Tribal)	0	0	0	945.3	1748
	10.2	Vananchal Gramin Bank	0	0	0	600	1839
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	0	0	0	600	910
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**0**	**0**	**0**	**2145.3**	**4497**

अनुलग्नक - 3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

वित्तीय: रु. लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	31.03.2023 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		**राज्य**					
1		आंध्र प्रदेश					
	1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)	0	0	0	20116.74	360543
	1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर)	0	0	0	1263.73	5546
	1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	50	84	0	134	891
	1.4	आंध्र प्रदेश (अन्य)	0	0	0	20	210
		उप योग (1.1 से 1.4)	**50**	**84**	**0**	**21534.47**	**367190**
2		**असम**					
	2.1	असम (आर्टफेड)	150	0	0	2410	7667
	2.2	असम (बी.सी.)	0	0	0	556.78	876
	2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0	0	0	457.64	668
		उप योग (2.1 से 2.3)	**150**	**0**	**0**	**3424.42**	**9211**
3		**बिहार**					
	3.1	बिहार (बी.सी.)	0	0	0	3910.54	8928
	3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	0	0	0	1078.81	1723
		उप योग (3.1 से 3.2)	0	0	0	4989.35	10651
4		**छत्तीसगढ़**					
	4.1	छत्तीसगढ़ (बहुउद्देशीय)	0	50	0	1917.3	3276
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	410.82	967.58	1199.93	3820.66	2109
		उप योग (4.1 से 4.2)	**410.82**	**1017.58**	**1199.93**	**5737.96**	**5385**
5		गोवा (एस.सी./एस.टी./बी.सी.)	50	40	135	2700.52	2811
6		**गुजरात**					
	6.1	गुजरात (बी.सी.)	0	0	399.2	8818.97	17951
	6.2	गुजरात (गोपालक)	200	0	0	4222.42	10451
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	800	700	500	7085.01	20174
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	0	0	21.33	246.89	833
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	0	0	0	500	325
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	1887.49	1000.1	1173.47	8561.05	21483
	6.7	गुजरात (अन्य)	0	0	0	45	1200
		उप योग (6.1 से 6.7)	**2887.49**	**1700.1**	**2094**	**29479.34**	**72417**
7		**हरियाणा**					
	7.1	हरियाणा (बी.सी.)	400	750	500	12602.42	47878
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0	0	0	1100	2862
		उप योग (7.1 से 7.2)	**400**	**750**	**500**	**13702.42**	**50740**
8		**हिमाचल प्रदेश**					
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	302	448	500	8727.86	14543
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0	0	0	1351	3046
		उप योग (8.1 से 8.2)	**302**	**448**	**500**	**10078.86**	**17589**
9		**जम्मू एवं कश्मीर**					
	9.1	जम्मू एवं कश्मीर (एस.सी.)	300	320	250	1691.88	3618
	9.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	300	350	350	3220.6	10369
		उप योग (9.1 से 9.2)	**600**	**670**	**600**	**4912.48**	**13987**
10		**झारखंड**					
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	0	0	0	945.3	1748
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	0	0	0	600	1839
	10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	0	0	0	600	910

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/ States/UT's	2020-21	2021-22	2022-23	Cumulative as on 31.03.2023	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
11		**Karnataka**					
	11.1	D. Devraj Urs (BC)	0	0	0	41399.19	243090
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	0	0	0	1500	3394
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**0**	**0**	**0**	**42899.19**	**246484**
12		**Kerala**					
	12.1	Kerala (Artisan)	150	150	120	1250.29	3876
	12.2	Kerala (BC)	9800	11700	10000	141382.27	585378
	12.3	Kerala (Christian Converts)	0	0	0	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	2600	3250	3800	46159.83	329135
	12.5	Kerala (Handicraft)	150	150	150	1391.5	4898
	12.6	Kerala (Polmarah)	0	0	0	140	521
	12.7	Kerala (Women)	3500	4300	3000	27538.24	77137
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**16200**	**19550**	**17070**	**218968.66**	**1004358**
13		**Madhya Pradesh**					
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	0	0	0	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	0	0	0	3528.07	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0	0	0	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0	0	0	100	120
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	3499.49	2597.77	0	13848.17	12683
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**3499.49**	**2597.77**	**0**	**19232.6**	**31920**
14		**Maharashtra**					
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0	0	0	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	0	0	0	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	0	0	0	50	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	0	0	0	14814.16	46760
	14.5	Maharashtra Gramin Bank	0	109.18	343.26	452.44	336
	14.6	Maharashtra (Others)	0	0	0	25	330
		Sub Total (14.1 to 14.6)	**0**	**109.18**	**343.26**	**24592.42**	**74682**
15		**Manipur**					
	15.1	Manipur (Tribal)	0	0	0	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	0	0	0	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**0**	**0**	**0**	**483.04**	**1061**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	0	0	0	6300	58882
17		**Orissa**					
	17.1	Orissa (BC)	0	0	0	1401.21	6039
	17.2	Orissa (Others)	0	0	0	34.4	708
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**0**	**0**	**0**	**1435.61**	**6747**
18		**Punjab**					
	18.1	Punjab (BC)	850	500	400	8445.88	24554
	18.2	Punjab Gramin Bank	1000	2014	1800	10294.87	19722
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**1850**	**2514**	**2200**	**18740.75**	**44276**
19		**Rajasthan**					
	19.1	Rajasthan (SC)	0	0	0	676.35	1213
	19.2	Rajasthan (OBC)	700	100	500	9366.88	26935
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**700**	**100**	**500**	**10043.23**	**28148**
20		Sikkim (SC/ST)	0	0	50	3012.86	5562
21		**Tamilnadu**					
	21.1	Tamilnadu (BC)	10700	8000	9399.64	110111.58	879480
	21.2	Tamilnadu (Women)	0	0	0	50	500
	21.3	Tamilnadu Grama Bank	0	0	685.53	685.53	314
	21.4	Tamilnadu (Others)	0	0	0	6	60
		Sub Total (21.1 to 21.4)	**10700**	**8000**	**10085.17**	**110853.11**	**880354**

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	31.03.2023 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
		उप योग (10.1 से 10.3)	**0**	**0**	**0**	**2145.3**	**4497**
11		**कर्नाटक**					
	11.1	डी. देवराज उर्स (बी.सी.)	0	0	0	41399.19	243090
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	0	0	0	1500	3394
		उप योग (11.1 से 11.2)	**0**	**0**	**0**	**42899.19**	**246484**
12		**केरल**					
	12.1	केरल (आर्टीसन)	150	150	120	1250.29	3876
	12.2	केरल (बी.सी.)	9800	11700	10000	141382.27	585378
	12.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस्)	0	0	0	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	2600	3250	3800	46159.83	329135
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	150	150	150	1391.5	4898
	12.6	केरल (पलमीरा)	0	0	0	140	521
	12.7	केरल (वीमेन)	3500	4300	3000	27538.24	77137
		उप योग (12.1 से 12.7)	**16200**	**19550**	**17070**	**218968.66**	**1004358**
13		**मध्य प्रदेश**					
	13.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	0	0	0	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	0	0	0	3528.07	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्टशिल्प)	0	0	0	546.25	2706
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0	0	0	100	120
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	3499.49	2597.77	0	13848.17	12683
		उप योग (13.1 से 13.5)	**3499.49**	**2597.77**	**0**	**19232.6**	**31920**
14		**महाराष्ट्र**					
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0	0	0	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	0	0	0	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0	0	0	50	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	0	0	0	14814.16	46760
	14.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	0	109.18	343.26	452.44	336
	14.6	महाराष्ट्र (अन्य)	0	0	0	25	330
		उप योग (14.1 से 14.6)	**0**	**109.18**	**343.26**	**24592.42**	**74682**
15		**मणिपुर**					
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0	0	0	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	0	0	0	75.67	500
		उप योग (15.1 से 15.2)	**0**	**0**	**0**	**483.04**	**1061**
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	0	0	0	6300	58882
17		**उड़ीसा**					
	17.1	उड़ीसा (बी.सी.)	0	0	0	1401.21	6039
	17.2	उड़ीसा (अन्य)	0	0	0	34.4	708
		उप योग (17.1 to 17.2)	**0**	**0**	**0**	**1435.61**	**6747**
18		**पंजाब**					
	18.1	पंजाब (बी सी)	850	500	400	8445.88	24554
	18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1000	2014	1800	10294.87	19722
		उप योग (18.1 से 18.2)	**1850**	**2514**	**2200**	**18740.75**	**44276**
19		**राजस्थान**					
	19.1	राजस्थान (एस.सी.)	0	0	0	676.35	1213
	19.2	राजस्थान (ओ.बी.सी.)	700	100	500	9366.88	26935
		उप योग (19.1 से 19.2)	**700**	**100**	**500**	**10043.23**	**28148**
20		सिक्किम (एस.सी./एस.टी.)	0	0	50	3012.86	5562
21		**तमिलनाडु**					
	21.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	10700	8000	9399.64	110111.58	879480
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0	0	0	50	500
	21.3	तमिलनाडु ग्रामीण बैंक	0	0	685.53	685.53	314
	21.4	तमिलनाडु (अन्य)	0	0	0	6	60
		उप योग (21.1 से 21.4)	**10700**	**8000**	**10085.17**	**110853.11**	**880354**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/ States/UT's	2020-21	2021-22	2022-23	Cumulative as on 31.03.2023	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
22		**Telangana**					
	22.1	Telangana Grameena Bank	0	0	0	44.35	32
	22.2	Stree Nidhi Credit Coop. Federation Ltd.	2400	0	0	2400	6000
		Sub Total (22.1 to 22.2)	**2400**	**0**	**0**	**2444.35**	**6032**
23		**Tripura**					
	23.1	Tripura (OBC)	300	100	300	17234.7	49742
	23.2	Tripura Gramin Bank	712.92	885.01	155.87	1753.8	3028
		Sub Total (23.1 to 23.2)	**1012.92**	**985.01**	**455.87**	**18988.5**	**52770**
24		**Uttar Pradesh**					
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	0	0	0	7477.8	27849
	24.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	400	600	2300	9375	23885
	24.3	Sarva U.P. Gramin Bank	0	0	0	530	1025
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	0	0	0	500	1643
	24.5	Aryavart Gramin Bank	2500	1500	3000	15500	18097
	24.6	Kashi Goumti Gramin Bank	0	0	0	1035	1225
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0	0	0	5	50
		Sub Total (24.1 to 24.7)	**2900**	**2100**	**5300**	**34422.8**	**73774**
25		**Uttarakhand**					
	25.1	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	0	0	0	555.81	989
	25.2	Uttrakhand Gramin Bank	0	26.33	21.26	47.59	8
		Sub Total (25.1 to 25.2)	**0**	**26.33**	**21.26**	**603.4**	**997**
26		**West Bengal**					
	26.1	West Bengal (BC)	0	0	100	9779.02	40537
	26.2	West Bengal (Minorities)	0	0	0	1100	7564
	26.3	West Bengal (Others)	0	0	0	15	300
		Sub Total (26.1 to 26.3)	**0**	**0**	**100**	**10894.02**	**48401**
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**44112.72**	**40691.97**	**41154.49**	**622619.66**	**3118926**
II.		PSBs					
27		Canara Bank	0	0	1099.87	1099.87	1409
28		Dena Bank	0	0	0	100	70
29		Bank of Baroda	1358.18	1226.11	2852.49	19200.98	22551
30		Punjab National Bank	1065.57	2699.99	2785	8127.56	6686
31		Union Bank of India	0	2499.37	1387.75	3887.12	6034
		Sub Total - PSBs (27 - 31)	**2423.75**	**6425.47**	**8125.11**	**32415.53**	**36750**
III.		**UT's**					
32		Chandigarh (SC/BC)	0	0	5	135.37	343
33		Delhi (SC/ST/OBC)	134	20	0	575.38	913
34		**Puducherry**					
	34.1	Puducherry (Adidravidar)	0	0	0	154.76	125
	34.2	Puducherry (BC)	0	0	0	4367.37	17134
	34.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	0	0	1900	1900	2449
		Sub Total (34)	**0**	**0**	**1900**	**6422.13**	**19708**
		TOTAL - UTs (32 - 34)	**134**	**20**	**1905**	**7132.88**	**20964**
III.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**46670.47**	**47137.44**	**51184.6**	**662168.07**	**3176640**

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	31.03.2023 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
22		**तेलंगाना**					
	22.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	0	0	0	44.35	32
	22.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	2400	0	0	2400	6000
		उप योग (22.1 से 22.2)	**2400**	**0**	**0**	**2444.35**	**6032**
23		**त्रिपुरा**					
	23.1	त्रिपुरा (ओ.बी.सी.)	300	100	300	17234.7	49742
	23.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	712.92	885.01	155.87	1753.8	3028
		उप योग (23.1 से 23.2)	**1012.92**	**985.01**	**455.87**	**18988.5**	**52770**
24		**उत्तर प्रदेश**					
	24.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0	0	0	7477.8	27849
	24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	400	600	2300	9375	23885
	24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0	0	0	530	1025
	24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0	0	0	500	1643
	24.5	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	2500	1500	3000	15500	18097
	24.6	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	0	0	0	1035	1225
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0	0	0	5	50
		उप योग (24.1 से 24.7)	**2900**	**2100**	**5300**	**34422.8**	**73774**
25		**उत्तराखंड**					
	25.1	उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	0	0	0	555.81	989
	25.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	0	26.33	21.26	47.59	8
		उप योग (25.1 से 25.2)	**0**	**26.33**	**21.26**	**603.4**	**997**
26		**पश्चिम बंगाल**					
	26.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	0	0	100	9779.02	40537
	26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0	0	0	1100	7564
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0	0	0	15	300
		उप योग (26.1 से 26.3)	**0**	**0**	**100**	**10894.02**	**48401**
		कुल - राज्य (1 - 26)	**44112.72**	**40691.97**	**41154.49**	**622619.66**	**3118926**
II.		सार्वजनिक क्षेत्र बैंक					
27		केनरा बैंक	0	0	1099.87	1099.87	1409
28		देना बैंक	0	0	0	100	70
29		बैंक ऑफ बड़ौदा	1358.18	1226.11	2852.49	19200.98	22551
30		पंजाब नेशनल बैंक	1065.57	2699.99	2785	8127.56	6686
31		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0	2499.37	1387.75	3887.12	6034
		उप योग - पीएसबी (27 - 31)	**2423.75**	**6425.47**	**8125.11**	**32415.53**	**36750**
III.		**संघ राज्य क्षेत्र**					
32		चंडीगढ़ (एस.सी./बी.सी.)	0	0	5	135.37	343
33		दिल्ली (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)	134	20	0	575.38	913
34		**पुडुचेरी**					
	34.1	पुडुचेरी (आदिद्रविदार)	0	0	0	154.76	125
	34.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	0	0	0	4367.37	17134
	34.3	पुडुवल भारतियर ग्राम बैंक	0	0	1900	1900	2449
		उप योग (34.1 से 34.3)	**0**	**0**	**1900**	**6422.13**	**19708**
		कुल - संघ राज्य क्षेत्र (32 - 34)	**134**	**20**	**1905**	**7132.88**	**20964**
III.		**कुल योग (I+II+III)**	**46670.47**	**47137.44**	**51184.6**	**662168.07**	**3176640**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.1

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
DISBURSEMENT DURING THE YEAR MARCH' 2023

Financial : ` in Lakh
Physical: No. of Beneficiaries

Sl. No.	States/Uts	General Loan		Micro Finance		Mahila Samridhi		Total	
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted
1	Andaman & Nicobar	2.25	1	0.00	0	0.00	0	2.25	1
2	Andhra Pradesh	321.55	206	1558.15	3508	0.00	0	1879.72	3714
3	Assam	102.18	72	11.46	16	0.00	0	113.64	88
4	Bihar	342.36	334	21.26	32	0.00	0	363.63	366
5	Chandigarh Ut	0.42	3	2.50	10	2.50	10	5.42	23
6	Chhattisgarh	1258.38	634	114.43	213	0.00	0	1372.82	847
7	Dadar Nagr Hveli	0.10	1	0.00	0	0.00	0	0.10	1
8	Delhi	5.91	37	1.03	2	0.00	0	6.94	39
9	Goa	99.00	97	20.00	40	16.00	7	135.00	144
10	Gujrat	1004.96	1448	1507.22	2923	5.33	20	2517.50	4391
11	Haryana	14.39	16	376.74	1550	150.00	650	541.13	2216
12	Himachal Pradesh	136.47	296	250.00	790	150.00	480	536.47	1566
13	Jammu & Kashmir	180.00	230	210.00	740	210.00	740	600.00	1710
14	Jharkhand	54.27	50	1.43	2	0.00	0	55.70	52
15	Karnataka	371.60	209	348.13	588	0.00	0	719.73	797
16	Kerala	2319.59	6576	9361.80	40712	5475.00	23010	17156.39	70298
17	Madhya Pradesh	511.29	745	54.05	140	0.00	0	565.34	885
18	Maharashtra	438.28	314	43.87	71	0.00	0	482.15	385
19	Manipur	9.51	5	0.51	1	0.00	0	10.02	6
20	Meghalya	5.18	2	0.00	0	0.00	0	5.18	2

अनुलग्नक - 3.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2023 के दौरान वितरण

वित्तीय.: रु. लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य ऋण		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि		कुल	
		वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	2.25	1	0.00	0	0.00	0	2.25	1
2	आंध्र प्रदेश	321.55	206	1558.15	3508	0.00	0	1879.72	3714
3	असम	102.18	72	11.46	16	0.00	0	113.64	88
4	बिहार	342.36	334	21.26	32	0.00	0	363.63	366
5	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0.42	3	2.50	10	2.50	10	5.42	23
6	छत्तीसगढ	1258.38	634	114.43	213	0.00	0	1372.82	847
7	दादर नगर हवेली	0.10	1	0.00	0	0.00	0	0.10	1
8	दिल्ली	5.91	37	1.03	2	0.00	0	6.94	39
9	गोवा	99.00	97	20.00	40	16.00	7	135.90	144
10	गुजरात	1004.96	1448	1507.22	2923	5.33	20	2517.51	4391
11	हरियाणा	14.39	16	376.74	1550	150.00	650	541.13	2216
12	हिमाचल प्रदेश	136.47	296	250.00	790	150.00	480	536.47	1566
13	जम्मू एवं कश्मीर	180.00	230	210.00	740	210.00	740	600.00	1710
14	झारखंड	54.27	50	1.43	2	0.00	0	55.70	52
15	कर्नाटक	371.60	209	348.13	588	0.00	0	719.73	797
16	केरल	2319.59	6576	9361.80	40712	5475.00	23010	17156.39	70298
17	मध्य प्रदेश	511.29	745	54.05	140	0.00	0	565.34	885
18	महाराष्ट्र	438.28	314	43.87	71	0.00	0	482.15	385
19	मणिपुर	9.51	5	0.51	1	0.00	0	10.02	6
20	मेघालय	5.18	2	0.00	0	0.00	0	5.18	2

Sl. No.	States/Uts	General Loan		Micro Finance		Mahila Samridhi		Total	
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted
21	Nagaland	6.19	4	0.00	0	0.00	0	6.19	4
22	Odisha	132.13	130	5.53	8	0.00	0	137.66	138
23	Pondicherry	642.14	308	1257.86	2141	0.00	0	1900.00	2449
24	Punjab	1044.72	1348	1099.77	2463	75.00	190	2219.49	4001
25	Rajasthan	903.88	460	480.66	1828	200.00	1000	1584.54	3288
26	Sikkim	14.31	8	58.96	111	0.00	0	73.27	119
27	Tamilndu	2970.07	3264	287.22	516	7199.64	25500	10456.93	29280
28	Telangana	39.30	50	40.52	67	0.00	0	79.82	117
29	Tripura	138.72	96	365.81	3199	0.00	0	504.53	3295
30	Uttar Pradesh	3499.92	2443	2755.08	5546	550.00	1470	6805.00	9459
31	Uttarakhand	163.57	62	6.89	14	0.00	0	170.46	76
32	West Bengal	69.86	73	107.73	513	0.00	0	177.59	586
	Grand Total	**16818.52**	**19529**	**20348.61**	**67744**	**14017.47**	**53070**	**51184.60**	**140343**
36	Overall No. of States/Uts								
	Coverage of States/Uts								**88.89**

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य ऋण		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि		कुल	
		वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
21	नगालैंड	6.19	4	0.00	0	0.00	0	6.19	4
22	ओडिशा	132.13	130	5.53	8	0.00	0	137.66	138
23	पुडुचेरी	642.14	308	1257.86	2141	0.00	0	19.00.00	2449
24	पंजाब	1044.72	1348	1099.77	2463	75.00	190	2219.49	4001
25	राजस्थान	903.88	460	480.66	1828	200.00	1000	1584.54	3288
26	सिक्किम	14.31	8	58.96	111	0.00	0	73.27	119
27	तमिलनाडु	2970.07	3264	287.22	516	7199.64	25500	10456.93	29280
28	तेलंगाना	39.30	50	40.52	67	0.00	0	79.82	117
29	त्रिपुरा	138.72	96	365.81	3199	0.00	0	504.53	3295
30	उत्तर प्रदेश	3499.92	2443	2755.08	5546	550.00	1470	6805.00	9459
31	उत्तराखंड	163.57	62	6.89	14	0.00	0	170.46	76
32	पश्चिम बंगाल	69.86	73	107.73	513	0.00	0	177.59	586
	कुल योग	**16818.52**	**19529**	**20348.61**	**67744**	**14017.47**	**53070**	**51184.60**	**140343**
36	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल संख्या								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कवरेज								**88.89**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.2

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2022-23

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2022-23	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
2.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. There is an outstanding of Rs. 33.45 crore.
3	Chhattisgarh	01	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	SCA has not submitted demand. Guarantee is not available. There is an overdue of Rs. 3.28 Crore with the SCA.
4.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	1. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.	SCA has not submitted demand.
5.	Jharkhand	01	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. There is Utilization Certificate Pending of Rs. 1.20 crore with the SCA.
6.	Karnataka	02	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	As per the directions of SCA's Board Directors, SCA is not drawing funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.

अनुलग्नक - 3.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

उन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की स्थिति जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की संख्या	नामित रा.चै.ए.का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	01	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
2.	बिहार	01	1. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। रू. 33.45 करोड़ का बकाया है.
3	छत्तीसगढ	01	1. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	1. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	एससीए ने मांग प्रस्तुत नहीं की है। गारंटी उपलब्ध नहीं है. रा.चै.ए. के पास रू. 3.28 करोड़ का बकाया है।
4.	गुजरात	04	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड, 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात नोमेडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी ने मांग नहीं भेजी ।
5.	झारखंड	01	1. झारखंड स्टेट ट्राईबल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	1. झारखंड स्टेट ट्राईबल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के पास रू. 1.20 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है।
6.	कर्नाटक	02	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम,	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की गई।
			2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,	2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।

7.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
8.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
9.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	1. The Odisha Backward Classes Finance & DevelopmentCo-operative Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
10.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd., 2. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
11.	Uttarakhand	01	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	SCA has not submitted demand.
12.	West Bengal	02	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation.	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
13.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	Govt. Guarantee is not available & SCA has not submitted demand.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

7.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथ करघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं कर रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
8.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड, 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लिमिटेड,	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड, 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लिमिटेड,	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं कर रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं कर रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
9.	ओडिशा	01	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
10.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, 2. यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड,	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
11.	उत्तराखंड	01	1. उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	1. उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी ने मांग नहीं भेजी।
12.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी और ओबीसी विकास एवं वित्त निगम। 2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
13.	पुडुचेरी	01	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी ने मांग नहीं भेजी।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/- **(राजन सहगल)** **प्रबन्ध निदेशक** **(डिन 03633935)**	**ह0/-** **(डा0 एस. एस. आचार्य)** **निदेशक** **(डिन 06727939)**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.3

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

STATE/UT AND SCHEME WISE DISBURSEMENT DATA FY 2022-23

` in Lakh

Sl. No.	State/UT	Term Loan Schemes						New Swarnima		Education Loan Scheme				Micro Finance Schemes						Total	
		Agriculture and Allied Activities		Small Businesses and Traditional Activities		Service Sector & Transport Sector		New Swarnima Scheme		Education Loan (Abroad)		Education Loan (In India)		Mahila Samriddhi Yojana		Micro Finance		Small Loan			
		Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count
1	Andaman and Nicober Islands			2.25	1	-	0													2.25	1
2	Andhra Pradesh	84.05	70	236.71	135	0.80	1											1,558.15	3508	1,879.72	3714
3	Assam	17.89	10	61.38	49	22.92	13											11.45	16	113.64	88
4	Bihar	163.18	173	149.16	138	30.03	23											21.27	32	363.63	366
5	Chandigarh			0.42	3	-	0							2.50	10	2.50	10			5.42	23
6	Chhattisgarh	81.59	35	152.26	95	1,024.52	504											114.44	213	1,372.82	847
7	Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu			0.10	1	-	0													0.10	1
8	Delhi			5.91	37	-	0											1.03	2	6.94	39
9	Goa			35.00	55	44.00	17	20.00	25			16.00	7					20.00	40	135.00	144
10	Gujarat	416.36	799	398.60	424	20.00	10	100.00	180			70.00	35	5.33	20	79.20	195	1,428.02	2728	2,517.50	4391
11	Haryana	14.39	16			-	0							150.00	650	200.00	850	176.74	700	541.13	2216
12	Himachal Pradesh	30.07	41			6.40	5	100.00	250					150.00	480	150.00	500	100.00	290	536.47	1566
13	Jammu and Kashmir	45.00	60	40.00	50	5.00	10	80.00	100			10.00	10	210.00	740	60.00	120	150.00	620	600.00	1710
14	Jharkhand	6.04	6	36.89	37	11.33	7											1.43	2	55.70	52
15	Karnataka	79.46	58	279.90	144	12.24	7											348.13	588	719.73	797
16	Kerala	603.56	1622	251.03	379	245.00	545	1,020.00	3940	100.00	15	100.00	75	5,450.00	22890	6,050.00	25690	3,336.80	15142	17,156.39	70298
17	Madhya Pradesh	141.46	89	324.35	639	45.48	17											54.06	140	565.35	885
18	Maharashtra	110.98	77	324.90	235	2.40	2											43.87	71	482.16	385

अनुलग्नक - 3.3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं योजनावार संवितरण के आंकड़े

रू./ लाख में

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सावधि ऋण योजना						नई स्वर्णिमा		शिक्षा ऋण योजना				सूक्ष्म वित्त योजना						कुल	
		कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		लघु व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय		सेवा एवं परिवहन क्षेत्र		नई स्वर्णिमा योजना		शिक्षा ऋण (विदेश में)		शिक्षा ऋण (भारत में)		महिला समृद्धि योजना		सूक्ष्म वित्त		लघु ऋण			
		वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			2.25	1	-	0													2.25	1
2	आंध्र प्रदेश	84.05	70	236.71	135	0.80	1											1,558.15	3508	1,879.72	3714
3	असम	17.89	10	61.38	49	22.92	13											11.45	16	113.64	88
4	बिहार	163.18	173	149.16	138	30.03	23											21.27	32	363.63	366
5	चंडीगढ़			0.42	3	-	0							2.50	10	2.50	10			5.42	23
6	छत्तीसगढ	81.59	35	152.26	95	1,024.52	504											114.44	213	1,372.82	847
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव			0.10	1	-	0													0.10	1
8	दिल्ली			5.91	37	-	0											1.03	2	6.94	39
9	गोवा			35.00	55	44.00	17	20.00	25			16.00	7					20.00	40	135.00	144
10	गुजरात	416.36	799	398.60	424	20.00	10	100.00	180			70.00	35	5.33	20	79.20	195	1,428.02	2728	2,517.50	4391
11	हरियाणा	14.39	16			-	0							150.00	650	200.00	850	176.74	700	541.13	2216
12	हिमाचल प्रदेश	30.07	41			6.40	5	100.00	250					150.00	480	150.00	500	100.00	290	536.47	1566
13	जम्मू एवं कश्मीर	45.00	60	40.00	50	5.00	10	80.00	100			10.00	10	210.00	740	60.00	120	150.00	620	600.00	1710
14	झारखंड	6.04	6	36.89	37	11.33	7											1.43	2	55.70	52
15	कर्नाटक	79.46	58	279.90	144	12.24	7											348.13	588	719.73	797
16	केरल	603.56	1622	251.03	379	245.00	545	1,020.00	3940	100.00	15	100.00	75	5,450.00	22,890	6,050.00	25,690	3,336.80	15,142	17,156.39	70,298
17	मध्य प्रदेश	141.46	89	324.35	639	45.48	17											54.06	140	565.35	885
18	महाराष्ट्र	110.98	77	324.90	235	2.40	2											43.87	71	482.16	385
19	मणिपुर	4.54	1	4.97	4	-	0											0.51	1	10.02	6

Sl. No.	State/UT	Term Loan Schemes						New Swarnima		Education Loan Scheme				Micro Finance Schemes						Total	
		Agriculture and Allied Activities		Small Businesses and Traditional Activities		Service Sector & Transport Sector		New Swarnima Scheme		Education Loan (Abroad)		Education Loan (In India)		Mahila Samriddhi Yojana		Micro Finance		Small Loan			
		Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count
19	Manipur	4.54	1	4.97	4	-	0											0.51	1	10.02	6
20	Meghalya	1.44	1			3.74	1													5.18	2
21	Nagaland			6.19	4	-	0													6.19	4
22	Odisha	60.50	59	52.38	58	19.25	13											5.53	8	137.66	138
23	Puducherry	642.14	308			-	0											1,257.86	2141	1,900.00	2449
24	Punjab	298.00	260	199.72	208	143.00	202	404.00	678					75.00	190	275.00	890	824.76	1573	2,219.48	4001
25	Rajasthan	440.17	183	463.71	277	-	0							200.00	1000	200.00	1000	280.67	828	1,584.55	3288
26	Sikkim	3.36	2	10.94	6	-	0											58.96	111	73.27	119
27	Tamil Nadu	860.08	558	2,109.99	2706	-	0							7,199.64	25500			287.22	516	10,456.93	29280
28	Telangana	10.21	7	29.10	43	-	0											40.51	67	79.82	117
29	Tripura	7.78	14	90.25	54	40.70	28											365.81	3199	504.53	3295
30	Uttar Pradesh	524.91	513	2,434.04	1217	390.96	313	150.00	400					550.00	1470	650.00	1450	2,105.07	4096	6,804.98	9459
31	Uttarakhand	126.62	48	15.68	11	21.26	3											6.90	14	170.47	76
32	West Bengal			69.86	73	-	0											107.73	513	177.59	586
	Grand Total	**4,773.80**	**5010**	**7,785.69**	**7083**	**2,089.02**	**1721**	**1,874.00**	**5573**	**100.00**	**15**	**196.00**	**127**	**13,992.47**	**52950**	**7,666.70**	**30705**	**12,706.92**	**37159**	**51,184.60**	**140343**

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सावधि ऋण योजना						नई स्वर्णिमा		शिक्षा ऋण योजना				सूक्ष्म वित्त योजना						कुल	
		कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		लघु व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय		सेवा एवं परिवहन क्षेत्र		नई स्वर्णिमा योजना		शिक्षा ऋण (विदेश में)		शिक्षा ऋण (भारत में)		महिला समृद्धि योजना		सूक्ष्म वित्त		लघु ऋण			
		वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े
20	मेघालय	1.44	1			3.74	1													5.18	2
21	नगालैंड			6.19	4	-	0													6.19	4
22	ओडिशा	60.50	59	52.38	58	19.25	13											5.53	8	137.66	138
23	पुड्चेरी	642.14	308			-	0											1,257.86	2141	1,900.00	2449
24	पंजाब	298.00	260	199.72	208	143.00	202	404.00	678					75.00	190	275.00	890	824.76	1573	2,219.48	4001
25	राजस्थान	440.17	183	463.71	277	-	0							200.00	1000	200.00	1000	280.67	828	1,584.55	3288
26	सिक्किम	3.36	2	10.94	6	-	0											58.96	111	73.27	119
27	तमिलनाडु	860.08	558	2,109.99	2706	-	0							7,199.64	25500			287.22	516	10,456.93	29280
28	तेलंगाना	10.21	7	29.10	43	-	0											40.51	67	79.82	117
29	त्रिपुरा	7.78	14	90.25	54	40.70	28											365.81	3199	504.53	3295
30	उत्तर प्रदेश	524.91	513	2,434.04	1217	390.96	313	150.00	400					550.00	1470	650.00	1450	2,105.07	4096	6,804.98	9459
31	उत्तराखंड	126.62	48	15.68	11	21.26	3											6.90	14	170.47	76
32	पश्चिम बंगाल			69.86	73	-	0											107.73	513	177.59	586
	कुल योग	**4,773.80**	**5010**	**7,785.69**	**7083**	**2,089.02**	**1721**	**1,874.00**	**5573**	**100.00**	**15**	**196.00**	**127**	**13,992.47**	**52950**	**7,666.70**	**30705**	**12,706.92**	**37159**	**51,184.60**	**140343**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.4

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

Scheme for Women Data Fy 2022-23

Amt in Lakh

Sl. No.	State/UT	New Swarnima		Mahila Samriddhi Yojana	
		Amount Disbursement	Beneficiary Count	Amount Disbursement	Beneficiary Count
1	Chandigarh	-	-	2.50	10
2	Goa	20.00	25	-	-
3	Gujarat	100.00	180	5.33	20
4	Haryana			150.00	650
5	Himachal Pradesh	100.00	250	150.00	480
6	Jammu and Kashmir	80.00	100	210.00	740
7	Kerala	1,020.00	3940	5,450.00	22890
8	Punjab	404.00	678	75.00	190
9	Rajasthan	-	-	200.00	1000
10	Tamil Nadu	-	-	7,199.64	25500
11	Uttar Pradesh	150.00	400	550.00	1470
	Grand Total	**1,874.00**	**5573**	**13,992.47**	**52950**

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

अनुलग्नक - 3.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में महिला योजना के आंकड़े

(रू./लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि योजना	
		वितरित राशि	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि	लाभार्थी संख्या
1	चंडीगढ़	-	-	2.50	10
2	गोवा	20.00	25	-	-
3	गुजरात	100.00	180	5.33	20
4	हरियाणा			150.00	650
5	हिमाचल प्रदेश	100.00	250	150.00	480
6	जम्मू एवं कश्मीर	80.00	100	210.00	740
7	केरल	1,020.00	3940	5,450.00	22890
8	पंजाब	404.00	678	75.00	190
9	राजस्थान	-	-	200.00	1000
10	तमिलनाडु	-	-	7,199.64	25500
11	उत्तर प्रदेश	150.00	400	550.00	1470
	कुल योग	**1,874.00**	**5573**	**13,992.47**	**52950**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.5

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

Detail of Amount Disbursed, Beneficiaries Assisted from 01/04/2022 to 31/03/2023 & utilized theron as on date (31/03/2023)

Financial : ` in Lakh
Physical: No. of Beneficiaries

Sl No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount of utilisation Recd.
1.1	Andhra Pradesh (BC)-I NEW	0.00	0	0.00
1.2	Andhra Pradesh (BC)-II OLD	0.00	0	0.00
1.3	Andhra Pradesh Grameena vikas Bank	0.00	0	0.00
1.4	Andhra Pradesh Geeta Parsrimika	0.00	0	0.00
1	**Andhra Pradesh**	**0.00**	**0**	**0.00**
2.1	Assam (BC)	0.00	0	0.00
2.2	Assam (Electronics)	0.00	0	0.00
2.3	Assam (Artfed)	0.00	0	0.00
2	**Assam**	**0.00**	**0**	**0.00**
3.1	Bihar (BC)	0.00	0	0.00
3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0.00	0	0.00
3	**Bihar**	**0.00**	**0**	**0.00**
4	**Chandigarh SC/ST/BC**	**5.00**	**20**	**0.00**
5.1	Chattisgarh Bahudeshiya	0.00	0	0.00
5.2	Chattisgarh Gramin Bank	1199.93	622	1199.93
5	**Chhattisgarh**	**1199.93**	**622**	**1199.93**
6	Delhi SC/ST/BC	0.00	0	0.00
7	Goa SC/ST/BC	135.00	144	90.00
8.1	Gujrat (BC)	399.20	670	399.20
8.2	Gujrat (Gopalak)	0.00	0	0.00
8.3	Gujrat (D&NT)	21.33	80	0.00
8.4	Gujrat Takor Koli	500.00	1200	500.00
8.5	Dena/ BOB Gujrat Gramin Bank	0.00	0	0.00
8.6	Saurashtra Gramin Bank	1173.47	2103	1173.47
8	**Gujrat**	**2093.99**	**4053**	**2072.67**
9.1	Haryana(BC)	500.00	2150	216.65
9.2	Sarv Haryana Gramin Bank	0.00	0	0.00
9	**Haryana**	**500.00**	**2150**	**216.65**
10.1	Himachal Pradesh (BC)	500.00	1520	337.26
10.2	Himacahl Gramin Bank	0.00	0	0.00
10	**Himachal Pradesh**	**500.00**	**1520**	**337.26**
11.1	Jammu & Kashmir SC/ST/BC	250.00	510	0.00
11.2	Jammu & Kashmir (WOMEN)	350.00	1200	318.83
11	**Jammu & Kashmir**	**600.00**	**1710**	**318.83**

अनुलग्नक - 3.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

1/04/2022 से 31/03/2023 तक वितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थी का विवरण एवं उसका 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उपभोग

वित्तीय: रु. लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र.स.	चैनल सहभागी का नाम	वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अभिलेखित उपभोग राशि
1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-I नया	0.00	0	0.00
1.2	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-II पुराना	0.00	0	0.00
1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	0.00	0	0.00
1.4	आंध्र प्रदेश गीता पारश्रमिक	0.00	0	0.00
1	**आंध्र प्रदेश**	**0.00**	**0**	**0.00**
2.1	असम (बी.सी.)	0.00	0	0.00
2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0	0.00
2.3	असम (आर्टफेड)	0.00	0	0.00
2	**असम**	**0.00**	**0**	**0.00**
3.1	बिहार (बी.सी.)	0.00	0	0.00
3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
3	**बिहार**	**0.00**	**0**	**0.00**
4	**चंडीगढ़ एस.सी./एस.टी./बी.सी.**	**5.00**	**20**	**0.00**
5.1	छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय	0.00	0	0.00
5.2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	1199.93	622	1199.93
5	**छत्तीसगढ़**	**1199.93**	**622**	**1199.93**
6	दिल्ली एस.सी./एस.टी./बी.सी.	0.00	0	0.00
7	गोवा एस.सी./एस.टी./बी.सी.	135.00	144	90.00
8.1	गुजरात (बीसी)	399.20	670	399.20
8.2	गुजरात (गोपालक)	0.00	0	0.00
8.3	गुजरात (डी एंड एनटी)	21.33	80	0.00
8.4	गुजरात ठाकोर कोली	500.00	1200	500.00
8.5	देना/बीओबी गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
8.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	1173.47	2103	1173.47
8	**गुजरात**	**2093.99**	**4053**	**2072.67**
9.1	हरियाणा (बी.सी.)	500.00	2150	216.65
9.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
9	**हरियाणा**	**500.00**	**2150**	**216.65**
10.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	500.00	1520	337.26
10.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
10	**हिमाचल प्रदेश**	**500.00**	**1520**	**337.26**
11.1	जम्मू एवं कश्मीर एस.सी./एस.टी./बी.सी.	250.00	510	0.00
11.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	350.00	1200	318.83
11	**जम्मू एवं कश्मीर**	**600.00**	**1710**	**318.83**

12.1	Jharkhand (ST)	0.00	0	0.00
12.2	Jharkhand gramin Bank	0.00	0	0.00
12.3	Vananchal gramin Bank	0.00	0	0.00
12	**Jharkhand**	**0.00**	**0**	**0.00**
13.1	Karnatka (BC)	0.00	0	0.00
13.2	Karnatka (Vishkarma)	0.00	0	0.00
13	**Karnatka**	**0.00**	**0**	**0.00**
14.1	Kerala (Artisan)	120.00	350	100.66
14.2	Kerala (BC)	10000.00	42945	10000.00
14.3	Kerala (CC)	0.00	0	0.00
14.4	Kerala (Fisheries)	3800.00	15200	3641.99
14.5	Kerala (Handicraft)	150.00	720	150.00
14.6	Kerala (Palmarah)	0.00	0	0.00
14.7	Kerala (Womens)	3000.00	11000	3000.00
14	**Kerala**	**17070.00**	**70215**	**16892.65**
15.1	Madhya Pradesh (sc)	0.00	0	0.00
15.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0	0.00
15.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0	0.00
15.4	Madhya Pradesh Gramin Bank	0.00	0	0.00
15.5	MadhyanchaL Gramin Bank	0.00	0	0.00
15	**Madhya Pradesh**	**0.00**	**0**	**0.00**
16.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0	0.00
16.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	0	0.00
16.3	Maharashtra (OBC)	0.00	0	0.00
16.4	Maharashtra (Anashaib)	0.00	0	0.00
16.5	Maharashtra Gramin bank	343.26	255	343.26
16	**Maharashtra**	**343.26**	**255**	**343.26**
17.1	Manipur (Tribal)	0.00	0	0.00
17.2	Manipur (Women)	0.00	0	0.00
17	**Manipur**	**0.00**	**0**	**0.00**
18	**Odisha (BC)**	**0.00**	**0**	**0.00**
19.1	Puducherry (Adidridar)	0.00	0	0.00
19.2	Puducherry (BC)	0.00	0	0.00
19.3	Puduvai Bharathiar Grama Bank	1900.00	2449	1900.00
19	**Puducherry**	**1900.00**	**2449**	**1900.00**
20.1	Punjab (BC)	400.00	880	196.38
20.2	Punjab Gramin Bank	1800.00	3100	1800.00
20	**Punjab**	**2200.00**	**3980**	**1996.38**
21.1	Rajasthan (SC)	0.00	0	0.00
21.2	Rajasthan (BC)	500.00	2500	0.00
21	**Rajasthan**	**500.00**	**2500**	**0.00**
22	**Sikkim (Sc/ST/BC)**	**50.00**	**100**	**39.00**

12.1	झारखंड (एस.टी.)	0.00	0	0.00
12.2	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
12.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
12	**झारखंड**	**0.00**	**0**	**0.00**
13.1	कर्नाटक (बी.सी.)	0.00	0	0.00
13.2	कर्नाटक (विश्कर्मा)	0.00	0	0.00
13	**कर्नाटक**	**0.00**	**0**	**0.00**
14.1	केरल (आर्टीसन)	120.00	350	100.66
14.2	केरल (बी.सी.)	10000.00	42945	10000.00
14.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस्)	0.00	0	0.00
14.4	केरल (फिशरीज)	3800.00	15200	3641.99
14.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	150.00	720	150.00
14.6	केरल (पलमीरा)	0.00	0	0.00
14.7	केरल (वीमेन)	3000.00	11000	3000.00
14	**केरल**	**17070.00**	**70215**	**16892.65**
15.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	0.00	0	0.00
15.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0	0.00
15.3	मध्य प्रदेश (हस्टशिल्प)	0.00	0	0.00
15.4	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
15.5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
15	**मध्य प्रदेश**	**0.00**	**0**	**0.00**
16.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0	0.00
16.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	0.00	0	0.00
16.3	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	0.00	0	0.00
16.4	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0	0.00
16.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	343.26	255	343.26
16	**महाराष्ट्र**	**343.26**	**255**	**343.26**
17.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0	0.00
17.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0	0.00
17	**मणिपुर**	**0.00**	**0**	**0.00**
18	**ओडिशा (बी.सी.)**	**0.00**	**0**	**0.00**
19.1	पुडुचेरी (आदिद्रिदार)	0.00	0	0.00
19.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	0.00	0	0.00
19.3	पुडुवल भरथियर ग्राम बैंक	1900.00	2449	1900.00
19	**पुडुचेरी**	**1900.00**	**2449**	**1900.00**
20.1	पंजाब (बी.सी.)	400.00	880	196.38
20.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1800.00	3100	1800.00
20	**पंजाब**	**2200.00**	**3980**	**1996.38**
21.1	राजस्थान (एस.सी.)	0.00	0	0.00
21.2	राजस्थान (बी.सी.)	500.00	2500	0.00
21	**राजस्थान**	**500.00**	**2500**	**0.00**
22	**सिक्किम (एस.सी./एस.टी./बी.सी.)**	**50.00**	**100**	**39.00**

23.1	Tamilnadu (BC)	9399.64	28400	9383.59
23.2	Tamilnadu Grama Bank	685.53	314	685.53
23.3	Tamilnadu (womens)	0.00	0	0.00
23	**Tamilnadu**	**10085.17**	**28714**	**10069.12**
24.1	Talangna Gramin Bank	0.00	0	0.00
24.2	Stree Nidhi Credit coop. fed. Ltd	0.00	0	0.00
24	**Talangna**	**0.00**	**0**	**0.00**
25.1	Tripura (BC)	300.00	3000	300.00
25.2	Tripura Gramin Bank	155.87	256	155.87
25	**Tripura**	**455.87**	**3256**	**455.87**
26.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0	0.00
26.2	Uttar Pradesh land Dev. & Sahkari Bank	2300.00	4850	1988.97
26.3	Gramin Bank of Aryavart	3000.00	3753	3000.00
26.4	Kashi Gomti SamyuktA Gramin Bank	0.00	0	0.00
26.5	Sarv UP Gramin Bank	0.00	0	0.00
26.6	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0	0.00
26	**Uttar Pradesh**	**5300.00**	**8603**	**4988.97**
27.1	Uttrakhand Bahudehiya	0.00	0	0.00
27.2	Uttrakhand Gramin Bank	21.26	3	0.00
27	**Uttrakhand**	**21.26**	**3**	**0.00**
28.1	West Bengal (BC)	100.00	500	100.00
28.2	West Bengal (Minorties)	0.00	0	0.00
28.3	**West Bengal**	**100.00**	**500**	**100.00**
	Sub Total	**43059.49**	**130794**	**41020.59**
29	**Public Sector Bank**			
30	**Canara bank**	1099.87	1409	1099.87
31	**Dena Bank**	0.00	0	0.00
32	**Punjab National Bank**	2785.00	2182	2785.00
33	**Vijaya /BOB Bank**	2852.49	2732	2852.49
34	**Union Bank Of India**	1387.75	3226	1387.75
	Sub Total	**8125.12**	**9549**	**8125.12**
35	NGOS	0.00	0	0.00
	Grand Total	**51184.60**	**140343**	**49145.70**
	% age of utilisation			**96.02**

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

23.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	9399.64	28400	9383.59
23.2	तमिलनाडु ग्राम बैंक	685.53	314	685.53
23.3	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0	0.00
23	**तमिलनाडु**	**10085.17**	**28714**	**10069.12**
24.1	तेलंगना ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
24.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	0.00	0	0.00
24	**तेलंगना**	**0.00**	**0**	**0.00**
25.1	त्रिपुरा (बीसी)	300.00	3000	300.00
25.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	155.87	256	155.87
25	**त्रिपुरा**	**455.87**	**3256**	**455.87**
26.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0	0.00
26.2	उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं सहकारी बैंक	2300.00	4850	1988.97
26.3	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत	3000.00	3753	3000.00
26.4	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26.5	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26.6	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26	**उत्तर प्रदेश**	**5300.00**	**8603**	**4988.97**
27.1	उत्तराखंड बहुउद्देशीय	0.00	0	0.00
27.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	21.26	3	0.00
27	**उत्तराखंड**	**21.26**	**3**	**0.00**
28.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	100.00	500	100.00
28.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0.00	0	0.00
28.3	**पश्चिम बंगाल**	**100.00**	**500**	**100.00**
	उप योग	**43059.49**	**130794**	**41020.59**
29	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
30	केनरा बैंक	1099.87	1409	1099.87
31	देना बैंक	0.00	0	0.00
32	पंजाब नेशनल बैंक	2785.00	2182	2785.00
33	विजया/बीओबी बैंक	2852.49	2732	2852.49
34	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1387.75	3226	1387.75
	उप योग	**8125.12**	**9549**	**8125.12**
35	गैर सरकारी संगठन	0.00	0	0.00
	कुल योग	**51184.60**	**140343**	**49145.70**
	उपभोग का प्रतिशत			**96.02**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.6

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2022-23

1. **BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY**

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure to carry out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013 Amendment Rules 2021 dated 22.01.2021.

Financial Component: In line with Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carried forward to the next financial year.

Institutional set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the entire activities. A CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation of Powers. The Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its approved CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

2. **COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:**

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

The Composition of the CSR Committee of Directors during the year under report:

Name of Director (S)	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meeting of CSR Committee attended during the year
Mr. Rajnish Kumar Jenaw, Member*	Managing Director	12th meeting 28.06.2022	1
Mr. Sanjay Pandey, Member	Director (JS & FA,M/SJE)		1
Mr. Subranshu Shekhar Acharya	CGM, SDBI		1
Mrs. Pinki Kumari	NOD		1

* Holding additional charges of MD, NBCFDC from 01.04.2021 - 02.01.2023

अनुलग्नक - 3.6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2022-23 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) इसके तहत एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

पहुंच बनानाः एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस-पास अथवा जहाँ पर ओ.बी.सी. के समूह रहते हैं, स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम-विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलापः कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची-VII व संशोधित नियम, 2021 दिनांक 22.01.2021 के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयवःकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगम ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के व्यय से अधिक आय का आधिक्य के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपयुक्त बजट समाप्त नहीं होगा तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी:

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी. एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व में अन्य सभी मामलों के साथ-साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना तथा सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना व अधिनियम की अनुसूची-VII में सम्मिलित सभी संबंधित कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

तथापि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी। सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एनबी.सी.एफ.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति की निगरानी करती है तथा निगम के निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्रःकंपनी द्वारा अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचनाः

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है

निदेशकों का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीमिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीमिति की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
श्री रजनीश कुमार जैनव, सदस्य	प्रबंध निदेशक	12वी बैठक 28.06.2022	1
श्री संजय पाण्डेय,सदस्य	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा. न्या. और अधि. मंत्रालय		1
डॉ0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य, सदस्य	मुख्य महाप्रबन्धक, सीडबी		1
श्रीमती पिंकी कुमारी, सदस्य	गैर-सरकारी निदेशक		1

* 01.04.2021 से 02.01.2023 तक प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.सी.डी.सी. का अतिरिक्त कार्यभार।

3. The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: www.nbcfdc.gov.in. (https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en) & Annual Report at the link: (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en)

4. **PROVIDE THE DETAILS OF IMPACT ASSESSMENT OF CSR PROJECTS CARRIED OUT IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 8 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014, IF APPLICABLE (ATTACH THE REPORT).**

   NOT APPLICABLE

5. **DETAILS OF THE AMOUNT AVAILABLE FOR SET OFF IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 7 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014 AND AMOUNT REQUIRED FOR SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.**

   NOT APPLICABLE

6. **AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS**

   The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was as under:

Financial Year 2019-20	Rs.2574.11 lakhs
Financial Year 2020-21	Rs.3421.25 lakhs
Financial Year 2021-22	Rs.3064.70 lakhs
Average Surplus	**Rs.3020.02 lakhs**

7. **(a) PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PERCENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE): Rs.60.40 Lakhs.** The Board of Directors has approved CSR budget of Rs.60.40 Lakhs for financial year 2022-23 and also permitted to spend more than statutory requirements, within the revenue budget to reach out to the needy and marginalized.

   (b) SURPLUS ARISING OUT OF THE CSR PROJECTS OR PROGRAMME OR ACTIVITIES OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEARS.

   NOT APPLICABLE

   (c) AMOUNT REQUIRED TO BE SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

   NOT APPLICABLE

   (d) TOTAL CSR OBLIGATION FOR THE FINANCIAL YEAR (7a+7b-7c):

   Rs.60.40 lakhs

8. **(a) CSR AMOUNT SPENT OR UNSPENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23:**

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
14.79 lakh	45.65	20.04.2023	NA	NA	NA

(b) Details of CSR amount spent against **ongoing projects** for the financial year: Rs.5,67,820/- (Details at Annexure – 3.7)

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year 2022-23: Rs. 8,91,440/- (Details at Annexure - 4.8)

(d) Amount spent in Administrative Overheads: Rs.19,362/-

3. निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन निगरानी करेगा। नगम की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट लिंकः www.nbcfdc.gov.in (https://nbcfdc.gov.in/cs-policy/en) एवं वार्षिक रिपोर्ट के लिए लिंक (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en) पर अवलोकन किया जा सकता है।

4. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014, के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सैट ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि लागू हो ।

लागू नहीं

6. गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का औसत आधिक्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षों में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार थाः

वित्तीय वर्ष, 2019-20	रु. 2574.11 लाख
वित्तीय वर्ष, 2020-21	रु. 3421.25 लाख
वित्तीय वर्ष, 2021-22	रु. 3064.70 लाख
औसत आधिक्य	रु. 3020.02 लाख

7. (क) निर्धारित सी.एस.आर. व्यय(उपरोक्त मद 3 में दी गई औसत राशि का दो प्रतिशत): रू. 60.40 लाख । निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रू. 60.40 लाख के सी.एस.आर. बजट अनुमादित किया है एवं राजस्व बजट के अन्दर जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने की अनुमति दी है।

(ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए वांछित समायोजन की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): रू. 60.40 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यय/अव्यय सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रू. में)	अप्रयुक्त राशि (रू. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में हस्तांतरित अव्यय कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
14.79 lakh	45.65	20.04.2023	NA	NA	NA

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण: रू.5,67,820/-। (ब्यौरा अनुलग्नक – 3.6 पर उपलब्ध है)

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण: रू.8,91,440/- (ब्यौरा अनुलग्नक – 3.7 पर है)

(घ) **प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गई राशि:** रू. 19,362.00.

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NOT APPLICABLE

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs.14,78,622/-

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135 (5)	**60.40**
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	**14.79**
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programme or activities of the previous financial year, if any	**NA**
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	**NIL**

9. (a) DETAILS OF UNSPENT CSR AMOUNT FOR THE PRECEDING THREE FINANCIAL YEARS:

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the fund	Amount (in Rs.)	Date of Transfer	
1.	2019-20	--	112.63				-33.59
2.	2020-21	--	136.43				--
3.	2021-22	22.41	44.64				11.37
	Total		**293.70**				

(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR **ONGOING PROJECTS** OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):- (Details at Annexure – 4.8).

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (2022-23) (asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. SPECIFY THE REASON(S), IF THE COMPANY HAS FAILED TO SPEND TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT AS PER SECTION 135(5).

The unspent amount is due to pending requisite documents from implementing agencies, some ongoing projects for which payment will be released in the subsequent year, as the total sanctioned amount is released on milestone basis.

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

(ङ) **मूल्यांकन प्रभाव पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो:** लागू नहीं

(च) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):** रू. 14,78,622.00

(छ) समायोजन (सैट ऑफ) के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो

क्र.स.	विवरण	राशि (रू. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**60.40**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	**14.79**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	**लागू नहीं**
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**शून्य**

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्यय सी.एस.आर. राशि का विवरणः

(रू. लाख में)

क्र. स.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135(6) की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट विशिष्ट निधि में अंतरण, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रू. में)
				धनराशि का नाम	राशि (रू. में)	हस्तांतरण तिथि	
1.	2019-20	--	112.63				-33.59
2.	2020-21	--	136.43				--
3.	2021-22	22.41	44.64				11.37
	योग		**293.70**				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरणः- ब्यौरा अनुलग्नक – 4.8 पर दिया गया है।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष (2022-23) में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है; उसका पता आदि।

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

11. कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है

खर्च न की गई राशि कार्यान्वयन एजेंसियों, कुछ चालू परियोजनाओं से अपेक्षित दस्तावेजों के लंबित होने के कारण है, जिनके लिए भुगतान अगले वर्ष में जारी किया जाएगा, क्योंकि कार्य होने के आधार पर स्वीकृत राशि जारी की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.7

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
8(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR (2022-23)

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project.		Project duration	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.)	Mode of Implementation-Direct (Yes/No).	Mode of Implementation – Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Registration number.
1.	Delivering Desired Quantity of Water Supply with High Reliability using Hydraulic Isolation Structure (Shaft) in two districts (one Aspirational District)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Maharashtra	**Two District (One Aspirational)**	Twelve Months	9,00,000	3,60,000	Nil	No	Indian Institute of Technology (IIT), Bombay	CSR00007536
2.	Construction of Restrooms (Toilets) in a Government Higher Secondary Schools	-Do-	Yes	Tamil Nadu	Cuddalore District	Three Months	5,19,550	2,07,820	Nil	No	Dr. Ambedakar Chair, Annamalai University, Annamalai Nagar, Tamil Nadu	CSR00012495
3.	Operationalization of Mobile Medical Units	-Do-	Yes	Madhya Pradesh	Tikamgarh district	Nine Months	19,53,000	-	Nil	No	HLFPPT	CSR00010248
4.	Operationalization of Mobile Medical Units	-Do-	Yes	Madhya Pradesh	Chhatarpur district	Nine Months	19,53,000	-	Nil	No	HLFPPT	CSR00010248
						Total	**53,25,550**	**5,67,820**				

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

अनुलग्नक - 3.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण 8(ख)

राशि ₹ में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली- सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकरण संख्या
1.	दो जिले (एक आकांक्षी जिला) में हाइड्रोलिक आइसोलेशन स्ट्रक्चर (शाफ्ट) का उपयोग करके उच्च विश्वसनीयता के साथ वांछित मात्रा में जल आपूर्ति प्रदान करना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	महाराष्ट्र	**दो जिले (एक आकांक्षी)**	बारह माह	9,00,000	3,60,000	शून्य	नहीं	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे	सीएआर00007536
2.	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में (शौचालय) का निर्माण	-वही-	हाँ	तमिलनाडु	कुड्डालोर जिला	तीन माह	5,19,550	2,07,820	शून्य	नहीं	डॉ0 अम्बेडकर चेयर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु	सीएआर00012495
3.	मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन	-वही-	हाँ	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़ जिला	नौ माह	19,53,000	-	शून्य	नहीं	एचएलएफपीपीटी	सीएआर00010248
4.	मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन	-वही-	हाँ	मध्य प्रदेश	छतरपुर जिला	नौ माह	19,53,000	-	शून्य	नहीं	एचएलएफपीपीटी	सीएआर00010248
						कुल	**53,25,550**	**5,67,820**				

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.8

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

8(c) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST OTHER THAN ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII	Local area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent in for the Financial Year (in Rs.)	Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	Mode of Implementation – Through Implementing Agency	
				State	District			CSR Registration number	Name
1.	Covid-19 relief - Provision of Oxygen Cylinders to COVID 19 Patients at Delhi NCR , 1000 persons annually. (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Delhi NCR	Delhi NCR	40,750	No	Netram Eye Foundation	CSR00000560
2.	Swachha Bharat Abhiyan	-Do-	Yes	Delhi	Delhi	2,339	Yes	-	-
3.	Medical Camps in poor localities (19 camps)	-Do-	Yes	Assam, Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, UP & Andaman & Nicobar Islands	Darrang, East Delhi, Dahod, Narmada, Chamba, Chatra, Nandurbar, Aizwal, Balangir, Cuttack, Dhenkanal, Gajapati, Jajpur, Kharoda, Firozpur, Sirohi, Bahraich, Siddharthnagar and North and Middle Andaman	8,48,351	No	HLFPPT	CSR00010248
								Mahavir International	CSR00002906
								Netram Eye Foundation	CSR00000560
								Anugraha Drishtidaan	CSR00005982
					Total	**8,91,440.00**			

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

अनुलग्नक - 3.8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण 8(ग)

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में से गतिविधियों की मद सूची	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली- सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	"कोविड-19 राहत - दिल्ली एनसीआर में प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों को कोविड 19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रावधान। (एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी की संयुक्त सीएसआर पहल)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना देखभाल और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	दिल्ली एनसीआर	दिल्ली एनसीआर	40,750	नहीं	नेत्रम आई फाउंडेशन	सीएसआर00000560
2.	स्वच्छ भारत अभियान	-वही-	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	2,339	हाँ	-	-
3.	गरीब बस्तियों में चिकित्सा शिविर (19 शिविर)	-वही-	हाँ	असम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	दरांग , पूर्वी दिल्ली, दाहोद , नर्मदा, चंबा, चतरा , नंदुरबार , आइज़वाल , बलांगीर , कटक , ढेंकनाल, गजपति , जाजपुर , खरोदा , फिरोजपुर, सिरोही , बहराईच , सिद्धार्थनगर और उत्तर और मध्य अंडमान	8,48,351	नहीं	एचएलएफपीपीटी	सीएसआर00010248
								महावीर इंटरनेशनल	सीएसआर00002906
								नेत्रम आई फाउंडेशन	सीएसआर00000560
								अनुग्रह दृष्टिदान	सीएसआर00000560
					कुल	**8,91,440.00**			

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.9

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

9. (b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S)

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	**Project ID**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the project was commenced**	**Project duration**	**Total amount allocated for the project (in Rs.)**	**Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)**	**Status of the project-Completed /Ongoing**
1.	NBCFDC/CSR-42	Construction of Toilets Complex and Boundary Wall in a School Dist. Pratapgarh, Rajasthan	2019-20	Eight Months	14,00,000.00	6,94,959.00	11,14,959.00	Completed
2.	NBCFDC/CSR-77	"Covid-19 relief - Provision of Oxygen Cylinders to COVID 19 Patients at Delhi NCR, 1000 persons annually. (Sanction of Rs, 2,72,500/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC)	2021-22	One Month	1,36,250 .00	40,750.00	1,36,250.00	Completed
3.	NBCFDC/CSR-84	Installation of Sanitary Napkin Vending Machines with incinerators for the eight Girls Government High Schools and Higher Secondary Schools of Virudhunagar District (Aspirational Dist.), Tamil Nadu (10000 persons annually)	2021-22	3 Months	4,94,142 .00	1,48,242.00	4,94,142.00	Completed
4.	NBCFDC/CSR-87	Dissemination of Natural fiber water-tanks in rural areas of Beed district of Maharashtra (18 tanks)	2021-22	8 Months	5,50,000 .00	2,20,000.00	4,40,000.00	Ongoing
		Total			**25,80,392.00**	**11,03,951.00**	**21,85,351.00**	

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

अनुलग्नक - 3.9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण 9. (बी)

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आई.डी.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरु की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
1.	एनबीसीएफडीसी/ सी.एस.आर.-42	एक स्कूल में शौचालय परिसर और सीमा दीवार का निर्माण। जिला प्रतापगढ़ , राजस्थान	2019-20	8 माह	14,00,000.00	6,94,959.00	11,14,959.00	पूर्ण
2.	एनबीसीएफडीसी/ सी.एस.आर.-77	एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी की संयुक्त सीएसआर पहल से रू. 2,72,500/- की मंजूरी)	2021-22	1 माह	1,36,250 .00	40,750.00	1,36,250.00	पूर्ण
3.	एनबीसीएफडीसी/ सी.एस.आर.-84	विरुधुनगर जिले (आकांक्षी जिला), तमिलनाडु के आठ गर्ल्स सरकारी हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भस्मक के साथ सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना (प्रति वर्ष 10000 व्यक्ति)	2021-22	3 माह	4,94,142 .00	1,48,242.00	4,94,142.00	पूर्ण
4.	एनबीसीएफडीसी/ सी.एस.आर.-87	महाराष्ट्र के बीड जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक फाइबर जल-टैंकों का प्रसार (18 टैंक)	2021-22	8 माह	5,50,000 .00	2,20,000.00	4,40,000.00	चालू
		कुल			**25,80,392.00**	**11,03,951.00**	**21,85,351.00**	

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 3.10

CSR ACTIVITIES/PROJECTS DURING THE YEAR 2022-23

The Corporation undertook various CSR initiatives during the year. Highlights of some of the projects are as follows:-

1. **Promoting preventive Health Care, Sanitation & Education:**

a) Delivering Desired Quantity of Water Supply with High Reliability using Hydraulic Isolation Structure (Shaft) in two districts (one Aspirational District) of Maharashtra (500-600 families)

b) Construction of Restrooms (Toilets) in a Government Higher Secondary Schools of Cuddalore District, Tamil Nadu.

c) Operationalization of Mobile Medical Units in Tikamgarh district of Madhya Pradesh.

d) Operationalization of Mobile Medical Units in Chhatarpur district of Madhya Pradesh.

e) **Medical Camps:-** During the current year 2022-23, Nineteen Free Eye and Medical Check-up camps (01 SMC & 18 GMC) were organized in poor localities in twelve states/UTs i.e. Assam, Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan Uttar Pradesh and Andaman & Nicobar Islands. In these Camps, about 3806 patients got about 6461 OPD check-ups done and about 1823 free spectacles were distributed to the poor.

*****

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi **Date:** 01.09.2023	**Sd/-** **(Rajan Sehgal)** **Managing Director** **(DIN- 03633935)**	**Sd/-** **(Dr. S.S.Acharya)** **Director** **(DIN No.06727939)**

अनुलग्नक - 3.10

वर्ष 2022-23 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएँ

निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। कुछ परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं:-

1. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा को बढ़ावा देना:

क) महाराष्ट्र के दो जिलों (एक आकांक्षी जिला) (500-600 परिवार के लिए) में हाइड्रोलिक आइसोलेशन स्ट्रक्चर (शाफ्ट) का उपयोग करके उच्च विश्वसनीयता के साथ वांछित मात्रा में जल आपूर्ति उपलब्ध प्रदान कराना ।

ख) तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शौचघर (शौचालय) का निर्माण ।

ग) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में मोबाइल चिकित्सा इकाईयों का संचालन ।

घ) मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मोबाइल चिकित्सा इकाईयों का संचालन ।

ड) **चिकित्सा शिविर**:- चालू वर्ष 2022-23 के दौरान, बारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे असम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गरीब इलाकों में उन्नीस निःशुल्क नेत्र और चिकित्सा जांच शिविर (01 एसएमसी और 18 जीएमसी) आयोजित किए गए। इन शिविरों में लगभग 3806 रोगियों ने लगभग 6461 ओपीडी जांचें कराईं और गरीबों को लगभग 1823 निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए।

*****

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 4

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 2023

Amount in ₹

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		**STATES**				
1		**Andhra Pradesh**				
	1.1	Andhra Pradesh (BC) -I	19230.76	19230.76	0.00	100
	1.2	Andhra Pradesh (BC) -II	1881.73	1355.02	526.71	72
	1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	13.09	13.09	0.00	100
	1.4	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.5	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
		Sub Total (1.1 to 1.5)	**22718.36**	**22191.65**	**526.71**	**98**
2		**Assam**				
	2.1	Assam (BC)	768.12	768.12	0.00	100
	2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	Assam (Artfed)	2014.79	1073.34	941.45	53
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**3149.99**	**2208.54**	**941.45**	**70**
3		**Bihar**				
	3.1	Bihar (BC)	5620.00	2275.35	3344.65	40
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	582.25	582.25	0.00	100
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**6202.25**	**2857.60**	**3344.65**	**46**
4		**Chhattishgarh**				
	4.1	Chhattishgarh (SC/ST)	1855.16	1503.47	351.69	81
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	535.41	535.41	0.00	100
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**2390.57**	**2038.88**	**351.69**	**85**
5		**Goa (SC/ST/BC)**	2553.74	2553.74	0.00	100
6		**Gujarat**				
	6.1	Gujarat (BC)	10010.04	10010.04	0.00	100
	6.2	Guajrat (Gopalak)	3564.10	3564.10	0.00	100
	6.3	Guajrat (Thakor)	4918.46	4909.91	8.55	100
	6.4	Guajrat (Nomadic)	182.02	182.02	0.00	100
	6.5	Bank of Baroda Gujarat Gramin Bank	34.28	34.28	0.00	100
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	3242.10	3242.10	0.00	100
	6.7	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**21997.94**	**21989.39**	**8.55**	**100**
7		**Haryana**				
	7.1	Haryana (BC)	9096.48	9096.48	0.00	100
	7.2	Sarva Haryana Gramin Bank	58.78	58.78	0.00	100
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**9155.26**	**9155.26**	**0.00**	**100**

अनुलग्नक - 4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
31 मार्च, 2023 तक एस.सी.ए. वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रू./लाख)

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचयी बकाया	संचयी वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		**राज्य**				
1		**आंध्र प्रदेश**				
	1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी) -I	19230.76	19230.76	0.00	100
	1.2	आंध्र प्रदेश (बीसी) -II	1881.73	1355.02	526.71	72
	1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	13.09	13.09	0.00	100
	1.4	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.5	आंध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
		उप योग (1.1 से 1.5)	**22718.36**	**22191.65**	**526.71**	**98**
2		**असम**				
	2.1	असम (बीसी)	768.12	768.12	0.00	100
	2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	असम (आर्टफेड)	2014.79	1073.34	941.45	53
		उप योग (2.1 से 2.3)	**3149.99**	**2208.54**	**941.45**	**70**
3		**बिहार**				
	3.1	बिहार (बीसी)	5620.00	2275.35	3344.65	40
	3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	582.25	582.25	0.00	100
		उप योग (3.1 से 3.2)	**6202.25**	**2857.60**	**3344.65**	**46**
4		**छत्तीसगढ़**				
	4.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	1855.16	1503.47	351.69	81
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	535.41	535.41	0.00	100
		उप योग (4.1 से 4.2)	**2390.57**	**2038.88**	**351.69**	**85**
5		**गोवा (एससी/एसटी/बीसी)**	2553.74	2553.74	0.00	100
6		**गुजरात**				
	6.1	गुजरात (बीसी)	10010.04	10010.04	0.00	100
	6.2	गुजरात (गोपालक)	3564.10	3564.10	0.00	100
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	4918.46	4909.91	8.55	100
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	182.02	182.02	0.00	100
	6.5	बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	34.28	34.28	0.00	100
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	3242.10	3242.10	0.00	100
	6.7	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
		उप योग (6.1 से 6.7)	**21997.94**	**21989.39**	**8.55**	**100**
7		**हरियाणा**				
	7.1	हरियाणा (बीसी)	9096.48	9096.48	0.00	100
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	58.78	58.78	0.00	100
		उप योग (7.1 से 7.2)	**9155.26**	**9155.26**	**0.00**	**100**

8		**Himachal Pradesh**				
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	6944.78	6944.78	0.00	100
	8.2	Himachal Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**7000.45**	**7000.45**	**0.00**	**100**
9		**Jammu & Kashmir**				
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	703.89	642.92	60.97	91
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	2216.08	2216.08	0.00	100
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**2919.97**	**2859.00**	**60.97**	**98**
10		**Jharkhand**				
	10.1	Jharkhand (Tribal)	647.16	639.31	7.85	99
	10.2	Vananchal Gramin Bank	252.25	252.25	0.00	100
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	299.34	299.34	0.00	100
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**1198.75**	**1190.90**	**7.85**	**99**
11		**Karnataka**				
	11.1	Karnataka (BC)	40942.93	40942.93	0.00	100
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	806.66	806.66	0.00	100
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**41749.59**	**41749.59**	**0.00**	**100**
12		**Kerala**				
	12.1	Kerala (Artisan)	863.37	863.37	0.00	100
	12.2	Kerala (BC)	110706.61	110706.61	0.00	100
	12.3	Kerala (Christian Converts)	1128.81	1128.81	0.00	100
	12.4	Kerala (Fisheries)	39282.62	39282.62	0.00	100
	12.5	Kerala (Handicraft)	871.45	871.45	0.00	100
	12.6	Kerala (Polymer)	177.53	80.52	97.01	45
	12.7	Kerala (Women)	14977.16	14977.16	0.00	100
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**168007.55**	**167910.54**	**97.01**	**100**
13		**Madhya Pradesh**				
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	1558.63	1393.17	165.46	89
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	4629.88	4398.23	231.65	95
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	24.47	24.47	0.00	100
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	5390.41	5390.41	0.00	100
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**12227.13**	**11830.02**	**397.11**	**97**
14		**Maharashtra**				
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2281.78	2204.49	77.29	97
	14.2	Maharashtra (VJNT)	8580.68	8580.68	0.00	100
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.94	3.94	0.00	100
	14.4	Maharashtra (OBC)	17564.34	17564.34	0.00	100
	14.5	Maharashtra Gramin Bank	12.74	12.74	0.00	100
	14.6	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
		Sub Total (14.1 to 14.6)	**28468.56**	**28391.27**	**77.29**	**100**
15		**Manipur**				
	15.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**

8		**हिमाचल प्रदेश**				
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	6944.78	6944.78	0.00	100
	8.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100
		उप योग (8.1 से 8.2)	**7000.45**	**7000.45**	**0.00**	**100**
9		**जम्मू एवं कश्मीर**				
	9.1	जम्मू और कश्मीर (एस.सी)	703.89	642.92	60.97	91
	9.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	2216.08	2216.08	0.00	100
		उप योग (9.1 से 9.2)	**2919.97**	**2859.00**	**60.97**	**98**
10		**झारखंड**				
	10.1	झारखंड (आदिवासी)	647.16	639.31	7.85	99
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	252.25	252.25	0.00	100
	10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	299.34	299.34	0.00	100
		उप योग (10.1 से 10.3)	**1198.75**	**1190.90**	**7.85**	**99**
11		**कर्नाटक**				
	11.1	कर्नाटक (बी.सी.)	40942.93	40942.93	0.00	100
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	806.66	806.66	0.00	100
		उप योग (11.1 से 11.2)	**41749.59**	**41749.59**	**0.00**	**100**
12		**केरल**				
	12.1	केरल (आर्टीसन)	863.37	863.37	0.00	100
	12.2	केरल (बीसी)	110706.61	110706.61	0.00	100
	12.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस्)	1128.81	1128.81	0.00	100
	12.4	केरल (फिशरीज)	39282.62	39282.62	0.00	100
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	871.45	871.45	0.00	100
	12.6	केरल (पॉलिमर)	177.53	80.52	97.01	45
	12.7	केरल (वीमेन)	14977.16	14977.16	0.00	100
		उप योग (12.1 से 12.7)	**168007.55**	**167910.54**	**97.01**	**100**
13		**मध्य प्रदेश**				
	13.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	1558.63	1393.17	165.46	89
	13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	4629.88	4398.23	231.65	95
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्टशिल्प)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	24.47	24.47	0.00	100
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	5390.41	5390.41	0.00	100
		उप योग (13.1 से 13.5)	**12227.13**	**11830.02**	**397.11**	**97**
14		**महाराष्ट्र**				
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2281.78	2204.49	77.29	97
	14.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	8580.68	8580.68	0.00	100
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.94	3.94	0.00	100
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	17564.34	17564.34	0.00	100
	14.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	12.74	12.74	0.00	100
	14.6	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
		उप योग (14.1 से 14.6)	**28468.56**	**28391.27**	**77.29**	**100**
15		**मणिपुर**				
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100
		उप योग (15.1 से 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**

16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	6533.36	6533.36	0.00	100
17		**Orissa**				
	17.1	Orissa (BC)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	Orissa (Others)	41.77	29.55	12.22	71
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**2329.50**	**2317.28**	**12.22**	**99**
18		**Punjab**				
	18.1	Punjab (BC)	6482.58	6482.58	0.00	100
	18.2	Punjab (Gramin Bank)	4259.87	4259.87	0.00	100
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**10742.45**	**10742.45**	**0.00**	**100**
19		**Rajasthan**				
	19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	Rajasthan (OBC)	6348.71	6210.34	138.37	98
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**6811.52**	**6673.15**	**138.37**	**98**
20		**Sikkim (SC/ST)**	**3392.03**	**3392.03**	**0.00**	**100**
21		**Tamilnadu**				
	21.1	Tamilnadu (BC)	88821.00	88821.00	0.00	100
	21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	Tamilnadu (Others)	6.43	6.43	0.00	100
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**88880.11**	**88880.11**	**0.00**	**100**
22		**Tripura**				
	22.1	Tripura (OBC)	12139.35	10592.67	1546.68	87
	22.2	Tripura Gramin Bank	458.59	458.59	0.00	100
		Sub Total (22.1 to 22.2)	**12597.94**	**11051.26**	**1546.68**	**88**
23		**Telangna**				
	23.1	Telangna Grameena Bank	5.09	5.09	0.00	100
	23.2	Stree Nidhi Credit Coop Fed. Ltd.	1215.22	1215.22	0.00	100
		Sub Total (23.1 to 23.2)	**1220.31**	**1220.31**	**0.00**	**100**
24		**Uttar Pradesh**				
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	10845.53	10845.53	0.00	100
	24.2	Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	5119.70	5119.70	0.00	100
	24.3	Sarva U.P Gramin Bank	20.45	20.45	0.00	100
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	8.39	8.39	0.00	100
	24.5	Kashi Goumti Grmain Bank	649.88	649.88	0.00	100
	24.6	Aryavart Gramin Bank	5312.00	5312.00	0.00	100
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.50	0.50	0.00	100
		Sub Total (24.1 to 24.7)	**21956.45**	**21956.45**	**0.00**	**100**
25		**Uttarakhand**				
	25.1	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	373.97	370.88	3.09	99
	25.2	Uttarakhand Gramin Bank	3.09	3.09	0.00	100
		Sub Total (25.1 to 25.2)	**377.06**	**373.97**	**3.09**	**99**

16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	6533.36	6533.36	0.00	100
17		**उड़ीसा**				
	17.1	उड़ीसा (बी.सी.)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	उड़ीसा (अन्य)	41.77	29.55	12.22	71
		उप योग (17.1 से 17.2)	**2329.50**	**2317.28**	**12.22**	**99**
18		**पंजाब**				
	18.1	पंजाब (बी.सी.)	6482.58	6482.58	0.00	100
	18.2	पंजाब (ग्रामीण बैंक)	4259.87	4259.87	0.00	100
		उप योग (18.1 से 18.2)	**10742.45**	**10742.45**	**0.00**	**100**
19		**राजस्थान**				
	19.1	राजस्थान (एस.सी.)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	राजस्थान (ओ.बी.सी.)	6348.71	6210.34	138.37	98
		उप योग (19.1 से 19.2)	**6811.52**	**6673.15**	**138.37**	**98**
20		सिक्किम (एस.सी./एस.टी.)	**3392.03**	**3392.03**	**0.00**	**100**
21		**तमिलनाडु**				
	21.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	88821.00	88821.00	0.00	100
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	6.43	6.43	0.00	100
		उप योग (21.1 से 21.3)	**88880.11**	**88880.11**	**0.00**	**100**
22		**त्रिपुरा**				
	22.1	त्रिपुरा (ओ.बी.सी.)	12139.35	10592.67	1546.68	87
	22.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	458.59	458.59	0.00	100
		उप योग (22.1 से 22.2)	**12597.94**	**11051.26**	**1546.68**	**88**
23		**तेलंगाना**				
	23.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	5.09	5.09	0.00	100
	23.2	स्त्री निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.	1215.22	1215.22	0.00	100
		उप योग (23.1 से 23.2)	**1220.31**	**1220.31**	**0.00**	**100**
24		**उत्तर प्रदेश**				
	24.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	10845.53	10845.53	0.00	100
	24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	5119.70	5119.70	0.00	100
	24.3	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	20.45	20.45	0.00	100
	24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	8.39	8.39	0.00	100
	24.5	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	649.88	649.88	0.00	100
	24.6	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	5312.00	5312.00	0.00	100
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.50	0.50	0.00	100
		उप योग (24.1 से 24.7)	**21956.45**	**21956.45**	**0.00**	**100**
25		**उत्तराखंड**				
	25.1	उत्तराखंड (बहुदेशीय)	373.97	370.88	3.09	99
	25.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	3.09	3.09	0.00	100
		उप योग (25.1 से 25.2)	**377.06**	**373.97**	**3.09**	**99**

26		**West Bengal**				
	26.1	West Bengal (BC)	7823.18	7823.18	0.00	100
	26.2	West Bengal (Minorities)	869.68	820.31	49.37	94
	26.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
		Sub Total (26.1 to 26.3)	**8709.18**	**8659.81**	**49.37**	**99**
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**494065.98**	**486502.99**	**7563.01**	**98**
II.		**UT's**				
27		Chandigarh (SC/BC)	119.95	119.95	0.00	100
28		Delhi (SC/ST/OBC)	435.15	435.15	0.00	100
29		**Puducherry**				
	29.1	Puducherry (Adidravidar)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	Puducherry (BC)	4335.79	4200.32	135.47	97
	29.3	Puduval Bharathiar Gramin Bank	15.53	15.53	0.00	100
		Sub Total (29.1 to 29.3)	**4528.97**	**4393.50**	**135.47**	**97**
		TOTAL - UTs (27 - 29)	**5084.07**	**4948.60**	**135.47**	**97**
III.		**PSB's**				
30		Bank of Baroda	7728.24	7727.55	0.69	100
31		Canara Bank	19.58	19.58	0.00	100
32		Dena Bank	0.62	0.62	0.00	100
33		Punjab National Bank	1303.22	1303.22	0.00	100
34		Union bank of India	244.28	244.28	0.00	100
		Sub Total (30 to 34)	**9295.94**	**9295.25**	**0.69**	**100**
III.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**508445.99**	**500746.84**	**7699.15**	**98.49**
Note : The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.						

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

26		**पश्चिम बंगाल**				
	26.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	7823.18	7823.18	0.00	100
	26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	869.68	820.31	49.37	94
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
		उप योग (26.1 से 26.3)	**8709.18**	**8659.81**	**49.37**	**99**
		कुल - राज्य (1 - 26)	**494065.98**	**486502.99**	**7563.01**	**98**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**				
27		चंडीगढ़ (एस.सी./बी.सी.)	119.95	119.95	0.00	100
28		दिल्ली (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)	435.15	435.15	0.00	100
29		**पुडुचेरी**				
	29.1	पुडुचेरी (आदिद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	4335.79	4200.32	135.47	97
	29.3	पुडुवल भारतियर ग्रामीण बैंक	15.53	15.53	0.00	100
		उप योग (29.1 से 29.3)	**4528.97**	**4393.50**	**135.47**	**97**
		कुल - संघ राज्य क्षेत्र (27 - 29)	**5084.07**	**4948.60**	**135.47**	**97**
III.		**सार्वजनिक क्षेत्र बैंक**				
30		बैंक ऑफ बड़ौदा	7728.24	7727.55	0.69	100
31		केनरा बैंक	19.58	19.58	0.00	100
32		देना बैंक	0.62	0.62	0.00	100
33		पंजाब नेशनल बैंक	1303.22	1303.22	0.00	100
34		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	244.28	244.28	0.00	100
		उप योग (30 से 34)	**9295.94**	**9295.25**	**0.69**	**100**
III.		**कुल योग (I+II+III)**	**508445.99**	**500746.84**	**7699.15**	**98.49**

नोट: कॉलम 4 में वसूली के प्रतिशत को पूर्ण अंक में प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 5

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

State-wise Skill Development Training Provided to target groups under PM-DAKSH Yojana during the year 2022-23 (as on 31.03.2023)

Sl. No.	Name of the State/UTs	No. of Trainees	Amount Allocated (Rs. In lakhs)	Amount Disbursed (Rs. in Lakhs)
1	Andhra Pradesh	690	112.14	23.13
2	Assam	724	224.41	53.07
3	Bihar	1400	183.66	22.86
4	Chandigarh		0.00	
5	Chhatisgarh	324	53.87	9.07
6	Delhi	136	51.88	12.49
7	Goa	25	2.03	0.00
8	Gujarat	450	121.37	21.60
9	Haryana	427	67.36	14.12
10	Himachal Pradesh	380	75.21	3.29
11	J&K	446	86.40	11.54
12	Laddakh		0.00	
13	Jharkhand	531	73.93	9.92
14	Karnataka	260	49.90	5.49
15	Kerala	263	64.89	13.02
16	Madhya Pradesh	1289	246.93	56.40
17	Maharashtra	364	65.80	14.27
18	Manipur	200	60.94	13.32
19	Meghalaya	140	28.50	7.11
20	Mizoram		0.00	
21	Odisha	610	89.18	14.59
22	Pondicherry		0.00	
23	Punjab	480	63.54	14.05
24	Rajasthan	799	135.25	20.07
25	Sikkim	25	4.22	0.00
26	Tamil Nadu	347	52.16	10.23
27	Telangana	130	23.81	3.83
28	Tripura	210	45.65	0.00
29	Uttar Pradesh	2177	301.24	55.05
30	Uttarakhand	325	50.81	8.49
31	West Bengal	223	25.35	6.70
	Total	**13375**	**2360.43**	**423.70**

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2023

अनुलग्नक - 5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2022-23 के दौरान (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार) पीएम-दक्ष योजना के तहत लक्षित समूहों को राज्य-वार कौशल विकास प्रशिक्षण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रशिणार्क्षियों की संख्या	आवंटित राशि (रू. लाख में)	वितरित राशि (रू. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	690	112.14	23.13
2	असम	724	224.41	53.07
3	बिहार	1400	183.66	22.86
4	चंडीगढ़		0.00	
5	छत्तीसगढ़	324	53.87	9.07
6	दिल्ली	136	51.88	12.49
7	गोवा	25	2.03	0.00
8	गुजरात	450	121.37	21.60
9	हरियाणा	427	67.36	14.12
10	हिमाचल प्रदेश	380	75.21	3.29
11	जम्मू एवं कश्मीर	446	86.40	11.54
12	लद्दाख		0.00	
13	झारखंड	531	73.93	9.92
14	कर्नाटक	260	49.90	5.49
15	केरल	263	64.89	13.02
16	मध्य प्रदेश	1289	246.93	56.40
17	महाराष्ट्र	364	65.80	14.27
18	मणिपुर	200	60.94	13.32
19	मेघालय	140	28.50	7.11
20	मिजोरम		0.00	
21	ओडिशा	610	89.18	14.59
22	पांडिचेरी		0.00	
23	पंजाब	480	63.54	14.05
24	राजस्थान	799	135.25	20.07
25	सिक्किम	25	4.22	0.00
26	तमिलनाडु	347	52.16	10.23
27	तेलंगाना	130	23.81	3.83
28	त्रिपुरा	210	45.65	0.00
29	उत्तर प्रदेश	2177	301.24	55.05
30	उत्तराखंड	325	50.81	8.49
31	पश्चिम बंगाल	223	25.35	6.70
	कुल	**13375**	**2360.43**	**423.70**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 6

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
MARKETING LINKAGES (2022-2023)

Sr. No.	Name of Mela	State/UT	Date
1	Malwa Utsav 2022 at Indore	Madhya Pradesh	25th to 31st May, 2022
2	Gramodaya Mela "Gramoday se Rashtroday" at Chitrakoot	Madhya Pradesh	9th to 12th October, 2022
3	Shilp Samagam 2022 at Dilli Haat, INA Market	New Delhi	1st to 15th November, 2022
4	India International Trade Fair (IITF), 2022 at Pragati Maidan	New Delhi	14th to 27th November, 2022
5	Swadeshi Mela at Kanpur	Uttar Pradesh	25th December 2022 to 03rd January 2023
6	36th Surajkund International Craft Mela 2023, Faridabad	Haryana	3rd to 19th February, 2023
7	12th Edition of East Himalayan Trade Fair (EHTF) at Guwahati	Assam	6th to 12th February, 2023

ANNEXURE - 7

Major Outcomes of Evaluation Studies Finalised During FY 2022-2023

State : Haryana		
Sr. No.	**Major Outcomes**	**Percentage %**
1	Utilization of funds for the intended purpose	98%
2	Assets creation out of funds	100%
3	Monthly family income enhancement after availing the Loan	76%

State : Assam		
Sr. No.	**Major Outcomes**	**Percentage %**
1	Utilization of funds for the intended purpose	100%
2	Percentage of beneficiaries obtained loans in less than 2 months	84%
3	Percentage of the beneficiaries availed loan for small business/Artisan type of activities	91%

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

अनुलग्नक - 6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
विपणन संयोजन (2022-2023)

क्र.सं.	मेले का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तारीख
1	मालवा उत्सव 2022, इंदौर	मध्य प्रदेश	25 से 31 मई, 2022
2	ग्रामोदय मेला " ग्रामोदय से राष्ट्रोदय ", चित्रकूट	मध्य प्रदेश	9 से 12 अक्टूबर, 2022
3	शिल्प समागम 2022, दिल्ली हॉट , आई.एन.ए मार्केट	नई दिल्ली	1 से 15 नवंबर, 2022
4	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2022, प्रगति मैदान	नई दिल्ली	14 से 27 नवंबर, 2022
5	स्वदेशी मेला, कानपुर	उत्तर प्रदेश	25 दिसंबर 2022 से 03 जनवरी 2023 तक
6	36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023, फ़रीदाबाद	हरियाणा	3 से 19 फरवरी, 2023
7	12वाँ संस्करण पूर्वी हिमालयन ट्रेड फेयर (ईएचटीएफ) , गुवाहाटी	असम	6 से 12 फरवरी, 2023

अनुलग्नक - 7

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अवधि में पूर्ण मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख परिणाम

राज्य : हरियाणा		
क्र.स.	**प्रमुख परिणाम**	**प्रतिशत %**
1	इच्छित उद्देश्य के लिए निधियों का उपभोग	98%
2	निधियों से परिसंपत्तियों का सृजन	100%
3	ऋण प्राप्ति के बाद मासिक पारिवारिक आय में वृद्धि	76%

राज्य : असम		
क्र.स.	**प्रमुख परिणाम**	**प्रतिशत %**
1	इच्छित उद्देश्य के लिए निधियों का उपभोग	100%
2	2 माह से कम समय में ऋण प्राप्त लाभार्थियों का प्रतिशत	84%
3	लघु व्यवसाय/शिल्पकार वर्ग की गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	91%

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस.एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ANNEXURE - 8

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
ADDENDUM TO THE DIRECTOR'S REPORT (2022-23)
Replies of Management of NBCFDC on the observation of Statutory Auditors given in their Report for the year 2022-23

Observations of Statutory Auditors	Replies of the Management
Loan disbursed to "Tripura OBC Co-operation Development Corporation" having an outstanding amount of Rs.1546.65 lacs has been sanctioned in violation of the loan policy of the Corporation. No General Loan agreement has been executed on the said State Channelizing Agency (SCA). The loan has been rescheduled in previous year and amount should be considered Unsecured. No applicable provision on overdue has been made in the Books amounting to Rs.230.87 lacs. This has overstated the Income and understated the Current Liabilities by a similar amount.	Loan disbursed to Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd as per lending policy of the Corporation. The Corporation had executed "General Loan Agreement" with erstwhile "Tripura Scheduled Castes Cooperative Development Cooperation Ltd. dated 24th May, 1995. Deed of Guarantee dated 23rd February, 1995 executed by State of Tripura in favour of NBCFDC stating Tripura SC Cooperative Development Cooperation Ltd. as Channelizing Agency for the guarantee of principal plus interest, service charges/commitment charges etc. under the Loan agreement until all the dues of NBCFDC under the said Loan agreement paid fully. In 1995 the State Government had given responsibility to the SC Welfare Directorate for the all-round Development of the other Backward Classes of the State and the Directorate for SC Welfare was renamed as the Directorate for Welfare of SC & OBCs. Later on Directorate for Welfare of Other Backward Classes has been created on October 9th 2013, bifurcating the Directorate of Welfare for SC & OBCs and functioning under the Department for Welfare of OBCs. Thereafter Several guarantees were issued by State of Tripura, wherein the loan agreement dated 24th May, 1995 referred being executed between NBCFDC and "Tripura Other Backward Classes Cooperative Development Cooperation Ltd." All the notifications and deed of guarantees issued by the govt. of Tripura are binding upon the erstwhile SCA and as well as the newly formed Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd. The guarantees given by State of Tripura referred the earlier general loan agreement showing intention of covering the loans given to new SCA i.e. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd. Therefore, merely not having a separate loan agreement should not be considered, as loans not given to the new SCA and loans were sanctioned in violation of lending policy of the corporation. As per the legal and professional opinion taken by the Corporation on the subject matter clearly, indicate that NBCFDC has absolute right over pending dues legally recoverable from Tripura. OBC Co-operative Development Corporation Ltd. However, the corporation has initiated action & executed a fresh affidavit /undertaking dated 10.08.2023 to overcome this ambiguity, so that terms & conditions of the exiting GLA dated 24.05.1995 is binding upon the Tripura OBC Co- operative Development Corporation Ltd in toto. The management in view of above, loan are backed by the guarantees issued by Government of Tripura in favour of NBCFDC. Therefore, loans provided to Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd are secured in nature. Hence, there is no need to make provision on overdues and the income is not overstated vis-a-vis understated of the Current Liabilities in the books of account.

For & on behalf of Board of Directors

Sd/- **(Rajan Sehgal)** **Managing Director** **(DIN- 03633935)**	**Sd/-** **(Dr. S.S.Acharya)** **Director** **(DIN No.06727939)**

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

अनुलग्नक - 8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
निदेशक की रिपोर्ट का अनुशेष (2022-23)
सांविधिक लेखा परीक्षकों की वर्ष 2022-23 के लिए उनकी रिपोर्ट की टिप्पणियों पर एनबीसीएफडीसी के प्रबंधन के उत्तर

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
निगम की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए "त्रिपुरा ओ.बी.सी. सहकारी विकास निगम" को ऋण दिया गया, जिसकी बकाया राशि रू. 1546.65 लाख है, स्वीकृत किया गया। कथित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के साथ कोई सामान्य ऋण करार निष्पादित नहीं किया गया है। ऋण को पिछले वर्ष में पुनर्निर्धारित किया गया है एवं राशि को असुरक्षित माना जाना चाहिए। राशि रू. 230.87 लाख के अतिदेय पर कोई लागू प्रावधान लेखा बहियों में नहीं किया गया है। इससे आय बढ़ गई है और वर्तमान देनदारियों को भी उतनी ही मात्रा में कम दिखाया गया है।	निगम की ऋण नीति के अनुसार त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड को ऋण वितरित किया गया। निगम ने 24 मई, 1995 को पूर्ववर्ती "त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड" के साथ "सामान्य ऋण समझौता" निष्पादित किया था। 23 फरवरी, 1995 को त्रिपुरा राज्य द्वारा एनबीसीएफडीसी के पक्ष में निष्पादित गारंटी विलेख, जिसमें त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड को ऋण करार के तहत मूलधन और ब्याज, सेवा शुल्क/प्रतिबद्धता शुल्क आदि की गारंटी के लिए चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में बताया गया था, जब तक कि ऋण करार के तहत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की समस्त बकाया राशि का पूर्ण भुगतान न कर दिया जाए। 1995 में राज्य सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए एससी कल्याण निदेशालय को जिम्मेदारी दी थी और एससी कल्याण निदेशालय का नाम बदलकर एससी और ओबीसी कल्याण निदेशालय कर दिया गया था। बाद में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय को विभाजित कर 9 अक्टूबर 2013 को अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए निदेशालय बनाया गया और ओबीसी के कल्याण विभाग के तहत कार्य करता है। इसके बाद त्रिपुरा राज्य द्वारा कई गारंटियां जारी की गईं, जिसमें 24 मई, 1995 के ऋण समझौते को एनबीसीएफडीसी और "त्रिपुरा अन्य पिछड़ा वर्ग सहकारी विकास को-आपरेशन लिमिटेड" के बीच निष्पादित किए जाने का उल्लेख था। त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएं और गारंटी विलेख पूर्ववर्ती एससीए और साथ ही नवगठित त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड पर बाध्यकारी हैं। त्रिपुरा राज्य द्वारा दी गई गारंटी में पहले के सामान्य ऋण करार का उल्लेख किया गया है जो नए एससीए अर्थात् त्रिपुरा ओबीसी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. को दिए गए ऋण को कवर करने का प्रयोजन दर्शाता है। अतः केवल एक अलग ऋण करार नहीं होने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नए एससीए को ऋण नहीं दिए गए और निगम की ऋण नीति का उल्लंघन कर ऋण स्वीकृत किए गए। इस विषय वस्तु पर निगम द्वारा ली गई कानूनी और पेशेवर राय के अनुसार, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एन.बी.सी.सी.एफ.डी.सी. को त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड से लंबित देय की वसूली का पूरा अधिकार है। तथापि, निगम ने इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए नए शपथ-पत्र/वचन दिनांक 10.08.2023 निष्पादित कर कार्रवाई आरंभ की है, जिससे समान्य ऋण करार दिनांक 24.05.1995 की सेवा-शर्तें त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव विकास निगम लि. पर लागू हैं। उपरोक्त प्रबंधन, की दृष्टि से एनबीसीएफडीसी के पक्ष में त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी गारंटी द्वारा ऋण समर्थित है। अतः त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड को प्रदान किए गए ऋण प्रकृति में सुरक्षित हैं। इसलिए, अतिदेय पर प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है और लेखा बहियों में वर्तमान देनदारियों को कम करके तथा साथ-साथ आय को अधिक करके नहीं दिखाया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

ANNEXURE - 9

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders.

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by the concerned State Governments/Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with the Corporation. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/ non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board of the Corporation strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, channel partners and the society at large. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships other than NBCFDC
Sh. Rajan Sehgal* (DIN 03633935)	Executive	1/3	No	-
Sh. Rajnish Kumar Jenaw** (DIN 09056584)	Non-Executive	3/3	Yes	2
Sh. Sanjay Pandey (DIN 08453230)	Non-Executive	3/3	Yes	3
Dr. Subhransu Sekhar Acharya (DIN 06727939)	Non-Executive	2/3	No	2
Sh. R.V. Ramakrishna (DIN 08667163)	Non-Executive	3/3	Yes	2
Sh. Sanjay Kumar Singh (DIN 09403132)	Non-Executive	3/3	No	-
Smt. Pinki Kumari (DIN 09433819)	Non-Executive	3/3	No	-

Note: * Appointed as Managing Director w.e.f. 02.01.2023
** Additional charge of Managing Director up to 02.01.2023

अनुलग्नक - 9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चत किया जाता है कि इसके समस्त लेन-देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, कानूनी एवं प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा समस्त अंशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए; जबकि शेष सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) एवं इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पीएसबी/ आरआरबी) जिनके साथ निगम द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारकों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रंबध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में उपयुक्त अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निगम का निदेशक मण्डल सभी हितधारकों जैसे अंशधारकों, कर्मचारियों, चैनल सहभागियों एवं वृहत स्तर पर समाज के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करता है। निदेशक मंडल नीतियों एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती/डा.)	श्रेणी	निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद कुल बैठकें निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया(हॉ/नहीं)	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अलावा संख्या जिसमें निदेशक हैं
श्री राजन सहगल * (डिन 3633935)	कार्यकारी	1/3	नहीं	-
श्री रजनीश कुमार जैनव** (डिन 09056584)	गैर- कार्यकारी	3/3	हाँ	2
श्री संजय पाण्डेय (डिन 08453230)	गैर- कार्यकारी	3/3	हाँ	3
डा0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य (डिन 06727939)	गैर- कार्यकारी	2/3	नहीं	2
श्री आर.वी. रामाकृष्ण (डिन 08667163)	गैर- कार्यकारी	3/3	हाँ	2
श्री संजय कुमार सिंह (डिन 09403132)	गैर- कार्यकारी	3/3	नहीं	-
श्रीमती पिंकी कुमारी (डिन 09433819)	गैर- कार्यकारी	3/3	नहीं	-

नोटः * दिनांक 02.01.2023 से प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त
** दिनांक 02.01.2023 तक प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार

2. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2022-23, three Board meetings were held. Attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
128	28.06.2022	SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,MD, NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	-
129	14.11.2022	SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,MD, NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, CGM, SIDBI
130	30.01.2023	SHRI RAJAN SEHGAL,MD,NBCFDC SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD, NSFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक सूची जो इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु आरक्षित होती है जिसमें कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता-ज्ञापन के सबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ-साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर नियमित समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।.

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेंण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती है। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार-विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया गया। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की तीन बैठकें आयोजित की गई। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
128	28.06.2022	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	-
129	14.11.2022	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह,गैर-सरकारी निदेशक श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	डॉ0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मु. महाप्रबन्धक, सिडबी
130	30.01.2023	श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री रजनीश कुमार जैनव, अ. एवं प्र.नि., एन.एस.एफ.डी.सी श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	

3.3. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e.**www.nbcfdc.gov.in**. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. Sub-Committees of the Board

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look into different areas of strategic impotence in terms of Companies Act 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

4.1 Audit Committee

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 27.12.2021. During the financial year two meetings of the audit committee was held on 28.06.2022 & 14.11.2022.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The composition of Audit Committee as on 31.03.2023 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Mr. Sanjay Pandey, Chairman	Official Director
Mr. Rajan Sehgal, Member	Functional Director
Mr. R. V. Ramakrishna, Member	Non-Executive Director
Mr. Sanjay Kumar Singh, Member	Independent Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

4.2 CSR Committee

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has reconstituted CSR Committee on 27.12.2021. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met once during the year under review on 28.06.2022. The composition of CSR committee as on 31.03.2023 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Mr. Rajan Sehgal, Member	Functional Director
Mr. Sanjay Pandey, Member	Official Director
Dr. Subranshu Sekhar Acharya, Member	Non-Executive Director
Smt. Pinki Kumari (NOD), Member	Independent Director

4.3 Remuneration Committee

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. During the financial year, only one meeting of the Remuneration Committee held on 30.01.2023. The composition of Remuneration committee as on 31.03.2023 is as under:

Name of Director (S/Shri)	Category
Mr. Sanjay Pandey, Member	Official Director
Mr. Rajan Sehgal, Member	Functional Director
Mr. Sanjay Kumar Singh (NOD), Member	Independent Director

5. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration

3.3. आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। आचार संहिता की प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. निदेशक मण्डल की उप-समितियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि रखने हेतु निगम के निदेशक मण्डल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

4.1 लेखा-परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अतः इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 27.12.2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की मात्र दो बैठकें दिनांक 28.06.2022 एवं 14.11.2022 को आयोजित हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पाण्डेय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल, सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री आर.वी.रामाकृष्ण, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्री संजय कुमार सिंह, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से को-टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

4.2 सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची-VII एवं कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी ने दिनांक 27.12.2021 को सी.एस.आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यों के साथ-साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है :

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख-रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की एक बार दिनांक 28.06.2022 को बैठक हुई। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री राजन सहगल, सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री सुभ्रांशू शेखर आचार्य, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्रीमती पिंकी कुमारी,(गैर-सरकारी निदेशक), सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

4.3 पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर-यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर- यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 30.01.2023 को हुई थी। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल, सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री संजय कुमार सिंह, (गैर-सरकारी निदेशक), सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की

of Managing Director is decided by the Government of India. The Government's letter of appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

5.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

5.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of Rs. 5000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

5.3. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in.

6. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

Sl. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2019-2020	30.12.2020 1400 hours	Through Video Conference (VC), at Registered Office of the Corporation.
2	2020-2021	24.11.2021 1230 hours	Through Video Conference (VC), at Registered Office of the Corporation.
3	2021-2022	28.09.2022 1130 hours	New Conference Room No. 627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

8. Disclosures

a) There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b) The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.

c) There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

d) The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

9. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.03.2023 is Rs. 1499.40 Crore. During the year under report, no budgetary support received from the Government of India. Against the paid up capital received from Govt. of India 14,99,399 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India on behalf of President of India.

10. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/ performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee and other such committees, from time to time.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 01.09.2023

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Dr. S.S.Acharya)
Director
(DIN No.06727939)

विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा-शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगें।

5.1 सरकार के नामिनी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

5.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रु. 5000/- का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

5.3. वार्षिक रिर्टन का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिर्टन का अंश फार्म एमजीटी-9 कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड किया गया है।

6. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में, उचित जोखिम मूल्यांकन, प्रबंधन और न्यूनतम ढांचे के साथ-साथ आंतरिक मूल्यांकन ढांचे, एकीकृत और कॉर्पोरेट के साथ एकरूप करने हेतु एक जोखिम प्रबंधन नीति को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2019-2020	30.12.2020 1400 बजे	वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से, निगम पंजीकृत कार्यालय
2	2020-2021	24.11.2021 1230 बजे	वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से, निगम पंजीकृत कार्यालय
3	2021-2022	28.09.2022 1130 बजे	न्यू कांफ्रेस कक्ष सं. 627, शात्री भवन, नई दिल्ली-110001

8. प्रकटन

क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा हुआ हो।

ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।

ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।

घ) लागू वित्तीय विवरण आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम की संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

9. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2023 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1499.40 करोड़ है। वर्ष की अवधि में, रिपोर्ट के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000/- प्रत्येक के 14,99,399 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमित्त रु. 1000/- मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।.

10. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय-समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/ स्थायी समिति एवं इस प्रकार की अन्य समितियों द्वारा भी समय-समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(डा0 एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/09/2023

VAP & Associates
Company Secretaries

387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 – 9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
New Delhi

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2023, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the above mentioned DPE Guidelines, except the following observations:

1. Composition of the Board and Committee(s) was not in accordance with the DPE Guidelines. One-third of the Board did not comprise of Independent Directors. Two-thirds of the members of Audit Committee shall be Independent Directors and the Chairman of the Audit Committee shall be an Independent Director, Remuneration Committee should be comprising of at least three Directors, all of whom should be part-time Directors (i.e. Nominee Directors or Independent Directors) and the Remuneration Committee should be headed by an Independent Director.
2. The Board shall meet at least once in every three months and the time gap between any two Board Meetings should not be more than three months. However, on perusal of records of the Company, we observed that only three meeting were held and the time gap between Board Meetings dated 24.03.2022, 28.06.2022 and 14.11.2022 was exceeding 3 (three) months.
3. The Audit Committee should meet at least four times in a year and not more than four months shall elapse between two meetings. However, on perusal of records of the Company, we observed that the Audit Committee has met only two times and the time gap between Meetings 28.06.2022 and 14.11.2022 was exceeding 4 (Four) months.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
Firm Reg. No. S2014UP280200

Sd/-
Parul Jain
Proprietor
C.P. No. 13901
M. No. F8323

Place: Ghaziabad
Date: 24.08.2023

VAP & Associates
Company Secretaries

387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 – 9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ('द कंपनी')
नई दिल्ली।

हमने कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बहियों, रिकार्ड एवं विवरणियों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा-निर्देशों एवं संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005-जीएम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में ग्राह्य उक्त कथित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यय करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित समस्त दशाओं का निगम द्वारा अनुपालन किया गया है; निम्नलिखित प्रेक्षणों के अतिरिक्तः

1. निदेशक मण्डल और समिति(यों) की संरचना डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक एक तिहाई शामिल नहीं थे। अकेंक्षण समिति में दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे एवं अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा होगा, पारिश्रमिक समिति में कम से कम तीन निदेशक शामिल होने चाहिए, जिनमें सभी अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए।
2. निदेशक मण्डल की प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक होगी एवं किन्हीं दो निदेशक मण्डल बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि निदेशक मण्डल की केवल तीन बैठकें दिनांक 24.03.2022, 28.06.2022 एवं 14.11.2022 को आयोजित की गईं; बैठकों के बीच का अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक था।
3. अकेंक्षण समिति की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होनी चाहिए एवं 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल चार महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि वर्ष के दौरान अकेंक्षण समिति की मात्र दो बैठकें दिनांक 26.08.2022 एवं 14.11.2022 को हुई, बैठकों के बीच का समय अंतराल 4 (चार) महीने से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, हम यह व्यक्त करते है कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए ना तो भविष्य की व्यवहारिकता के रूप मे आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोशिएट
कम्पनी सचिव
फर्म पंजीकरण सं. S2014UP280200
पियर रिव्यू सं. 1083/2021

ह0/-
पारूल जैन
प्रोप्राइटर
सी.पी.न. 13901
सदस्य सं. एफ. 8323

स्थानः गाज़ियाबाद
दिनांकः 24.08.2023

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

सत्यमेव जयते

No.:CW/1-22/NBCFDC/2023-24/153 Dated: 18.09.2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
5th फ्लोर, अन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3,
अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-16

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'Nil Comments Certificate' I

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत **नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर **'Nil Comments Certificate'** भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजेने की कृपा करें।

भवदीय,

सतीश
18/9/2023

(सतीश कुमार)
निदेशक(CAW)

Ph.: 91-1123454100
Fax: 91-1123702271
DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

सत्यमेव जयते

सं.: सीडब्ल्यू/1-22/एन.बी.सी.एफ.डी.सी./2023-24/153 Dated: 18.09.2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3,
अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-16

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'Nil Comments Certificate' l

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत **नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर **'Nil Comments Certificate'** भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजेने की कृपा करें।

भवदीय,

सतीश
18/9/2023

(सतीश कुमार)
निदेशक (सीएडब्ल्यू)

Ph.: 91-1123454100
Fax: 91-1123702271
DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

The preparation of financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing an opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on an independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30.06.2023 and revised report dated 13.06.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** for the year ended 31 March, 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi
Dated: 18.09.2023

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सावंधिक लेखापरीक्षक का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी अंकेक्षित रिपार्ट दिनांक 30.06.2023 एंव संशोधित रिपोर्ट दिनांक 13.09.2023 के द्वारा की गई है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** का 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत वित्तीय लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांवधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों की पहुंच के बिना की गई है एवं सांवधिक लेखापरीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जाय।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके निमित्त

(राजीव कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.09.2023

D.C. GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No. 500035N

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone IND AS financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2023,** the Statement of Income and Expenditure, statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by **the Companies Act, 2013** ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2023**, its **surplus** and cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the separate Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Qualified Opinion

1. *Loan disbursed to "Tripura OBC Co-operative Development Corporation having an outstating amount of Rs. 1546.65 Lacs has* been *sanctioned in violation of the loan policy of the corporation. No General Loan Agreement has been executed with the said State Channelising Agency (SCA). The loan has been rescheduled in previous year and amount shouted be considered unsecured. No applicable provision on overdues has been made in the books amounting to Rs.230.87 lacs. This has overstated the income and understated the current liability by a similar amount.*

Key audit matters

Key audit matter s are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit oi otherwise appears to be materially misstated.

डी.सी.गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं. 500035एन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय खातों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** ("एक कंपनी") के अंकेक्षित वित्तीय वक्तव्यों जिसमें **31 मार्च, 2023** की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य, उसी समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण **कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम')** द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की **31 मार्च, 2023** को स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार प्रथक भारतीय लेखाकरण मानकों के रूप वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

सीमित अभिमत

1. *"त्रिपुरा ओ.बी.सी. सहकारी विकास निगम को रू. 1546.65 लाख की बकाया राशि का ऋण निगम की ऋण नीति का उल्लंघन कर वितरण किया गया है। उक्त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) के साथ कोई सामान्य ऋण समझौता निष्पादित नहीं किया गया है। ऋण को पिछले वर्ष में पुनर्निर्धारित किया गया है एवं राशि को असुरक्षित माना जाना चाहिए। रू. 230.87 लाख की राशि का बहियों में अतिदेय पर लागू प्रावधान नहीं किया गया है। इससे आय को बढा हुआ एवं समान धनराशि को चालू दायित्व में कम करके दिखाया गया है।*

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कपंनी पर लागू नहीं हैं क्योकि यह एक असूचीबद्ध कपंनी है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते है, जो उस पर परिणामतः हो।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है।

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The boards of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to Ievidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matteis, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय खातों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व-इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है।

कंपनी की योग्यता का आकलन करने हेतु वित्तीय लेखों को दैनिक आधार पर तैयार करना एवं लेखाकरण का दैनिक आधार पर प्रयोग करना जब तक की कंपनी को बंद करने की अथवा संचालन को रोकने की इच्छा प्रबंधन की न हो अथवा उचित विकल्प न हो, फिर भी ऐसा करें, कि प्रकटन का दायित्व प्रबंधन का है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वः

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके। गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानों के चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों की पहचान और आकलन किया है उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और उन जोखिमों के जिम्मेदार लेखापरीक्षा प्रक्रिया को किया है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखेबाजी के कारण भौतिक गलत बयानबाजी का परिणाम त्रुटि का पता नहीं लगने के परिणाम से उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत जालसाजी जानबूझकर चूक गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण सम्मिलित हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टी प्रकटन का मूल्यांकन किया।
- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदलना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सततता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुतीकरण करते हैं।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में प्रभारित किया गया है और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां सम्मिलित हैं जिनकी अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं हम संसूचित करते हैं।

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 2020** ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

   (c) The balance sheet, the statement of Income and Expenditure, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under sectioii 133 of the Act.

   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023 from *being* appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

   (f) With respect to the adequacy of internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements.

   (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act,

   In our opinion and according to the information and explanation given to us, Government companies vide MCA's notification published in Gazette Dt. 5th June, 2015 are exempts from the applicability of provisions of section 197 read with schedule V to the companies Act regarding managerial remuneration.

   (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the **Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014**, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

      i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its standalone financial statements.

      ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts foi which there were any material foreseeable losses; and

      iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transfeii ing amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.

      iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, to the Standalone Financial Statements, no funds (which ale material either individually or in aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to oi in any other person or entity, including foreign entity ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा व अन्य मामलों को संसूचित करना है। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे; अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2020 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं किः

   क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

   ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

   घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ड) 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक-मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, नए "अनुलग्रक ए" पर दी गई हमारी प्रथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

   छ) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

   हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकारी कंपनियों को 5 जून, 2015 के राजपत्र में प्रकाशित एमसीए की अधिसूचना के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

   ज) **कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014** के नियम-11 यथा संसोधित के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः-

      i) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके एकल वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया होगा।

      ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।

      iii) विलंब से संबंधित उप-नियम के संबंध में यदि कोई हो, धनराशि अंतरित करने में, जिसे कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन फंड में अंतरित करना अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 की कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं है।

      iv) (क) प्रबंधन ने वर्णित किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों में, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (न तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा निधियों के प्रकार से) वचन-बंध से नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए

guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Pai4ies), with the understanding, whether, directly or indirectly, lend or invest in other' persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trial (edit log) facility is applicable to the company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the for the financial 'year ended March 31, 2023.

2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per **Annexure-B,** our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30.06.2023

अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रबंधन ने वर्णित किया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी तरह से उधार या निवेश या अंतिम लाभार्थियों के निमित्त कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा इस जैसी अन्य वस्तु उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत व उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) व (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण सम्मिलित हो।

v) लेखाकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की बहियाँ बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रायल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है, और तदनुसार, कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट **अनुलग्रक-ख** के रूप में संलग्न है।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-
सी.ए. संदीप गर्ग
पार्टनर
सदस्य सं.: 075312
यू.डी.आई.एन.23075312BGYEAP6909

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2023

ANNEXURE — A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Backward Classes Finance And Development Corporation**("the Corporation") as of **March 31, 2023** in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and the guidance notes on audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my /oui audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) piovide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम') की धारा-143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** (कंपनी) के **31 मार्च, 2023** की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय लेखों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस नोट में वर्णित (दिशा निर्देश टिप्पणी) आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ लागू होती हैं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना सम्मिलित है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन-देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन-देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ-गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर,

to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects *subject to our observation*, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of' internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- *The corporation does not have any Loan Recovery Policy specially in the case of secured lending. Instances of defaults in loans backed by State Government Guarantee were observed where corporation has not invoked the said guarantees.*

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30.06.2023

दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया का क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारे प्रेक्षण के अधीन मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

- *विशेषतः सुरक्षित ऋणों के मामले में निगम के पास कोई ऋण वसूली नीति नहीं है। राज्य शासकीय गारंटी द्वारा समर्थित ऋणों में चूक की अवस्थाओं का प्रेक्षण किया गया; जहाँ निगम ने कथित गारंटी का प्रयोग नहीं किया है।*

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-
सी.ए. संदीप गर्ग
पार्टनर
सदस्य सं.: 075312
यू.डी.आई.एन.23075312BGYEAP6909

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2023

ANNEXURE — "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on direction issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

With reference letter No. AMG-V/4-13/PSU Appt. of Int. Auditor/2020-21/463 dated 14.10.2022 of the office of the Principal Director of Audit (Central Expenditure), Indraprastha Estate, New Delhi.

S. No.	Directions	Reply
1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of the accounting transactions outside IT system on the integrity of their accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the corporation has system in place to process all accounting transaction through IT system. The corporation is using Tally ERP 9 and LEAP software for accounting. No accounting transaction have been processed/ carried outside IT system.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	The Corporation has not borrowed any sum from any lender, hence not applicable.
3.	Whether funds for specific schemes from Central/ State agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	As per information and explanation given to us and based on the examination of records of funds received/ receivable for specific scheme from state/ central agencies utilised as per the respective terms and conditions.

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30.06.2023

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान, निदेशक लेखा परीक्षक (केन्द्रीय व्यय), इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002 के पत्र सं. एएमजी-V/4-13/पीएसयू अपा. ऑफ इं. आडिटर/ 2020-21/463 दिनांक 14.10.2022 के संदर्भ में।

क्र. स.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत् करने के लिए तंत्र है ? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं।	जी हां, निगम के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने की प्रणाली है। निगम लेखांकन के लिए टैली ई.आर.पी. 9 और लीप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। कोई भी लेखांकन लेनदेन आई.टी. तंत्र के बाहर नहीं संसाधित/किया गया है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण की भुगतान सूची पुनः बनाई गई है या कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ माफी के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	निगम ने कोई भी धनराशि किसी उधारदाता से उधार नहीं ली है, अतः लागू नहीं है।
3	क्या केंद्र /राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि को उसकी सेवा और शर्तों के अनुसार उपयोग करने के लिए ठीक से आगणन किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और राज्य/केंद्रीय एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-
सी.ए. संदीप गर्ग
पार्टनर
सदस्य सं.: 075312
यू.डी.आई.एन.23075312BGYEAP6909

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2023

D.C. GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No. 500035N

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
REVISED

Report on the audit of the financial statements

Opinion

With reference to our statutory audit report dated 30.06.2023 on the financial accounts of the corporation for the year ended 31.03.2023. We are issuing this revised audit report in view of certain facts which came to our knowledge after issuing the earlier report. There is no amendment required in the financial statements audited by us.

We have audited the accompanying standalone IND AS financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2023,** the Statement of Income and Expenditure, statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by **the Companies Act, 2013** ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2023**, its **surplus** and cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the separate Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Qualified Opinion

1. *Loan disbursed to "Tripura OBC Co-operative Development Corporation having an outstating amount of Rs. 1546.65 Lacs has* been *sanctioned in violation of the loan policy of the corporation. No General Loan Agreement has been executed with the said State Channelising Agency (SCA). The loan has been rescheduled in previous year and amount shouted be considered unsecured. No applicable provision on overdues has been made in the books amounting to Rs.230.87 lacs. This has overstated the income and understated the current liability by a similar amount.*

Key audit matters

Key audit matter s are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

डी.सी.गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं. 500035एन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
संशोधित

वित्तीय खातों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय खातों पर हमारी तथ्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 30.06.2023 के संदर्भ में, कुछ तथ्यों के मद्देनजर हम यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जो तथ्य पूर्व में रिपोर्ट जारी करने के पश्चात हमारे संज्ञान में आए थे। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

हमने **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** ("एक कंपनी") के अंकेक्षित वित्तीय वक्तव्यों जिसमें **31 मार्च, 2023** की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य, उसी समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण **कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम')** द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की **31 मार्च, 2023** को स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार प्रथक भारतीय लेखाकरण मानकों के रूप वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

सीमित अभिमत

1. *"त्रिपुरा ओ.बी.सी. सहकारी विकास निगम को रू. 1546.65 लाख की बकाया राशि का ऋण निगम की ऋण नीति का उल्लंघन कर वितरण किया गया है। उक्त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) के साथ कोई सामान्य ऋण समझौता निष्पादित नहीं किया गया है। ऋण को पिछले वर्ष में पुनर्निर्धारित किया गया है एवं राशि को असुरक्षित माना जाना चाहिए। रू. 230.87 लाख की राशि का बहियों में अतिदेय पर लागू प्रावधान नहीं किया गया है। इससे आय को बढा हुआ एवं समान धनराशि को चालू दायित्व में कम करके दिखाया गया है।*

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कपंनी पर लागू नहीं हैं क्योकि यह एक असूचीबद्ध कपंनी है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit oi otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The boards of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to Ievidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते है, जो उस पर परिणामतः हो।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय खातों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व-इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है।

कंपनी की योग्यता का आकलन करने हेतु वित्तीय लेखों को दैनिक आधार पर तैयार करना एवं लेखाकरण का दैनिक आधार पर प्रयोग करना जब तक की कंपनी को बंद करने की अथवा संचालन को रोकने की इच्छा प्रबंधन की न हो अथवा उचित विकल्प न हो, फिर भी ऐसा करें, कि प्रकटन का दायित्व प्रबंधन का है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वः

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके। गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानों के चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों की पहचान और आकलन किया है उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और उन जोखिमों के जिम्मेदार लेखापरीक्षा प्रक्रिया को किया है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखेबाजी के कारण भौतिक गलत बयानबाजी का परिणाम त्रुटि का पता नहीं लगने के परिणाम से उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत जालसाजी जानबूझकर चूक गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण सम्मिलित हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टी प्रकटन का मूल्यांकन किया।
- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदलना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सततता समाप्त हो सकती है।

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matteis, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 2020** ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

   (c) The balance sheet, the statement of Income and Expenditure, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under sectioii 133 of the Act.

   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023 from *being* appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

   (f) With respect to the adequacy of internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements.

   (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act,

   In our opinion and according to the information and explanation given to us, Government companies vide MCA's notification published in Gazette Dt. 5th June, 2015 are exempts from the applicability of provisions of section 197 read with schedule V to the companies Act regarding managerial remuneration.

   (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the **Companies (Audit and Auditors) Rules, 2020**, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

      i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its standalone financial statements.

      ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts foi which there were any material foreseeable losses; and

      iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transfeii ing amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुतीकरण करते हैं।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में प्रभारित किया गया है और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां सम्मिलित हैं जिनकी अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं हम संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा व अन्य मामलों को संसूचित करना है। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे; अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2020 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं किः

    क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

    ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

    ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

    घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

    ड) 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक-मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

    च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, नए "अनुलग्नक ए" पर दी गई हमारी प्रथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

    छ) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

    हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकारी कंपनियों को 5 जून, 2015 के राजपत्र में प्रकाशित एमसीए की अधिसूचना के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

    ज) **कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2020** के नियम-11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः-

    i) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके एकल वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया होगा।

    ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।

    iii) विलंब से संबंधित उप-नियम के संबंध में यदि कोई हो, धनराशि अंतरित करने में, जिसे कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन फंड में अंतरित करना अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 की कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं है।

iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, to the Standalone Financial Statements, no funds (which ale material either individually or in aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to oi in any other person or entity, including foreign entity ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Pai4ies), with the understanding, whether, directly or indirectly, lend or invest in other' persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. The company has neither declared nor paid any dividend during the year.

vi. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trial (edit log) facility is applicable to the company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the for the financial 'year ended March 31, 2023.

2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per **Annexure-B,** our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 13.09.2023

iv) (क) प्रबंधन ने वर्णन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों में, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (न तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा निधियों के प्रकार से) वचन-बंध से नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रबंधन ने वर्णन किया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी तरह से उधार या निवेश या अंतिम लाभार्थियों के निमित्त कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा इस जैसे अन्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत व उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) व (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण सम्मिलित हो।

v) वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही दिया है।

vi) लेखाकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की बहियाँ बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रायल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है, और तदनुसार, कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न है।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-
सी.ए. संदीप गर्ग
पार्टनर
सदस्य सं.: 075312
यू.डी.आई.एन.23075312BGYEAP6909

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2023

ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Backward Classes Finance And Development Corporation**("the Corporation") as of **March 31, 2023** in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and the guidance notes on audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my /oui audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) piovide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम') की धारा-143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** (कंपनी) के **31 मार्च, 2023** की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय लेखों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस नोट में वर्णित (दिशा निर्देश टिप्पणी) आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ लागू होती हैं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना सम्मिलित है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन-देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन-देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ-गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर,

to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects *subject to our observation*, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of' internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- *The corporation does not have any Loan Recovery Policy specially in the case of secured lending. Instances of defaults in loans backed by State Government Guarantee were observed where corporation has not invoked the said guarantees.*

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 13.09.2023

दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया का क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारे प्रेक्षण के अधीन मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

- *विशेषतः सुरक्षित ऋणों के मामले में निगम के पास कोई ऋण वसूली नीति नहीं है। राज्य शासकीय गारंटी द्वारा समर्थित ऋणों को चूक की अवस्थाओं का प्रेक्षण किया गया; जहाँ निगम ने कथित गारंटी का प्रयोग नहीं किया है।*

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-
सी.ए. संदीप गर्ग
पार्टनर
सदस्य सं.: 075312
यू.डी.आई.एन.23075312BGYEAP6909

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2023

ANNEXURE — "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on direction issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

With reference letter No. AMG-V/4-13/PSU Appt. of Int. Auditor/2020-21/463 dated 14.10.2022 of the office of the Principal Director of Audit (Central Expenditure), Indraprastha Estate, New Delhi.

S. No.	Directions	Reply
1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of the accounting transactions outside IT system on the integrity of their accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the corporation has system in place to process all accounting transaction through IT system. The corporation is using Tally ERP 9 and LEAP software for accounting. No accounting transaction have been processed/ carried outside IT system.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. **Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company.)**	The Corporation has not borrowed any sum from any lender, hence not applicable. Further as a Lender Company, the corporation had not restructured, waived/write off any loan/debts during the financial year 2022-23. However an amount of Rs. 44.57 Lacs on account of penal interest was waived off (refer note no. 39 of the Financial Statement) as per One Time Settlement Scheme of the corporation.
3.	Whether funds **(grants/subsidy)** for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	As per information and explanation given to us and based on the examination of records of funds (grants/subsidy) received/ receivable for specific scheme from state/ central agencies utilised as per the respective terms and conditions.

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 13.09.2023

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान, निदेशक लेखा परीक्षक (केन्द्रीय व्यय), इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002 के पत्र सं. एएमजी-V/4-13/पीएसयू अपा. ऑफ इं. आडिटर/ 2020-21/463 दिनांक 14.10.2022 के संदर्भ में।

क्र. स.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत् करने के लिए तंत्र है ? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं।	जी हां, निगम के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने की प्रणाली है। निगम लेखांकन के लिए टैली ई.आर.पी. 9 और लीप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। कोई भी लेखांकन लेनदेन आई.टी. तंत्र के बाहर नहीं संसाधित/किया गया है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण की भुगतान सूची पुनः बनाई गई है या कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ माफी के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। **क्या ऐसे मामलों का समुचित रूप से लेखाकंन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)**	निगम ने कोई भी धनराशि किसी उधारदाता से उधार नहीं ली है, अतः लागू नहीं है। एक ऋणदाता कंपनी के रूप में पुनश्चः निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी ऋण/कर्ज का पुननिर्धारण, माफ़ी/बट्टे खाते में नहीं डाला। हालाँकि, निगम की एकमुश्त निपटान योजना के अनुसार दंड ब्याज रू. 44.57 लाख की राशि माफ की गई (वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 39 देखें)।
3	क्या केंद्र /राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए **(अनुदान/सब्सिडी)** धनराशि को उसकी सेवा और शर्तों के अनुसार उपयोग करने के लिए ठीक से आगणन किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और राज्य/केंद्रीय एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए (अनुदान/ सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्य धनराशि के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-
सी.ए. संदीप गर्ग
पार्टनर
सदस्य सं.: 075312
यू.डी.आई.एन.23075312BGYEAP6909

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2023

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET as at 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, plant and equipment	3	72.54	76.96
	(b) Other intangible assets	4	7.79	11.84
	(i) Intangible asset under development		-	-
	(c) Right of Use Assets	3.1	38.20	38.78
	(d) Financial assets			
	(i) Loans	6	150,641.56	150,032.34
	(ii) Others	7	618.07	655.47
	(e) Other non-current assets	8	65.51	68.55
			151,443.66	**150,883.94**
2	**Current assets**			
	(a) Financial assets			
	(i) Trade Receivable/Debtors	5	-	1.68
	(ii) Cash and cash equivalents	9	3,410.28	4,037.62
	(iii) Grant Fund	10	1,374.87	5,312.33
	(iv) Loans	6	53,746.29	50,682.14
	(v) Others	7	1,377.77	1,623.10
	(b) Current tax asset (Net)	11	0.59	29.72
	(c) Other current assets	8	10.96	24.83
			59,920.76	**61,711.41**
	Total Assets		**211,364.43**	**212,595.36**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity share capital	12	149,940.00	149,940.00
	(b) Other equity	13	59,987.52	56,924.55
			209,927.52	**206,864.55**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-current liabilities**			
	(a) Provisions	14	38.99	26.29
			38.99	**26.29**
(ii)	**Current liabilities**			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Others			
	- Total outstanding dues of Grants & Creditors other than micro enterprises and small enterprises	15	1,266.29	5,178.47
	- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	4.07
	(b) Other Current Liabilities	16	5.07	72.71
	(c) Provisions	14	126.56	449.27
			1,397.92	**5,704.52**
	Total Equity and Liabilities		**211,364.43**	**212,595.36**
III.	See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements	1 - 51		

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner : Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN : 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30/06/2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. Acharya
Director
(DIN No.06727939)

Sd/-
Rajan Sehgal
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I.	**परिसंपत्तियाँ**			
1	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	3	72.54	76.96
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	7.79	11.84
	(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		-	-
	(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3.1	38.20	38.78
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) ऋण	6	150,641.56	150,032.34
	(ii) अन्य	7	618.07	655.47
	(ड.) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	65.51	68.55
			151,443.66	**150,883.94**
2	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) प्राप्य व्यवसाय/देनदार	5	-	1.68
	(ii) नकद एवं नकदी समकक्ष	9	3,410.28	4,037.62
	(iii) अनुदान निधि	10	1,374.87	5,312.33
	(iv) ऋण	6	53,746.29	50,682.14
	(v) अन्य	7	1,377.77	1,623.10
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11	0.59	29.72
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	8	10.96	24.83
			59,920.76	**61,711.41**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**211,364.43**	**212,595.36**
II.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	149,940.00	149,940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	13	59,987.52	56,924.55
			209,927.52	**206,864.55**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर वर्तमान देयताएं**			
	(क) प्रावधान	14	38.99	26.29
			38.99	**26.29**
(ii)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य			
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अनुदानों एवं उधारदाताओं के देय योग बकाया	15	1,266.29	5,178.47
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के योग देय बकाया		-	4.07
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	16	5.07	72.71
	(ग) प्रावधान	14	126.56	449.27
			1,397.92	**5,704.52**
	कुल इक्विटी व देयताएं		**211,364.43**	**212,595.36**
III.	वित्तीय विवरण के लिए लेखाकंन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें	1 - 51		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. – 075312
यू.डी.आई.एन.: 23075312BGYEAP6909

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2023

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
डॉ0 एस.एस.आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 /-
राजन सहगल
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
अजित कुमार सामल
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Income & Expenditure Statement for year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the Year ended 31st March 2023	For the Year ended 31st March 2022
I.	Revenue from operations	17	5,312.74	5,321.53
II	Other Income	18	239.60	196.42
III	**Total Revenue (I+II)**		**5,552.35**	**5,517.95**
IV	**Expenses**			
	Allowance/Reversal for Loans & advances	19	511.85	526.09
	Penal Interest waived off and others	20	63.65	48.23
	Employee Benefit Expense	21	1,241.15	1,120.09
	Depreciation and Amortization Expense	22	27.51	36.89
	Training & Development Expenses	23	192.95	430.34
	Rebate on Interest on Loans & Advances	24	25.96	17.52
	Other Expenses	25	470.39	379.53
	Corporate Social Responsibility Expenses	28	25.42	44.64
	Total Expenses (IV)		**2,558.87**	**2,603.33**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		**2,993.48**	**2,914.62**
VI	Exceptional Items	27	(42.16)	(141.15)
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		3,035.64	3,055.77
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**3,035.64**	**3,055.77**
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**3,035.64**	**3,055.77**
XIV	**Other Comprehensive Income / (Expenses)**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	26	2.15	8.93
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		**3,037.79**	**3,064.70**
XVI	**Earning Per Equity share:**			
	(1) Basic (₹)	29	**20.25**	**20.38**
	(2) Diluted (₹)		**20.25**	**20.38**
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (₹)		-	-
	(2) Diluted (₹)		-	-
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (₹)	29	**20.25**	**20.38**
	(2) Diluted (₹)		**20.25**	**20.38**
XIX	See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements	1 - 51		

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner : Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN : 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30/06/2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. Acharya
Director
(DIN No.06727939)

Sd/-
Rajan Sehgal
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का आय व्यय विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	17	5,312.74	5,321.53
II	अन्य आय	18	239.60	196.42
III	**योग आय (I+II)**		**5,552.35**	**5,517.95**
IV	व्यय			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति/परिवर्तन	19	511.85	526.09
	माफ किया दण्ड ब्याज एवं अन्य	20	63.65	48.23
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,241.15	1,120.09
	मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	22	27.51	36.89
	प्रशिक्षण एवं विकास व्यय	23	192.95	430.34
	ऋणों पर ब्याज एवं अग्रिमों पर छूट	24	25.96	17.52
	अन्य व्यय	25	470.39	379.53
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	28	25.42	44.64
	कुल व्यय (IV)		**2,558.87**	**2,603.33**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का अधिक्य (III - IV)**		**2,993.48**	**2,914.62**
VI	असाधारण मदें	27	(42.16)	(141.15)
VII	**कर से पूर्व व्यय से आय का अधिक्य (V - VI)**		3,035.64	3,055.77
VIII	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**निरंतर संचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)**		**3,035.64**	**3,055.77**
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का अधिक्य		-	-
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	संचालन बंद करने से व्यय से आय का अधिक्य (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)**		**3,035.64**	**3,055.77**
XIV	**अन्य व्यापक आय / (व्यय)**			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी	26	2.15	8.93
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय एवं व्यय लेखे के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी		-	-
	ख. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय एवं व्यय लेखे के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	**अवधि में योग व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं समग्र आय से निर्मित)**		**3,037.79**	**3,064.70**
XVI	**प्रति साम्य अंश अर्जन:**			
	(1) मूलभूत (₹)	29	**20.25**	**20.38**
	(2) तनुकृत (₹)		**20.25**	**20.38**
XVII	प्रति साम्य अंश अर्जन:			
	(बंद परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)		-	-
	(2) तनुकृत (₹)		-	-
XVIII	**प्रति साम्य अंश अर्जन:**			
	(बंद एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)	29	**20.25**	**20.38**
	(2) तनुकृत (₹)		**20.25**	**20.38**
XIX	वित्तीय विवरण के लिए लेखांकन नीतियां एवं संगत टिप्पणियां देखें	1 - 51		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. – 075312
यू.डी.आई.एन.: 23075312BGYEAP6909

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2023

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
डॉ0 एस.एस.आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 /-
राजन सहगल
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
अजित कुमार सामल
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

National Backward Classes Finance and Development Corporation

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023		For the Year ended March 31, 2022	
A. Cash flow from Operating Activities				
Net Profit before Extraordinary Items and Tax		2,993.48		2,914.62
Adjustments for:				
Exceptional Items	42.16		141.14	
Depreciation & Amortization	27.51		36.89	
Other Comprehensive Income/(Expense)	2.15		8.93	
Adjustment for General Reserve	(0.99)		-	
Interest- Other Income	(223.01)	(152.18)	(181.57)	5.39
Operating Profit Before Working Capital Changes		**2,841.29**		**2,920.02**
Changes in working capital:				
Decrease / (Increase) in Current Trade receivable	1.68		1.29	
Decrease / (Increase) in Non-Current loans	(609.22)		(4,302.40)	
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets	37.41		(21.64)	
Decrease / (Increase) in Current loans	(3,064.15)		670.36	
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others	245.32		419.74	
Decrease / (Increase) in other non current assets	3.04		17.88	
Decrease / (Increase) in current tax assets	29.13		(1.62)	
Decrease / (Increase) in other current assets	13.87		(10.51)	
(Decrease) / Increase in other current financial liability	(3,916.23)		(1,025.61)	
(Decrease) / Increase in other current liability	(67.64)		(3.65)	
(Decrease)/ Increase in non current Financial Liability	12.70		17.49	
Changes in Other Bank Balances				
(Decrease)/ Increase in Current provisions	(322.71)	(7,636.80)	87.73	(4,150.94)
Cash generated from operations		**(4,795.51)**		**(1,230.92)**
Net Income Tax (Paid) net of Refunds		-		-
Net Cash Flow from / (used in) Operating Activities (A)		**(4,795.51)**		**(1,230.92)**
B. Cash Flow from Investing Activities				
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's	0.42		0.13	
Purchase of Property, Plant and Equipment's	(18.90)		(7.47)	
Interest Income	223.01	204.54	181.57	174.23
			-	
Net Cash Flow from/(used in) Investing Activities (B)		**204.54**		**174.23**
C. Cash Flow from Financing Activities				
Issue of Share Capital	-			
Adjustment in Other Equity	26.16		164.58	
Increase in share application money pending allotment				
Net Cash Flow from/(used in) Financing Activities (C)		**26.16**		**164.58**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		**(4,564.80)**		**(892.11)**
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 9&9.1)		9,349.95		10,242.06
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year		**4,785.15**		**9,349.95**

Components of Cash & Cash Equivalents as at the end of the year: *(₹ in Lakhs)*

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Cash - in - hand	-	-
Saving Bank Accounts	3,410.28	4,037.62
Other Bank Balance (Grant Funds)-Saving Bank	1,374.87	5,312.33
Share Application Money Pending allotment	-	-
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months		
Cash & Bank Balances	**4,785.15**	**9,349.95**
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months		
Cash & Cash Equivalent at the end of the year	**4,785.15**	**9,349.95**

Notes:

1. **The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.**
2. **Amendment to Ind-As 7**
   Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.
3. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner : Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN : 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30/06/2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. Acharya
Director
(DIN No.06727939)

Sd/-
Rajan Sehgal
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह				
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ		2,993.48		2,914.62
समायोजन हेतु:				
असाधारण मदें	42.16		141.14	
अवमूल्यन एवं परिशोधन	27.51		36.89	
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	2.15		8.93	
सामान्य आरक्षित के लिए समायोजन	(0.99)		-	
ब्याज- अन्य आय	(223.01)	(152.18)	(181.57)	5.39
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**2,841.29**		**2,920.02**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:				
वर्तमान व्यवसायिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	1.68		1.29	
गैर-वर्तमान ऋण में कमी/(वृद्धि)।	(609.22)		(4,302.40)	
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	37.41		(21.64)	
वर्तमान ऋण में कमी/(वृद्धि)।	(3,064.15)		670.36	
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्तियों में कमी / (वृद्धि)।	245.32		419.74	
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)।	3.04		17.88	
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	29.13		(1.62)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)।	13.87		(10.51)	
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी)/वृद्धि	(3,916.23)		(1,025.61)	
अन्य वर्तमान देयताएं में (कमी)/वृद्धि	(67.64)		(3.65)	
गैर वर्तमान वित्तीय देनदारी में (कमी)/वृद्धि	12.70		17.49	
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन				
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	(322.71)	(7,636.80)	87.73	(4,150.94)
संचालन से सृजित नकदी		**(4,795.51)**		**(1,230.92)**
शुद्ध वापसी का शुद्ध आयकर (भुगतान) किया गया		-		-
परिचालन गतिविधियों (क) से शुद्ध नकदी प्रवाह / (में प्रयुक्त)		**(4,795.51)**		**(1,230.92)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान	0.42		0.13	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(18.90)		(7.47)	
ब्याज आय	223.01	204.54	181.57	174.23
			-	
निवेश कार्यकलापों (ख) से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह		**204.54**		**174.23**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी का निर्गम	-			
अन्य इक्विटी में समायोजन	26.16		164.58	
अंश अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन में वृद्धि				
वित्तीय कार्यकलापों (ग) से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		**26.16**		**164.58**
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**(4,564.80)**		**(892.11)**
वर्ष की आरंभ में नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 9 एवं 9.1 देखें)		9,349.95		10,242.06
वर्ष के समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष		**4,785.15**		**9,349.95**

वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य के घटक:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पास में नकदी	-	-
बचत खातों में	3,410.28	4,037.62
अन्य बैंक अवशेष (अनुदान निधि)-बचत खाता	1,374.87	5,312.33
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
घटाएं: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियाँ		
नकद एवं बैंक अवशेष	**4,785.15**	**9,349.95**
कम: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियाँ		
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष	**4,785.15**	**9,349.95**

टिप्पणियाँ:

1. **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक -7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।**
2. **भारतीय लेखाकरण मानक-7 में संशोधन**
   1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है, कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक-7 संशोधन को अंगीकार किया है जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन-पत्र के आरंभिक शेष और अंतःशेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता हैं। संशोधन की ग्राह्यता का कोई भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. – 075312
यू.डी.आई.एन.: 23075312BGYEAP6909

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2023

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
डॉ0 एस.एस.आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 /-
राजन सहगल
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
अजित कुमार सामल
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the Year Ended 31st March, 2023

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	14,994,000.00	149,940.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year		
Balance at the end of the year	**14,994,000.00**	**149,940.00**

B. Other Equity **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	Post Retirement Medical Fund	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	1,000.00	164.58	55,759.97	-	56,924.55
Prior period Adjustments/Change in Accounting Policy (Refer note no. 36).	-	-			-	-
- Adjustment of depreciation	-	-			-	-
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**1,000.00**	**164.58**	**55,759.97**	**-**	**56,924.56**
Profit for the year	-	-		-	3,034.65	**3,034.65**
Other Comprehensive Income for the year	-	-		-	2.15	2.15
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**		**-**	**3,036.80**	**3,036.80**
Transfer to general reserve	-			3,036.80	(3,036.80)	-
Others					-	-
- Adjustment of depreciation	-	-		-	-	-
- Addition During The Year (See Note 13.1)	-		26.16			26.16
- Share Capital issued during the year	-					-
						-
Balance at the end of the year	**-**	**1,000.00**	**190.75**	**58,796.77**	**-**	**59,987.52**

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2022

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at April 1, 2021	14,994,000.00	149,940.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Balance at March 31, 2022	**14,994,000.00**	**149,940.00**

B. Other Equity

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	Post Retirement Medical Fund	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	2,500.00		51,195.27	-	53,695.27
Prior period Adjustments (Refer Note :- 36)	-	-		-	-	-
Adjustment of Depreciation				-		-
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**2,500.00**		**51,195.27**	**-**	**53,695.27**
Profit for the year restated	-	-		-	3,055.77	**3,055.77**
Other Comprehensive Income for the year	-	-		-	8.93	8.93
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**		**-**	**3,064.70**	**3,064.70**
Others						-
- Adjustment of depreciation	-					-
Transfer to General Reserve	-	(1,500.00)		3,064.70	(3,064.70)	(1,500.00)
Addition During The Year	-					-
- Addition During The Year (See Note 13.1)			164.58	1,500.00		1,664.58
Share Capital issued during the year	-					
Balance at the end of the year	**-**	**1,000.00**	**164.58**	**55,759.97**	**-**	**56,924.55**

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner : Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN : 23075312BGYEAP6909

Place: New Delhi
Date: 30/06/2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. Acharya
Director
(DIN No.06727939)

Sd/-
Rajan Sehgal
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन नंबर U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	अशों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	14,994,000.00	149,940.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनः निर्धारित अवशेष राशि		
चालू वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के अंत में अवशेष	**14,994,000.00**	**149,940.00**

ख. अन्य साम्य **(₹ लाख में)**

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेषआर-क्षित	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	1,000.00	164.58	55,759.97	-	56,924.55
पूर्वावधि समायोजन/लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 36 देखें)।	-	-			-	-
- मूल्यह्रास का समायोजन	-	-			-	-
वर्ष की आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**-**	**1,000.00**	**164.58**	**55,759.97**	**-**	**56,924.56**
वर्ष के लिए लाभ	-	-		-	3,034.65	**3,034.65**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-		-	2.15	2.15
वर्ष के लिए योग व्यापक आय	**-**	**-**		**-**	**3,036.80**	**3,036.80**
सामान्य आरक्षित में अंतरित	-			3,036.80	(3,036.80)	-
अन्य					-	-
- मूल्यह्रास का समायोजन	-	-		-	-	-
- वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 13.1 देखें)	-		26.16			26.16
- वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	-					-
						-
वर्ष के अंत में अवशेष	**-**	**1,000.00**	**190.75**	**58,796.77**	**-**	**59,987.52**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	अंशों की संख्या	मात्रा
1 अप्रैल, 2021 को अवशेष	14,994,000.00	149,940.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुर्ननिर्धारित अवशेष		
चालू वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2022 को अवशेष	**14,994,000.00**	**149,940.00**

ख. अन्य साम्य

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेषआरक्षित	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	2,500.00		51,195.27	-	53,695.27
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी:-36 देखें)	-	-		-	-	-
मूल्यह्रास का समायोजन				-		-
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**-**	**2,500.00**		**51,195.27**	**-**	**53,695.27**
वर्ष के लिए लाभ पुर्नवर्णित	-	-		-	3,055.77	**3,055.77**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-		-	8.93	8.93
वर्ष के लिए योग व्यापक आय	**-**	**-**		**-**	**3,064.70**	**3,064.70**
अन्य						-
- मूल्यह्रास का समायोजन	-					-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	(1,500.00)		3,064.70	(3,064.70)	(1,500.00)
वर्ष के दौरान जोड़ें	-					-
- वर्ष के दौरान जोड़ें (टिप्पणी 13.1 देखें)			164.58	1,500.00		1,664.58
वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	-					
वर्ष के अंत में अवशेष	**-**	**1,000.00**	**164.58**	**55,759.97**	**-**	**56,924.55**

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
डॉ0 एस.एस.आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 /-
राजन सहगल
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. – 075312
यू.डी.आई.एन.: 23075312BGYEAP6909

ह0 /-
अजित कुमार सामल
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2023

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

NOTES TO ACCOUNTS

Note 1 Corporate Information

National Backward Classes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Note 2 Accounting Policies

a) Statement of Compliance

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2023 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017 & 2018.

b) Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(b) Certain financial assets and liabilities

c) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

The Corporation has adopted the amendment to Ind- As 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities , including both changes arising from cash flow and non-cash changes, suggesting inclusion of reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

f) Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)
लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी: 1 निगमित सूचना

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं समूहों अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्यमीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3,सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में स्थित है।

टिप्पणी: 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 व 2018 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधारपर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है।

(क) परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

(ख) निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संज्ञान में आए/प्रकट हुए हैं, माना गया है

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूपए में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ङ) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन-देन की नकदी रहित प्रकृति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

निगम ने भारतीय लेखा मानक-7 के रूप में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों को तुलन-पत्र में प्रारंभिक जमा एवं अंतः शेष के मध्य मिलान को सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय वक्तव्यों पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ा।

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ-साथ प्रयोजन मूलक है।

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) Revenue recognition

a) Corporation recognizes revenue from contracts with customers based on a five -steps as set out in Ind As-115 :-.

(i) **Identify contracts with a customer :**- A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.

(ii) **Identify performance obligations in the contract :** A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.

(iii) **Determine the transaction price:** The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.

(iv) **Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract :** For a contract that has more than one performance obligation , the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

(v) **Recognise revenue:** when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of the asset.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

b) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.

c) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.

d) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

e) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-18 as its collectability is uncertain.

f) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.

g) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

h) Other Revenue Recognition :

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method

i) Revenue Grant from Government

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.
- Unspent grants & interest accrued in respect of Government grant are deferred & taken to current liabilities. Upon fully utilization and after audit of annual accounts of grant earning of interest shall be deposited in consolidated account of Government.

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्ययविवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन-पत्र की तिथि में लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है एवं विनिमय अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों से ठेके पर राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 पर आधारित पाँच चरणों को निगम मान्यता देता है

(i) **ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचान**:एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) **अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों को पहचान**: अनुबंध में ग्राहक से कार्यनिष्पादन की बाध्यता सामग्री अथवा सेवाओं के हस्तानांतरण का एक वादा है।

(iii) **लेन-देन की कीमत का निर्धारण**: लेन-देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में निगम को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

(iv) **अनुबंध में प्रदर्शित दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना**:एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक दायित्व हैं, निगम प्रत्येक दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य को आवंटित करता है, जिसमें निगम को उम्मीद है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करने के बदले में हकदारी राशि की मात्रा को दर्शाया गया है।

(v) **मान्य राजस्व**:निगम जब या जैसा कि एक ग्राहक से वादा किया सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। जब ग्राहक परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है।

राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर-वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

ख) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

ग) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना-वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

घ) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋणा उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

ङ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक-18 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित है।

च) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों के व्यय के लिए अनुदान का आगणन वितरण पर किया गया है।

ज) अन्य राजस्व मान्यता

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

झ) सरकार से राजस्व अनुदान

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान (चाहे प्राप्त हुई हो अथवा नहीं) को आय-व्यय विवरणी से संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- सरकारी अनुदान के संबंध में अर्जित अनुपभुक्त अनुदान और ब्याज वर्तमान देनदारियों के लिए आस्थगित हैं एवं वर्तमान दायित्वों में लिया गया है। पूरी तरह से उपभोग करने पर एवं अनुदान उपार्जन के वार्षिक खातों के अंकेक्षण के बाद सरकार के संचित निधि में जमा किया जाएगा।

- Interest accrued from other i.e CPSE etc , if any are recognised and taken in to as other income to meet out administrative /evaluation expenses.
- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

j) Corporate Social Responsibility (CSR) expenses , as per company act,2013 and any other grant are recognized on disbursal basis for reporting in Statement of Income and Expenditure

k) Income taxes

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

l.) Impact on any change/modification in accounting policy shall be recognised in the year of its occurrence. In terms of Ind- AS 8

m) Property, plant and equipment

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets

ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	**Useful Life (years)**
Building	60
Furniture & Fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles (Car/Scooter)	8/10
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

Residual values and useful lives are reviewed , and adjusted , if appropriate, for each reporting period

On tangible fixed assets added/disposed of during the year, depreciation is charged on pro-rata basis from the date of addition /till the date of disposal.

- अन्य अर्थात् केन्द्रीय लोक उद्यमों इत्यादि से उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मान्यता दी गई है तथा इसे अन्य आय के रूप में प्रशासनिक/मूल्यांकन व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया है।
- गत लेखाकरण अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए सरकार से प्राप्य अनुदानों को उस अवधि जिसमें अनुदान राशि प्राप्त हुई है, को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व(सीएसआर) व्यय एवं अन्य अनुदान को आय एवं व्यय के विवरण में रिपोर्टिंग के लिए वितरण के आधार पर माना गया है।

ट) आय कर

निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

ठ) भारतीय लेखाकरण मानक-8 के अनुसार लेखाकरण नीति में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रभाव उसके होने के वर्ष में माना जाता है।

ड) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित ह्रास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है। संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते है

i) परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।

ii) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मदों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल-पुर्जो की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य ह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में वर्णित है।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण की एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यहास किया जाता है, यदि मद की कुल लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार है

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
विवरण	**उपयोगी जीवन (वर्ष)**
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन (कार/स्कूटर)	8/10
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ए.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

ह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

अवशेष मूल्य एवं उपयोगी जीवन अवधि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षित एवं समायोजित की जाती है।

यदि उपयुक्त हो, वर्ष के दौरान जुड़ी/निस्तारण की गई, मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रो-रेटा आधार पर ली गई/निस्तारण तिथि पर प्रभारित किया जाता है।

n) Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any. Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

o) Impairment

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

p) Employee Benefits

a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.

b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.

c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.

d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income

e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.

f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE) The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.

g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

q) Earnings per Share

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

r) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event.

ढ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए उपयोग होंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है। पांचों वर्ष की अवधि में समानरूप से अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तब, परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

ण) क्षति

(i) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक-109 अपेक्षा करता है।

अनुबंधित परिसंपत्तियों/व्यावसायिक प्राप्य के अतिरिक्त समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह की समान धनराशि के आधार पर अथवा जीवन समयावधि ई.सी.एल. के बराबर धनराशि किया जाना होता है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर महत्वपूर्ण रूप से खर्च किया गया हो।

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुक्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी में अवधि के दौरान के आय/व्यय के रूप में माना गया है।

(ii) गैर-वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय खाते में लिया जाता है।

त) कर्मचारी लाभ

क) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रैच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

ख) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश) खाते मे प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।

ग) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाशन के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है तथा आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।

घ) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

ङ) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

च) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम /पेंशन फंड रेगूलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पी.एफ.आर.डी.ए.)के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

छ) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

थ) प्रति अंश आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके प्रति शेयर आय की गणना की गई है। गैर-मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

द) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है, जब

i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व हो।

(ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

(iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

s) Financial instruments:-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

(i) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

ii) आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं

iii) दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जब धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है

i) वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निस्तारणअपेक्षित होगा, अथवा

ii) वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा

iii) एक संभव दायित्व, जब-तक कि संसाधन का बहिगर्मन की संभाव्यता सुदूर हो

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती है जब आर्थिक लाभों का अन्तःगमन संभाव्य हो।

ध) वित्तीय उपकरण/साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन-देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगाः

(i) वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं

(ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

आय एवं व्यय विवरणी में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित होता है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

निम्नलिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते होः

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों-संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना जाता है। तथापि, आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उत्क्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि कंपनी मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड के रूप में अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड आदि को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नामित नहीं किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

s) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने किसी भी वित्तीय दायित्व को एफ.वी.टी.पी.एल. का नाम नहीं दिया है।.

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणादाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरहके विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

न) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन-देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तो:

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है

- स्तर 1- समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्त (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।
- स्तर 3- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ-प्रेक्षणीय होते हैं।

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्यों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रङ्कुति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

t) Current and Non- Current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current /non-current classification.

Cash or cash equivalent treated as current, unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. In respect of other assets, it is treated as current when it is:

* expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle.

*expected to be realised with in twelve months after the reporting period.

*held primarily for the purpose of trading/business

All other assets are classified as non -current.

A Liability is treated as current when :

* it is expected to be settled in normal operating cycle.

* it is held for the purpose of trading/business.

* it is due to be settled within twelve months after the reporting period .or

* there is no unconditional right to defer the settlement of liability for at least twelve months after the reporting period.

all other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The corporation has identified twelve months as its operating cycle.

u) LEASE :

The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset or the end of the lease term. In addition, Policy has been drafted as per Ind AS 116. the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero. The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Right of Use Assets" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet. Short term Lease and Leases of low value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. A lease is no longer enforceable when the lessee and the lessor each have the right to terminate the lease without permission from the other party with no more than an insignificant penalty.

ii. As A Lessor When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset. If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

Further, the Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

प) वर्तमान एवं गैर वर्तमान वर्गीकरण

निगम परसिंपत्तियों एवं दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

नकद या नकद समकक्ष को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, इसे वर्तमान के रूप में माना जाता है

* सामान्य परिचालन चक्र में बेचे या उपभोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।

* समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद है।

* प्रमुखतः व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया।

अन्य सभी परसिंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व को वर्तमान के रूप में माना जाता है जबः

* इसका सामान्य परिचालन चक्र में निस्तारण होने की प्रत्याशा हो,

* इसे व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया हो,

* इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद देय से बारह महीने के भीतर निस्तारण हो अथवा

* रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है!

अन्य सभी दायित्वों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रियागत और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। निगम ने बारह महीनों की पहचान अपने परिचालन चक्र के रूप में की है।

फ) पट्टा

कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देनदारी को मान्यता देती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और निकालने के लिए लागत का अनुमान सम्मिलित है या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुर्नस्थापित करने के लिए जिसपर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहित राशि को घटाया जाता है।

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के अथवा पट्टा की सीमा समाप्ति के तत्पश्चात् मूल्यह्रास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार नीति को तैयार किया गया है। संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार, विविक्षित हानि, यदि कोई हो, के कारण आवधिक तौर पर घट जाता है, और पट्टे की देयता के कुछ विशेष उपायों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा दायित्व का आरंभिक मापन पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य से किया जाता है जिसका आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, यदि वह दर कंपनी की वृद्धिशील उधारी दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसका पुनःमापन किया जाता है जब भविष्य में पट्टा भुगतान में परिवर्तन इन्डेक्स अथवा दर में परिवर्तन से होता है। जब पट्टा देयता इस तरह से पुनः मापन की जाती है, तो परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग संपत्ति के अधिकार को शून्य तक कम कर दिया गया हो। कंपनी संपत्ति उपयोग अधिकार को दर्शाती है जो "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" में संपत्ति निवेश की परिभाषा को पूरा नहीं करती है एवं तुलन-पत्र में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को पूरा करती है। अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे।

कंपनी ने उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों के अधिकार को एवं संक्षिप्त अवधि के पट्टों के लिए दायित्व जिसकी समयावधि 12 महीने अथवा उससे कम से एवं व्यय मूल्य को परिसंपत्तियों की मान्यता को नहीं चुना है। जब पट्टाधारी एवं पट्टादाता प्रत्येक पट्टे को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना और कम से कम दण्ड के साथ समाप्त करने का अधिकार रखता है, तब पट्टा को आगे लागू नहीं किया जाता है।

ii. एक पट्टेदार के रूप में, जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह कम से कम आरंभ में पट्टे को निर्धारित करती है चाहे प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा हो या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा प्रर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी विशिष्ट संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टे परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए है। यदि एक व्यवस्था में पट्टे और गैर-लीज़ घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परिचालन लीज के तहत समग्र लीज अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन के आधार पर प्राप्त आय को "अन्य आय" के रूप में मानती है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 3 Property, Plant & Equipment's

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost								
At 1 April 2021	47.94	99.46	61.18	8.60	39.70	3.81	84.91	345.61
Additions during the year	-	0.87	3.16				3.44	7.47
Disposals/Adjustments			0.09				0.04	0.13
At 31 March 2022	**47.94**	**100.33**	**64.25**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**88.32**	**352.95**
At 1 April 2022	47.94	100.33	64.25	8.60	39.70	3.81	88.32	352.95
Additions during the year		3.33	4.17				11.40	18.90
Disposals/Adjustments		0.19					0.23	0.42
At 31st March 2023	**47.94**	**103.46**	**68.42**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**99.49**	**371.42**
Depreciation and Impairment								
At 1 April 2021	34.88	53.10	55.93	6.77	22.28	3.52	71.75	248.23
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.65	12.02	2.18	0.56	4.45	0.02	7.88	27.77
Impairment								-
Disposals/Adjustments								-
At 31 March 2022	**35.53**	**65.12**	**58.11**	**7.33**	**26.73**	**3.54**	**79.63**	**276.00**
At 1 April 2022	35.53	65.12	58.11	7.33	26.73	3.54	79.63	276.00
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.62	9.02	3.06	0.39	3.30	0.01	6.48	22.88
Impairment	-	-	-	-		-	-	-
Disposals/Adjustments	0.01		0.00			-		0.01
At 31st March 2023	**36.15**	**74.14**	**61.17**	**7.72**	**30.04**	**3.55**	**86.11**	**298.87**
Net book value								
At 31st March 2023	**11.79**	**29.32**	**7.25**	**0.88**	**9.67**	**0.25**	**13.38**	**72.54**
At 31 March 2022	**12.41**	**35.21**	**6.15**	**1.27**	**12.97**	**0.27**	**8.68**	**76.96**

Note :-3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (फ्रीहोल्ड)	फर्नीचर एंड फिक्सर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडीशनर एवं कूलर	ई.पी.ए.बी.एक्स.	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	योग
लागत या मानी गई लागत								
1 अप्रैल 2021 को	47.94	99.46	61.18	8.60	39.70	3.81	84.91	345.61
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	0.87	3.16				3.44	7.47
निपटान/समायोजन			0.09				0.04	0.13
31 मार्च 2022 को	**47.94**	**100.33**	**64.25**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**88.32**	**352.95**
1 अप्रैल 2022 को	47.94	100.33	64.25	8.60	39.70	3.81	88.32	352.95
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		3.33	4.17				11.40	18.90
निपटान/समायोजन		0.19					0.23	0.42
31 मार्च 2023 को	**47.94**	**103.46**	**68.42**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**99.49**	**371.42**
मूल्यह्रास एवं हानि								
1 अप्रैल 2021 को	34.88	53.10	55.93	6.77	22.28	3.52	71.75	248.23
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें)	0.65	12.02	2.18	0.56	4.45	0.02	7.88	27.77
हानि								-
निपटान/समायोजन								-
31 मार्च 2022 को	**35.53**	**65.12**	**58.11**	**7.33**	**26.73**	**3.54**	**79.63**	**276.00**
1 अप्रैल 2022 को	35.53	65.12	58.11	7.33	26.73	3.54	79.63	276.00
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें)	0.62	9.02	3.06	0.39	3.30	0.01	6.48	22.88
हानि	-	-	-	-		-	-	-
निपटान/समायोजन	0.01		0.00			-		0.01
31 मार्च 2023 को	**36.15**	**74.14**	**61.17**	**7.72**	**30.04**	**3.55**	**86.11**	**298.87**
शुद्ध अंकित मूल्य								
31 मार्च 2023 को	**11.79**	**29.32**	**7.25**	**0.88**	**9.67**	**0.25**	**13.38**	**72.54**
31 मार्च 2022 को	**12.41**	**35.21**	**6.15**	**1.27**	**12.97**	**0.27**	**8.68**	**76.96**

टिप्पणी: -3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया जाता है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note 3 (i)
RIGHT OF USE ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Mumbai Flat)	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2021	52.66	52.66
Adjustment of Transition of IND AS 116		-
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2022	**52.66**	**52.66**
At 1 April 2022	52.66	52.66
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2023	**52.66**	**52.66**
Depreciation and Impairment		
At 1 April 2021	13.29	13.29
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	0.59
Impairment		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2022	**13.88**	**13.88**
Depreciation charge for the year	0.59	0.59
Impairment (Refer Note-22)		-
Disposals/Adjustments		-
At 31st March 2023	**14.46**	**14.46**
Net book value		
At 31st March 2023	**38.20**	**38.20**
At 31 March 2022	**38.78**	**38.78**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी: 3 (i)

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (मुंबई फ्लैट)	योग
लागत या मानी गई लागत		
1 अप्रैल 2021 को	52.66	52.66
भारतीय लेखाकरण मानक 116 के पारगमन का समायोजन		-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2022 को	**52.66**	**52.66**
1 अप्रैल 2022 को	52.66	52.66
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 को	**52.66**	**52.66**
मूल्यह्रास एवं क्षति		
1 अप्रैल 2021 को	13.29	13.29
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क (टिप्पणी-22 देखें)	0.59	0.59
क्षति		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2022 को	**13.88**	**13.88**
वर्ष में मूल्यह्रास प्रभार	0.59	0.59
क्षति (टिप्पणी 22 देखें)		-
निपटान/समायोजन		-
31 मार्च 2023 को	**14.46**	**14.46**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2023 को	**38.20**	**38.20**
31 मार्च 2022 को	**38.78**	**38.78**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note 4
Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2021	62.94	3.54	**66.48**
Addition during the year	3.54	-	3.54
Adjustment/deletions during the year	-	3.54	3.54
Closing balance at 31st March 2022	**66.48**	**-**	**66.48**
Addition during the year	-	-	-
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2023	**66.48**	**-**	**66.48**
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1st April 2021	46.11	-	**46.11**
Amortization during the year (Refer Note-22)	8.54	-	8.54
Impairment during the year	-	-	**-**
Closing balance at 31st March 2022	**54.64**	**-**	**54.64**
Amortization during the year (Refer Note-22)	4.05	-	**4.05**
Impairment during the year		-	**-**
Closing balance at 31st March 2023	**58.69**	**-**	**58.69**
Net book value			
As at 31 March 2023	**7.79**	**-**	**7.79**
As at 31 March 2022	**11.84**	**-**	**11.84**

Note 4(a) Ageing Intangible Assets under Development

Intangible assets under development ageing schedule FY 2023

(₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	-	-	-	**-**
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	**-**

Intangible assets under development ageing schedule FY 2022

(₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress					**-**
Projects temporarily suspended					

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 4
अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	योग
1 अप्रैल 2021 तक लागत अथवा मानी गई लागत	62.94	3.54	**66.48**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	3.54	-	3.54
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	3.54	3.54
31 मार्च 2022 को अंतशेष	**66.48**	**-**	**66.48**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च 2023 को अंतशेष	**66.48**	**-**	**66.48**
<u>परिशोधन एवं क्षति</u>			
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	46.11	-	**46.11**
वर्ष के दौरान परिशोधन (सन्दर्भ टिप्पणी-22 देखें)	8.54	-	8.54
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	**-**
31 मार्च 2022 को अंतशेष	**54.64**	**-**	**54.64**
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी-22 देखें)	4.05	-	**4.05**
वर्ष के दौरान क्षति		-	**-**
31 मार्च 2023 को अंतशेष	**58.69**	**-**	**58.69**
<u>शुद्ध पुस्तक मूल्य</u>			
31 मार्च 2023 को	**7.79**	**-**	**7.79**
31 मार्च 2022 को	**11.84**	**-**	**11.84**

टिप्पणी:- 4(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु

वित्तीय वर्ष 2023 में अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु के तहत समय सारिणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि, अवधि के लिए				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	**-**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**

वित्तीय वर्ष 2022 में अमूर्त परिसंपत्तियों की आय के तहत समय सारिणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि, अवधि के लिए				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं					**-**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note 5

Non-current portion of the Trade Receivable/Debtors have been classified under 'non-current financial assets and current portion of the Trade Receivable/Debtors has been classified under 'current financial assets – loans.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Considered Good-Secured						
Considered Good-UnSecured		-	-		1.68	1.68
Significant Increase in Credit Risk						
Less : Allowance for loans & advances						
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**	**1.68**

Trade Receivables Ageing FY 2022-23 **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables- considered good	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables- considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Trade Receivables Ageing FY 2021-22 **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables- considered good	1.68	-	-	-	-	1.68
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables- considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	**1.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी 5

प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के गैर-वर्तमान अंश को 'गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया है एवं प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के वर्तमान अंश को 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
अच्छे माने गए-सुरक्षित						
अच्छे माने गए - असुरक्षित		-	-		1.68	1.68
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
घटाए: ऋण एवं अग्रिम हेतु अनुमति						
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**	**1.68**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के व्यवसाय में प्राप्य अवधि **(₹ लाख में)**

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय – उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्य बढ़ी व्यवसाय अवधि **(₹ लाख में)**

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	1.68	-	-	-	-	1.68
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय – उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	**1.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**

Note :- 6 Financial assets - loans

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a)'General loans	65,355.56	22,891.49	88,247.05	67,589.06	20,839.24	88,428.31
'(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)			-			
(b)'General loans	-	-	-	1,568.14	524.79	2,092.92
'(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	65,355.56	**22,891.49**	**88,247.05**	**69,157.20**	**21,364.03**	**90,521.23**
Considered Good-UnSecured						
General loans	41,431.21	10,296.23	51,727.45	37,846.48	8,245.12	46,091.60
Significant Increase in Credit Risk						
General loans		181.92	181.92	-	168.58	168.58
Less : Allowance for loans & advances #		(181.92)	(181.92)		(168.58)	(168.58)
Sub Total (1)	**106,786.77**	**33,187.73**	**139,974.49**	**107,003.68**	**29,609.16**	**136,612.83**
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a) 'Micro Finance Loan	29,419.10	18,780.02	48,199.13	30,490.91	19,805.68	50,296.59
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) 'Micro Finance Loan	685.72	685.71	1,371.44	1,830.23	701.49	2,531.72
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	30,104.83	**19,465.74**	**49,570.56**	**32,321.14**	**20,507.16**	**52,828.30**
Considered Good-UnSecured						
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	13,586.91	1,053.17	14,640.08	10,615.78	527.87	11,143.66
Significant Increase in Credit Risk						
Micro Finance Loan		883.95	883.95	-	480.53	480.53
Less : Allowance for loans & advances #		(883.95)	(883.95)	-	(480.53)	(480.53)
		-	-	-	-	-
Sub Total (2)	**43,691.73**	**20,518.91**	**64,210.64**	**42,936.92**	**21,035.04**	**63,971.96**
(3) Loans to Managing Director			-			
Sub Total (3)	-	-	-	-	-	-
(4)Loans to Employees						
Loans & Interest accrued						
Considered Good-Secured	87.75	11.26	99.01	52.60	11.68	64.28
Considered Good-UnSecured	75.30	28.40	103.70	39.13	26.26	65.40
Sub Total (4)	**163.05**	**39.66**	**202.71**	**91.74**	**37.94**	**129.68**
Grand Total (1+2+3+4)	**150,641.56**	**53,746.29**	**204,387.85**	**150,032.34**	**50,682.14**	**200,714.47**

Allowance for Loan & Advances to respective State Channel Agencies (SCAs)/ Channel Partners (CPs) is made as per the Corporation's policy.

टिप्पणी:- 6 वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) एससीए/अन्य संस्थाओं को सामान्य ऋण						
अच्छे माने गए-सुरक्षित						
(क)'सामान्य ऋण	65,355.56	22,891.49	88,247.05	67,589.06	20,839.24	88,428.31
(सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)			-			
(ख)'सामान्य ऋण	-	-	-	1,568.14	524.79	2,092.92
(सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)						
	65,355.56	**22,891.49**	**88,247.05**	**69,157.20**	**21,364.03**	**90,521.23**
अच्छे माने गए - असुरक्षित						
सामान्य ऋण	41,431.21	10,296.23	51,727.45	37,846.48	8,245.12	46,091.60
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
सामान्य ऋण		181.92	181.92	-	168.58	168.58
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस #		(181.92)	(181.92)		(168.58)	(168.58)
उप योग (1)	**106,786.77**	**33,187.73**	**139,974.49**	**107,003.68**	**29,609.16**	**136,612.83**
(2) एससीए/अन्य संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त ऋण						
अच्छे माने गए-सुरक्षित						
(क) 'सूक्ष्म वित्त ऋण	29,419.10	18,780.02	48,199.13	30,490.91	19,805.68	50,296.59
(सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)						
(ख) 'सूक्ष्म वित्त ऋण	685.72	685.71	1,371.44	1,830.23	701.49	2,531.72
(सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)						
	30,104.83	**19,465.74**	**49,570.56**	**32,321.14**	**20,507.16**	**52,828.30**
अच्छे माने गए - असुरक्षित						
सूक्ष्म वित्त ऋण (असुरक्षित अच्छे माने गए)	13,586.91	1,053.17	14,640.08	10,615.78	527.87	11,143.66
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
सूक्ष्म वित्त ऋण		883.95	883.95	-	480.53	480.53
घटाएं: ऋण और अग्रिम के लिए एलाउंस #		(883.95)	(883.95)	-	(480.53)	(480.53)
		-	-	-	-	-
उप योग (2)	**43,691.73**	**20,518.91**	**64,210.64**	**42,936.92**	**21,035.04**	**63,971.96**
(3) प्रबंध निदेशक को ऋण			-			
उप योग (3)	-	-	-	-	-	-
(4)कर्मचारियों को ऋण						
उपार्जित ऋण एवं ब्याज						
अच्छे माने गए-सुरक्षित	87.75	11.26	99.01	52.60	11.68	64.28
अच्छे माने गए-असुरक्षित	75.30	28.40	103.70	39.13	26.26	65.40
उप योग (4)	**163.05**	**39.66**	**202.71**	**91.74**	**37.94**	**129.68**
योग योग (1+2+3+4)	**150,641.56**	**53,746.29**	**204,387.85**	**150,032.34**	**50,682.14**	**200,714.47**

संबंधित राज्य चैनल एजेंसियों (रा.चै.ए.)/चैनल सहभागियों(सीपी) के लिए एवं अग्रिम का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया जाता है।

Note 6.1 Current Loans are loan amount. which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.

Note 6.2 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/ interest thereon.

Note 6.3 Out of the total Loans of Rs. 2,07,655.60 Lakhs (as at 31.03.2022, Rs.2,03,795.27 Lakhs) out of which Rs.1,98,800.17 lakh (as at 31.03.2022 Rs.1,85,684.94 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.

Note 6.4 The utilization amount of loan beyond 180 days under the prevalent lending policy is eligible for refund. Hence, the same stand in current.

Note 6.5 The disbursement , accumulated over the years with channel Partners for which utilization certificates of Rs.3,925.73 lakhs (Rs. 3,338.24 Lakhs as at 31.03.2022) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs. 1,958.09 Lakhs (Rs. 2,494.76 lakhs as at 31.03.2022) are more than six months old as at year end.

Note 6.6 In respect of Loans given, Corporation has obtained Government Assurance from channel partners and signed MOU with RRBs/PSB'sand others amounting to Rs. 65,696.35 Lakh (Previous year Rs. 57,884.37 Lakh). As per legal opinion , Government assurance and signed MOU do not tantamount to Government Order/ Block Government Gaurantee or other financial instrument. However, same can be enforced in disputed cases by way of arbitration. In view of the above, Corpration is adequately covered in cases where the outstanding loan amount is backed by Govt. assurance and signed MOUand disclosed as " Unsecured and considered good" as the repayment is regular.

Note 6.6.1 In the Loans and Interest thereon no provision is recognized since there is no doubt about their recoverability, however in some cases it take substantial time. The Gaurantee Deed include the principal amount and all type of interest thereon are covered by Guaranttor(State Government). The above amounts outstanding since substantial period of time are elegible for revoking Guarantee.

Note 6.7 As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undiscounted Loans to Employees as given below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
House Building Advance	80.43	47.19	127.62	37.24	50.83	88.07
Vehicle Loan	35.98	2.28	38.26	11.42	1.72	13.14
General Purpose Advance	68.86	-	68.86	53.55	-	53.55
Grand Total (1+2+3)	**185.27**	**49.47**	**234.74**	**102.21**	**52.55**	**154.76**

As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

Note 6.8 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

टिप्पणी 6.1 वर्तमान ऋण वे ऋण राशि हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 12 माह की अवधि में प्राप्त होने योग्य हैं।

टिप्पणी 6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और प्रावधान को तैयार करने, आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसाकि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम पर लागू नहीं हैं, इनसे विनिश्चित बकाया ऋण/उस पर ब्याज प्रावधान हेतु निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रावधान किए गए हैं।

टिप्पणी 6.3 कुल बकाया रु. 2,07,655.60 लाख (31.03.2022 को, रु. 2,03,795.27 लाख) जिसमें से रु. 1,98,800.17 लाख (31.03.2022 को रु. 1,85,684.94 लाख) संबंधित पार्टियों द्वारा पुष्टि की गई है। शेष ऋण राशि ऋण लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 6.4 लागू ऋण नीति के तहत 180 दिनों के बाद उपभुक्त ऋण राशि वापस की जानी है । यथापि, इसे वर्तमान में माना गया।

टिप्पणी 6.5 चैनल सहभागियों के पास वर्षो से संचित, संवितरण, जिसके लिए रु. 3,925.73 लाख (31.03.2022 को रु . 3,338.24 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र उधार लेने वाले संस्थानों से प्राप्त होने हैं, जिसमें से वर्ष की समाप्ति पर रू.1,958.09 लाख (31.03.2022 तक रू. 2,494.76 लाख) छह महीने से अधिक पुराने हैं।

टिप्पणी 6.6 प्रदत्त ऋणों के संबंध में, रु. 65,696.35 लाख (गत् वर्ष रू. 57,884.37 लाख) की राशि निगम ने चैनल सहभागियों से सरकारी आश्वासन प्राप्त किया पर है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको/सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों एवं अन्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। विधिक राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन एवं हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारण्टी अथवा अन्य वित्तीय प्रपत्र के बराबर नहीं होते है। तथापि, इसे विवादित मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों में निगम पर्याप्त रूप से कवर होता है जहां बकाया ऋण राशि सरकार आश्वासन द्वारा समर्थित है और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है और पुनर्भुगतान नियमित होने के कारण "असुरक्षित और अच्छे माने गए है" के रूप में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी 6.6.1 ऋण और उस पर ब्याज में किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनकी वसूली के बारे में कोई संदेह नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में इसमें काफी समय लगता है। गारंटी डीड में मूल राशि शामिल होती है और उस पर सभी प्रकार का ब्याज गारंटर (राज्य सरकार) द्वारा कवर किया जाता है। पर्याप्त अवधि से बकाया उपरोक्त राशियाँ गारंटी को प्रतिसंहरण करने के योग्य हैं।

टिप्पणी 6.7 भारतीय लेखाकरण मानक -109 के अनुसार कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर-रियायती ऋण विवरण में मूल एवं ब्याज घटक दोनों शामिल हैं, जैसाकि नीचे दिया गया है'-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	मूल	ब्याज	योग	मूल	ब्याज	योग
गृह निर्माण अग्रिम	80.43	47.19	127.62	37.24	50.83	88.07
वाहन ऋण	35.98	2.28	38.26	11.42	1.72	13.14
सामान्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम	68.86	-	68.86	53.55	-	53.55
योग योग (1+2+3)	**185.27**	**49.47**	**234.74**	**102.21**	**52.55**	**154.76**

दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, आवास निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणी 6.8 वर्ष के अंत तक बकाया ऋण और अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये बाद के वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैं।

Note 6.9 Details of Loan and Advances as on 31.03.2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Adjustment/ reapropriated	Recovered	Closing Balance
General Loan	136,781.42	16,818.52	2,030.27	(14,707.58)	26,120.83	140,156.41
Funded Interest	-					-
Micro Finance	64,452.50	34,366.09	640.66	14,707.58	18,375.75	65,094.60
Funded Interest						-
Total	**201,233.91**	**51,184.60**	**2,670.94**	**-**	**44,496.58**	**205,251.00**
Loan Due	4,300.70	993.84				5,294.54
Loan Not due(31.03.2023)	196,933.21	3,023.25				199,956.46
Previous year	**197,130.63**	**47,137.43**	**782.66**	**-**	**42,251.47**	**201,233.91**

Note 6.9 Details of Loan and Advances as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Adjustment/ reapropriated	Recovered	Closing Balance
General Loan	128,248.14	16,610.20	504.45	(14,821.59)	22,394.06	136,781.42
Funded Interest	-					-
Micro Finance	68,882.49	30,527.23	278.21	14,821.59	19,857.42	64,452.50
Funded Interest						-
Total	**197,130.63**	**47,137.43**	**782.66**	**-**	**42,251.47**	**201,233.91**
Loan Due	5,208.23	(907.53)				4,300.70
Loan Not due(31.03.2022)	191,922.41	5,010.81				196,933.21
Previous year	**190,005.22**	**46,670.47**	**1,953.82**	**-**	**37,591.25**	**197,130.63**

Note 6.10 Details of Rescheduled Loan & Advances

The Corporation has rescheduled Loans aggregating to ₹ Nil (Previous year ₹ 3525.05 Lakh) in respect of following SCA :

Particulars	Goa SC/ST/BC Dev. Corpo.	Kerala BC Dev. Corpo.	Tripura BC Dev. Corpo.
Principal			
Previous Year			**3,525.05**

Note 6.11 Allowances on Loan and advances to respective chennal partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33) Provision is recognised when:

(i) The Corporation has a present obligation as a result of past event

(ii) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and

(iii) A reliable estimate of amount of obligation can be made

Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

In respect to Loans/ dues payable by Channel Partners(CP'S) which are adequantely covered by State Government Gaurantees/other Fianancial Instruments, no provision is made.

Provision are reviewd at each Balance Sheet Date.

टिप्पणी 6.9 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुनगृहित	वसूले गए	अंत-शेष
सामान्य ऋण	136,781.42	16,818.52	2,030.27	(14,707.58)	26,120.83	140,156.41
निधित ब्याज	-					-
सूक्ष्म वित्त	64,452.50	34,366.09	640.66	14,707.58	18,375.75	65,094.60
निधित ब्याज						-
योग	**201,233.91**	**51,184.60**	**2,670.94**	**-**	**44,496.58**	**205,251.00**
ऋण देय	4,300.70	993.84				5,294.54
अदेय ऋण (31.03.2023)	196,933.21	3,023.25				199,956.46
गत् वर्ष	**197,130.63**	**47,137.43**	**782.66**	**-**	**42,251.47**	**201,233.91**

टिप्पणी 6.9 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुनगृहित	वसूले गए	अंत- शेष
सामान्य ऋण	128,248.14	16,610.20	504.45	(14,821.59)	22,394.06	136,781.42
वित्तपोषित ब्याज	-					-
सूक्ष्म वित्त	68,882.49	30,527.23	278.21	14,821.59	19,857.42	64,452.50
वित्तपोषित ब्याज						-
योग	**197,130.63**	**47,137.43**	**782.66**	**-**	**42,251.47**	**201,233.91**
ऋण देय	5,208.23	(907.53)				4,300.70
ऋण देय नहीं(31.03.2022)	191,922.41	5,010.81				196,933.21
गत् वर्ष	**190,005.22**	**46,670.47**	**1,953.82**	**-**	**37,591.25**	**197,130.63**

टिप्पणी 6.10 पुनर्निर्धारित ऋण और अग्रिम का विवरण

निगम ने निम्नलिखित एससीए के संबंध में कुल ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 3525.05 लाख) के ऋणों को पुनर्निर्धारित किया है: :

विवरण	गोवा एससी/एसटी/बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	केरल बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	त्रिपुरा बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
मूल			
गत् वर्ष			**3,525.05**

टिप्पणी 6.11 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार (संदर्भ टिप्पणी सं. 33) प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब:

(i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का वर्तमान दायित्व है

(ii) संसाधनों के संभावित बहिर्वाह से दायित्व का निपटान होने की उम्मीद है और

(iii) दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है

ऊपर मान्यता प्राप्त प्रावधान जो 12 माह से अधिक समय तक निपटान की उम्मीद है, वर्तमान मूल्य पर कर पूर्व छूट दर का उपयोग करने मापा जाता है जो देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है और समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

चैनल सहभागियों(चै.पा.) द्वारा देय ऋणों/देय राशियों के संबंध में, जो राज्य सरकार की गारंटी /अन्य वित्तीय प्रपत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किए गए हैं, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

The Corporation as per the policy approved for "reschedulement of overdue loans and advances" had rescheduled the loans in very exceptional cases. Further,the Board of the Directors vide 126th meeting of the board had considered the reschdulement/deferment of overdue of channel partners and approved the policy of expected credit loss on overdue based on unsecured and as per probability of default.

Note 6.11.1 Details of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2023

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 22-23	Closing Balance
Loans & Advances -General loan	168.58	13.34		181.92
Loans & Advances -Micro finance	480.53	403.42		883.95
Total	**649.11**	**416.76**	**0.00**	**1065.87**
Previous year	**192.83**	**456.28**	**0.00**	**649.11**

Note 6.11.2 Allowances on Loan and advances to respective channel partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33)

Note 7 Other financial assets

(₹ in Lakhs)

Particulars		As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
		Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1)	**Interest Receivable:**						
	Secured, considered good						
	- Interest on General Loan	-	1,080.11	1,080.11	-	1,364.07	1,364.07
	(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
	- Interest on Micro Finance		67.07	67.07	-	63.61	63.61
		-	**1,147.19**	**1,147.19**	-	**1,427.68**	**1,427.68**
	Unsecured, considered good						
	Interest on General Loan	-	517.41	517.41	-	446.85	446.85
	Interest on Micro Finance	-	31.94	31.94	-	6.37	6.37
		-	**549.35**	**549.35**	-	**453.22**	**453.22**
Doubtful							
	Interest on General Loan	-	516.82	516.82	-	446.85	446.85
	Interest on Micro Finance	-	31.94	31.94	-	6.37	6.37
	Penal Interest on General Loan	241.74		241.74	242.20		242.20
	Penal Interest on Micro Finance	3.52		3.52	3.52		3.52
		245.26	**548.76**	**794.03**	**245.72**	**453.22**	**698.94**
	Less : Allowance for loans & advances	(245.26)	(548.76)	(794.03)	(245.72)	(453.22)	(698.94)
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sub Total (1)	**-**	**1,147.78**	**1,147.78**	**-**	**1,427.68**	**1,427.68**
(2)	**Interest accrued but not due**						
	General Loan	581.20	196.23	777.43	647.91	155.14	803.05
	Micro Finance		33.11	33.11		39.31	39.31
	Sub Total (2)	**581.20**	**229.34**	**810.54**	**647.91**	**194.45**	**842.36**
Others							
(i)	Interest accrued but not due - Saving Bank		0.65	0.65		0.97	0.97
(ii)	Security Deposits - Unsecured Considered Good	0.25		0.25	0.63	-	0.63
(iii)	Other Receivables						
(iii)(a)	Amount recoverable/adjustable from employees	-		-	0.19		0.19

निगम ने "अतिदेय ऋणों और अग्रिमों के पुनर्निर्धारण" के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार बहुत ही असाधारण मामलों में ऋणों को पुनर्निर्धारित किया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने बोर्ड की 126वीं बैठक के माध्यम से चैनन सहभागियों के अतिदेय के पुनर्निर्धारण/ स्थगन पर विचार किया था और असुरक्षित और डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर अतिदेय पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की नीति को मंजूरी दी थी।

टिप्पणी 6.11.1 31.03.2023 की स्थित के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर-वर्तमान/वर्तमान) की अनुमति

विवरण	आरंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	22-23 की अवधि में पीछे से लाए गए/ वसूले गए प्रावधान	अंत शेष
ऋण एवं अग्रिम-सामान्य ऋण	168.58	13.34		181.92
ऋण एवं अग्रिम-सूक्ष्म वित्त	480.53	403.42		883.95
योग	**649.11**	**416.76**	**0.00**	**1065.87**
गत् वर्ष	**192.83**	**456.28**	**0.00**	**649.11**

टिप्पणी 6.11.2 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों की अनुमति निगम की नीति के अनुसार किय गया है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 33)

टिप्पणी:-7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) प्राप्य ब्याज:						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
- सामान्य ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)	-	1,080.11	1,080.11	-	1,364.07	1,364.07
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज		67.07	67.07	-	63.61	63.61
	-	**1,147.19**	**1,147.19**	-	**1,427.68**	**1,427.68**
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	517.41	517.41	-	446.85	446.85
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	31.94	31.94	-	6.37	6.37
	-	**549.35**	**549.35**	-	**453.22**	**453.22**
संदेहपूर्ण						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	516.82	516.82	-	446.85	446.85
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	31.94	31.94	-	6.37	6.37
सामान्य ऋण पर दंड ब्याज	241.74		241.74	242.20		242.20
सूक्ष्म ऋण पर दण्ड ब्याज	3.52		3.52	3.52		3.52
	245.26	**548.76**	**794.03**	**245.72**	**453.22**	**698.94**
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध एलाउंस	(245.26)	(548.76)	(794.03)	(245.72)	(453.22)	(698.94)
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
उप योग (1)	**-**	**1,147.78**	**1,147.78**	**-**	**1,427.68**	**1,427.68**
(2) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं						
सामान्य ऋण	581.20	196.23	777.43	647.91	155.14	803.05
सूक्ष्म वित्त		33.11	33.11		39.31	39.31
उप योग (2)	**581.20**	**229.34**	**810.54**	**647.91**	**194.45**	**842.36**
अन्य						
(i) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं - बचत बैंक		0.65	0.65		0.97	0.97
(ii) सुरक्षा जमा - असुरक्षित अच्छे माने गए	0.25		0.25	0.63	-	0.63
(iii) अन्य प्राप्य						
(iii)(क) वसूली योग्य राशि/ कर्मचारियों से समायोजित	-		-	0.19		0.19

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(iii)(b) Amount recoverable from parties -considered good - Secured						
(iii)(c) Amount recoverable from parties -considered good - Unsecured	36.62		36.62	6.74		6.74
(iii)(d) Amount recoverable from parties -significant increase in Credit Risk						-
(iii)(e) Amount recoverable from parties - Credit impaired						-
(iii)(f) Form banks (others)					-	-
Sub Total (3)	**36.87**	**0.65**	**37.52**	**7.56**	**0.97**	**8.53**
Grand Total (1+2+3)	**618.07**	**1,377.77**	**1,995.84**	**655.47**	**1,623.10**	**2,278.57**

Note 7.1 During the year, additional demand notice for the period 16.02.2023 to 31.03.2023 have not been raised upto 31.03.2023. However, interest for that period amounting to ₹ 63.76 Lakhs (₹ 82.03 Lakhs as at 31.03.2022) has been included in interest accrued but not due.

Note 7.2 Detail of allowance for interest on Loans & Advances (current/non current) as on 31.03.2023.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/ Provision written back	Closing Balance
Penal Interest	245.72		0.46	245.26
Interest on loan - General Loan	446.85	69.97		516.82
Interest on loan - Micro Finance	6.37	25.57		31.94
Total	**698.94**	**95.54**	**0.46**	**794.03**
Previous Year	**629.12**	**92.37**	**22.55**	**698.94**

Note 7.3 Allowances on Loan and advances in respective channel partners is made as per the Corporation policy

Note 8 Other current & non current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Samples		-	-		0.30	0.30
Net planned Assets for gratuity or leave encashment (Refer Note:14.1)	33.48	-	33.48	43.47	-	43.47
Prepaid Expenses (refer note: 8.1)	32.02	9.83	41.85	25.08	21.75	46.83
Stamps in hand	-	0.18	0.18		0.22	0.22
Advance Receivable		0.94	0.94		2.56	2.56
Grand Total	**65.51**	**10.96**	**76.46**	**68.55**	**24.83**	**93.38**

Note 8.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
(iii)(ख) पार्टियों से प्राप्य धनराशि - अच्छे माने गए - सुरक्षित						
(iii)(ग) पार्टियों से प्राप्य धनराशि - अच्छे माने गए - असुरक्षित	36.62		36.62	6.74		6.74
(iii)(घ) पार्टियों से प्राप्य धनराशि - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						-
(iii)(ङ.) पार्टियों से प्राप्य धनराशि – उधारी क्षति						-
(iii)(च) बैंक से (अन्य)					-	-
उप योग (3)	**36.87**	**0.65**	**37.52**	**7.56**	**0.97**	**8.53**
कुल योग (1+2+3)	**618.07**	**1,377.77**	**1,995.84**	**655.47**	**1,623.10**	**2,278.57**

टिप्पणी 7.1 वर्ष के दौरान, 16.02.2023 से 31.03.2023 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसें 31.03.2023 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, अवधि की ₹ 63.76 लाख (31.03.2022 को ₹ 82.03 लाख) की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई है, किन्तु देय नहीं है।

टिप्पणी 7.2 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (वर्तमान/ गैर-वर्तमान) के लिए प्रबंध का विवरण ।

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	पीछे से लाए गए वसूले गए/ प्रावधान	अंत शेष
दंडात्मक ब्याज	245.72		0.46	245.26
ऋण पर ब्याज - सामान्य ऋण	446.85	69.97		516.82
ऋण पर ब्याज - सूक्ष्म वित्त	6.37	25.57		31.94
योग	**698.94**	**95.54**	**0.46**	**794.03**
गत् वर्ष	**629.12**	**92.37**	**22.55**	**698.94**

टिप्पणी 7.3 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 8 अन्य चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
नमूने		-	-		0.30	0.30
उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी: 14.1 देखें)	33.48	-	33.48	43.47	-	43.47
पूर्वप्रदत्त व्यय (संदर्भ टिप्पणी: 8.1)	32.02	9.83	41.85	25.08	21.75	46.83
उपलब्ध स्टैम्प	-	0.18	0.18		0.22	0.22
अग्रिम प्राप्य		0.94	0.94		2.56	2.56
कुल योग	**65.51**	**10.96**	**76.46**	**68.55**	**24.83**	**93.38**

टिप्पणी 8.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों या वित्तीय संपत्तियों के अपरिशोधित अशं को उचित मूल्य के बीच अंतर प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।

Note 9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand		
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	3,410.28	4,037.62
Total	**3,410.28**	**4,037.62**

Note 9.1 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

Note 10 Cash and cash equivalent-Grant Fund

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
(c) Other Bank Balance (Grant Funds & Others)		
- Saving Account	1,184.12	5,147.75
Post Retirement Medical Fund for Superannuated Employees	190.75	164.58
Unspent CSR-Fund		
Total	**1,374.87**	**5,312.33**

Note 10.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group only as per the terms of the grant (Interest Subvention Scheme VISVAS, PM Daksh & other CSR Funds) along with Separate Saving Account for Post Retirement-Medical Expenses.

Note 11 Current Tax Asset (Net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Income Tax/TDS Receivable	0.59	29.72
Total	**0.59**	**29.72**

Note 12 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Authorized share capital		
(150,00,000 Equity shares of ₹1,000/- each)	150,000.00	150,000.00
(As at 31st March 2023, 150,00,000 Equity shares of ₹1,000/- each)		
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
(1,49,94,000 Equity shares of ₹1,000/- each)	1,49,940.00	1,49,940.00
(As at 31st March 2023, 1,49,94,000 Equity shares of ₹1,000/- each,)		
Total	**1,49,940.00**	**1,49,940.00**

टिप्पणी 9 नकद एवं नकदी समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा		
- पास में नकद		
(ख) बैंक के पास अवशेष		
- बचत खाते में	3,410.28	4,037.62
योग	**3,410.28**	**4,037.62**

टिप्पणी 9.1 सामान्यतः उधार लेने वाले अभिकरणों से वसूली/वापसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्राप्त हुई है। अतः इसे इच्छित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जा सकता था।

टिप्पणी 10 नकद एवं नकदी समकक्ष-अनुदान निधि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान राशि एवं अन्य)		
- बचत खाता	1,184.12	5,147.75
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त के पश्चात चिकित्सा कोष	190.75	164.58
अव्ययित सी.एस.आर.-निधि		
योग	**1,374.87**	**5,312.33**

टिप्पणी 10.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि को प्रदर्शित करता है(विश्वास ब्याज सबवेंशन योजना, पी.एम. दक्ष एवं अन्य सी.एस.आर. राशि), साथ ही सेवानिवृत्ति के पश्चात्- चिकित्सा व्यय के लिए अलग बचत खाता को भी दर्शाते हैं।

टिप्पणी:- 11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आयकर/ प्राप्य टी.डी.एस.	0.59	29.72
योग	**0.59**	**29.72**

टिप्पणी 12 अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्राधिकृत अंश पूंजी		
(₹ 1,000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)	150,000.00	150,000.00
(31 मार्च 2023 को, ₹ 1,000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)		
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
(₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,49,94,000 साम्य अंश)	1,49,940.00	1,49,940.00
(31 मार्च 2023 को ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,49,94,000 साम्य अंश)		
योग	**1,49,940.00**	**1,49,940.00**

Note 12.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	14,994,000.00	149,940.00	14,994,000.00	149,940.00
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**14,994,000.00**	**149,940.00**	**14,994,000.00**	**149,940.00**

Shares held by promoters at the end of the year	Shares held by Promoters at the end of the Year			% Change in during the year***
	Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
Equity Shares	President of India	14,993,999	100.00	Nil
	Joint Secretary Backward Classes	1	0.00	Nil
Total		**14,994,000**	**100.00**	

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of ₹1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

Note 13 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Special Reserve	1,000.00	1,000.00
General Reserve	58,796.77	55,759.97
Retained Earnings	-	-
Share Application Money pending allotment	-	-
Post Retirement Medical Fund	190.75	164.58
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**59,987.52**	**56,924.55**

Note 13.1 Special Reserve

Other Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Balance as at the beginning of the year	1,000.00	2,500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Less: Transferred to General Reserve	-	1,500.00
Closing Balance	**1,000.00**	**1,000.00**

टिप्पणी 12.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं बकाया प्रदत्त अंश पूंजी	14,994,000.00	149,940.00	14,994,000.00	149,940.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं बकाया प्रदत्त अंश पूंजी	**14,994,000.00**	**149,940.00**	**14,994,000.00**	**149,940.00**

वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के शेयर	वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के शेयर			% वर्ष के दौरान परिवर्तन***
	प्रमोटर का नाम	अंशों की संख्या	कुल अशों का %	
साम्य अंश	भारत के राष्ट्रपति	14,993,999	100.00	Nil
	संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग	1	0.00	Nil
योग		**14,994,000**	**100.00**	

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य ₹1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1)(सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

टिप्पणी 13 **अन्य अंश** (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विशेष आरक्षित	1,000.00	1,000.00
सामान्य आरक्षित	58,796.77	55,759.97
प्रतिधारित आय	-	-
आवंटन हेतु लंबित अश अनुप्रयोग राशि	-	-
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा कोष	190.75	164.58
वर्ष के अंत में अवशेष निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**59,987.52**	**56,924.55**

टिप्पणी 13.1 **विशेष रिजर्व**

अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	1,000.00	2,500.00
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवध में लाभ	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित से अंतरण	-	1,500.00
अंतः शेष	**1,000.00**	**1,000.00**

Note 13.2 General Reserve (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Balance as at the beginning of the year	55,759.97	51,195.27
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	3,036.80	4,564.70
Closing Balance	**58,796.77**	**55,759.97**

Note 13.3 Retained Earnings (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.1)	-	-
Add/Less: Other Adjustment(refer Note No. 7.2 & Note 3	(0.01)	-
Add/Less: Other adjustment	(0.97)	-
Add: Profit during the period transferred from Statement of Income & Expenditure	3,035.64	3,055.77
Add: Special Reserve	-	1,500.00
	3,034.65	**4,555.77**
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	2.15	8.93
Less : Transferred to General Reserve	3,036.80	4,564.70
Closing Balance	-	-

Other Adjustment pertains to expenditure incurred against unspent donation receipt amounting to Rs. 97,394/- only for FY 2020-21 & FY 2021-22.

Note 13.4 Share application money pending allotment
Other Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	-	-
Less: Shares allotted during the year	-	-
Closing Balance	-	-

Note 13.5 Post Retirement Medical Fund
Other Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Balance as at the beginning of the year	164.58	-
Add: Received during the year	26.16	164.58
Less: Shares allotted during the year	-	-
Closing Balance	**190.75**	**164.58**

Note 13.6 Special Reserve of Rs 1000 lakhs (Rs 1000 lakhs as at 31.03.2022) kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry. Further, the Board Directors of the Corporation in its 126 th meeting held on 27/12/2021 has been approved the reduce of "Special Reserve Fund" from Rs. 2500 lakh to Rs. 1000.00 lakh w.e.f financial year 2021-22.

Note 13.7 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve.

टिप्पणी 13.2 सामान्य रिजर्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	55,759.97	51,195.27
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवध में लाभ	3,036.80	4,564.70
अंतः शेष	**58,796.77**	**55,759.97**

टिप्पणी 13.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ें/घटाएं: मूल्यह्रास समायोजन (टिप्पणी 3.1 देखें)	-	-
जोड़ें/घटाएं: अन्य समायोजन (टिप्पणी संख्या 7.2 एवं टिप्पणी 3 देखें)	(0.01)	-
जोड़ें/घटाएं: अन्य समायोजन	(0.97)	-
जोड़ें: आय एवं व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	3,035.64	3,055.77
जोड़ें: सामान्य आरक्षित	-	1,500.00
	3,034.65	**4,555.77**
जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य समग्र आय	2.15	8.93
घटाएं: सामान्य आरक्षित को अंतरित	3,036.80	4,564.70
अंतः शेष	-	-

अन्य समायोजन वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रू. 97,394/- मात्र की धनराशि की प्राप्ति खर्च न किए गए दान के सापेक्ष किए गए व्यय आय से सम्बंधित है।

टिप्पणी 13.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि
अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान आवंटित अंश	-	-
अंतः शेष	-	-

टिप्पणी 13.5 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि
अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	164.58	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	26.16	164.58
घटाएँ: वर्ष के दौरान आवंटित अंश	-	-
अंतः शेष	**190.75**	**164.58**

टिप्पणी 13.6 ₹ 1000 लाख (31.03.2022 को ₹ 1000 लाख) के विशेष आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। विशेष आरक्षित का कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा। इसके अलावा, निगम के निदेशक मण्डल ने दिनांक 27/12/2021 को आयोजित 126वीं बैठक में अपनी "विशेष आरक्षित निधि" को वित्तीय वर्ष 2021-22 से ₹ 2500 लाख से रु. 1000.00 लाख घटाने की मंजूरी दी है।

टिप्पणी 13.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों के वितरण एवं भविष्य के खर्चों जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इस प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

Note 13.8 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

Note 14 Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Provision for Retirement Benefits to Employees						
-Gratuity						
-Leave Benefits	17.68		17.68	8.19		8.19
-Medical Scheme						
Sub Total (a)	**17.68**	**-**	**17.68**	**8.19**	**-**	**8.19**
Provision for Performance Related Pay :						
- Managing Director		5.43	5.43	-	13.81	13.81
- Other Employees		107.97	107.97	-	222.13	222.13
Sub Total (b)	**-**	**113.40**	**113.40**	**-**	**235.95**	**235.95**
Leave Travel Concession	21.31	12.18	33.49	18.11	6.58	24.69
Performance Linked Incentive Grant to Channel Partners	-	-	-	-	173.50	173.50
House Tax		-	-			
Provision for Expenses		-	-		33.23	33.23
Interest on Unspent CSR Fund		0.98	0.98			
Total	**38.99**	**12.56**	**65.55**	**26.29**	**449.27**	**475.56**

Note 14.1 Details of provisions(FY 2022-23)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2022	Additions during the year	Utilized/ payments during the year 2022-23	Written back during 2022-23	As at 31st March 2023
Gratuity (refer note no. 8)	(43.47)	9.99			(33.48)
Leave Benefits (refer note no. 8)	8.19	45.43	35.93		17.68
House tax	-	-			-
Performance linked incentive Grant to Channel Partners	173.50	-	150.36	23.14	-
Leave Travel Concession	24.69	16.47	7.68		33.49
Performance Related Pay	235.95	113.40	233.79	2.16	113.40
Provision for Expenses	33.23	-	33.23		-
Interest on Unspent CSR Fund		0.98			0.98
Total	**432.09**	**186.27**	**461.00**	**25.30**	**132.07**

Note 14.1(a) Details of provisions(FY 2021-22)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2021	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2021-22	Written back during 2021-22	As at 31st March 2022
Gratuity (refer note no. 8)	(33.03)	(10.44)			(43.47)
Leave Benefits (refer note no. 8)	(25.94)	34.13			8.19
House tax	0.09	0.07	0.16		-
Performance linked incentive Grant to Channel Partners	55.52	173.50	44.02	11.50	173.50

टिप्पणी 13.8 निगम लाभ के लिए नहीं है एवं इनके प्रशिक्षण और बाजार एक्सपोजर कार्यक्रमों के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसकी गतिविधियां कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों की प्रकृति में हैं

टिप्पणी 14 प्रावधान **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधानः						
-उपदान						
- अवकाश लाभ	17.68		17.68	8.19		8.19
-चिकित्सा योजना						
उप योग (क)	**17.68**	**-**	**17.68**	**8.19**	**-**	**8.19**
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान:						
- प्रबंध निदेशक		5.43	5.43	-	13.81	13.81
- अन्य कर्मचारी		107.97	107.97	-	222.13	222.13
उप योग (ख)	**-**	**113.40**	**113.40**	**-**	**235.95**	**235.95**
यात्रा अवकाश रियायत	21.31	12.18	33.49	18.11	6.58	24.69
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से सबंद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	-	-	-	173.50	173.50
गृह कर		-	-			
व्यय के लिए प्रावधान		-	-		33.23	33.23
अव्ययित सी.एस.आर. निधि पर ब्याज		0.98	0.98			
योग	**38.99**	**126.56**	**165.55**	**26.29**	**449.27**	**475.56**

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-23) **(₹ लाख में)**

विवरण	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2022-23 के दौरान उपभोग/ भुगतान	2022-23 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च 2023 को
उपदान (टिप्पणी 8 देखें)	(43.47)	9.99			(33.48)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 8 देखें)	8.19	45.43	35.93		17.68
गृह कर	-	-			-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	173.50	-	150.36	23.14	-
यात्रा अवकाश रियायत	24.69	16.47	7.68		33.49
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	235.95	113.40	233.79	2.16	113.40
व्यय के लिए प्रावधान	33.23	-	33.23		-
अव्ययित सी.एस.आर. निधि पर ब्याज		0.98			0.98
योग	**432.09**	**186.27**	**461.00**	**25.30**	**132.07**

टिप्पणी 14.1(क) प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22) **(₹ लाख में)**

विवरण	1 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2021-22 के दौरान उपभोग/ भुगतान	2021-22 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च 2022 को
उपदान (टिप्पणी 8 देखें)	(33.03)	(10.44)			(43.47)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 8 देखें)	(25.94)	34.13			8.19
गृह कर	0.09	0.07	0.16		-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	55.52	173.50	44.02	11.50	173.50

Leave Travel Concession	26.40	0.61	2.32		24.69
Performance Related Pay	288.33	91.31	130.79	12.90	235.95
Provision for Expenses	-	33.23			33.23
Total	**311.38**	**322.41**	**177.30**	**24.40**	**432.09**

Note 14.2 Provision for liability towards leave travel concession of ₹33.49 Lakhs (₹ 24.69 Lakhs as at 31.03.2022) is made, as per actuarial assessment.

Note 14.3 Provision for performance related pay of ₹ 113.40 (₹ 91.30 Lakhs as at 31.03.2022) has been made on the basis of 'Excellent rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU,which was signed by "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 14.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 14.5 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

Liability for long term employee benefits has been determined by an actuary , appointed for the purpose, in conformity with the principles set out in the Ind AS -19 as prescribed by Companies (Ind As)Rule, 2015.

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status (net basis) is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(I) Key Assumption of actuarial				
Economic Assumptions		PUC Method		PUC Method
Discount Rate	7.29%	7.29%	7.18%	7.18%
Salary rise (p.a) *	6.00%	6.00%	6%	6%
Expected rate of return on assets	7.29%	7.29%	7.18%	7.18%
Demographic Assumptions				
Employee Turnover	2%		2%	
Retirement Age	60 years		60 years	
* first 5 year 6% & for 1 Year after 5 year 12% & for 10 years after that 6%				

यात्रा अवकाश रियायत	26.40	0.61	2.32		24.69
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	288.33	91.31	130.79	12.90	235.95
व्यय के लिए प्रावधान	-	33.23			33.23
योग	**311.38**	**322.41**	**177.30**	**24.40**	**432.09**

टिप्पणी 14.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यात्रा रियायत अवकाश ₹33.49 लाख (31.03.2022 को ₹ 24.69 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 14.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन ₹113.40 लाख (31.03.2022 को₹ 91.30 लाख) का प्रावधान समस्त कर्मचारियों की उत्कृष्ट रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा-स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि"सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" एवं "निगम" के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात-खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी 14.4 लोक उद्यम विभाग से का.ज्ञा. सं. 2(14)12-DPE&GL&IV/14 दिनांक 07.02.2014 के अनुसार प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध-वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध-अर्जित अवकाश को साथ-साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी 14.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान) का भारतीय लेखाकरण मानक-19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येकपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेज्युटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके वास्तविक किया जाता है।

जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 द्वारा वर्णित किया गया है भारतीय लेखाकरण मानक-19 में विनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों का दायित्व वास्तविक, उद्देश्य हेतु नियत किया गया है।

उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एव ंदीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन-पत्र के साथ-साथ निधित स्थिति (शुद्ध) निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान				
आर्थिक पूर्वानुमान		**पीयूसी पद्धति**		**पीयूसी पद्धति**
छूट दर	7.29%	7.29%	7.18%	7.18%
वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)*	6.00%	6.00%	6%	6%
परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	7.29%	7.29%	7.18%	7.18%
जनांकिकी पूर्वानुमान				
कर्मचारी कारोबार	2%		2%	
सेवानिवृत्त की आयु	60 साल		60 साल	
*पहले 5 वर्ष 6% एवं 5 वर्षों के बाद 1 वर्ष के लिए 12% एवं उसके बाद 10 वर्षों के लिए 6%				

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(II) Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End				
Defined Benefit Obligation	484.61	343.06	434.33	311.01
Fair Value of Plan Assets	518.10	325.38	477.80	302.82
	(33.48)	17.68	(43.47)	8.19
Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	**(33.48)**	**17.68**	**(43.47)**	**8.19**
(III) Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End				
Service Cost	20.74	21.67	18.87	24.92
Net Interest Cost	(2.87)	1.00	(2.74)	(1.95)
Past Service Cost				
Remeasurements		22.76		11.16
Administration Expenses				
(Gain)/Loss due to Settlements / Curtailments				
Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	**17.87**	**45.43**	**16.12**	**34.13**
(IV) Current /Non Current Bifurcation				
Current Benefit Obligation	15.90	12.13	13.71	10.25
Non- Current Benefit Obligation	468.71	330.94	420.62	300.75
(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	**484.61**	**343.06**	**434.33**	**311.01**
(V) Actual return on Plan assets				
Interest Income on Plan Assets	34.31		30.83	
Expected Return on Plan Assets		21.74		23.79
Remeasurements of Plan assets	0.24	(0.44)	25.13	10.95
Actual Return on Plan Assets	**34.55**	**21.31**	**55.95**	**34.75**
(VI) Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End				
Amount Recognised in OCI Beginning of Period	(4.87)		4.06	
Remeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions	(2.76)		(5.71)	
Effect of Change in demographic assumptions				
Effect of experience adjustments	0.86		21.91	
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)	(0.24)		(25.13)	
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized in OCI	(2.15)		(8.93)	
Amount Recognized in OCI	**(7.01)**		**(4.87)**	

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(II) अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि				
परिभाषित लाभ बाध्यता	484.61	343.06	434.33	311.01
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	518.10	325.38	477.80	302.82
	(33.48)	17.68	(43.47)	8.19
अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य				
परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर-मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति				
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	**(33.48)**	**17.68**	**(43.47)**	**8.19**
(III) अवधि की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाग लागत/(आय)				
सेवा लागत	20.74	21.67	18.87	24.92
शुद्ध ब्याज लागत	(2.87)	1.00	(2.74)	(1.95)
पिछली सेवा लागत				
पुनः मापन		22.76		11.16
प्रशासनिक व्यय				
निपटान/कांट-छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषित लाग लागत/(आय)	**17.87**	**45.43**	**16.12**	**34.13**
(IV) वर्तमान/गैर-वर्तमान विभाजन				
वर्तमान लाभ बाध्यता	15.90	12.13	13.71	10.25
गैर-वर्तमान लाभ बाध्यता	468.71	330.94	420.62	300.75
तुलन-पत्र में लिए गए (परिसंपत्तियों)/दायित्व	**484.61**	**343.06**	**434.33**	**311.01**
(V) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी				
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	34.31		30.83	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी		21.74		23.79
योजना परिसंपत्तियों का पुनः मापन	0.24	(0.44)	25.13	10.95
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	**34.55**	**21.31**	**55.95**	**34.75**
(VI) अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक(आय)/हानि व मान्यता प्राप्त धनराशि का विश्लेषण				
अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में मानी गई धनराशि	(4.87)		4.06	
पुनः-मापन के कारणः :-				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	(2.76)		(5.71)	
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
समायोजन अनुभव का प्रभाव	0.86		21.91	
निपटान/कांट-छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)	(0.24)		(25.13)	
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त कुल पुनः-मापन	(2.15)		(8.93)	
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	**(7.01)**		**(4.87)**	

Particulars		As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(VII)	**Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period**				
	Premeasurements due to :-				
	Effect of Change in financial assumptions		(2.07)		(4.66)
	Effect of Change in demographic assumptions				
	Effect of experience adjustments		24.39		26.77
	(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
	Return on Plan assets(excluding interest)		0.44		(10.95)
	Change in asset ceiling				
	Total remeasurements recognized (gains)/ losses		**22.76**		**11.16**
(VIII)	**Changes in defined Benefit Obligation during the Period**				
	Defined Benefit Obligations Beginning of period	434.33	311.01	411.19	316.91
	Interest cost on DBO	31.44	21.67	28.08	24.92
	Current service cost	20.74	22.74	18.87	21.85
	Benefit paid (if any)				
	Benefit paid by the Insurer (if any)	0.00	(34.68)	(40.00)	(74.78)
	Past Service cost				
	Actuarial (gain)/loss	(1.90)	22.32	16.20	22.11
	Defined Benefit Obligation at the end of the period	**484.61**	**343.06**	**434.33**	**311.01**
(IX)	**Change in Fair Value of Plan Assets during the Period**				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	477.80	302.82	444.21	342.85
	Interest Income on Plan assets	34.31	21.74	30.83	23.79
	Contributions	5.74	1.26	17.64	
	Benefits paid		0.00	(40.00)	(74.78)
	Actuarial gain/(loss) on plan assets	0.24	(0.44)	25.13	10.95
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**518.10**	**325.38**	**477.80**	**302.82**
(X)	**Reconciliation of Balance Sheet Amount**				
	Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	(43.47)	8.19	(33.03)	(25.94)
	Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	17.87	45.43	16.12	34.13
	Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	(2.15)		(8.93)	
	Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(5.74)	(35.93)	(17.64)	
	Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	**(33.48)**	**17.68**	**(43.47)**	**8.19**

विवरण		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(VII)	**अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/(परिसंपत्तियों) के पुनः-मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण**				
	पूर्व मापन के कारण :-				
	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव		(2.07)		(4.66)
	जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
	समायोजन अनुभव का प्रभाव		24.39		26.77
	निपटान/कांट-छांट से (प्राप्ति)/हानि				
	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		0.44		(10.95)
	परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
	कुल पुनः मापन में (परिसंपत्तियों)/हानि		**22.76**		**11.16**
(VIII)	**अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन**				
	अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	434.33	311.01	411.19	316.91
	डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	31.44	21.67	28.08	24.92
	वर्तमान सेवा लागत	20.74	22.74	18.87	21.85
	भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हो)				
	बीमाकर्त्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रदत्त लाभ	0.00	(34.68)	(40.00)	(74.78)
	पूर्व सेवा लागत				
	वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(1.90)	22.32	16.20	22.11
	अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	**484.61**	**343.06**	**434.33**	**311.01**
(IX)	**अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	477.80	302.82	444.21	342.85
	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	34.31	21.74	30.83	23.79
	अंशदान	5.74	1.26	17.64	
	भुगतान किए गए लाभ		0.00	(40.00)	(74.78)
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	0.24	(0.44)	25.13	10.95
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**518.10**	**325.38**	**477.80**	**302.82**
(X)	**तुलन-पत्र की धनराशि का मिलान**				
	अवधि के आरंभ में, तुलन-पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	(43.47)	8.19	(33.03)	(25.94)
	लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	17.87	45.43	16.12	34.13
	ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनः-मापन	(2.15)		(8.93)	
	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोक्ता अंशदान लाभ	(5.74)	(35.93)	(17.64)	
	अवधि के अंत में तुलन-पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	**(33.48)**	**17.68**	**(43.47)**	**8.19**

Particulars		As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(XI)	**Sensitivity Analysis**				
	Defined Benefit Obligation - Discount Rate + 100 base points	(24.00)	(20.34)	(24.53)	(20.31)
	Defined Benefit Obligation - Discount Rate - 100 base points	26.03	23.12	26.74	22.51
	Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	7.03	23.85	5.80	23.49
	Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(8.15)	(22.57)	(10.66)	(22.57)
(XI)	**Expected Cash flows for the Next Ten Years**				
	Year - 2021				
	Year - 2022				
	Year - 2023			14.20	
	Year - 2024	16.47		15.02	
	Year - 2025	36.08		34.02	
	Year - 2026	71.43		64.75	
	Year - 2027	45.26		41.64	
	Year - 2028	28.98			
	Year - 2028 to 2032			389.31	
	Year - 2029- to 2033	417.05			

Note 14.6 Estimates of future salary increase considered in actuarial valuation taken in to account inflation, seniority, promotion and other relevant factor.

Note 15 Other financial liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Amount payable/adjustable to SCA	42.79	0.03
Security deposit & retention money (Unsecured Considered Good)	0.54	0.72
Grant from government/Financial Institutions-15.1	1,138.47	5,137.92
Interest on Grant Fund	32.61	9.82
Sub Total (1)	**1,214.40**	**5,148.50**
Other payables :		
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	51.89	29.96
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note - 41)	-	4.07
Sub Total (2)	**51.89**	**34.04**
Total	**1,266.29**	**5,182.54**

Note 15.1 During the year 2022-23, as per direction of Government of India has transferrred the untilized funds of Rs. 2099.98 Lakh in to CNA account with Axis Bank which was received Rs. 1942.00 Lakh in 2021-22 and Rs. Rs. 639 Lakh in two times in 2020-21 under P.M. Daksh Scheme for imparting training to the beneficiaries. out of which the Corporation is able to utilized to the tune of Rs. 1654.97 Lakh in financial year 2022-23. the corproation stands committed to release /utilized remaining grant in next financial year. Further, the Corporation has earned the interest on unutilized fund of Rs. 44.66 Lakh and an amount of Rs. 17.48 Lakh has duly been deposited with consolidated fund of Govt. of India and remaining balance will be deposited in Bharat Kosh in the next financial year.

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(XI) संवेदनशीलता विश्लेषण				
परिभाषित लाभ दायित्व-बट्टा दर+100 आधार अंक	(24.00)	(20.34)	(24.53)	(20.31)
परिभाषित लाभ दायित्व-बट्टा दर-100 आधार अंक	26.03	23.12	26.74	22.51
परिभाषित लाभ दायित्व-वेतन वृद्धि+100 आधार अंक	7.03	23.85	5.80	23.49
परिभाषित लाभ दायित्व-वेतन वृद्धि-100 आधार अंक	(8.15)	(22.57)	(10.66)	(22.57)
(XI) अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
वर्ष -2021				
वर्ष -2022				
वर्ष -2023			14.20	
वर्ष -2024	16.47		15.02	
वर्ष -2025	36.08		34.02	
वर्ष -2026	71.43		64.75	
वर्ष -2027	45.26		41.64	
वर्ष -2028	28.98			
वर्ष -2028 से 2032			389.31	
वर्ष - 2029से 2033	417.05			

टिप्पणी 14.6 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी 15 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य धनराशि	42.79	0.03
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारित राशि (असुरक्षित अच्छे माने गए)	0.54	0.72
सरकार/वित्तीय संस्थानों से अनुदान-15.1	1,138.47	5,137.92
अनुदान निधि पर ब्याज	32.61	9.82
उप योग (1)	**1,214.40**	**5,148.50**
अन्य देयः		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त उधारदाताओं का कुल देय बकाया	51.89	29.96
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 41 देखें)	-	4.07
उप योग (2)	**51.89**	**34.04**
योग	**1,266.29**	**5,182.54**

टिप्पणी 15.1 वर्ष 2022-23 के दौरान , भारत सरकार के निर्देशानुसार एक्सिस बैंक के सीएनए खाते में अनुपभुक्त धनराशि रु. 2099.98 लाख अंतरित की गई जो 2021-22 में रु. 1942.00 लाख और वर्ष 2020-21 में दो बार में रु. 639 लाख पीएम दक्ष योजना तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए के प्राप्त हुए थे। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम रू. 1654.57 लाख का उपभोग करने में सक्षम हुआ। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान जारी/उपभोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, निगम ने अप्रयुक्त निधि पर रु. 44.66 लाख का ब्याज अर्जित किया है और राशि रु. 17.48 लाख भारत सरकार की समेकित निधि में विधिवत जमा किये गये हैं और शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में भारत कोष में जमा की जाएगी।

Trade Payables Ageing FY 2022-23

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME	-					-
(iiOthers	51.89			-		51.89
(iii)Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	**51.89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.89**

Trade Payables Ageing FY 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME	4.07					4.07
(iiOthers	11.20		18.76			29.96
(iii)Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	**15.28**	**-**	**18.76**	**-**	**-**	**34.04**

Note 15.2 Security Deposit includes deposits received from various vendors/ suppliers for services.

Note 15.3 Corporation received various grants/funds from administrative ministry for implementing various scheme of ministry as well as other CPSEs for specific purpose. Corporation has maintained separate account for such funds/grants and it has been shown as liability till the fund is utilized for the purpose it was received. After disbursing the same has been adjusted from the PIA (Project Implementing Agencies) balances.

Note 15.4 During the year an amount of Rs.2 232.99 lakhs (previous year Rs.3111.20 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs..6414.76 lakhs (Previous year Rs.3400.63 lakhs) was released/refunds including interest o the tune of Rs.131.59 lakh (Previous Year Rs. 515.13 lakh) to the training institutions/administrative ministry and recognised during the financial year as revenue grant.The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2023 are as under :

वित्तीय वर्ष 2022-23 व्यावसायिक देय अवधि **(₹ लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i)एम.एस.एम.ई.	-					-
(ii)अन्य	51.89			-		51.89
(iii)विवादित बकाया -एम.एस.एम.ई.						-
(iv) अन्य विवादित बकाया						-
योग	**51.89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.89**

वित्तीय वर्ष 2021-22 व्यावसायिक देय अवधि **(₹ लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i)एम.एस.एम.ई.	4.07					4.07
(ii)अन्य	11.20		18.76			29.96
(iii)विवादित बकाया -एम.एस.एम.ई.						-
(iv) अन्य विवादित बकाया						-
योग	**15.28**	**-**	**18.76**	**-**	**-**	**34.04**

टिप्पणी 15.2 सुरक्षा जमा में विभिन्न विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त जमा सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 15.3 निगम प्रशासनिक मंत्रालय से विभिन्न अनुदान/निधियाँ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं साथ ही साथ अन्य सीपीएसईज के विशेष उद्देश्यों से प्राप्त करता है।निगम ने इस प्रकार की निधियों/अनुदान के लिए अलग से खाता तैयार की है एवं इसे दायित्व के तौर पर दर्शाया गया है, जब तक कि इनका उपयोग उस उद्देश्य हेतु न कर लिया जाए जिसके लिए ये प्राप्त हुए थे। इनका वितरण करने के उपरांत पी.आई.ए. (परियोजनाओं क्रियान्वयन एजेंसी) के बकाया से समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 15.4 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में ₹ 2232.99 लाख की धनराशि (गत वर्ष ₹ 3111.20 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि ₹ 6414.76 लाख (गत् वर्ष ₹ 3400.63 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों/प्रशासनिक मंत्रालय अवमुक्ति/वापस की गई जिसमें ब्याज राशि ₹ 131.59 लाख (गत् वर्ष ₹ 515.13 लाख) सम्मिलित है एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार वर्ष के आरंभ में प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

During the F.Y 2022-23 (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I)of 17-18 (for Beggers)	42.69	0.00	42.69	-	0.62	0.62	42.69	0.62	43.31	42.69	0.62	43.31	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III)of 18-19 (Transgender)	66.83	0.00	66.83	-	0.94	0.94	66.83	0.94	67.77	66.83	0.94	67.77	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III)of 19-20	400.00	0.00	400.00	-	9.63	9.63	400.00	9.63	409.63	400.00	9.63	409.63	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IV)of 19-20 (NER)	167.79	0.00	167.79	-	4.04	4.04	167.79	4.04	171.83	167.79	4.04	171.83	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-V)of 19-20 (NER)	776.21	0.00	776.21	-	10.84	10.84	776.21	10.84	787.05	776.21	10.84	787.05	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VI)of 19-20 (Transgender)HEALTH	2.70	0.00	2.70	-	-	-	2.70	-	2.70	2.70	-	2.70	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VII)of 20-21(P.M. Daksh) -1	570.79	0.00	570.79	(136.07)	9.07	-127.00	434.72	9.07	443.79	434.72	9.07	443.79	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VIII)of 20-21(P.M. Daksh)-2	639.00	0.00	639.00	(639.00)	9.83	-629.17	-	9.83	9.83	-	9.83	9.83	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 21-22(P.M. Daksh)-1	307.25	0.00	307.25	(157.98)	9.42	-148.56	149.27	9.42	158.69	149.27	9.42	158.69	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 21-22(P.M. Daksh)-2	1942.00	0.00	1,942.00	(1,942.00)	56.96	-1,885.04	-	56.96	56.96	-	56.96	56.96	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-X1) of 20-21(P.M. Daksh)-CAN				775.07	1.70	776.77	775.07	1.70	776.77	160.46	1.70	162.16	614.61	0.00	614.61
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 21-22(P.M. Daksh)-CAN			-	2,099.98	44.66	2,144.64	2,099.98	44.66	2,144.64	1,654.97	17.48	1,672.45	445.01	27.18	472.19
Concor corporation of India Ltd.	60.82	0.00	60.82	-	-	-	60.82	-	60.82	60.82	-	60.82	0.00	0.00	-0.00
Development Commisioner (Hnadicraft)	0.00	1.51	1.51	-	0.04	0.04	-0.00	1.55	1.55	-	-	-	0.00	1.55	1.55
Indian Railway Finance Corporation ltd.	46.61	0.00	46.61	-	1.06	1.06	46.61	1.06	47.67	46.61	1.06	47.67	0.00	0.00	0.00
Engineers India Ltd.	57.60	0.00	57.60	136.72	0.02	136.74	194.32	0.02	194.34	165.96	-	165.96	28.36	0.02	28.38
MSJ& E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT				1,873.23	3.53	1,876.76	1,873.23	3.53	1,876.76	1,869.14		1,869.14	4.09	3.53	7.61
MSJ&E GRANT RECEIPT ON INTT-SUBSIDY -SHREYAS A/C				331.40	0.34	331.74	331.40	0.34	331.74		285.00	285.00	46.40	0.34	46.74
Total	**5,080.28**	**1.51**	**5,081.80**	**2,341.35**	**162.70**	**2,504.05**	**7,421.63**	**164.20**	**7,585.83**	**5,998.17**	**416.59**	**6,414.76**	**1,138.46**	**32.61**	**1,171.07**

During the F.Y 2022-23 (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
NBCFDC-MSJ&E(VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT	57.64	8.31	65.96		0.71	0.71	57.64	9.02	66.66	57.64	9.02	66.66	-	-	-
Total	**57.64**	**8.31**	**65.96**	**-**	**0.71**	**0.71**	**57.64**	**9.02**	**66.66**	**57.64**	**9.02**	**66.66**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वपसी/ उपभोग का ब्याज	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
वर्ष 17-18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-I) (भिखारियों हेतु)	42.69	0.00	42.69	-	0.62	0.62	42.69	0.62	43.31	42.69	0.62	43.31	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-III) (ट्रांसजेंडर)	66.83	0.00	66.83	-	0.94	0.94	66.83	0.94	67.77	66.83	0.94	67.77	0.00	0.00	0.00
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान- III)	400.00	0.00	400.00	-	9.63	9.63	400.00	9.63	409.63	400.00	9.63	409.63	0.00	0.00	-
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-IV) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	167.79	0.00	167.79	-	4.04	4.04	167.79	4.04	171.83	167.79	4.04	171.83	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-V) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	776.21	0.00	776.21	-	10.84	10.84	776.21	10.84	787.05	776.21	10.84	787.05	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-VI) (ट्रासजेंडर) स्वास्थ्य	2.70	0.00	2.70	-	-	-	2.70	-	2.70	2.70	-	2.70	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-VII) (प्रधानमंत्री दक्ष-1)	570.79	0.00	570.79	(136.07)	9.07	-127.00	434.72	9.07	443.79	434.72	9.07	443.79	0.00	0.00	-
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-VIII)- (प्रधानमंत्री दक्ष-2)	639.00	0.00	639.00	(639.00)	9.83	-629.17	-	9.83	9.83	-	9.83	9.83	0.00	0.00	-
वर्ष 21-22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-IX) (प्रधानमंत्री दक्ष-1)	307.25	0.00	307.25	(157.98)	9.42	-148.56	149.27	9.42	158.69	149.27	9.42	158.69	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 21-22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-X) (प्रधानमंत्री दक्ष-2)	1942.00	0.00	1,942.00	(1,942.00)	56.96	-1,885.04	-	56.96	56.96	-	56.96	56.96	0.00	0.00	-
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-XI) प्रधानमंत्री दक्ष-2)केन				775.07	1.70	776.77	775.07	1.70	776.77	160.46	1.70	162.16	614.61	0.00	614.61
वर्ष 21-22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-XII-)(प्रधानमंत्री दक्ष-1)केन			-	2,099.98	44.66	2,144.64	2,099.98	44.66	2,144.64	1,654.97	17.48	1,672.45	445.01	27.18	472.19
कॉनकोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	60.82	0.00	60.82	-	-	-	60.82	-	60.82	60.82	-	60.82	0.00	0.00	-0.00
डेवलपमेंट कमिश्नर हैण्डीक्राट	0.00	1.51	1.51	-	0.04	0.04	-0.00	1.55	1.55	-	-	-	0.00	1.55	1.55
इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि	46.61	0.00	46.61	-	1.06	1.06	46.61	1.06	47.67	46.61	1.06	47.67	0.00	0.00	0.00
इंजीनियर इण्डिया लि0	57.60	0.00	57.60	136.72	0.02	136.74	194.32	0.02	194.34	165.96	-	165.96	28.36	0.02	28.38
सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय से एनएफ-ओबीसी [श्रेयस] खाते में प्राप्त अनुदान				1,873.23	3.53	1,876.76	1,873.23	3.53	1,876.76	1,869.14		1,869.14	4.09	3.53	7.61
सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय से इन्ट्रेस्ट -सब्सिडी –श्रेयस खाते में प्राप्त अनुदान				331.40	0.34	331.74	331.40	0.34	331.74		285.00	285.00	46.40	0.34	46.74
योग	**5,080.28**	**1.51**	**5,081.80**	**2,341.35**	**162.70**	**2,504.05**	**7,421.63**	**164.20**	**7,585.83**	**5,998.17**	**416.59**	**6,414.76**	**1,138.46**	**32.61**	**1,171.07**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए(अवमुक्त)			Closing Balance		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
एनबीसीएफडीसी-एमएसजे एंड ई (विश्वास) योजना -2020 खाता	57.64	8.31	65.96		0.71	0.71	57.64	9.02	66.66	57.64	9.02	66.66	-	-	-
योग	**57.64**	**8.31**	**65.96**	**-**	**0.71**	**0.71**	**57.64**	**9.02**	**66.66**	**57.64**	**9.02**	**66.66**	**-**	**-**	**-**

Note 15.4 During the F.Y 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I)of 17-18 (for Beggers)	69.54	18.61	88.15		2.66	2.66	69.54	21.27	90.81	26.85	21.27	48.12	42.69	0.00	42.69
Ministry of SJ&E (Grant-II)of 18-19 (North Eastern Region)	318.60	95.08	413.68		3.18	3.18	318.60	98.26	416.86	318.60	98.26	416.86	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III)of 18-19 (Transgender)	81.02	12.23	93.24		3.94	3.94	81.02	16.17	97.19	14.19	16.17	30.36	66.83	0.00	66.83
Ministry of SJ&E (Grant-IV)of 18-19 (Transgender)	7.76	1.26	9.02		0.18	0.18	7.76	1.44	9.20	7.76	1.44	9.19	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-V)of 19-20	0.00	99.87	99.87		13.63	13.63	-0.00	113.50	113.49		113.49	113.49	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VI)of 19-20 (Transgender)HEALTH	0.00	3.65	3.65		(3.65)	(3.65)	-	-	-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VII)of 19-20 (Drug Demand Reduction)	150.00	13.81	163.81		4.68	4.68	150.00	18.49	168.49	150.00	18.49	168.49	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VIII)of 19-20 (for **Beggers)**	70.00	5.04	75.04		2.14	2.14	70.00	7.18	77.18	70.00	7.18	77.18	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IX)of 19-20	400.00	25.87	425.87		12.16	12.16	400.00	38.03	438.03		38.03	38.03	400.00	0.00	400.00
Ministry of SJ&E (Grant-X)of 19-20 (NER)	300.00	19.40	319.40		7.76	7.76	300.00	27.16	327.16	132.21	27.16	159.37	167.79	0.00	167.79
Ministry of SJ&E (Grant-XI)of 19-20 (NER)	1077.09	49.21	1126.30	-	18.38	18.38	1,077.09	67.59	1,144.68	300.88	67.59	368.47	776.21	0.00	776.21
Ministry of SJ&E (Grant-XII)of 19-20 (Transgender)HEALTH	25.83	4.91	30.74		4.26	4.26	25.83	9.17	35.00	23.13	9.17	32.30	2.70	0.00	2.69
Ministry of SJ&E (Grant-XIII)of 20-21	250.00	9.95	259.95		6.30	6.30	250.00	16.25	266.25	250.00	16.25	266.25	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XIV)of 20-21	250.00	9.26	259.26		7.40	7.40	250.00	16.66	266.66	250.00	16.66	266.66	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XV)of 20-21	250.00	8.03	258.03		7.37	7.37	250.00	15.40	265.40	250.00	15.40	265.40	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-XVI)of 20-21(P.M. Daksh) -1	639.00	6.30	645.30		(0.92)	-0.92	639.00	5.38	644.38	68.21	5.38	73.59	570.79	0.00	570.79
Central warehouse Corporation	34.44	0.00	34.44			-	34.44	-	34.44	34.44		34.44	0.00	0.00	-
Concor corporation of India Ltd.	21.33	0.00	21.33	53.46		53.46	74.79	-	74.79	13.97		13.97	60.82	0.00	60.82
Development Commisioner (Hnadicraft)	0.00	1.46	1.46		0.04	0.04	-0.00	1.51	1.50			-	0.00	1.51	1.50
IFCI Social Foundation	12.23	0.00	12.23		0.40	0.40	12.23	0.40	12.63	12.23	0.40	12.63	0.00	0.00	-
Indian Railway Finance Corporation ltd.	135.17	0.00	135.17	44.58		44.58	179.75	-	179.75	133.14		133.14	46.61	0.00	46.61
Engineers India Ltd.	103.49	0.00	103.49	151.20		151.20	254.69	-	254.69	197.09		197.09	57.60	0.00	57.60
CONCOR AIR LIMITED-COVID 19 GRANT ACCOUNT	0.00	0.00	0.00			-	-		-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XVII)of 20-21(P.M. Daksh)-2	639.00	0.07	639.07		18.25	18.25	639.00	18.32	657.32		18.32	18.32	639.00	0.00	639.00
MINISTRY OF SJ&E[FAIR & EXIHIBITION] ACCOUNT	20.10	0.00	20.10		0.49	0.49	20.10	0.49	20.59	20.10	0.49	20.59	0.00	0.00	-
CONCOR COVID 19 CSR GRANT	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
CONCOR AIR LIMITED CSR SDTP GRANT RECEIVED ACCOUNT				19.96		19.96	19.96	-	19.96	19.96		19.96	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XIX) of 21-22(P.M. Daksh)-2				900.00	8.76	908.76	900.00	8.76	908.76	592.75	8.76	601.51	307.25	0.00	307.25
Ministry of SJ&E (Grant-XX) of 21-22(P.M. Daksh)-3				1942.00		1,942.00	1,942.00	-	1,942.00			-	1942.00	0.00	1,942.00
Ministry of SJ&E (Grant-XVIII)of 20-21(P.M. Daksh)-1					15.20	15.20	-	15.20	15.20		15.20	15.20	0.00	0.00	-
Total	**4,854.58**	**384.01**	**5,238.59**	**3,111.20**	**132.62**	**3,243.83**	**7,965.78**	**516.63**	**8,482.42**	**2,885.50**	**515.13**	**3,400.63**	**5,080.28**	**1.51**	**5,081.79**

टिप्पणी 15.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए(अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
वर्ष 17-18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान-I) (भिखारियों हेतु)	69.54	18.61	88.15		2.66	2.66	69.54	21.27	90.81	26.85	21.27	48.12	42.69	0.00	42.69
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--II) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	318.60	95.08	413.68		3.18	3.18	318.60	98.26	416.86	318.60	98.26	416.86	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--III) (ट्रासजेंडर)	81.02	12.23	93.24		3.94	3.94	81.02	16.17	97.19	14.19	16.17	30.36	66.83	0.00	66.83
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--IV)(ट्रासजेंडर)	7.76	1.26	9.02		0.18	0.18	7.76	1.44	9.20	7.76	1.44	9.19	0.00	0.00	0.00
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान-V)	0.00	99.87	99.87		13.63	13.63	-0.00	113.50	113.49		113.49	113.49	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान-VI) (ट्रासजेंडर) स्वास्थ्य	0.00	3.65	3.65		(3.65)	(3.65)	-	-	-			-	0.00	0.00	-
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान-VII) (ड्रग्स की मांग में कमी)	150.00	13.81	163.81		4.68	4.68	150.00	18.49	168.49	150.00	18.49	168.49	0.00	0.00	-
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान-VIII) (भिखारियों हेतु)	70.00	5.04	75.04		2.14	2.14	70.00	7.18	77.18	70.00	7.18	77.18	0.00	0.00	-
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--IX)	400.00	25.87	425.87		12.16	12.16	400.00	38.03	438.03		38.03	38.03	400.00	0.00	400.00
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--X) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	300.00	19.40	319.40		7.76	7.76	300.00	27.16	327.16	132.21	27.16	159.37	167.79	0.00	167.79
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XI) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	1077.09	49.21	1126.30	-	18.38	18.38	1,077.09	67.59	1,144.68	300.88	67.59	368.47	776.21	0.00	776.21
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XII) (ट्रासजेंडर) स्वास्थ्य	25.83	4.91	30.74		4.26	4.26	25.83	9.17	35.00	23.13	9.17	32.30	2.70	0.00	2.69
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XIII)	250.00	9.95	259.95		6.30	6.30	250.00	16.25	266.25	250.00	16.25	266.25	0.00	0.00	-
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XIV)	250.00	9.26	259.26		7.40	7.40	250.00	16.66	266.66	250.00	16.66	266.66	0.00	0.00	-
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XV)	250.00	8.03	258.03		7.37	7.37	250.00	15.40	265.40	250.00	15.40	265.40	0.00	0.00	-0.00
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XVI) (प्रधानमंत्री दक्ष)-1	639.00	6.30	645.30		(0.92)	-0.92	639.00	5.38	644.38	68.21	5.38	73.59	570.79	0.00	570.79
केन्द्रीय भण्डारण निगम	34.44	0.00	34.44			-	34.44	-	34.44	34.44		34.44	0.00	0.00	-
कॉनकोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	21.33	0.00	21.33	53.46		53.46	74.79	-	74.79	13.97		13.97	60.82	0.00	60.82
डेवलपमेंट कमिश्नर हैण्डीक्राट	0.00	1.46	1.46		0.04	0.04	-0.00	1.51	1.50			-	0.00	1.51	1.50
आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउण्डेशन	12.23	0.00	12.23		0.40	0.40	12.23	0.40	12.63	12.23	0.40	12.63	0.00	0.00	-
इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि	135.17	0.00	135.17	44.58		44.58	179.75	-	179.75	133.14		133.14	46.61	0.00	46.61
इंजीनियर इण्डिया लि0	103.49	0.00	103.49	151.20		151.20	254.69	-	254.69	197.09		197.09	57.60	0.00	57.60
कॉनकोर एयर लि0-कोविड-19 अनुदान खाता	0.00	0.00	0.00			-	-		-			-	0.00	0.00	-
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XVII)(प्रधानमंत्री दक्ष)-2	639.00	0.07	639.07		18.25	18.25	639.00	18.32	657.32		18.32	18.32	639.00	0.00	639.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (मेला एवं प्रदर्शनी) खाता	20.10	0.00	20.10		0.49	0.49	20.10	0.49	20.59	20.10	0.49	20.59	0.00	0.00	-
कॉनकोर कोविड-19 सी.एस.आर. अनुदान	0.00	0.00	0.00			-	-		-			-	0.00	0.00	-
कॉनकोर एयर लि0 सी.एस.आर. एस.डी.टी.पी. अनुदान प्राप्त खाता				19.96		19.96	19.96	-	19.96	19.96		19.96	0.00	0.00	-
वर्ष 21-22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XIX) (प्रधानमंत्री दक्ष)-2				900.00	8.76	908.76	900.00	8.76	908.76	592.75	8.76	601.51	307.25	0.00	307.25
वर्ष 21-22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XX) (प्रधानमंत्री दक्ष)-3				1942.00		1,942.00	1,942.00	-	1,942.00			-	1942.00	0.00	1,942.00
वर्ष 20-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (अनुदान--XVIII) (प्रधानमंत्री दक्ष)-1					15.20	15.20	-	15.20	15.20		15.20	15.20	0.00	0.00	-
योग	**4,854.58**	**384.01**	**5,238.59**	**3,111.20**	**132.62**	**3,243.83**	**7,965.78**	**516.63**	**8,482.42**	**2,885.50**	**515.13**	**3,400.63**	**5,080.28**	**1.51**	**5,081.79**

During the F.Y 2021-22 (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
NBCFDC-MSJ&E(VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT	878.09	8.02	886.11		23.30	23.30	878.09	31.32	909.41	820.45	23.01	843.46	57.64	8.31	65.96
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.30**	**23.30**	**878.09**	**31.32**	**909.41**	**820.45**	**23.01**	**843.46**	**57.64**	**8.31**	**65.96**

During the F.Y 2021-22 (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
COVID 19 RELIEF FUND ACCOUNT	5.19	0.05	5.24	1.10	0.12	1.23	6.29	0.17	6.46	5.49		5.49	0.80	0.17	0.97
Total	**5.19**	**0.05**	**5.24**	**1.10**	**0.12**	**1.23**	**6.29**	**0.17**	**6.46**	**5.49**	**-**	**5.49**	**0.80**	**0.17**	**0.97**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
एन.बी.सी.एफ.डी.सी.- सामाजिक न्याय और अधि.मंत्रालय (विश्वास) योजना -2020 खाता	878.09	8.02	886.11		23.30	23.30	878.09	31.32	909.41	820.45	23.01	843.46	57.64	8.31	65.96
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.30**	**23.30**	**878.09**	**31.32**	**909.41**	**820.45**	**23.01**	**843.46**	**57.64**	**8.31**	**65.96**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक जमा			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अतः अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
कोविड 19 राहत कोष खाता	5.19	0.05	5.24	1.10	0.12	1.23	6.29	0.17	6.46	5.49		5.49	0.80	0.17	0.97
योग	**5.19**	**0.05**	**5.24**	**1.10**	**0.12**	**1.23**	**6.29**	**0.17**	**6.46**	**5.49**	**-**	**5.49**	**0.80**	**0.17**	**0.97**

Note 16 Other Current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
TDS payable	0.80	45.88
GST payable	1.46	6.35
Provident fund payable	-	12.10
Pension & Post retirement medical fund	-	1.38
Employee Reimbursement & Others Payables	2.82	7.00
Total	**5.07**	**72.71**

Note 17 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
a) RENDERING OF SERVICES:		
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (General Loan)	4,302.58	4,155.99
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	966.92	1,057.39
Penal Interest (General Loan)	5.60	54.40
Penal Interest (Micro Finance)	0.36	11.48
Donation Received	0.11	1.23
	5,275.57	**5,280.49**
b) Other Operating Income		
Provision /Allowances on Loans & Advances written back	-	-
Monitoring Cost on CSR Activities	31.54	24.05
Management Fee-Visvas Scheme	5.63	16.98
	37.17	**41.04**
Total	**5,312.74**	**5,321.53**

Note 17.1 The Corporation has adopted Ind AS -115 (revenue from contract with customers) in accordance with requirement of applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statement of NBCFDC.

Note 17.2 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan , in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partner₹ The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation, the advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization , the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 17.3 Interest income on loan advanced/given is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

Note 17.4 Interest income on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies.

Note 17.5 Interest Income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable , using effective interest Rate method.

Note 17.6 Interest income on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

टिप्पणी 16 अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
टी.डी.एस. देय	0.80	45.88
जी.एस.टी. देय	1.46	6.35
भविष्य निधि देय	-	12.10
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि	-	1.38
कर्मचारी भुगतान एव अन्य देय	2.82	7.00
योग	**5.07**	**72.71**

टिप्पणी 17 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सेवाओं का प्रतिपादनः		
एस.सी.ए. से ऋण पर ब्याज/अन्य		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण)	4,302.58	4,155.99
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	966.92	1,057.39
दंड ब्याज (सामान्य ऋण)	5.60	54.40
दंड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	0.36	11.48
प्राप्त दान	0.11	1.23
	5,275.57	**5,280.49**
ख) संचालन से अन्य आय		
पीछे से लाए गए ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान/अनुमति	-	-
सी.एस.आर. गतिविधियों पर निगरानी लागत	31.54	24.05
प्रबन्धन शुल्क-विश्वास योजना	5.63	16.98
	37.17	**41.04**
योग	**5,312.74**	**5,321.53**

टिप्पणी 17.1 निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक-115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) के अनुपालन की आवश्यकतानुसार लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे को अपनाया है, इसके अपनाने के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी 17.2 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग विवरण के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 17.3 प्रभावी ब्याज दरविधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण/ब्याज पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 17.4 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से एक दिन पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज आय के रुप में माना गया है।

टिप्पणी 17.5 दिए गए ऋणों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

टिप्पणी 17.6 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

Note 17.7 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of Rs. 0.11 Lakh FY 2022-23, Rs. 1.23 Lakh (FY 21-22) & 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 17.8 Accrual of Revenue & Terms of references are as under: **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
	Term Loan	Micro Finance	Term Loan	Micro Finance
Interest accrued & due as at beginning of the year	1,810.92	69.98	1,885.92	93.36
Add: Interest accrued & due during the year	4,302.58	966.92	4,155.99	1,057.39
Less: Interest Received during the year	4,515.98	937.88	4,230.99	1,080.77
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accrued & due as at Balance Sheet Date	1,597.53	99.02	1,810.92	69.98
Penal Interest receivable as at beginning of the year	242.20	3.52	264.75	3.52
Add. Recognized during the year	5.60	0.36	54.40	11.48
Less : Received during the year	5.60	0.36	54.40	11.48
Less: Adjustment, if any	0.46	-0.00	22.55	-
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	241.74	3.52	242.20	3.52

'Terms of references:
'General Loan includes Education loan ,New Swarnima, Term loan and Micro Finance includes MFS & Mahila Samridhi yojana.

Particulars	General Loan Scheme			Micro Finance Scheme		
	Education Loan	New Swarnima	Term Loan	Micro Finance	Mahila Samridhi/ Small Loan Finance	NBFC-MFI-Loan
Rate of Interest *	1.5%/1%	2%	3%, 4% & 5% $	2%	1%/3%	4%
Repayment Period	9.5 Year in 20 Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt. (w.e.f 01.04.2021 for SMF)	4 year in Quarterly Instt.
Moratorium Period	4.5 years inclusive of study period of 4 years	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal

* 0.5% rebate on timely repayment of due
$ 4% interest charged in r/o loan above ₹ 5 lakh to 10 Lakh and 5% on above ₹ 10 Lakh
Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.

B. Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 120 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated with in 10 working days of drawl from NBCFDC.

Period	ROI
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

टिप्पणी 17.7 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ 0.11 लाख (वित्त वर्ष 2022-23), ₹ 1.23 लाख (वित्त वर्ष 2021-22) एवं ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 17.8 राजस्व का संचय एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है: **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	1,810.92	69.98	1,885.92	93.36
जोड़े: वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	4,302.58	966.92	4,155.99	1,057.39
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	4,515.98	937.88	4,230.99	1,080.77
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन-पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	1,597.53	99.02	1,810.92	69.98
वर्ष के आरंभ पर प्राप्य दण्ड ब्याज	242.20	3.52	264.75	3.52
जोड़े: वर्ष के दौरान माना गया	5.60	0.36	54.40	11.48
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त	5.60	0.36	54.40	11.48
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	0.46	-0.00	22.55	-
तुलन-पत्र की तिथि को प्राप्य दण्ड ब्याज	241.74	3.52	242.20	3.52

कार्य क्षेत्र:

सामान्य ऋण योजना में शैक्षिक ऋण, नई स्वर्णिमा, सावधि ऋण तथा लघु वित्त में सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना सम्मिलित है।

विवरण	सामान्य ऋण			सूक्ष्म वित्त योजना		
	शैक्षिक ऋण	नई स्वर्णिमा	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि/लघु वित्त ऋण	एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण
ब्याज दर*	1.5%/1%	2%	3%, 4% एवं 5% $	2%	1%/3%	4%
पुनर्भुगतान की अवधि	9.5 वर्ष में 20 तिमाही किस्त	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें (लघु वित्त ऋण 01.04.2021 से प्रभावी)	4 वर्ष में तिमाही किस्तें
मोरेटोरियम अवधि	4.5 जिसमें 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां

* देय का पुनर्भुगतान समय से करने पर 0.5% की छूट
$ ₹ 5.00 लाख से ₹ 10.00 लाख तक के ऋणों पर 4% एवं ₹ 10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर 5% ब्याज दर प्रभार्य
चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज / 1% की दर पर होगा।

ख. अग्रिम धनराषि पर ब्याज:एस.सी.ए. द्वारा 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वित्तीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुनर्वित्तीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वित्तीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

अवधि	ब्याज की दर
1-120 दिन	3%
121-180 दिन	6%
180 दिनों से अधिक	8%

Note 18 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	15.35	14.52
Interest subsidy on Education Loan	-	-
Sub Total (a)	**15.35**	**14.52**
b) Interest from Banks		-
Interest on savings bank	150.61	181.57
Interest on fixed deposits	72.40	-
Sub Total (b)	**223.01**	**181.57**
c) Other Non-Operating Income		-
Miscellaneous income	1.24	0.33
Sub Total (c)	**1.24**	**0.33**
Total (a+b+c)	**239.60**	**196.42**

Note 18.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 18.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustment of ₹ 3.69 Lakhs (₹ 3.47 lakhs as at 31.03.2022)

Note 18.3 The Corporation has obtained 12A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July' 2017 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of Rs. 0.11 Lakh FY 2022-23, Rs. 1.23 Lakh (FY 21-22) & 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 19 Allowance/Reversal for Loans & advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Allowance for Loans & advances	416.76	433.73
Uncollectable Interest	95.09	92.36
Total	**511.85**	**526.09**

Note 20 Penal Interest waived off and others

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Penal Interest waived off	44.57	45.52
Interest Incentive under One time Settlement (OTS)	19.08	2.70
Total	**63.65**	**48.23**

Note 21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	997.03	919.52

टिप्पणी 18 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	15.35	14.52
शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	-	-
उप योग (क)	**15.35**	**14.52**
ख) बैंकों से ब्याज		-
बचत खाते पर ब्याज	150.61	181.57
सावधि जमाओं पर ब्याज	72.40	-
उप योग (ख)	**223.01**	**181.57**
ग) अन्य गैर-परिचालन आय		-
विविध आय	1.24	0.33
उप योग (ग)	**1.24**	**0.33**
योग (क+ख+ग)	**239.60**	**196.42**

टिप्पणी 18.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 18.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में ₹ 3.69 लाख (31.03.2022 को ₹ 3.47 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 18.3 निगम ने जुलाई 2017 के महीने में ओ.बी.सी.के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए आयकर प्राधिकरण से 12-ए छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ 0.11 लाख (वित्त वर्ष 2022-23) ₹ 1.23 लाख (वित्त वर्ष 2021-22) एवं ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 19 ऋण एवं अग्रिम के लिए स्वीकारोक्ति/व्युत्क्रमण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों के लिए स्वीकारोक्ति	416.76	433.73
गैर-संग्रहरणीयोग्य ब्याज	95.09	92.36
योग	**511.85**	**526.09**

टिप्पणी 20 माफ किया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	44.57	45.52
एकल निस्तारण योजना (ओ.टी.एस.) के तहत ब्याज प्रोत्साहन	19.08	2.70
योग	**63.65**	**48.23**

टिप्पणी 21 कर्मचारी लाभ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन एवं भत्ते	997.03	919.52

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds	-	
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	170.66	148.13
c) Staff welfare expenses	-	
- Leave Travel Concession	16.47	0.61
- Medical Reimbursements /Policies	38.38	39.38
- Others	18.61	12.44
Total	**1,241.15**	**1,120.09**

Note 21.1 Others includes Interest on loan to employees fair value adjustment of ₹ 3.69 Lakhs (₹ 3.50 lakhs as at 31.03.2022)

Note 22 Depreciation & Amortization Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	22.87	27.77
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	4.05	8.54
Depreciation Charge for Right of Use Assets (refer note no. 3.1)	0.59	0.59
Total	**27.51**	**36.89**

Note 23 Training and Other Developmental Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	6,457.76	3,571.07
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 15.3)	6,414.76	3,400.63
Sub Total (a)	**42.99**	**170.44**
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	62.43	34.71
Performance linked Grant in aid (SCAs)	-	173.50
Cluster Development Expenses	80.42	38.29
Publicity Grant to SCAs	6.99	7.91
Donation & Covid 19 Expenses (See Note 23.4)	0.11	5.49
Sub Total (b)	**149.96**	**259.90**
Total	**192.95**	**430.34**

Note 23.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹22,851.63 lakhs (Previous year ₹18,548.02 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 309.15 lakhs (Previous year ₹4913.02 lakhs) are awaited as at year end.

Note 23.2 Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of training expenses claims by SSC/Training Institutions and multiple training programmes monitored by them , payments on account of grant from training programmes are charged to expenses in the year of acceptance of claim /year of disbursement.

Note 23.3 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹878.63 lakhs (Previous year ₹ 878.63 lakh) to incentivizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and purchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 3.04 lakhs (Previous year ₹7.00 lakhs) are awaited as at year end.

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	-	
- भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	170.66	148.13
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
- यात्रा रियायत व्यय	16.47	0.61
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति / नीतियाँ	38.38	39.38
- अन्य	18.61	12.44
योग	**1,241.15**	**1,120.09**

टिप्पणी 21.1 अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन ₹ 3.69 लाख (31.03.2022 को ₹ 3.50 लाख) सम्मिलित है।

टिप्पणी 22 मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	22.87	27.77
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	4.05	8.54
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास शुल्क (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 3.1)	0.59	0.59
योग	**27.51**	**36.89**

टिप्पणी 23 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	6,457.76	3,571.07
घटाएं: वर्ष के दौरान माने गए/अवमुक्त (टिप्पणी 15.3 देखें)	6,414.76	3,400.63
उप योग (क)	**42.99**	**170.44**
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	62.43	34.71
प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.)	-	173.50
समूह विकास व्यय	80.42	38.29
एस.सी.ए. को प्रचार-प्रसार अनुदान	6.99	7.91
दान एवं कोविड-19 व्यय (टिप्पणी 23.4 देखें)	0.11	5.49
उप योग (ख)	**149.96**	**259.90**
योग	**192.95**	**430.34**

टिप्पणी 23.1 निगम ने अब तक ₹ 22,851.63 लाख (गत् वर्ष 18548.02 लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया है जिसमें एस.सी.ए.के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान में से ₹ 309.15 लाख (गत् वर्ष ₹4913.02 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 23.2 चूंकि एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण व्यय के प्रस्तुत दावों में राशि और समय की अनिश्चितता है, एवं उनके द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुदान के भुगतान को दावों की स्वीकृति के वर्ष/वितरण के वर्ष में व्यय को लिया जाता है।

टिप्पणी 23.3 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ₹878.63 लाख (गत् वर्ष ₹ 878.63 लाख) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित सकल अनुदान में से ₹ 3.04 लाख (गत् वर्ष ₹ 7.00 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

Note 23.4 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised expenditure of Rs. 0.11 Lakh FY 2022-23,Rs. 5.49 Lakh (FY 21-22) & 23.14 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 24 Rebate on Interest on Loans & Advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Rebate	25.96	17.52
Total	**25.96**	**17.52**

Note 24.1 Incentive for Channel Partners as "Rebate on Interest": In order to encourage to channel partners for timely repayment of due, The Corporation has a scheme for them as " Rebate on interest . As per norms, rebate of 0.5% on Education Loan is provided.

Note 25 Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration (Refer Note No-25.1)	2.07	1.48
Repair & Maintenance (Equipment & others)	12.33	7.94
Electricity & Water charges	13.86	11.69
Rent	217.00	184.92
Rates & Taxes	0.42	0.42
Insurance	0.84	0.85
Telephone	7.94	7.08
Travelling Expenses -Directors	2.11	0.26
Travelling Expenses -Staffs & others	10.50	10.44
Conveyance	8.97	5.70
Vehicle Running & Maintenance	1.29	1.17
Office Expenses & Maintenance	46.28	35.37
Legal & Professional charges	7.88	8.42
Printing & stationery	8.12	5.82
Advertisement	8.05	2.31
Conference and Meetings	0.14	0.13
Recruitment & Training	0.75	0.20
Monitoring & Evaluation	26.13	9.03
Security & Other Services Charges	70.13	62.19
Other Expenditure	25.59	24.12
Total	**470.39**	**379.53**

Note 25.1 Payment to the Auditor

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Statutory Auditor Remuneration	2.07	1.48
For taxation matters (Tax Audit)	0.22	0.22
for company law matters		
for other services (GST & Others) (see note 25.1.1)	0.41	0.41
for reimbursement of expenses		
Total	**2.70**	**2.11**

टिप्पणी 23.4 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ 0.11 लाख वित्त वर्ष 2022-23 और ₹ 5.49 लाख (वित्त वर्ष 2021-22) एवं ₹ 23.14 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 24 ऋण एवं अग्रिमों के ब्याज पर छूट **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट	25.96	17.52
योग	**25.96**	**17.52**

टिप्पणी 24.1 **"ब्याज में छूट के रूप में चैनल सहभागियों के लिए प्रोत्साहन":** चैनल सहभागियों को देय पुनर्भुगतान को समय पर करने को प्रोत्साहित करने के क्रम में निगम के पास उनके लिए "ब्याज में छूट" योजना है। मानकों के अनुसार, शैक्षिक ऋण पर 0.5% छूट प्रदान की जाती है।

टिप्पणी 25 अन्य व्यय **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी 25.1 देखें)	2.07	1.48
मरम्मत एवं रख-रखाव (उपकरण एवं अन्य)	12.33	7.94
विदयुत एवं पानी का प्रभार	13.86	11.69
किराया	217.00	184.92
दरें एवं कर	0.42	0.42
बीमा	0.84	0.85
टेलीफोन	7.94	7.08
यात्रा व्यय -निदेशक	2.11	0.26
यात्रा एवं व्यय-स्टॉफ एवं अन्य	10.50	10.44
कनवेंश	8.97	5.70
वाहन चालन एवं रख-रखाव	1.29	1.17
कार्यालय व्यय और रख-रखाव	46.28	35.37
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	7.88	8.42
मुद्रण एवं स्टेशनरी	8.12	5.82
विज्ञापन	8.05	2.31
सम्मेलन एवं बैठकें	0.14	0.13
भर्ती एवं प्रशिक्षण	0.75	0.20
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	26.13	9.03
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	70.13	62.19
अन्य व्यय	25.59	24.12
योग	**470.39**	**379.53**

टिप्पणी 25.1 अंकेक्षक को भुगतान **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक अंकेक्षक पारिश्रमिक	2.07	1.48
कराधान मामलों के लिए (टैक्स आडिट)	0.22	0.22
कंपनी विधिक मामलों के लिए		
अन्य सेवाओं के लिए (जी.एस.टी. एवं अन्य) (टिप्पणी 25.1.1 देखें)	0.41	0.41
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		
योग	**2.70**	**2.11**

Note 25.1.1 The Corporation had incurred GST & 80G fee of Rs. 0.30 Lakh and Rs. 0.12 Lakh respectively.

Note 26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)/ (Expenses)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:- **(₹ in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Remeasurement of Defined Benefit plans - Gratuity	2.15	8.93
Total	**2.15**	**8.93**

Note 27 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Excess Provision of Performance Incentive written back & other	(25.30)	(12.90)
Interest on Income Tax Refund	(0.96)	(0.44)
Loss /(Profit) on sale of assets	(0.18)	-
Leave Encashment Expenses written off (see note 27.1)	-	(51.43)
Excess Provision/Expenses written back	2.88	(11.50)
Expenses/Liability written off	(18.88)	(17.51)
Other Exceptional Income (See Note No. 27.2)	(0.03)	(47.37)
Assets Written off	0.30	
Total	**(42.16)**	**(141.15)**

Note 27.1 a sum of Rs. Nil FY 2022--23 & Rs. 51,43,073 FY 2021-22 has been received from LIC India during this Financial Year on account of Leave Encashment expenses paid by the Corporation earlier.

Note 27.2 Other Exceptional Income Comprises of Interest & Arbitration fee received w.r.t Pudducheery BC division amounting to Rs. 32.26 Lakh and 14.64 Lakh respectively & other exceptional fee of Rs. 0.47 Lakh only for FY 2021-22

All the provisions written back are considered as Exceptional Items except Provision Written back on Loan & Advances.

Note 28 Corporate Social Responsibilities (CSR) Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Direct Expenses	25.20	43.96
Overheads	0.22	0.68
Total	**25.42**	**44.64**

Note 28.1 Disclosure in respect of CSR Expenses :

Expenditure related to Corporate Social Responsibility (CSR) as per Section 135 of The Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

a. Detail of amount required to be spent **(₹ in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Average surplus/profit of the last three years	3,020.02	2,929.68
Un-spent amount as at Beginning of the Year	(107.21)	(121.16)
Gross Amount required to be spent during the year (2% of above 1)	60.40	58.59
Amount Spent during the year	25.42	44.64

टिप्पणी 25.1.1 निगम ने जी.एस.टी. एवं 80जी शुल्क क्रमशः ₹ 0.30 लाख रुपये एवं ₹ 0.12 लाख रुपये व्यय किए हैं।

टिप्पणी 26 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/(व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ-एककीरण नीचे दिखाया गया है- **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		
- उपदान	2.15	8.93
योग	**2.15**	**8.93**

टिप्पणी 27 असाधारण वस्तुएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पीछे से लाए गए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन के आधिक्य का प्रावधान एवं अन्य	(25.30)	(12.90)
आयकर वापसी पर ब्याज	(0.96)	(0.44)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.18)	-
पीछे से लाए गए अवकाश नकदीकरण व्यय (टिप्पणी 27.1 देखें)	-	(51.43)
पीछे से लाए गए आधिक्य प्रावधान/व्यय	2.88	(11.50)
बट्टे खाते में डाला गया व्यय/दायित्व	(18.88)	(17.51)
अन्य असाधारण आय(टिप्पणी 27.2 देखें)	(0.03)	(47.37)
पीछे से लाए गए परिसंपत्तियाँ	0.30	
योग	**(42.16)**	**(141.15)**

टिप्पणी 27.1 इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण व्यय खाते में एलआईसी इंडिया से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ शून्य, 2021-22 में ₹ 51,43,073 की धनराशि प्राप्त की है।

टिप्पणी 27.2 अन्य असाधारण आय में पुडुचेरी बी.सी. विभाग से सम्बंधित प्राप्त ब्याज एवं मध्यस्थता शुल्क क्रमशः ₹ 32.26 लाख एवं ₹ 14.64 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अन्य असाधारण शुल्क ₹ 0.47 लाख सम्मिलित है।

पीछे से लाए गए सभी प्रावधानों को असाधारण मदों के रूप में माना जाता है सिवाय ऋण एवं अग्रिमों पर पीछे से लाए गए प्रावधानों के।

टिप्पणी 28 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय	25.20	43.96
ओवरहेड्स	0.22	0.68
योग	**25.42**	**44.64**

टिप्पणी 28.1 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रकटन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) से संबंधित व्यय, जो उसकी अनुसूची VII के साथ पठनीय है, के अनुसार हैं:

क. व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
गत् तीन वर्षों का औसत आधिक्य/लाभ	3,020.02	2,929.68
वर्ष के आरंभ में व्यय न की गई धनराशि	(107.21)	(121.16)
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल धनराशि (उपरोक्त 1 का 2%)	60.40	58.59
वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि	25.42	44.64

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Amount considered during the year Un-spent amount as at Year End	(72.23)	(107.21)
Total	**(72.23)**	**(107.21)**

b. No provision has been made for CSR Expenses during the year . The income earned ,if any incidentally to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses.

(b) Details of Average of Surplus/Profit of the last three Financial Years as follows: **(₹ in Lakhs)**

Financial Years	Net Profit	Average Net Profit	Amount to be Spent for CSR Expenditure
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59
2022-23	3037.79	3020.02	60.40

(c) CSR Disclousre as per Section 135 of the Companies Act, 2013 **(₹ in Lakhs)**

Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	Deficiency, if any
FY 2021-22	22.42	22.42	10.63	0.00	11.79	
FY 2022-23	45.61	45.61	0.00	0.00	45.61	

(c) CSR Disclousre as per Section 135 of the Companies Act, 2013

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22	Total
amount required to be spent by the company during the year	60.40	22.42	82.82
amount of expenditure incurred,	14.79	10.63	25.42
shortfall at the end of the year,	45.61	11.79	57.40
total of previous years shortfall	11.79		
reason for shortfall	Delay in submitting the proposal by channel partners.		
nature of CSR activities,	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventing health care and making avialable safe drinking water.		

Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014, the Corporation had transferred an unspent balance of Rs. 45.61 Lakhs FY 2022-23 (Rs. 22.42 Lakhs FY 2021-22) to specially designated Unspent Corporate Social Responsibiity Account with in 30 days of the end of the Financial Year.

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान विचारार्थ धनराशि वर्ष की समाप्ति पर व्यय न की गई धनराशि	(72.23)	(107.21)
योग	**(72.23)**	**(107.21)**

ख. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। सी.एस.आर. परियोजनाओं से अकस्मात आय, यदि कोई हो को सी.एस.आर. खर्चों से घटाया गया है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अधिशेष/लाभ के औसत का विवरण इस प्रकार है **(₹ लाख में)**

वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ	औसत शुद्ध लाभ	सी.एस.आर. व्यय के लिए खर्च की जाने वाली राशि
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59
2022-23	3037.79	3020.02	60.40

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण **(₹ लाख में)**

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सी.एस.आर. खाते में अव्ययित हस्तांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सी.एस. आर. खाते में अव्ययित शेष राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे नियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली अवशेष राशि (रु. में)	कमी, यदि कोई हो
वित्तीय वर्ष 2021-22	22.42	22.42	10.63	0.00	11.79	
वित्तीय वर्ष 2022-23	45.61	45.61	0.00	0.00	45.61	

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	योग
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	60.40	22.42	82.82
व्यय की गई राशि,	14.79	10.63	25.42
वर्ष के अंत में कमी,	45.61	11.79	57.40
गत् वर्षों में कमी का योग	11.79		
कमी के कारण	चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी।		
सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रकृति,	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें स्वास्थ्य देखभाल एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।		

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित सीएसआर नियम, 2014 के अनुसार, निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर व्यय न की गई वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष राशि ₹45.61 लाख (₹ 22.42 लाख वित्तीय वर्ष 2022-23) को व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

Note 29 Earnings per share (EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Basic EPS		
From continuing operation	20.25	20.38
Diluted EPS		
From continuing operation	20.25	20.38

Note 29.1 Basic Earning per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	3035.64	3055.77
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	3035.64	3055.77
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	**149.94**	**149.94**

Note 29.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	3035.64	3055.77
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**3035.64**	**3055.77**

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity share used in calculation of basic earning per share as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	149.94	149.94
Effect of Dilution :	-	
Share Application money pending allotment		-
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**149.94**	**149.94**

टिप्पणी 29 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल्य आय		
सतत् संचालन से	20.25	20.38
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	20.25	20.38

टिप्पणी 29.1 प्रति अंश मूल आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ:		
सतत् संचालन	3035.64	3055.77
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	3035.64	3055.77
प्रति अंश मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**149.94**	**149.94**

टिप्पणी 29.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ:		
सतत् संचालन	3035.64	3055.77
सतत् संचालन से प्रति अंश तनुकृत आय में प्रयुक्त आगणन	**3035.64**	**3055.77**

प्रति अंश तनुकृत आय अर्जित करने के उद्देश्य से साम्य अंशों की भारित संख्या, प्रति अंश मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली साम्य अंश की भारित औसत संख्या निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	149.94	149.94
तनुकृत का प्रभावः	-	
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि		-
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**149.94**	**149.94**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)
(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Notes 30

Note 30.1 Related Party Disclosures (Key managerial personnel)

(a) Mr. Rajan Sehgal, Managing Director

(b) Mr. Ajit Kumar Samal, S.G.M. (Finance) & Company Secretary

(c) Mr. V. R. Chary, S.G.M. (HR - CSR)

(c) Ms. Anupama Sood, S.G.M (Project)

(e) Mr. Suresh Kumar, G.M. (S.D.)

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

Note 30.2 Compensation of Key Management Personnel **(₹ in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Short Term Benefits (Salaries/PRPetc.)	223.40	228.20
Sitting Fees to Independent Directors	0.00	0.42
Post Employment Benefits	31.47	28.13
Other Long Term Benefits		
Termination Benefits		
Share Based Payment		
Medical	1.73	1.72
Others (Reimb.)	5.63	1.55
Sub Total (1)	**262.23**	**260.02**
Loan to related party:		
Loan given during /at the end of the year	45.30	27.51
Interest	12.84	11.79
Repayment during the year	25.37	6.43
Sub Total (2)	**32.77**	**32.87**
Amount owned by related parties at end of the year (1+2)	**295.00**	**292.89**

FY 2022-23 **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Mr. Rajan Sehgal (Managing Director)	Mr. Ajit Kumar Samal	Mr. V.R.Chary	Ms. Anupama Sood	Mr. Suresh Kumar
Short Term Benefits	16.82	45.97	54.80	57.46	48.36
Post Employment Benefits	2.52	6.45	7.93	7.79	6.78
Medical	0.13	0.50	0.50	0.50	0.10
Others (Reimb.)	2.74	1.06	0.77	0.35	0.70

FY 2021-22 **(₹ in Lakhs)**

Particulars	Mr. Arvind Katuria	Mr. Ajit Kumar Samal	Mr. V.R.Chary	Ms. Anupama Sood	Mr. Suresh Kumar
Short Term Benefits	46.06	35.57	44.16	40.75	36.36
Post Employment Benefits	2.75	5.60	7.00	6.80	5.98
Medical	0.25	0.45	0.44	0.50	0.08
Others (Reimb.)	0.06	0.28	0.44	0.50	0.27

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
(सीआईएन नंबर U74899DL1992NPL047146)

टिप्पणियाँ 30

टिप्पणी 30.1 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

(क) श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक

(ख) श्री अजीत कुमार सामल , वरि. महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

(ग) श्री वी.आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.स.-सी.एस.आर.)

(घ) श्रीमती अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)

(ड.) श्री सुरेश कुमार, महाप्रबंधक (कौशल विकास)

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन की प्रकृति एवं मात्रा

टिप्पणी 30.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारितोषिक **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संक्षिप्त अवधि लाभ (वेतन/कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन इत्यादि)	223.40	228.20
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क	0.00	0.42
सेवायोजन के पश्चात लाभ	31.47	28.13
अन्य लम्बी अवधि के लाभ		
समाप्ति लाभ		
अंश आधारित भुगतान		
चिकित्सा	1.73	1.72
अन्य (प्रतिपूर्ति)	5.63	1.55
उप योग (1)	**262.23**	**260.02**
संबद्ध पार्टी को ऋणः		
वर्ष के दौरान/ अंत तक दिए गए ऋण	45.30	27.51
ब्याज	12.84	11.79
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	25.37	6.43
उप योग (2)	**32.77**	**32.87**
समाप्त वर्ष पर संबंधित पार्टी द्वारा स्वामित्व में धनराशि(1+2))	**295.00**	**292.89**

वित्त वर्ष 2022-23 **(₹ लाख में)**

विवरण	श्री राजन सहगल (प्रबंध निदेशक)	श्री अजीत कुमार सामल	श्री वी.आर. चारी	श्रीमती अनुपमा सूद	श्री सुरेश कुमार
अल्प अवधि लाभ	16.82	45.97	54.80	57.46	48.36
नियोजनोपरांत लाभ	2.52	6.45	7.93	7.79	6.78
चिकित्सा	0.13	0.50	0.50	0.50	0.10
अन्य (प्रतिपूर्ति)	2.74	1.06	0.77	0.35	0.70

वित्त वर्ष 2021-22 **(₹ लाख में)**

विवरण	श्री अरविन्द कथूरिया	श्री अजीत कुमार सामल	श्री वी. आर. चारी	श्रीमती अनुपमा सूद	श्री सुरेश कुमार
अल्पावधि लाभ	46.06	35.57	44.16	40.75	36.36
नियोजनोपरांत लाभ	2.75	5.60	7.00	6.80	5.98
चिकित्सा	0.25	0.45	0.44	0.50	0.08
अन्य (प्रतिपूर्ति)	0.06	0.28	0.44	0.50	0.27

Loans or Advances granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (₹ in Lakhs)

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters		
Directors		
KMPs	45.30	0.02%
Related Parties		

Director sitting fees of ₹ Nil FY 2022-23 & 42480 FY 2021-22 against ₹ Nil-including GST FY 2020-21 has been paid to two Non - Official Independent Directors) (refer note no 25)

Total Compensation paid as per the guidelines of Deptt. Of Public Enterprises (DPE)

TA/DA is paid /payable in normal course of business and paid on same terms which are applicable to other employees.

Note 30.3 Transaction with the Government Related Entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following :-

Name of Government : Government of India through Ministry of Social Justice and Empowerment (Significant influence over Corporation).

Certain Significant Transactions: **(₹ in Lakhs)**

Party	Nature of Transaction	For the Year Ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt towards Equity Share Capital during the year	-	-
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt of Grant in Aid towards implementation of Skill Development Programme during the year	-	-
Ministry of Social Justice and Empowerment	Reimbursement of expenses of organizing events	-	
Total		-	-

Note 30.4 Related Parties held equity of the Corporation

Name of Party	Relationship	For the Year Ended March 31, 2023		For the Year ended March 31, 2022	
		Number of share held	% holding in that class of shares	Number of share held	% holding in that class of shares
President of India	Shareholder	14994000	99.9%	14994000	99.9%

Notes 31 Capital management

Note 31.1 The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2023 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण या अग्रिम **(₹ लाख में)**

उधारकर्ता की श्रेणी	अवशेष ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों एवं अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटर्स		
निदेशक		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	45.30	0.02%
संबंधित पार्टियाँ		

दो गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के ₹ शून्य के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में ₹ शून्य एवं वर्ष 2021-22 में जी.एस.टी. सहित ₹ 42480/- की बैठक में भाग लेने की फीस का भुगतान किया गया।

कुल प्रतिपूर्ति का भुगतान लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान सामान्य व्यावसायिक अवधि में उन्हीं शर्तों के अनुसार किया गया/देय है जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

टिप्पणी 30.3 सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ लेन-देन

ऊपर बताए गए लेनदेन के अतिरिक्त, निगम ने सरकार से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है, जो सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है-

सरकार का नामः भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय माध्यम से

निश्चत महत्वपूर्ण लेन-देन **(₹ लाख में)**

पक्ष	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी के रूप में प्राप्त	-	-
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान सहायता	-	-
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कार्यक्रमों के आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	
योग		-	-

टिप्पणी 30.4 निगम के साम्य अंश धारित संबद्ध पार्टी

पक्ष का नाम	संबंध	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
		धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %
भारत के राष्ट्रपति	अंशधारक	14994000	99.9%	14994000	99.9%

टिप्पणी 31 पूंजी प्रबंधन

टिप्पणी 31.1 कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी के अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत करती है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

Note 31.2 Following changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2023 :

i) Recognition of Corporate Social Responsibilities (CSR) expenses from utilization to disbursement.

ii) Some other category of target group has been added in objective clause.

Note 32 Fair Value measurements

i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow: **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at March 31, 2023			As at March 31, 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	3,410.28	-	-	4,037.62
(ii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iii) Security Deposits	-	-	0.25	-	-	0.63
(iv) Other Financial Assets	-	-	1,995.59	-	-	2,277.94
(vi) Loans	-	-	204,185.13	-	-	200,584.79
(vi) Staff Loans & advances			202.71			129.68
(vii) Cash & Cash Equivalents-Grant Fund			1,374.87			5,312.33
Total Financial Assets	**-**	**-**	**211,168.84**	**-**	**-**	**212,342.99**
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities			1,266.29	-	-	5,182.54
(ii) Security deposit & retention money			0.54			0.72
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**1,266.83**	**-**	**-**	**5,183.26**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Carrying Value	Fair value	Carrying Value	Fair value
Financial Assets				
(i) Loans	204,185.13	204,185.13	200,584.79	200,584.79
(ii) Staff Loans & advances	202.71	234.74	129.68	154.76
Total Financial Assets	**204,387.85**	**204,419.87**	**200,714.47**	**200,739.56**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

टिप्पणी 31.2 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन किए गए हैं:

I) वितरण के उपभोग के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की मान्यता।

II)उद्देश्य की खंड में कुछ अन्य श्रेणियों के लक्षित वर्ग सम्मिलित किए गए हैं।

टिप्पणी 32 उचित मूल्य माप

i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है : **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी. आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी. आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	3,410.28	-	-	4,037.62
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	-	-	-	-
(iii) सुरक्षित जमा	-	-	0.25	-	-	0.63
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1,995.59	-	-	2,277.94
(vi) ऋण	-	-	204,185.13	-	-	200,584.79
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम			202.71			129.68
(vii) नकद एवं नकदी समकक्ष-अनुदान राशि			1,374.87			5,312.33
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**211,168.84**	**-**	**-**	**212,342.99**
वित्तीय देयताएँ						
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ			1,266.29	-	-	5,182.54
(ii) सुरक्षित जमा एवं प्रतिधारित धनराशि			0.54			0.72
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**1,266.83**	**-**	**-**	**5,183.26**

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ऋण	204,185.13	204,185.13	200,584.79	200,584.79
(ii) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	202.71	234.74	129.68	154.76
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**204,387.85**	**204,419.87**	**200,714.47**	**200,739.56**

i) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (अ-समायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

Fair Value hierarchy as on 31-03-2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2023	-	-	204,185.13	204,185.13
Loans to employees	31st March 2023	-	-	202.71	202.71
		-	-	**204,387.85**	**204,387.85**

Fair Value hierarchy as on 31-03-2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2022			200,584.79	200,584.79
Loans to employees	31st March 2022	-	-	129.68	129.68
		-	-	**200,714.47**	**200,714.47**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances , deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's /RRBs/PSBs and Ohers. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's /RRBs/PSBs and Ohers.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एव दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम **(₹ लाख में)**

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2023	-	-	204,185.13	204,185.13
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2023	-	-	202.71	202.71
		-	-	**204,387.85**	**204,387.85**

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम **(₹ लाख में)**

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2023			200,584.79	200,584.79
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2023	-	-	129.68	129.68
		-	-	**200,714.47**	**200,714.47**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति व्यक्त करता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम-ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

ग) उधार जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान है, यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभाविता पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत् आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना

available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

Note 33 Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2023 (₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	204,185.13	0%	-	204,185.13
		Interest on Loans	1,147.78	0%	-	1,147.78
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credibly impaired	**Loans**	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			1,065.87	100%	1,065.87	-
		Interest on Loans	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			794.03	100%	794.03	-
			207,192.81		**1,859.89**	**205,332.91**

करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं।

- दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि मानी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 33 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान **(₹ लाख में)**

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	**ऋण**	204,185.13	0%	-	204,185.13
		ऋण पर ब्याज	1,147.78	0%	-	1,147.78
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोख़िम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	**ऋण**	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			1,065.87	100%	1,065.87	-
		ऋण पर ब्याज	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			794.03	100%	794.03	-
			207,192.81		**1,859.89**	**205,332.91**

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2022 **(₹ in Lakhs)**

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	200,584.80	0%	-	200,584.80
		Interest on Loans	1,427.68	0%	-	1,427.68
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credibly impaired	**Loans**	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			649.11	100%	649.11	-
		Interest on Loans	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			698.94	100%	698.94	-
			203,360.53		**1,348.05**	**202,012.48**

a) Provisions for Expected Credit Losses of loans and interest thereon, where the amounts are overdue and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security "shall be made as per the Probability of default.

b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when received due to its uncertainty factor.

c) Overdue interest on Unsecured loans disbursed directly to NGO/Students at the end of financial year provided for.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

Beside above, as a matter of prudence , where even due amount of interest not received during the financial year on Unsecured loans, disbursed without security / Post dated Cheques etc. provided for.

The SCA wise detail is as follows:

FY 2022-23

Sr No.	Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
1	Bihar BC		320.53	320.53	320.53
2	MP SC	56.87	70.53	127.40	127.40
3	MP BC	56.42	95.39	151.81	151.81
4	Maharashtra Mahatma Phule	48.62	22.88	71.50	71.50
5	Assam Artfed	898.12	35.41	933.53	933.53
6	Others NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
7	Penal Interest		245.26	245.26	245.26
8	Bank of Baroda		0.69	0.10	0.10
	Total	**1065.87**	**794.61**	**1859.89**	**1859.89**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान **(₹ लाख में)**

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	**ऋण**	200,584.80	0%	-	200,584.80
		ऋण पर ब्याज	1,427.68	0%	-	1,427.68
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोख़िम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	**ऋण**	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			649.11	100%	649.11	-
		ऋण पर ब्याज	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			698.94	100%	698.94	-
			203,360.53		**1,348.05**	**202,012.48**

क) जहां पर धनराशि बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश / गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख) दिनांक 31.03.2007 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की धनराशि को अनिश्चितता के कारण जब भी देय प्राप्त हुआ है, माना गया है।

ग) वित्तीय वर्ष के अंत में असुरक्षित गैर सरकारी संगठन/छात्रों को सीधे संवितरित ऋणों पर अतिदेय ब्याज का प्रावधान किया गया है।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

इसके अतिरिक्त, विवेक के तौर पर, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान बिना सुरक्षा / पोस्ट डेटेड चेक के वितरित के असुरक्षित ऋणों पर ब्याज की देय राशि भी प्राप्त नहीं हुई, का प्रावधान किया गया है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2022-23

क्र.स.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @100%
1	बिहार बी.सी		320.53	320.53	320.53
2	मध्य प्रदेश एस.सी.	56.87	70.53	127.40	127.40
3	मध्य प्रदेश बी.सी	56.42	95.39	151.81	151.81
4	महाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	22.88	71.50	71.50
5	असम आर्टफेड	898.12	35.41	933.53	933.53
6	अन्य एन.जी.ओ.	5.83	3.92	9.76	9.76
7	दंड ब्याज		245.26	245.26	245.26
8	बैंक ऑफ बड़ौदा		0.69	0.10	0.10
	योग	**1065.87**	**794.61**	**1859.89**	**1859.89**

FY 2021-22

Sr No.	Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
1	Bihar BC		255.87	255.87	255.87
2	MP SC	56.87	67.97	124.84	124.84
3	MP BC	56.42	92.85	149.27	149.27
4	Maharashtra Mahatma Phule	48.62	20.69	69.32	69.32
5	Assam Artfed	481.36	11.91	493.27	493.27
6	Others NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
7	Penal Interest		245.72	245.72	245.72
	Total	**649.11**	**698.94**	**1348.05**	**1348.05**

Balance Confirmation from the Following SCA,s are pending for the FY 2022-23

NAME OF CHANNEL PARTNER	Pending Since 2022-23	Pending Since 2021-22
Andhra Pradesh (BC)-I NEW	-	2018-19
Bihar (BC)	1995-96	1995-96
Chandigarh SC/ST/BC	2018-19	2018-19
Jammu & Kashmir SC/ST/BC	2018-19	2018-19
Jammu & Kashmir (WOMEN)	-	2018-19
Jharkhand (ST)	-	2018-19
Karnatka (Vishkarma)	2017-18	2017-18
Kerala (Palmarah)	2009-10	2009-10
Madhya Pradesh (sc)	1995-96	1995-96
Madhya Pradesh (BC)	1995-96	1995-96
Maharashtra (Mahatma Phule)	2010-11	2010-11
West Bengal (BC)	2018-19	2018-19
West Bengal (Minorties)	-	2022-23
Assam (Artfed)	2018-19	2018-19
NGOS	1998-99	1998-99

Note 34 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 30 for further disclosures.

वित्तीय वर्ष 2021-22

क्र.स.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @ 100%
1	बिहार बी.सी.		255.87	255.87	255.87
2	मध्य प्रदेश एस.सी.	56.87	67.97	124.84	124.84
3	मध्य प्रदेश बी.सी	56.42	92.85	149.27	149.27
4	महाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	20.69	69.32	69.32
5	असम आर्टफेड	481.36	11.91	493.27	493.27
6	अन्य एन.जी.ओ.	5.83	3.92	9.76	9.76
7	दंड ब्याज		245.72	245.72	245.72
	योग	**649.11**	**698.94**	**1348.05**	**1348.05**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित एस.सी.ए. से अवशेष राशि की पुष्टि लंबित है:

चैनल सहभागी का नाम	2022-23 से लंबित	2021-22 से लंबित
आंध्र प्रदेश (बीसी)-I नया	-	2018-19
बिहार (बीसी)	1995-96	1995-96
चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी	2018-19	2018-19
जम्मू एवं कश्मीर एससी/एसटी/बीसी	2018-19	2018-19
जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	-	2018-19
झारखंड (एसटी)	-	2018-19
कर्नाटक (विश्कर्मा)	2017-18	2017-18
केरल (पलमीराह)	2009-10	2009-10
मध्य प्रदेश (एससी)	1995-96	1995-96
मध्य प्रदेश (बीसी)	1995-96	1995-96
महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2010-11	2010-11
पश्चिम बंगाल (बीसी)	2018-19	2018-19
पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	-	2022-23
असम (आर्टफेड)	2018-19	2018-19
एन.जी.ओ.	1998-99	1998-99

टिप्पणी 34 अनिश्चतता अनुमान के प्रमुख स्रोत

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 30 देखें।

Note 35 Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other financial institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

Note 36 Prior Period Errors

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables		
Other current & Non current Provision		
Trade Receivables		
Other Financial Assets (Current)		
Other Financial Liabilities		
Other current & Non - Current liabilities		
Other Receivable (Current)		
Intangible Assets		
Property, Plant & Equipment's		
Right of Use		
Provisions		
Net Impact on Equity	**-**	**-**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Impact on statement in Income and Expenditure loss (increase/(decrease) in Surplus)		
Other Expenses		
Employees Benefit Cost		-
Training & other Developmental Expenditure		
Depreciation & Amortization Costs		
CSR expenses		
Other Developmental Expenses		
Exceptional Items		
Interest income on Loan to Channel Partners		
	-	**-**
Attributable to Equity Holders	**-**	**-**

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS) **(Rs. in Lakhs)**

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	-
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	-

टिप्पणी 35 परिचालन भाग रिर्पोटिंग (सेममेंट)

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्ग़ों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
साम्य अंश पर प्रभाव(सांम्य अंश में वृद्धि/कमी)		
देय व्यवसाय		
अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान प्रावधान		
प्राप्य व्यवसाय		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)		
अन्य वित्तीय देयताएं		
अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयताएं		
प्राप्य अन्य (वर्तमान)		
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		
उपयोग का अधिकार		
प्रावधान		
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	**-**	**-**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आय एवं व्यय विवरण पर क्षति प्रभाव(आधिक्य में वृद्धि/(कमी)		
अन्य व्यय		
कर्मचारी लाभ लागत		-
प्रशिक्षण एवं अन्य विकास व्यय		
अवमूल्यन एवं परिशोधन लागत		
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		
अन्य विकासात्मक व्यय		
असाधारण मदें		
चैनल सहभागियों को ऋण पर ब्याज आय		
	-	**-**
अंश धारकों पर आरोप्य	**-**	**-**

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) में वृद्धि (कमी) **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सत्त संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सतत् संचालन से लाभ, मूल	-	-
अंशधारकों पर आरोप्य सतत् संचालन से लाभ, तनुकृत	-	-

Note 37 Contingent Liabilities /Asset and commitments

Liabilities: **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any)is Nil (Nil as at 31.03.2022).	-	-

Assets: **(₹ in Lakhs)**

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Contingent Asset and commitments (to the extent not provided for) Estimated amount on account of and not provided for	-	-

Note 38 In accordance with the approval of the Board, surplus undisbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits with banks whom transaction are made , taking into account the Government guidelines issued from time to time for the purpose and the income generated by this has been ploughed back into the schemes for the welfare of target groups.

Note 39 The Corporation has waived off penal interest and incentive of interest of ₹ 77.64 lakh (₹ 48.22 lakh as at 31.03.2022) , under One time Settlement Scheme (OTS). As per One Time Settlement Scheme (OTS) of the Corporation borrowers (SCAs/ NGOs and others , who have some overdues and ready to settle the overdues with in the 3 months of sanction by NBCFDC . The Corporation will provide waiver of 100% of penal interest receivable as on cut off date . Further, the borrower would be eligible for getting interest incentive @3% on the settlement amount for the period of 9 months separately only after receipt of full repayment of settlement amount. The detail is as under:-

During the Financial Year 2022-23 **(₹ in Lakhs)**

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2022 ₹ Lakh	Intt./Penal Interest waived off. ₹ Lakh	Interest Incentive ₹ Lakh	Recovery Affected (₹ Lakh)
Karnataka Vishwakarma	14.49	0.06	14.43	655.94
Sikkim SC/St/OBC Dev. Corpo.	49.16	44.51	4.65	264.56
G. Total	**63.65**	**44.57**	**19.08**	**920.50**

During the Financial Year 2021-22 **(₹ in Lakhs)**

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2022 (₹ Lakh)	Intt./Penal Interest waived off. (₹ Lakh)	Interest Incentive (₹ Lakh)	Recovery Affected (₹ Lakh)
Assam BC	46.29	45.52	0.77	119.2
VJNT MAHARASTRA	1.93		1.93	85.88
G. Total	**48.22**	**45.52**	**2.70**	**205.08**

Note 40 A property situated at x-29 , Hauz Khas , New Delhi was purchased for residential purpose of Managing Director during 1994-95, which is lying vacated since 2014-15 and used for storage and other event purpose except one room. The room is used for official guest of the Corporation who belongs to official of Channel partner of the Corporation when they visit Corporation. The Corporation charges nominal charges for staying period . The said income is nominal & incidental nature. The Corporation is also registered under section 12 AA and gets 80 G certificate from Income Tax Authority. Hence the all incidental income and etc. is exempt from tax.In the opinion of the management the said property is still for residential purpose.

टिप्पणी 37 आकस्मिक दायित्व/संपत्ति एवं प्रतिबद्धताएं

दायित्व **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएँ (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया) पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य (शुद्ध अग्रिम, यदि कोई हो) है और इसका प्रावधान नहीं किया गया है (31.3.2022 को शून्य)।	-	-

परिसंपत्ति **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएँ (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया) खाते पर अनुमानित धनराशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	-	-

टिप्पणी 38 इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देश और इसके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार, निगम के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय-समय पर उन बैंकों में अल्पावधि जमा में रखा जाता है, जिनसे लेन-देन किया जाता है और इससे सृजित आय को लक्षित समूहों के कल्याण के लिए योजनाओं में प्रयोग किया गया है।

टिप्पणी 39 निगम ने एकल निस्तारण योजना(ओ.टी.एस.) के अंतर्गत दण्ड ब्याज एवं ब्याज प्रोत्साहन ₹ 77.64 लाख (31.03.2022 को ₹ 48.22 लाख) माफ किया है। निगम की एकल निस्तारण योजना के अनुसार ऋणग्राहियों(रा.चै.ए./एन.जी.ओ. एवं अन्य), जिनपर कुछ बकाया है एवं बकाया के निस्तारण हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी.की स्वीकृति के 3 माह में बकाया के भुगतान हेतु तैयार है। निगम निर्धारित तिथि पर प्राप्य दण्ड ब्याज को 100% माफ करेगा। इसके अलावा, 9 माह की अतिरिक्त अवधि में सम्पूर्ण धनराशि का पुनर्भुगतान का निस्तारण करने के बाद ही ऋणग्राही 3% की दर से ब्याज प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे। विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में **(₹ लाख में)**

चैनल सहभागियों/अन्य का नाम	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज/ दंड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	प्रभावित वसूली (₹ लाख)
कर्नाटक विश्वकर्मा	14.49	0.06	14.43	655.94
सिक्किम एससी/एसटी/ओबीसी डेव. कॉरपोरेशन.	49.16	44.51	4.65	264.56
कुल योग	**63.65**	**44.57**	**19.08**	**920.50**

वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में **(₹ लाख में)**

चैनल सहभागियों/अन्य का नाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज/ दंड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	प्रभावित वसूली (₹ लाख)
असम बी.सी.	46.29	45.52	0.77	119.2
वी.जे.एन.टी. महाराष्ट्र	1.93		1.93	85.88
कुल योग	**48.22**	**45.52**	**2.70**	**205.08**

टिप्पणी 40 एक्स-29, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति 1994-95 के दौरान प्रबंध निदेशक के आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी, जो 2014-15 से खाली पड़ी है और एक कमरे को छोड़कर भंडारण और अन्य कार्यों के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। निगम के आधिकारिक अतिथि, जो निगम के चैनल सहभागियों के अधिकारी होते हैं जब वे निगम में आते हैं, के लिए कमरे का उपयोग किया जाता है। निगम रहने की अवधि के लिए नाममात्र का शुल्क लेता है। उक्त आय नाममात्र और आकस्मिक प्रकृति की होती है। निगम धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और आयकर प्राधिकरण से 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः सभी आकस्मिक आय आदि कर से मुक्त है। प्रबंधन के मतानुसार उक्त संपत्ति अभी भी आवासीय उद्देश्य के लिए है।

Note 41

Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	4.07
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management.

This has been relied upon by the auditors.

Note 42

Note 42.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Partners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments

Note 42.2 The Corporation has initiated legal action against the defaulting Channel Partners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits . The cumulative Status of legal cases is as under

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	-	-	2	-	2
Decree Execution in process	-	3	-	-	3
Cases dismissed	-	-	-	-	-
Total	-	**3**	**2**	-	**5**

Note 43 The Income of the Corporation is exempted from tax under section 10 (26b) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for Income Tax is Required . Consequently the provision of Ind As - 12 'Income Tax is not Applicable.

Note 44 Provision of 'Non - Banking Finance Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) directions 1998' are not applicable to the Corporation.

Note 45 In the opinion of Board /Management , the assets, Loans and Advances have a realisable value of at least equal to the amount at which they are stated in the Balance sheet if realised in the ordinary course of business.

Note 46 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agencies prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of ₹ 397.11 lakhs (₹ 391.27 lakhs as at 31.03.2022) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

टिप्पणी 41

माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत वाछिंत प्रकटन

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	-	4.07
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ-साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष अदा नहीं की गई धनराशि	-	-
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य ब्याज धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए गए।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को निर्धारित किया गया है।

इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 42

टिप्पणी 42.1 निगम ने चूककर्त्ता चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी मुकदमें दायर किए गए हैं और निगम के पास किसी भी भुगतान के दायित्व का मामला नहीं है।

टिप्पणी 42.2 निगम ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की सकल स्थिति निम्नानुसार है-

विवरण	आपराधिक केस	सिविल केस	अन्य द्वारा दायर किए गए सिविल केस	मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन मामले	-	-	2	-	2
न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में	-	3	-	-	3
खारिज केस	-	-	-	-	-
योग	-	**3**	**2**	-	**5**

टिप्पणी 43 निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट दी गई है। इस प्रकार आयकर के लिए कोई प्रावधान वांछित नहीं है। इसी प्रकार भारतीय लेखाकरण मानक-12, आयकर लागू नहीं है।

टिप्पणी 44 1998 के सार्वजनिक जमा (रिजर्व बैंक) के गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों के प्रावधान निगम के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45 निदेशक मण्डल / प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य अवधि में व्यवसाय किया गया है, परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य माना जाता है जिस पर उनका तुलन-पत्र में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी 46 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में इस राज्य से एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। राज्य के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ऋण दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण चुकाने के लिए इसकी गारंटी है। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को दिया गया था, हालांकि, उत्तराधिकारी राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ₹ 397.11 लाख (31.03.2022 को ₹ 391.27 लाख) की अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है और इसलिए बकाया ऋण का दायित्व पूर्ववर्ती राज्य के नाम किया गया है।

Note 47 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar and out of these states two new states of Jharkhand were formed respectively in the year 2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

Note 48

1. The company has adopted Ind AS 116 (Leases) in accordance with applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statements of NBCFDC.
2. Expenses relating to the short-term operating leases as per Ind AS 116 are as follows:-

Nature of Expenses	Amount ₹ In Lakh
Rent	217.00
Hiring of Vehicle	8.97
Security & Other Services Charges	70.13
Total	**296.10**

Note 49

DISCLOSURE OF RATIOS:	2022-23		2021-22		Increase/ Decrease from Previous Year	Remarks
Current Ratio:		258.08		101.30	61%	Decrease in Grant Fund
Current Asset	58,545.89		56,399.08			
Current Liabilities	226.85		556.78			
Debt-Equity Ratio:		0.01		0.03	-305%	Decrease in Grant Fund
Total Liablities	1,436.91		5,730.82			
Total Share Holder Equity	2,09,927.52		2,06,864.55			
Debt Service coverage Ratio						
Operating income	53.23		55.61			
Short term debt & current portion of long term debt	-		-			
Return on Equity Ratio:		0.01		0.01	-2%	
Net Income/surplus	3,037.79		3,064.70			
Share holder Equity	2,09,927.52		2,06,864.55			
Inventory Turnover Ratio:						
cost of Good sold	-					
Average Inventory for same period	-					
Trade Receivable Ratio:						
Net Sale	-					
Average account receivable	-					
Trade Paybale Ratio:						
Average No. of Days for amount due	-					
Average no of days i.e. 365	-					

टिप्पणी 47 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य का विभाजन हुआ और इस राज्य से झारखंड नाम के एक नए राज्य का गठन 2000 में किया गया था। उत्तराधिकारी राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व का बटवारा नव सृजित राज्य की एस.सी.ए. में मध्य होना लंबित है, निगम ने इसे पूर्ववर्ती राज्य की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के नाम दर्शाया है, जो पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 48 1. कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 116 (लीज) को वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अंगीकार किया है; इसके अंगीकरण के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार संक्षिप्त अवधि के परिसंचालन लीज से संबंधित व्यय निम्नानुसार है-

व्यय की प्रकृति	धनराशि (₹/लाख में)
किराया	217.00
वाहन को किराए पर लेना	8.97
सुरक्षा एवं अन्य सेवा शुल्क	70.13
योग	**296.10**

टिप्पणी 49

अनुपातों का प्रकटीकरण	2022-23		2021-22		गत् वर्ष से वृद्धि/ कमी	टिप्पणियां
वर्तमान अनुपात:		258.08		101.30	61%	अनुदान निधि में कमी
वर्तमान परिसंपत्ति	58,545.89		56,399.08			
वर्तमान देयताएं	226.85		556.78			
ऋण-इक्विटी अनुपात:		0.01		0.03	-305%	अनुदान निधि में कमी
कुल देयताएं	1,436.91		5,730.82			
अंश धारक के कुल अंश	2,09,927.52		2,06,864.55			
ऋण सेवा कवरेज अनुपात:						
परिचालन आय	53.23		55.61			
अल्पावधि ऋण एवं दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान भाग	-		-			
इक्विटी अनुपात से वापसी:		0.01		0.01	-2%	
शुद्ध आय/आधिक्य	3,037.79		3,064.70			
साम्य अंश धारक	2,09,927.52		2,06,864.55			
वस्तु सूची व्यवसाय अनुपात:						
बेचे गए सामान की लागत	-					
इसी अवधि के लिए औसत इन्वेंटरी	-					
व्यापार प्राप्य अनुपात:						
शुद्ध बिक्री	-					
प्राप्य औसत खाते	-					
व्यापार देय अनुपात:						
दिनों की औसत संख्या जब से धनराशि देय है	-					
दिनों की औसत संख्या अर्थात 365	-					

DISCLOSURE OF RATIOS:	2022-23		2021-22		Increase/ Decrease from Previous Year	Remarks
Net Capital Turnover Ratio:		0.03		0.03	-2%	
Total sales /Reenue from Operation	5,312.74		5,321.53			
Share Holder Equity	2,09,927.52		2,06,864.55			
Net Profit/Surplus Ratio:		0.56		0.55	3%	
Revenue-Cost	2,993.48		2,914.62			
Revenue	5,312.74		5,321.53			
Return on Capital Employed Ratio:		0.01		0.01	-2%	
Earning before intt. & tax	3,035.64		3,055.77			
Capital Employed(Total Asset- Curent Liability	2,09,966.50		2,06,890.83			
Return on Investment:		0.01		0.01	-2%	
Net Income/ Surplus	3,035.64		3,055.77			
Cost of Investment(Total Asset- Curent Liability	2,09,966.50		2,06,890.83			

Note 50 Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

Note 51 **Approval of financial Statement**

The Financial Statement were approved for issue by the Board of Directors on 30.06.2023.

Signatories to Note 1 to 51

For and on behalf of Board of Directors

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner : Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN : 23075312BGYEAP6909
Place: New Delhi
Date: 30/06/2023

Sd/-
DR. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No.06727939)

Sd/-
RAJAN SEHGAL
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

अनुपातों का प्रकटीकरण	2022-23		2021-22		गत् वर्ष से वृद्धि/ कमी	टिप्पणियां
शुद्ध पूंजी व्यवसाय अनुपात:		0.03		0.03	-2%	
शुद्ध बिक्री/ संचालनों से आय	5,312.74		5,321.53			
साम्य अंश धारक	2,09,927.52		2,06,864.55			
शुद्ध लाभ/अधिशेष अनुपात:		0.56		0.55	3%	
राजस्व-लागत	2,993.48		2,914.62			
राजस्व	5,312.74		5,321.53			
नियोजित पूंजी अनुपात पर वापसी:		0.01		0.01	-2%	
ब्याज एवं कर से पूर्व आय	3,035.64		3,055.77			
नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्ति-वर्तमान देयता)	2,09,966.50		2,06,890.83			
निवेश पर वापसी:		0.01		0.01	-2%	
शुद्ध आय/आधिक्य	3,035.64		3,055.77			
निवेश की लागत (कुल परसंपत्ति-वर्तमान देयता)	2,09,966.50		2,06,890.83			

टिप्पणी 50 जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत् वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के मद्देनज़र पुनःसमूहीकृत/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 51 **वित्तीय विवरण का अनुमोदन**

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने हेतु दिनांक 30.06.2023 को जारी किया गया।

टिप्पणी 1 से 51 तक हस्ताक्षरकर्ता

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. – 075312
यू.डी.आई.एन.: 23075312BGYEAP6909
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2023

ह0 /-
डॉ. एस.एस.आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 /-
राजन सहगल
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
अजित कुमार सामल
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NOTE

NOTE

NOTE

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110 016

ई-मेल: info@nbcfdc.gov.in | वेबसाइट: www.nbcfdc.gov.in

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 016

E-mail : info@nbcfdc.gov.in | Website : www.nbcfdc.gov.in

Design & Printed at **ROYALPRESS** # 93101 32888